अष्टम माला, खंड 10, अंक 7

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1985
5 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 26 नवम्बर, 1985/5 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 122, 125, 127 से 129, 134, 136 से 140 और 121	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—200
तारांकित प्रश्न संख्या : 123, 124, 130 से 133 और 135	26—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1271 से 1275, 1277 से 1309, 1311 से 1379, 1381 से 1399 और 1401 से 1501	29—200
प्रधान मंत्री द्वारा उनकी हाल ही की विदेश यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य	200—202
श्री राजीव गांधी	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	204—205 और 209—212
राज्य सभा से संदेश	212
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	214
सातवां प्रतिवेदन	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1985-86—प्रस्तुत	214
नियम 377 के अधीन मामले	214—219
(एक) प्रक्रिया को सरल बनाकर निष्क्रान्त सम्पत्तियों का पुराने निवासियों को अन्तरण	
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	214
(दो) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने और वहां एक बड़ा औद्योगिक एकक स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री मदन पांडे	215

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने और 7वीं योजना अवधि के दौरान नई परियोजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता	
डा० कृपासिन्धु भोई	215
(चार) बम्बई नगर परिवहन परियोजना चरण-2 को तत्काल स्वीकृति देने और विश्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता	
श्री एस० जी० घोलप	216
(पांच) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के फैलने को रोकने के लिए उस राज्य को पर्याप्त चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	216
(छः) तमिलनाडु में हाल की वर्षा से हुए भारी नुकसान को पूरा करने और लोगों को राहत देने के लिए उस राज्य को वित्तीय सहायता देना	
श्री पी० कुलन्दईवेलु	217
(सात) भूटान की चूखा पनबिजली परियोजना के भारतीय कर्मचारियों की और अधिक छंटनी को रोकने और छंटनी किए गए कर्मचारियों का पुनर्वास करने की आवश्यकता	
श्री आनन्द पाठक	217
(आठ) सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को, चाहे उनके द्वारा काटी गई जेल की अवधि कितनी भी रही हो, केन्द्रीय सरकार की पेंशन सुविधा देने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	218
(नौ) बिहार में शिक्षा के त्वरित विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता	
श्री सी० पी० ठाकुर	218
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	219—253
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	219
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	219
श्री अरविन्द नेताम	221
डा० पी० वल्लल पेरूमान	223
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	226
श्री अनादि चरण दास	229

विषय	पृष्ठ
श्री यू० एच० पटेल	233
श्री अमर रायप्रधान	236
श्री उत्तम राठोड़	240
श्री गंगा राम	242
श्री के० मानवेन्द्र सिंह	245
श्री राम बहादुर सिंह	247
श्री नरसिंह मकवाना	249
इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग सम्बन्धी मुकदमे में श्री जगमोहन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में प्रस्ताव	253—315
प्रो० मधु दण्डवते	253
श्री एडुआर्डो फैलीरो	261
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	272
श्री सैफुद्दीन चौधरी	275
प्रो० नारायण चन्द पराशर	277
श्री डी० एन० रेड्डी	281
श्री राम प्यारे पनिका	282
श्रीमती गीता मुखर्जी	286
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	288
श्री शरद दिघे	291
प्रो० सैफुद्दीन सोज	294
डा० दत्ता सामन्त	302
श्री सी० जंगा रेड्डी	303
श्री एच० आर० भारद्वाज	304
प्रो० मधु दण्डवते	306
कार्य-मंत्रणा समिति	315
14वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1985/5 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह नवीनतम जानकारी है? श्री मोहम्मद महफूज अली खां।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बहुत अधिक राशि के बिल भेजे जाना

*122. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1985 के "दि इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया है जिसमें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अधिक राशि के बिल भेजे जाने, ली गई राशि का समायोजन न करने और उपभोक्ताओं द्वारा बाध्य होकर बिलों का भुगतान किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्य निष्पादन को युक्तियुक्त बनाने और उपभोक्ताओं को हो रही अनावश्यक परेशानियों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं, कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाने की प्रणाली में सुधार, बिल बनाने और वसूलियों को एकत्र करने में अशुद्धियों को कम करने और उन्हें दूर करने के उद्देश्य से स्टाफ के कौशल में सुधार लाने के लिए कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण देना, समय में बढ़ोतरी करना जिससे उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान कर सकें तथा नकद राशि प्राप्त करने वाले कार्यालयों और स्थलों की संख्या में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : अभी आपका यह कहना कि कम्प्यूटर सिस्टम की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन बिल कितने गलत हो रहे हैं, उसकी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा। श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा साहब का बिल पिछले महीने 38 हजार रुपये का था, जब उन्होंने कोरैक्शन करवाया तो वह केवल 4 हजार रुपये का रह गया। आज किसी भी प्रकार की फैसिलिटी कंज्यूमर्स को नहीं मिली हुई है। वह लम्बी-लम्बी लाइनों में खड़े होते हैं और बिल जमा करवाने के लिए आप समय भी बहुत कम देते हैं। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि कब तक यह धांधलेबाजी चलती रहेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, आज कंज्यूमर्स की बहुत बड़ी तादाद है और इस वक्त जो कम्प्यूटर बिलिंग है, वह कम्प्यूटर सिस्टम डेसू के नहीं हैं, एक एजेंसी की सेवाओं को हासिल किया गया है। अगले 8-" महीने के अन्दर डेसू की अपनी कम्प्यूटर बिलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। इस बीच में हम स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और भी कई ऐसे मेजर्स हैं, जो कि लिए जा रहे हैं जिससे कम्प्यूटर की भी गलत फीडिंग न होने पाए। इस वक्त 36 कैश सेंटर काम कर रहे हैं और उसके अलावा 71 जगहें ऐसी हैं जहां पर कैश वैनस को भेजा जाता है ताकि लम्बी क्यू न लगे और हम अपने उपभोक्ताओं को सहूलियतें दे सकें।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : बिल के कोरैक्शन के लिए एक तो समय कम दिया जाता है और दूसरा एक्सैस एमाऊंट जमा करा लिया जाता है। जब वह शिकायत लेकर जाते हैं तो उसका एडजस्टमैंट भी बिल में नहीं हो पाता है, जिससे आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। मेरी गुजारिश है कि एक तो कम्प्यूटर का फीडर सिस्टम सही होना चाहिए और दूसरा आपके मीटर रीडर चैकिंग नहीं करते हैं। वह बैठे-बैठे अन्दाजा लगाकर बिल बना देते हैं जिससे सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, हमारी कोशिश यही है कि कार्य में सुधार लाया जा सके। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : माननीय मंत्री बताने की कृपा करें एन० टी० पी० सी०, बदरपुर का डेसू के ऊपर आज तक कुल कितना रुपया बकाया है ? इस बकाया को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या डेसू ऐसे मामलों में एन० टी० पी० सी०, बदरपुर को भी दूसरों के समान समझता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बदरपुर थर्मल केन्द्र और सिंगरोली से डेसू को की गई बिजली की सप्लाई के लिए डेसू को इन्हें क्रमशः 357.91 करोड़ रु० और 16.90 करोड़ रु० की बकाया राशियां देनी हैं। हम डेसू को लिख रहे हैं कि वह इस बकाया राशि का भुगतान करे। एन० टी० पी० सी० भी उनसे सम्पर्क बनाए हुए है। वे भी उन्हें भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। 9 अप्रैल, 1985 तक दिल्ली के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम दरों पर बिजली सप्लाई की जा रही थी। 9 अप्रैल, 1985 से बिजली की दरों में संशोधन किए जाने से, डेसू की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और वे एन० टी० पी० सी० को कुल बकाया राशि का भुगतान कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु : क्या एन० टी० पी० सी० अन्य राज्य बिजली बोर्डों के साथ भी डेसू जैसा व्यवहार करेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं नहीं समझता कि यह कहना उचित है कि उनके साथ भी डेसू के समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि डेसू देश की राजधानी के उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई कर रही है।

पोलियो वैक्सीन का उत्पादन/आयात

*125. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलियो वैक्सीन का उत्पादन करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वैक्सीन का आयात भी किया जा रहा है, और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना आयात किया जाता है तथा किन-किन देशों से इसका आयात किया जाता है;

(ग) स्वदेशी वैक्सीन की तुलना में आयातित वैक्सीन की एक खुराक की लागत क्या है;

(घ) क्या इसके आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और यदि हां, तो इस प्रकार के लाइसेंस मंजूर करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(ङ) क्या औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के उपबन्धों के अन्तर्गत आयातित या स्वदेशी वैक्सीन के मूल्य निर्धारित करने पर सरकार का कोई नियंत्रण है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) पोलियो वैक्सीन सांद्र का वाणिज्यिक उत्पादन अभी देश में प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोलियो वैक्सीन का आयात अधिकतर सान्द्र के रूप में किया जाता है। आयात के स्रोत यू० एस० एस० आर०, बैल्जियम, इटली तथा फ्रांस हैं। आयातित सान्द्र को देश में सम्मिलित, डाइल्यूटिड तथा एम्पूल किया जाता है। उपलब्धि की सीमा तक आयात के ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ग) आयातित सान्द्र पर आधारित पेय पोलियो वैक्सीन का मूल्य 0.461 रुपये प्रति खुराक निर्धारित किया गया है।

(घ) पोलियो वैक्सीन आयात निर्यात नीति के खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत आता है। तथापि, औषध एवं प्रसाधन अधिनियम एवं उसके नियमों के अन्तर्गत इसके आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

(ङ) जी, हां।

अनुबन्ध

पोलियो वैक्सीन का आयात

	1982-83 खुराक की मात्रा	सी.आई.एफ. मूल्य रु० में	1983-84 खुराक की मात्रा	सी.आई.एफ. मूल्य रु० में	1984-85 खुराक की मात्रा	सी.आई.एफ. मूल्य रु० में
पोलियो माइलिटिस वैक्सीन (ओरल)						
(क) ट्रीवेलेन्ट	30,66,000	5,83,576	1,60,750	59,459	72,52,280	21,69,975
(ख) मोनो	4,10,00,000	43,78,667	3,50,00,000	36,38,306	5,25,00,000	50,41,049

श्री चिन्ता मोहन : क्या खसरा और परिसर्प वैक्सीन के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : यह प्रश्न पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा गया है न कि किसी अन्य वैक्सीन के बारे में।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : देश में पोलियो वैक्सीन सान्द्र का देश में कुल कितना उत्पादन होता है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : अभी देश में इसका कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। सारा विदेशों से आयात किया जाता है। लेकिन हम हैफ्किन्स् बॉयो फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लि० के माध्यम से इसका निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस वैक्सीन का उत्पादन आरंभ करने में क्या कठिनाई है ? इसके लिए क्या उपाय करने का सुझाव है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अगले वर्ष से कुछ उत्पादन आरंभ शुरू हो जाएगा। हैफ्किन्स् बॉयो फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लि० इस कार्य की देख-रेख कर रही है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि

*127. **श्री जी० भूपति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार जनता से बाण्ड जारी करके और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करके धन जुटाने की योजना बना रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि लगभग 5,560 करोड़ रुपये है।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बाण्ड/डिबेंचर जारी करके निधियां जुटाने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी सहायता प्राप्त करता रहेगा।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, यह योजना तो ठीक है। 400 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का सेविंथ प्लान में टार्गेट है परन्तु इस कोयले के एक बटा चार भाग को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसको ट्रांसपोर्ट करने के बजाए जहां पर कोयले का उत्पादन होता है वहीं पर पावर स्टेशन्स लगाए जाने चाहिएं और पावर को ही आप ट्रांसपोर्ट करिए, कोयले को मत ट्रांसपोर्ट करिए तथा उस पावर को किसानों को सब्सीडी पर सप्लाई किया जाए—क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष जी, थर्मल पावर स्टेशन्स बनाने का जो निर्णय लिया गया था उसके पीछे कल्पना यही थी कि कोयले को ट्रांसपोर्ट न किया जाए और पिठहेड स्टेशन इसीलिए उनको कहा जाता है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जो पावर स्टेशंस लगाए जा रहे हैं वह सभी के सभी सुपर थर्मल पावर स्टेशंस हैं और जहां पर कोयले की खानें हैं उसी के अनुसार उन स्टेशंस को स्थापित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने सब्सीडी के सम्बन्ध में प्रश्न किया है तो वहां जो लोग उससे प्रभावित होते हैं या जिनको नुकसान पहुंचता है उनको तो मुआवजा दिया ही जाता है, उनको रिहैबिलिटेड करने के लिए, कंपेन्सेट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लेकिन सब्सीडी की कोई योजना केन्द्रीय सरकार की नहीं है।

श्री जी० भूपति : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि डिबेन्चर्स के ऊपर सरकार कितना इन्ट्रस्ट दे रही है ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हमारे आंध्र प्रदेश में कोत्तागुद्दम और बेलमपल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है तो क्या वहां के लिए भी एन० टी० पी० सी० के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पिछले फाइनेन्स बिल को सदन में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस योजना के बारे में घोषणा की थी :

[अनुवाद]

"ये बाण्ड विशिष्ट क्षेत्रों को नये और वर्तमान निगमों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इन बोंडों पर संचमी और गैर-संचमी ब्याज की अधिकतम दर 14 प्रतिशत है। इन बांडों का भुगतान सामान्यतया सात वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जाएगा और इनका अंकित मूल्य 500 रु० या 1,000 रु० होगा। ये बांड कर लाभों और धन कर से छूट के लिए मान्य होंगे।"

[हिन्दी]

इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में सौ करोड़ रुपया जो संस्थाएं रेज कर सकेंगी उन संस्थाओं में एन० टी० पी० सी० को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : श्रीमन्, आन्ध्र प्रदेश में पहले ही एक सुपर थर्मल पावर केन्द्र कार्यरत है जोकि एन० टी० पी० सी० द्वारा रामागुडम में चलाया जा रहा है। किसी अन्य स्थान पर ऐसा ही केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमन्, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उन्हीं स्थानों पर बिजली केन्द्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जहां कोयले की सप्लाई सुनिश्चित हो, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सातवीं योजना में निगम पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में कोई परियोजना लागू करने के बारे में सोच रहा है और दूसरे, फरक्का के ताप विद्युत केन्द्र के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन, चूंकि यह प्रश्न एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को आबटित की गई धनराशि के बारे में था, अतः मैंने उत्तर दिया था कि फरक्का केन्द्र का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। जहां तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरक्का को आवंटित की गई राशि का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को इसका ब्यौरा दे दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कोयला क्षेत्र में नया केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है ? मेजिया के बारे में क्या विचार है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेजिया में हमारी कोई नई परियोजना नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इतना ही काफी है, यह पूर्ण होने वाला है। उन्होंने यही कहा है।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कभी भी सुधार की गुंजाइश है। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता 20 000 मेगावाट थी, लेकिन हम इसे प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि कई विषमताएं हैं। एक तो यह है कि निगम ने बी० एच० ई० एल० के माध्यम से कई व्यक्तियों को ठेके दे दिए हैं। उन्होंने काफी अधिक समय ले लिया है। इसके अलावा पहले उन्होंने जो डिजाइन प्राचल दिया था, वह नहीं दिया। अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारी स्थापित क्षमता पिछली योजना से अधिक होनी चाहिए। हम अधिक स्थापित क्षमता प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मंत्री जी देशी-डिजाइन-प्राचलों और साथ ही विदेशी-डिजाइन-प्राचलों, जो हमारी भू-भौतिक स्थितियों के अनुकूल हैं, के ब्यौरों पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो प्रश्न में उलझ गए हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरा प्रश्न डिजाइन-प्राचलों में व्याप्त विषमता के बारे में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि वे परियोजना को समय रहते पूरा कर सकें, हालांकि लागत 25 प्रतिशत बढ़ गई है।

श्री वसन्त साठे : इस सूचना के लिए हम आभारी हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : श्रीमन्, मैंने प्रश्न पूछा था कि कई एक विषमताएं हैं···

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी मिल चुकी है।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या हमारे गतिशील मंत्री श्री वसन्त साठे इस विषय में मुझे जानकारी देंगे और विषमताओं के बारे में बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न को अब रहने दीजिए।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यद्यपि लागत में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, क्या उनका मंत्रालय देशी फर्मों और विदेशी फर्मों को ठेके देगा ताकि हमारी परियोजना समय पर पूरी हो सके और हमें स्थापित क्षमता प्राप्त हो सके।

श्री वसन्त साठे : ये सब किया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : फरक्का और काहालगांव के ताप विद्युत केन्द्रों को लालमेटिया स्थित राजमहल कोयला परियोजना से कोयला सप्लाई किया जाएगा। इनमें से एक का निर्माण पूरा होने वाला है और अन्य का निर्माण काहालगांव में आरंभ होने वाला है। क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आशंका प्रकट की है कि लालमेटिया परियोजना जिसे अपनी पूर्ण क्षमता पर 20 मिलियन टन कोयला अन्य ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई करना था, अब नहीं कर पायेगी ? अगर ऐसा है तो काहालगांव और फरक्का केन्द्रों को कोयला सप्लाई करने में लालमेटिया परियोजना को सक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आशंका प्रकट की है कि लालमेटिया से इन केन्द्रों को कोयला सप्लाई नही किया जा सकता। लेकिन जब हमने वहां ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया था तो यह निर्णय लेते समय हमने कोयला विभाग और योजना आयोग से सलाह की थी। और उस समय कोयले की सप्लाई की भी व्यवस्था की थी। काहलगांव में निवेश करने के पश्चात्, लालमेटिया से काहलगांव को कोयले की पूर्ति न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भागवत झा आजाद : इसमें तो समय लगेगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन खानों से कोयले की पूर्ति सम्भव है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम इस पर विचार करेंगे।

पन-बिजली परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब

*128. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी पन-बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके पूरा होने में पांच अथवा इससे अधिक वर्षों का विलंब हो गया है और इस कारण निर्माण लागत, आदि की दिशा में भारी घाटा हो रहा है तथा यह भी बतायें कि—

(1) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और ये किन-किन राज्यों में स्थित हैं, (2) मूल अनुमानित लागत कितनी थी और इनके पूरा होने पर कितनी लागत आने का अनुमान है, और (3) कितना विलंब हुआ है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना अवधि में चालू किए जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को, जिनमें पांच वर्ष से अधिक का विलंब हो गया है, दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित से सम्बन्धित है :

भूमि के अधिग्रहण में विलंब, परियोजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन, उपस्कर की सप्लाई में विलंब तथा गैर सिलसिलेवार सप्लाई, निधियों की कमी, निर्माण सामग्रियों की कमी, श्रमिक समस्याएं, कार्य-स्थल पर सामने आने वाली अप्रत्याशित भू-वैज्ञानिक परिस्थितियां तथा डिजाइन और इंजीनियरी सम्बन्धी समस्याएं।

(ग) जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है वे मोटे तौर पर राज्य क्षेत्र में हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने परियोजना प्रबन्ध संगठनों को सुदृढ़ करें, आधुनिक, मानीटरिंग तकनीकों का उपयोग करें, निरीक्षणों को गहन बनाएं और विभिन्न निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञ दल समय-समय पर परियोजनाओं का दौरा करते हैं तथा क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने में सहायता करते हैं।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने वाली संभावित जल विद्युत परियोजनाओं के नाम जिनमें पांच वर्ष अथवा अधिक समय के लिए विलंब हो गया है

परियोजना का नाम तथा क्षमता (मेगावाट)	मूल अनुमानित लागत / अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	चालू करने का मूल कार्यक्रम	चालू करने का संभावित कार्यक्रम
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
1. सलाल (3 × 115)	55.15 / 567.35	1974-75	1986-87
राज्य क्षेत्र			
उत्तरी क्षेत्र			
हिमाचल प्रदेश			
1. आन्ध्रा (3 × 5.65)	9.74 / 30.00	1980-81	1986-87

1	2	3	4
2. रोंग टोंग (4×0.5)	2.81 ——— 13.94	1980-81	1986-87
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात			
1. उकई बांयां तट नहर (2×2.5)	3.05 ——— 4.24	1979-80 1980-81	1986-87
2. कडाना पी० एस० एस० (2×60)	24.58 ——— 86.57	1978-79	1987-88 1988-89
महाराष्ट्र			
1. टिल्लारी (1×60)	8.16 ——— 58.48	1977-78	1985-86
सांझा (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)			
1. पेंच (2×80)	28.28 ——— 144.91	1978-79	1985-86 1986-87
दक्षिणी क्षेत्र			
केरल			
1. इदामलयार (2×37.5)	23.40 ——— 88.97	1978-79	1985-86
तमिलनाडु			
1. सर्वालार (1×20)	8.35 ——— 30.43	1978-79	1985-86
2. कदमप राई पी० एस० एस० (4×100)	35.12 ——— 155.44	1978-79	1986-87(100) 1987-88(200) 1988-89(100)

1	2	3	4
3. लीअर मेसूर (2×2×15)	83.60 / 147.00	1981-82	1986-87(45) 1987-88(60) 1988-89(15)
पूर्वी क्षेत्र			
उड़ीसा			
1. अपर कोलाब (3×80)	51.39 / 168.03	1980-81	1986-87(80) 1987-88(80) 1988-89(80)
पश्चिम बंगाल			
1. रामन चरण-दो (4×12 5)	24.20 / 55 16	1982-83	1988-89(25) 1989-90(25)

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सलाल प्रोजेक्ट जो आपका है······

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री मूल चन्द डागा : उसका आरीजनल कास्ट 55.15 करोड़ रुपये का था और लेटेस्ट इस्टीमेटेड कास्ट जो आपने दिखाया है, वह 567.35 करोड़ रुपये का है। यह गलत प्रिन्ट हो गया है या ठीक है। पहले 55.15 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट था और अब यह 567.35 करोड़ रुपये हो गया है। यह '5' का फीगर ज्यादा लिखा गया है या बिल्कुल करेक्ट है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह बिल्कुल करेक्ट है।

श्री मूल चन्द डागा : इसी तरह से आप देखें कि रोंग टोंग के अन्दर ओरीजनल इस्टीमेट 2.81 करोड़ रुपये था और अब इसकी कास्ट 13.94 करोड़ रुपये हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए, पढ़िए नहीं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं। सलाल प्रोजेक्ट में 55 करोड़ से बढ़कर 567 करोड़ कास्ट आपका हो गई। इस तरह से 10 टाइम्स इसकी कास्ट बढ़ गई है। तो आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कब आपने इसको एप्रूव किया था, कौन-सी डेट को और किस दिन

आपने इस स्कीम को एप्रूव किया था और एप्रूव करने के बाद यह काम कब शुरू हो गया और शुरू होने के बाद किन-किन चीजों की प्राइस बढ़ गई। लेबर में कितना पैसा बढ़ गया और आप यह बताइए कि मशीनरों में कितना बढ़ गया और आप यह बताइए कि टेक्नीकल नालिज और जियोलाजीकल सर्वे में कितना पैसा बढ़ गया। तो ये जो कम्पोनेन्ट्स हैं, उन कम्पोनेन्ट्स का आप ब्रेक-अप दीजिए। यह जो 5 गुना और .0 गुना कीमत बढ़ गई है, वह एक-एक कम्पोनेन्ट की अलग-अलग बताइए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न काफी लम्बा है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, माननीय सदस्य डागा जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं वह स्वाभाविक है और ऐसा होना ही चाहिए था इसलिए कि जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सही हैं। इतनी ही कीमत बढ़ी है और जो मूल परियोजना थी और उसके बाद जो रिवाइज्ड योजना है, उसमें इतना ही फर्क आया है सलाल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में। 1968 में इस परियोजना को जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा बनाया गया था। 1970 में केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना को ट्रान्सफ़र किया गया और उसके बाद 1976 में नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन बना दी गई। श्रीमन् 1968 में जो योजना बनकर आई थी, उसके आंकड़े काफी हद तक रियलिस्टिक नहीं थे। इसीलिए तब उसको रिवाइज्ड किया गया। यह राज्य सरकार द्वारा बनायी हुई योजना थी और टेक्निकल एंगल से यह नहीं कहा जा सकता था कि उसमें पूरी तरह से हर चीज को ध्यान में रखा गया है।

सन् 1976 में एन० एच० पी० सी० के पास यह योजना आई थी। तब इस योजना को नये सिरे से दुबारा बनाया गया। इसमें जो ज्योलोजिकल प्राब्लम्स सामने आई, प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट करने के बारे में सामने आई, वे बड़ी ही गंभीर हैं। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस किस्म का यह अकेला प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर इसमें टनल का प्रोविजन नहीं था।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर भी लम्बा है।

अध्यक्ष महोदय : परियोजनाओं से भी लम्बा।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : दो किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर लम्बी टनल बनाई गई है। पावर हाउस की लोकेशन को, उसकी साईट को शिफ्ट किया गया है। इसमें बहुत ही गंभीर समस्याएं पैदा हुई जिनके कारण इसमें देर लगी है।

दूसरी योजनाओं के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा। वे ज्यादातर राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं। वे सेन्ट्रल अथारिटी से क्लीयरेंस लेने के लिए यहां भेजते हैं और उनकी क्लीयरेंस हो

जाने के बाद उनके पास संसाधनों की कमी होने के कारण वे बार-बार उनको अपनी योजनाओं में शामिल नहीं कर पाते। अगर वे शामिल भी कर लेते हैं तो संसाधनों की कमी के कारण काम शुरू नहीं करवा पाते या जो काम के प्रोग्राम बनाये थे उनके हिसाब से नहीं चल पाते। मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकारों की योजनाएं पीछे रह जाती हैं।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन्, क्या उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है ? मैंने क्या प्रश्न पूछा था ? वे······

[हिन्दी]

किस डेट को यह जो योजना है······

अध्यक्ष महोदय : सारे इसी तरीके से पूछने लगेंगे······

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको संरक्षण दिया है। आप व्यर्थ में ही समय बेकार कर रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया देखें, उत्तर में ही तिथियां दी हुई हैं। 1968 में यह तैयार की गई और 1907 में यह मंजूर की गई।

श्री मूल चन्द डागा : मंजूर करने की तारीख क्या है ?

श्री वसन्त साठे : 1968 में इसे तैयार किया गया और 1970 में इसे मंजूर किया गया। उसके बाद इसे राष्ट्रीय पन-बिजली निगम को सौंप दिया गया। इसके अलावा आप कौन-सी तारीख पूछना चाहते हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : आप शुरू होने की तारीखें बता रहे हैं। मैं मंजूर किए जाने की तिथियां पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पूरी तारीखें मैं आपको, माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : मैं यही पूछता हूं कि आपने······

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक सवाल को पकड़ कर लटक जाते हैं। इस तरह से आप आंकड़े निकालेंगे तो कैसे चलेगा। इस तरह से थोड़े ही होगा, और भी सवाल करने हैं।

श्री मूल चन्द डागा : ठीक है। यह मेरा दूसरा सवाल है। क्या मेहरबानी करके यह बतायेंगे कि ये जो योजनाएं प्लान में होती हैं और दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह साल के बाद भी चालू रहती हैं,

उन योजनाओं के कारण उनमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उनमें हमें कितना लास हो चुका है? आप किसी एक योजना के इकोनोमिक लोस बता दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, इस तरह के लास को क्वान्टिफाई करना, बताना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसकी समीक्षा बराबर होती रही है। पंचवर्षीय योजना बनाते वक्त भी और उसके बाद बीच में भी समीक्षा होती है। उस वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कितनी जरूरतें ऐसी हैं कि उसके फायदे उसी पंचवर्षीय योजना में मिल जाएंगे, कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आगे बढ़ जायेंगे। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि जो प्रोजेक्ट सेवंथ फाईव इयर प्लेन में शामिल किए गए हैं। उनके बारे में पूरे विस्तार से अपने उत्तर में बता दिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो खासतौर से इसका अध्ययन भी करा लेंगे।

[अनुवाद]

श्री लाल डहोमा : श्रीमन्, मिजोरम में बैराली पनबिजली परियोजना पर काफी समय से कार्य रुका हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की यह एक छोटी-सी परियोजना है। लेकिन इस क्षेत्र की यह सबसे बड़ी, पहली और अपनी किस्म की एक ही परियोजना है। व्यवहार्यता रिपोर्ट कई वर्ष पूर्व दी गई थी। पिछली दफा मैंने एक प्रश्न किया था, जिसका उत्तर दिया गया था कि इसकी जांच की जा रही है। कई वर्षों से इसकी जांच की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार का जांच का यह रवैया कब तक चलता रहेगा?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह प्रश्न उन परियोजनाओं से सम्बन्धित नहीं है जो पहले ही अन्तिम रूप से मन्जूर हो चुकी हैं। हो सकता है इस परियोजना में कुछ देरी हो गई हो। लेकिन राज्य सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उसकी न केवल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से, बल्कि वातावरण, जंगलात आदि की दृष्टि से भी छानबीन करनी है। शायद इसीलिए सी० ए० ने राज्य सरकार और सम्बन्धित विभाग से पूछताछ की हो। जैसे ही उनके विचार प्राप्त हो जाएंगे, परियोजना मन्जूर कर दी जाएगी।

श्री टी० बसीर : कुछ अन्तर्राज्यीय जल-विवाद हैं जो कि कई वर्षों से हल नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह संगत है। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : श्रीमन्, केरल में इदामालापार-जल बिजली परियोजना अपेक्षाकृत छोटी परियोजना है। शुरू में इसे 1978-79 में आरम्भ करने का प्रस्ताव था। अब प्रस्तावित तारीख 1985-86 है। चूंकि 1985-86 भी अब समाप्त होने वाला है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि परियोजना चालू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। और क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यह परियोजना 1985-86 के समाप्त होने से पहले आरम्भ हो जाएगी?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए हम समय-समय पर राज्य सरकारों से बातचीत करते रहते हैं। मैंने अपने उत्तर में इस परियोजना के आरम्भ होने की तारीख 198:-85 दी थी। निश्चय ही इससे पर्याप्त प्रगति हुई है और समीक्षा-बैठक में तारीख में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया है। अतः, मैं आशा करता हूं कि परियोजना निर्धारित समयानुसार ही पूरी होगी।

श्री तम्पन थामस : उत्तर में जो विवरण दिया गया है उससे पता चलता है कि 1974 से परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विभिन्न कारणों से देरी हुई। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इस देरी के कारण कितने कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है? जहां कहीं इन परियोजनाओं के आरम्भ होने में देरी हुई है या रुकावट आई है, वहां बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार वैकल्पिक उपायों पर विचार करेगी, जैसे जहां राज्य सरकारों ने नई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, वहां उन लोगों में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर मन्जूरी प्रदान की जाएगी? इदामलापार जल बिजली परियोजना ऐसी ही एक परियोजना है जो कि विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हो सकी। केरल के पास फालतू बिजली थी लेकिन इस वर्ष वहां भी इसकी कमी होगी क्योंकि वहां कोई भी नई योजना लागू नहीं की गई। क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राज्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हम उनकी कोशिशों में सहायता करते हैं। ये सभी ताप बिजली केन्द्र, जिन्हें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने स्थापित किया है, अपने सम्बन्धित क्षेत्र में राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। योजना बनाते समय, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दिया जाता है। यह आवश्यकता न केवल जल बिजली उत्पादन द्वारा बल्कि ताप बिजली उत्पादन द्वारा भी पूरी की जाती है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना भी की जा रही है। ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों पर भी काफी जोर दिया जा रहा है।

अतः समुचित दृष्टिकोण अपनाना होगा और बिजली की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा करना होगा।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड

*129. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों की शीघ्रता से स्थापना और संचालन की ओर विशेष ध्यान दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

[अनुवाद]

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 5 क्षेत्रीय ग्रिड हैं, क्रमशः उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिनमें विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों की अन्य विद्युत यूटिलिटियों की विद्युत प्रणालियां शामिल हैं। अन्ततः इन क्षेत्रीय ग्रिडों से राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी कार्य आठवें दशक में शुरू किया गया था। किए गए विभिन्न कार्यों के परिणामस्वरूप, उत्तरी, पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड समेकित

ढंग से प्रचलित हो रहे हैं। दक्षिणी तथा पूर्वी ग्रिड आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं। 1984-85 के दौरान क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन से एक राज्य से दूसरे राज्य को विद्युत के अन्तरण में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों की राज्यवार संख्या कितनी है। जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रिड हैं उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिनमें विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और क्षेत्रों की अन्य विद्युत यूटिलिटियों की विद्युत प्रणालियां शामिल हैं। अन्ततः इन क्षेत्रीय ग्रिडों से राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा। मैंने राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए नहीं पूछा था। मैंने पूछा है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिडों की राज्यवार संख्या कितनी है। उसका जवाब नहीं आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यवार ब्यौरा क्या है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब ये क्षेत्रीय ग्रिड पूरी तरह बन जाएंगे और काम करने लगेंगे और अपने आप में मिलकर जब उनका आपस में समन्वय स्थापित हो जाएगा तब वे खुद में राष्ट्रीय ग्रिड बन जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रिड क्षेत्रीय ग्रिड से अलग बनाने की योजना नहीं है।

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थापना का अलग से विचार नहीं है। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट या अस्पष्ट।

श्री काली प्रसाद पांडेय : स्पष्ट है। क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थापना और संचालन की दृष्टि से बिहार का तो कहीं नामोनिशान ही नहीं है। बिहार की उपेक्षा की गई है जिस कारण जिलावार की क्षेत्रीय ग्रिडों की पर्याप्त रूप से स्थापना नहीं की जा सकी है। पुराने ग्रिडों की कार्य क्षमता भी केवल शहरोन्मुखी है जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के विकास हेतु ग्रामोन्मुखी होनी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बिहार इस्टर्न ग्रिड में आता है और बिहार के बारे में अभी सवाल भी पूछा गया था, वहां पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के जरिए सुपर तापीय विद्युतघर भी बनाया जा रहा है इसलिए बिहार की उपेक्षा करने का सवाल पैदा नहीं होता। बिहार न बवल ईस्टर्न ग्रिड में शामिल है बल्कि बिहार का लिंक तो उत्तर प्रदेश के साथ भी है। कई बार ऐसा भी होता है···**(व्यवधान)** मैं तो बिजली के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं और किसी सम्बन्ध की नहीं। बिहार को आवश्यकता हो और यू० पी० के पास ज्यादा हो तो यू० पी० से दिलवाई जा सकती है। यू० पी० और बिहार एक ग्रिड में नहीं हैं। लेकिन ग्रिड के बाहर भी बिहार का सम्बन्ध दूसरे प्रदेशों से है।

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैंने पूछा है पुराने ग्रिडों की कार्यक्षमता केवल शहरोन्मुखी है जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो ग्रामोन्मुखी हैं उनके लिए आपकी योजनायें क्या हैं? ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दो ही सवाल पूछ सकते हैं। अब टाइम नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना का कोई विचार नहीं है। आपको याद होगा कि राजाध्यक्ष कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार

देश में बहुत से एरियाज हैं जहां पर थर्मल पावर स्टेशन नहीं लगाए जा सकते औप कहीं पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर पैदा नहीं की जा सकती। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने यह भी तय किया था कि देश में एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना है। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि केवल क्षेत्रीय ग्रिडों से ही काम चल जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों के हितों को देखते हुए जो योजना की भावना थी, क्या सरकार उसे त्याग रही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ऐसा लगता है, मैं अपना आशय माननीय सदस्य को नहीं समझा सका। मैंने यह कहा था कि रीजनल ग्रिड जब बन जायेंगे तो पहले उस रीजन में आने वाले राज्यों का आपस में समन्वय रीजनल ग्रिड के माध्यम से स्थापित करेंगे और जब रीजनल ग्रिड स्ट्रेन्थेन हो जाएंगे, पूरी तरह काम करने लग जाएंगे, उनका आपस में समन्वय स्थापित हो जाएगा फिर वही रीजनल ग्रिड अपने आप में नेशनल ग्रिड बन जाएंगे। लिहाजा उस योजना को त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती ऊषा चौधरी······उपस्थित नहीं हैं। श्री मोहन भाई पटेल······ यहां नहीं हैं। श्रीमती चिंतामणि जैन······उपस्थित नहीं हैं। श्री बृजमोहन महन्ती······वह भी उपस्थित नहीं हैं। श्री एच० एन० नन्जे गौडा······उपस्थित नहीं हैं। श्री जैनुल बशर······उपस्थित नहीं हैं। श्री सी० पी० ठाकुर।

श्री सी० पी० ठाकुर : प्रश्न संख्या 134.

अध्यक्ष महोदय : उकताहट खत्म करने के लिए हमें उनको उनको धन्यवाद देना चाहिए।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : खड़े हुए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अधिकार दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : मैं अपने सहयोगी श्री राम निवास मिर्धा की ओर से उत्तर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार में इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि हमारे लिए उनके साथ चलना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने दिमाग को सतर्क रखिए।

शाखा और उप-डाकघरों का बन्द करना

134. **श्री सी० पी० ठाकुर**† :

श्री जैनुल बशर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और अधिक डाकघर खोले जाने की बढ़ती हुई मांग के बावजूद, विभाग ने बड़ी संख्या में शाखा और उप-डाकघरों को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने शाखा और उप-डाकघरों को बन्द किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 1-4-84 से 31-3-85 के दौरान 37 उप-डाकघर और 41 शाखा डाकघरों को बन्द किया गया था। 1-4-84 से 31-10-85 तक 72 उप-डाकघर तथा 250 शाखा डाकघर बन्द किए गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में डाकघरों की कुल संख्या 1,44,000 से अधिक है, इसकी तुलना में यह संख्या अधिक नहीं है।

(ग) प्रत्येक मामले में डाकघर बन्द करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और संबंधित जानकारी सभापटल पर रख दी जाएगी।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, उत्तर पर्याप्त नहीं है क्योंकि मान लीजिए एक जिले में बहुत से डाकघर हैं और दूसरे जिले में एक भी डाकघर नहीं है तो इससे उस जिले को तो कोई फायदा नहीं होगा। सम्बन्धित विभाग के मन्त्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं ,अत: मैं इन माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में पटना में डाकघर खोलने के कितने आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है कोई भी उप-डाकघर या शाखा डाकघर को बन्द नहीं किया गया है। इसलिए जहां तक आपके क्षेत्र का सम्बन्ध है, आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

आपने डाकघरों के बन्द किए जाने के बारे में पूछा है। उनके खोले जाने से सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : डाकघर बन्द होने का एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकतर भूस्वामी अपनी इमारतें डाक-तार विभाग को देना पसन्द नहीं करते क्योंकि डाक-तार विभाग बहुत ही कम किराया देता है। इस तथ्य को देखते हुए क्या सरकार राज्य सरकारों को अपनी कुछ भूमि डाकघर बनाने के लिए देने के लिए कहेगी ताकि उनकी अपनी इमारतें हों।

श्री वसन्त साठे : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि जमीन की कमी के कारण डाक-घर नहीं खोले जा सके। लेकिन इस मामले पर विचार किया जा सकता है क्योंकि हमारे लिए भविष्य में यह लाभप्रद ही होगा कि हमारे पास अपनी इमारतें हों।

डा० डी० एन० रेड्डी : ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की और शाखाएं खोलने की मांग तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के सरकार के इरादे को देखते हुए क्या सरकार द्वारा कुछ उप-डाकघरों को बन्द किया जाना उचित है ? क्या माननीय मन्त्री आश्वासन देंगे कि जब तक इस सदन के समक्ष

डाकघरों को बन्द करने के कारण प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते, जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तब तक किसी भी उप-डाकघर को बन्द नहीं किया जाएगा ?

श्री वसन्त साठे : हमारी हमेशा से यह इच्छा रही है कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में अधिकाधिक डाकघर खोले जाएं ताकि अधिक से अधिक आबादी को लाभ पहुंचाया जा सके। महोदय, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 1,44,700 डाकघरों में से शहरी क्षेत्र में 15,325 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,29,373 डाकघर हैं। सामान्यतया हमारा मापदण्ड यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में तीन किलोमीटर की परिधि में कोई डाकघर नहीं है तो वहां डाकघर खोला जाए।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे जो पोस्टमैन हैं, इन लोगों का स्तर बड़ा ही गिरा हुआ है, तो उनके स्तर को सुधारने के लिए और पे-स्केल्प को रिवाइज करके अच्छा करने के लिए ताकि उनका स्तर सुधर सके, इसके लिए सरकार भी कोई प्रयास कर रही है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है, पर हमेशा ही अपने कर्मचारियों की अच्छाई के लिए ध्यान देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री मुकुल वासनिक। श्री इन्द्रजीत गुप्त। अब अगला प्रश्न—श्री लक्ष्मण मलिक। श्री प्रकाश वी० पाटिल।

गैर लेवी सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

*136. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**† :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर लेवी सीमेंट के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मूल्यों को समुचित स्तर पर स्थिर करने के लिए सीमेंट का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गैर-लेवी सीमेन्ट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है। फिर भी इस वर्ष के शुरू में विशेष रूप से महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में निर्माण सम्बन्धी कार्यों में तेजी से वृद्धि हो जाने और मानसून शुरू हो जाने से पूर्व निर्माण कार्यों को पूरा करने की लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाने के कारण गैर-लेवी सीमेंट की मांग बढ़ गई थी जिसके परिणामस्वरूप गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य अस्थायी रूप से बढ़ गए अगस्त 1985 मास से मूल्य कम होने शुरू हो गए हैं।

(ख) और (ग) 1984-85 में प्राधिकृत आयात के आधार पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 4 लाख मी० टन सीमेन्ट के आयात के लिए संविदा की गई है जिसमें से 1.31 लाख मी० टन सीमेन्ट की मात्रा का पहले ही आयात किया जा चुका है। यदि और अधिक सीमेन्ट का आयात किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत किए जाने हेतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कमल नाथ : प्रश्न संख्या 137:

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) खड़े हुए।

श्री कमल नाथ : महोदय, क्या मंत्रालय बदल गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कहां थे ?

श्री वसन्त साठे : आज आप मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां थे या अभी-अभी आए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : यह सूचना के अभाव के कारण हुआ है।

श्री वसन्त साठे : मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा।

नई विशेष ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

*137. **श्री कमल नाथ†** :
डा० जी० विजय रामा राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में विशेष ओ० वाई० टी० टेलीफोन 25000 रुपए का भुगतान करने पर एक महीने के भीतर लगा दिए जाएंगे;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप अन्य वर्गों के व्यक्तियों को टेलीफोन देने में और विलम्ब होगा; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर चिकित्सा कर्मचारियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन देने में भी और अधिक विलम्ब होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमल नाथ : मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग एक का उत्तर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन एक अखबार में ऐसी खबर थी। स्पष्ट रूप से यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि समृद्ध लोग हमेशा टेलीफोन लगवाने में सफल हो जाते हैं ? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी योजना का आधार क्या है। लेकिन क्या इस तरह की किसी योजना पर विचार अथवा सक्रिय विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है "जी नहीं।"

श्री वसन्त साठे : हम हमेशा अच्छे विचारों पर विचार करते रहते हैं···(**व्यवधान**)।

श्री कमल नाथ : मेरा पूरा प्रश्न संचार पर आधारित है। इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनसे परामर्श नहीं करते हैं ?

श्री कमल नाथ : सभा में नहीं करते, बाहर करते हैं।

श्री वसंत साठे : अगर माननीय सदस्य कुछ विचार या सुझाव दें या ऐसे विचार या सुझाव किसी अन्य व्यक्ति से मिलें और अगर हमें लगे कि वे विचार राष्ट्रीय तथा उपभोक्ताओं के हित में हैं तो हमें हमेशा ऐसे बढ़िया सुझावों का स्वागत करेंगे और इस सुझाव पर भी विचार किया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : और यह 'अगर' बहुत महत्व रखता है।

अध्यक्ष महोदय : डा० जी० विजय रामाराव···जी हां, डा० वी० वेंकटेश।

डा० वी० वेंकटेश : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलार जिले में, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सरकार और जिले के मध्य सम्पर्क नहीं हो पाता है। क्या सरकार देश के सभी जिलों मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ?

अध्यक्ष महोदय : स्वाभाविक है कि वे ये सुविधा चाहेंगे।

श्री वसन्त साठे : हमारी सामान्य नीति यह है कि टेलीफोन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाए। कोलार में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के आपके अनुरोध को मैं अपने माननीय सहयोगी के पास विचार करने के लिए भेज दूंगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय हम एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने तथा संचार के लिए निश्चित रूप स कार्यवाही करेंगे लेकिन अगर उनकी सरकार का अपने जिले के लोगों से सम्पर्क नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, माननीय सदस्य केन्द्र के साथ सम्पर्क स्थापित करने की बात कर रहे हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

*138. **डा० ए० के० पटेल†** :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में जसवन्त सिंह आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की नई न्यायपीठों की स्थापना के बारे में सरकार की साधारण नीति क्या है ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है । नई न्यायपीठें स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

डा० ए० के० पटेल : अध्यक्ष महोदय, जसवन्त सिंह आयोग का गठन 1981 में हुआ था और इसने रिपोर्ट अप्रैल, 1985 में दी थी । सात-आठ महीने बीत गए हैं लेकिन सरकारी तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन 'इण्डियन एक्सप्रेस' में एक समाचार छपा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए एक अलग पीठ स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में कहीं कुछ कहा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं दूसरे सदन में निवेदन कर चुका हूं और यहां भी स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया था कि हम देश में न्यायिक सुधार करेंगे और इस बात की जांच की जा रही है कि जनता और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच कितनी दूरी है । अगर उनके बीच दूरी इतनी अधिक है कि उसे कम किया जाना चाहिए तो हम उस पर भी विचार करेंगे ।

जहां तक अधिक पीठों की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को ध्यान होगा कि यह एक विवादास्पद विषय रह चुका है और मुख्य न्यायाधीश इससे सहमत नहीं थे और बाद के सदस्यों ने इस पर क्षोभ प्रकट किया था । यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर हम शीघ्रता से निर्णय ले सकें । हम लोग मुख्य न्यायाधीशों से और बार एसोसियेशन से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं । लोगों को शीघ्र और उनके स्थान पर ही न्याय दिलवाने की सरकार की नीति के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा ।

डा० ए० के० पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आयोग ने गुजरात के लिए सौराष्ट्र में कहीं एक अलग पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि मैं बता चुका हूं, आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, और इलाहाबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं । हर पहलू की जांच करनी होगी । विचार करने से मेरा मतलब है कि न्याय-व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है । तो अलग-थलग होकर निर्णय नहीं लिया जा सकता । किन्हीं सिद्धान्तों पर मंजूरी मिल जाने के बाद हमें निर्णय लेना होगा । मेरे विनम्र मत के अनुसार सिद्धान्त यह होना चाहिए कि किस तरह हम न्याय को लोगों के करीब तक ले जाते हैं और कैसे इसे कम खर्चीला बना सकते हैं । यहीं समस्या अड़ जाती है । इलाहाबाद में बाद के सदस्यों का कुछ और मत है तो उत्तरी उत्तर प्रदेश के बाद के सदस्यों का कुछ और । हमें उनके बीच तालमेल बिठाना है । इस मामले में हम किसी तरह का विरोध नहीं चाहते । हम मुख्य न्यायधीशों को राजी

करने में सफल हो गए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो गया है। इससे पहले तो मुख्य न्यायाधीश स्वयं इस विचार का विरोध कर रहे थे। सभी मुख्य न्यायाधीशों का कहना था कि इससे प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वे उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठ स्थापित करने के लिए सहमत नहीं थे। अब वे स्वयं कह रहे हैं कि वे सहमत हो सकते हैं और हमें उनके साथ मिलकर निर्णय करना होगा।

देश में खाना पकाने की गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

***139. श्री अनन्त प्रसाद सेठी† :**
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु अपनी योजना के बारे में नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में राज्य-वार कितने व्यक्तियों के नाम हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) भरण क्षमता में वृद्धि, एल० पी० जी० की प्राप्यता, परिवहन सुविधाओं तथा अन्य आधार भूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को वार्षिक उपभोक्ता नामांकन योजना के अधीन चरणबद्ध तरीके से एल० पी० जी० के कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सितम्बर, 1985 माह के अन्त में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सूची

राज्य

1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	2,39,557
2. असम	4,500
3. बिहार	55,450
4. गुजरात	5,02,593
5. हरियाणा	1,79,271
6. राजस्थान	1,51,600
7. जम्मू और कश्मीर	42,980
8. हिमाचल प्रदेश	12,500

1	2
9. कर्नाटक	40,580
10. केरल	15,846
11. मध्य प्रदेश	1,91,489
12. उड़ीसा	31,350
13. महाराष्ट्र	8,27,505
14. पंजाब	1,82,317
15. तमिलनाडु	41,827
16. उत्तर प्रदेश	6,09,147
17. पश्चिम बंगाल	81,290
18. मणिपुर	600
19. मेघालय	1,400
20. सिक्किम	300
21. त्रिपुरा	1,300
संघ शासित राज्य	
22. चण्डीगढ़	61,114
23. दिल्ली	5,11,616
24. गोआ दमन और द्वीयू	40,093
25. दादर और नगर हवेली	720
26. मिजोरम	1,000
	38,27,945

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : सितम्बर, 1985 तक को लाखों लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि भारत में ईंधन की भारी कमी को देखते हुए वह इस प्रतीक्षा सूची को किस प्रकार समाप्त करेंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : प्रतीक्षा सूची के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रतीक्षा सूची एक समय विशेष में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन जारी कर रहे हैं लेकिन उतनी ही संख्या में गैस के लिए पंजीकरण भी कराया जा रहा है। इसलिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार हम 1985-86 में

सम्भवतः 16.5 लाख नए कनेक्शन जारी करेंगे। 1986-87 में 16 लाख, 1987-88 में 21 लाख, 1988-89 में 21 लाख तथा 1989-90 में 21 लाख गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस तरह यह प्रतीक्षा सूची तीन वर्ष में समाप्त हो पाएगी। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, नए पंजीकरण भी हो रहे हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची में उतने ही लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : माननीय मंत्री ने लोगों को एल० पी० जी० कनेक्शन देने के लिए बनी प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के बारे में बताया। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों को एल० पी० जी० कनेक्शन देने के बारे में कोई प्राथमिकता देते हैं ? यदि हां तो कृपया बताएं कि क्या वह उड़ीसा राज्य को कोई प्राथमिकता देंगे जहां हजारों लोगों के नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : हमारे कार्यक्रम चरणबद्ध कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम के अनुसार हम प्रत्येक राज्य को आबंटन करते हैं। प्रत्येक राज्य के आबंटन के अनुसार गैस कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एल० पी० जी० कनेक्शन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि नई एजेंसियां बड़े-बड़े शहरों में ही स्थापित की जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छोटे शहरों में नई एजेंसी खोलने के लिए आबादी का क्या मापदण्ड है ? क्या इसमें परिवर्तन किया जा रहा है ताकि छोटे शहरों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकें ? इससे इन शहरों नें रहने वालों को गैस कनेक्शन वहीं मिल जाएंगे और इसके लिए उन्हें बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, छोटे शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए मापदण्ड में पहले ही परिवर्तन किया जा चुका है। अब नियमों के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार 20,000 या इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में चरणबद्ध ढंग से गैस एजेंसी के वितरण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

प्लास्टिक उद्योग का विकास

*140. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कर में छूट देने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से प्लास्टिक पर लगे करों में रियायतें देने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे मामलों पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि समय-समय पर रिप्रेजेंटेशन आते हैं तो हम उस पर निर्णय लेते हैं। मैंने अपने क्वशचन में खास तौर से यह पूछा है कि क्या सरकार ने प्लास्टिक उद्योग को सुनिश्चित करने के लिए कर में छूट देने का निर्णय किया है और क्या कर में छूट देने की बात सरकार के विचाराधीन है या वह विचार करने वाली है ?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : यह ठीक है कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे और उन्होंने अनेक मुद्दे रखे थे। एक मुद्दा यह भी उठाया गया था, और इस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कर में छूट देने के बारे में जल्दी निर्णय लेगी ?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची पूरी हो गई है। मैं इसे एक बार और पढ़ूंगा ताकि कोई अनुपस्थित सदस्य अगर यहां उपस्थित हो तो वह अपना प्रश्न पूछ सके। प्रश्न संख्या 121—श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि।

[हिन्दी]

गुजरात में बिजली का संकट

*121. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** (श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि की ओर से) : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात को पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली के संकट का कई बार सामना करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योग और कारखाने बन्द हो गए हैं, उद्योग और व्यापार को धक्का लगा है तथा श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य राज्यों से गुजरात को पर्याप्त बिजली की सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जायेंगे ?

[अनुवाद]

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मोटे तौर पर गुजरात अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहा है। गुजरात में विद्युत की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए तथा सप्लाई और व्यस्ततमकालीन मांग के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र तथा महाराष्ट्र से भी राज्य को सहायता दी गई है। गुजरात बिजली बोर्ड के अनुसार, विद्युत की कटौतियों के कारण राज्य में फैक्ट्रियां अथवा उद्योग बन्द नहीं हुए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आटोमोबाइल कंपनियों के साथ विदेशी सहयोग

*123. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कारों का निर्माण करने वाली किन-किन आटोमोबाइल कंपनियों को विदेशी सहयोग से अपने नए निर्माण संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या केवल तकनीकी जानकारी का आयात करने की ही अनुमति दी गई है या इसके साथ-साथ मोटरगाड़ियों के कुछ पुर्जों का आयात करने की भी अनुमति दी गई है; और

(ग) ऐसे विदेशी निवेशों की कुल राशि कितनी होगी और इसे विदेशों को किस प्रकार वापस किए जाने के बारे में समझौता हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नये माडलों की यात्री कारों का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग हेतु मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और मे० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड के प्रस्तावों को कुछ समय पहले अनुमोदित किया गया था।

(ख) विदेशी सहयोगों में सामान्यतया सरकार द्वारा अनुमोदित स्वदेशीकरण कार्यक्रम के अनुसार लघुकारी पैमाने पर सीमित अवधि के लिए हिस्से पुर्जों का आयात परिकल्पित होता है। यह सुविधा इन मामलों में भी दी गई है।

(ग) इन सहयोगों में किसी विदेशी निवेश की परिकल्पना नहीं है।

"डेसू वालेटिंग सेन्टर्स डाइरेक्टिव" शीर्षक समाचार

*124. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में "डेसू वायलेटिंग सेन्टर्स डाइरेक्टिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भाखड़ा ब्यास मेनेजमेन्ट बोर्ड से कितनी-कितनी बिजली ले रहा है और कब से;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) भाखड़ा ब्यास प्रणाली में दिल्ली का कोई आबंटित हिस्सा नहीं है। कमी की स्थिति में, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान राष्ट्र की राजधानी की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाखड़ा ब्यास सहित पड़ोसी प्रणालियों से विद्युत लेता है। अप्रैल से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड से औसतन लगभग 8.5 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत प्राप्त की है।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रही है। इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण किया जा रहा है और 315 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्रतिष्ठापित की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अमरावती जिले में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

*130. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में अमरावती जिले में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावनायें हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया गया है; और

(ग) वहां उद्योगों की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र (अमरावती जिले सहित) में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश का अनुमान लगाने और इन क्षेत्रों में वनों पर आधारित व्यवसाय का संवर्धन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। अध्ययन दल की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अमरावती जिला केन्द्रीय रूप से प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है और इस जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में तेल की खोज के लिए धनराशि का नियतन

*131. **श्री मोहनभाई पटेल :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितने कच्चे तेल का उत्पादन होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सातवीं योजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इण्डिया लिमिटेड के लिए 9702.67 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 159 मि० मी० टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

अमरीकी प्रौद्योगिकी का अन्तरण

*132. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए अमरीका के साथ 17 मई, 1985 को किए गए समझौते के पश्चात् निर्यात लाइसेंस अनुरोधों के कितने मामलों में तथा किस-किस स्त्रोत के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इस प्रकार के कितने अनुरोधों पर इस समय विचार हो रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त की जा रही प्रौद्योगिकियां अति अद्यतन हैं; और

(ग) क्या समझौते में प्रौद्योगिकी को और आगे अद्यतन किए जाने तथा उक्त प्रौद्योगिकी को अपनी प्रौद्योगिकी में समाहित करने के लिए कोई शर्त है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नवम्बर, 1984 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने तकनोलोजी अंतरण के मामले में एक समझौता (मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंण्डिग) किया है। मई, 1985 में दोनों सरकारों द्वारा समझौते की क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दिया गया है। इनके अनुसरण में अमेरिकी सरकार ने 60 से अधिक मामलों में निर्यात लाइसेंस जारी कर दिए हैं जिनमें सरकार, सरकारी उपक्रमों, शैक्षिक और निजी संस्थानों द्वारा दिए गए कम्प्यूटर प्रणालियों के क्रयादेश भी शामिल हैं। दोनों सरकारें उन्नत तकनोलोजी के क्षेत्र में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छुक हैं।

(ख) तथा (ग) प्राप्त की जाने वाली तकनोलोजियां हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उन्नत और उपयुक्त हैं। आयातित तकनोलोजियों को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन बनाने की संभावनाओं पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है।

तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यकरण की पुनरीक्षा

*133. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उद्योगों के विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की योजना की भी पुनरीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में उद्यमियों को कहां तक उचित सलाह मिल सकेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह निरन्तर चलने वाला कार्य है जो समय-समय पर आरम्भ किया जाता है। आवश्यकताओं का पता लगाने और तकनोलीजी को आत्मसात करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तकनोलोजी के चयन में उद्यमियों का मार्गदर्शन तकनोलोजी डाटा बैंक के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

*135. **श्री मुकुल वासनिक** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कम्पनी अधिनियम 1956 के कतिपय संशोधनों को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है लेकिन इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के व्यापक और महत्वपूर्ण संशोधन, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम 1982, 1984 और 1985 के द्वारा किए गए थे। और संशोधनों पर जहां कहीं आवश्यक होगा उचित समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) सरकार विधि के संशोधन के लिए व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यवसाइयों और अन्य व्यक्तियों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर विचार करती है।

[अनुवाद]

पटना में डाक-तार विभाग के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को बोनस

1271. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के दैनिक मजूरी पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को बोनस न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पटना में ऐसे श्रमिकों ने 'बायकाट सप्ताह" के रूप में आन्दोलन शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्टाफ यूनियन के साथ किए गए करार के अनुसार डाक-तार विभाग उन सभी नैमित्तिक मजदूरों को बोनस दे रहा है, जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन कार्य किया हो।

(ख) पटना में इस प्रकार का कोई बहिष्कार नहीं किया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चल सौर विद्युत संयंत्रों के क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ सहयोग

1272. **श्री के० एस० राव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल सौर विद्युत संयंत्रों के विकास का कार्यक्रम सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के सहयोग से पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाहनों के नकली और घटिया किस्म के पुर्जों के कारण दुर्घटनायें

1273. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वाहनों के दोषपूर्ण डिजाइनों के अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध वाहनों के नकली और घटिया किस्म के पुर्जों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नई आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आटोमोबाइल के पुर्जों की मार्किट में प्रचलित वर्तमान मुनाफाखोरी तथा अव्यवहारिक अनियंत्रित प्रथाओं पर काबू पाने के लिए बढ़िया किस्म के पुर्जों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनकी बिक्री की व्यवस्था सुपर बाजारों और अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से करने तथा प्राधिकृत सार्वजनिक वितरण केन्द्र खोलने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यद्यपि बाजार में मोटरगाड़ियों के नकली और घटिया फालतू पुर्जों की बिक्री की बात सरकार की जानकारी में लाई गई है लेकिन ऐसी कोई विशेष घटना के बारे में नहीं बताया गया है जिसमें नकली और फालतू पुर्जों की वजह से दुर्घटना हुई हो।

(ख) परिवहन मन्त्रालय मोटरगाड़ी अधिनियम में संशोधन करने के लिए शीघ्र ही एक प्रस्ताव लाएगा जिसमें मोटरगाड़ियों के पुर्जों के लिए मानक और मानदण्ड निर्धारित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा।

(ग) नकली और घटिया पुर्जों की बिक्री और निर्माण को हतोत्साहित करने की दृष्टि से उद्योग को लाइसेंसमुक्त करके और आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ करके भी अच्छी किस्म के हिस्से-पुर्जों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अच्छी किस्म के हिस्से-पुर्जों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने मोटरगाड़ी सहायक सामान उद्योग को कुछ वित्तीय रियायतें भी दी हैं।

बिहार में गैर कानूनी कोयला खनन

1274. **श्री साइमन तिग्गा : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गैर-कानूनी कोयला खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) श्रमिक मुखियों द्वारा कोयला खनिकों का शोषण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) खनन कार्य में उप-संविदा और लघु संविदा प्रणाली को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। इसके अनुसार, अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से इतर अन्य किसी भी व्यक्ति के भारत में किसी भी रूप में खनन कार्य करने पर पाबन्दी लगा दी गई थी और लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में लगे उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी गैर-सरकारी पार्टियों को प्रदत्त सभी कोयला खनन पट्टे रद्द कर दिए गए थे। गैर-कानूनी कोयला-खनन को भी दण्डनीय अपराध बना दिया गया था और इसके लिए तीन वर्ष तक की कैद और रु० 20,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11-4-1980 और 7-5-1980 के अपने निर्णयों में इन प्रावधानों की वैधता को मान्य ठहराया है।

इन निर्णयों के बाद, कोयले का गैर-कानूनी खनन काफी हद तक रोक दिया गया है। परन्तु कोयला-पट्टी बहुत विशाल है और कुछ लोग समय-समय पर कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तथा छिट-पुट एवं चोरी छिपे कोयले का गैर-कानूनी खनन करते हैं। राज्य सरकार और कोयला कंपनियों से कहा गया है कि वे अपराधियों के विरुद्ध समेकित रूप से कार्रवाई करें। राज्य सरकार ने जिला प्राधिकारियों को पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि भारतीय दण्ड संहिता के साथ पठित अधिनियम के अधीन अपराधियों के विरुद्ध दण्ड की और निवारक कार्रवाई करें। कोयला कंपनियों को

भी यह निदेश दिए गए हैं कि जब कभी कोयले के गैर-कानूनी खनन का पता चले तो वह सम्बन्धित प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ मिलकर कोयला कम्पनियां अपराधियों को पकड़ने के लिए नियमित छापे मारती हैं।

(ख) कामगारों की भर्ती और उनकी मजदूरी की अदायगी कोयला कम्पनियां सीधे करती हैं और इस काम के लिए श्रमिक-सरदार रखने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) सरकार ने अनेक कामों के लिए ठेका-मजदूर रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और कोयला कम्पनियों में "ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन अधिनियम)" के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

लघु उद्योग क्षेत्र का आधुनिकीकरण द्वारा प्रौद्योगिकी के दर्जे का बढ़ाया जाना

1275. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र का आधुनिकीकरण द्वारा प्रौद्योगिकी के दर्जे को बढ़ाए जाने के बारे में कोई राजसहायता योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सारे देश में लघु उद्योगों के नवीकरण के लिए इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले बिजलीघरों की विद्युत उत्पादन क्षमता

1277. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ाकर दुगुना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है और राज्य में किन-किन स्थानों पर इन केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विद्युत केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना के अन्त में देश में यूटिलिटियों की प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 42440 मेगावाट थी। सातवीं योजना अवधि में 22,245 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में सातवीं योजना में जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त क्षमता तथा अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं० स्कीम	सातवी योजना लाभ (मेगावाट)	सातवी योजना अनुमोदित परिव्यय (लाख रु० में)
1. भीड़ा टैलरेस (जल विद्युत)	80	2245
2. तिल्लारी (जल विद्युत)	60	657
3. पावना (जल विद्युत)	10	609
4. भंडारधारा (जल विद्युत)	10	3057
5. खडकवासला (जल विद्युत)	16	1330
6. भत्सा (जल विद्युत)	15	1140
7. चन्द्रपुर विस्तार (ताप विद्युत)	420	6172
8. उरान गैस विस्तार (ताप विद्युत)	432	4470
9. क्षारखेड़ा विस्तार (ताप विद्युत)	420	34710
10. पार्ली यूनिट-5 (ताप विद्युत)	210	17412
11. उज्जानी पैम्प स्टोरेज (जल विद्युत)	12	1576
12. वैतारना बांध (जल विद्युत)	1.5	160
13. पैंच (जल विद्युत) 1/3 हिस्सा	53	90

[अनुवाद]

मिदनापुर जिले में चण्डीपुर और चैतन्यपुर में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

1278. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में चण्डीगढ़ (नन्दीग्राम पी० एस०) और चैतन्यपुर (सूताहार पी० एस०) में दूरभाष केन्द्र स्थापित करने हेतु उनके मन्त्रालय की योजना और कार्यक्रम क्या है; और

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों पर काम कब शुरू किया जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) चंदापुर में तमलुक एक्सचेंज से जुड़े 25 लाइन का एक्सचेंज और चैतन्यपुर में हल्दिया एक्सचेंज से जुड़े 25 लाइन का एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

एक्सचेंज यूनिटों और अन्य साज-सामान के प्राप्त होने पर इन एक्सचेंजों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा इसके मार्च, 1986 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कदम

1279. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) देश में सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सहायक उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों ने संयंत्र-स्तरीय-समितियां गठित की हैं जिनके अध्यक्ष संयंत्र के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं और लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्योग निदेशक, लघु उद्योग विकास निगम, वित्तीय संस्थानों और सहायक उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इसमें सदस्यता दी गई है।

(ग) 1983-84 के दौरान केन्द्र सरकार के 132 एककों ने लघु उद्योग/सहायक उद्योगों को सहायता प्रदान की। इन एककों के ब्यौरे 15 मार्च, 1985 को सभा पटल पर रखे गए पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइजेज सर्वे 1983-84 वाल्यूम-1 के पृष्ठ संख्या 283-299 में "डेवलपिंग द एंसिलरी सेक्टर-गोल्ह एण्ड एचीवमेंट्स" शीर्षक के अधीन दिए गए हैं।

खोई पर आधारित कागज और लुगदी का निर्माण

1280. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के उप-उत्पाद खोई जो देश में काफी मात्रा में उपलब्ध है, का प्रयोग कर अखबारी कागज लुगदी और छपाई का अन्य कागज बहुत कम लागत पर तैयार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो खोई के साथ कागज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत अपने संयंत्रों में खोई से कागज और लुगदी बनाने का है; और

(घ) खोई पर आधारित कागज और लुगदी का उत्पादन करने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए अथवा दिए जा रहे लाइसेंस का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वनों पर आधारित अन्य परम्परागत रेशेदार कच्चे माल की तुलना में खोई का प्रयोग करके लिखाई और छपाई के कागज के उत्पादन की लागत सामान्यतया कम होती है। परन्तु केवल खोई का उपयोग करके अखबारी कागज का उत्पादन करने की प्रोद्योगिकी की जानकारी नहीं है। लकड़ी, बांस आदि जैसे परम्परागत कच्चे माल के साथ खोई का आंशिक प्रयोग करके अखबारी कागज का निर्माण करने की प्रक्रिया तैयार की गई है।

(ख) सरकार ने ईंधन के रूप में खोई के बदले कोयले का प्रयोग करने के उद्देश्य से कागज के निर्माण के लिए खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत उपायों की घोषणा की है इनमें खोई से तैयार की कम से कम पचहत्तर प्रतिशत लुगदी वाले कागज के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देना शामिल है।

(ग) कर्नाटक राज्य में स्थित मांड्या नेशनल पेपर मिल, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक सहायक कम्पनी लिखाई और छपाई के कागज का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में पहले से ही खोई का प्रयोग कर रही है। निगम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई पर आधारित अखबारी कागज परियोजना स्थापित करने के लिए एक वितृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लगा हुआ है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लिखाई और छपाई के कागज के निर्माण में लगे एककों और कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग करके इन वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वीकृत एककों को दर्शाने वाला विवरण

1. लिखाई और छपाई के कागज के निर्माण में लगे एकक

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	स्थान	क्षमता मीटरी टन प्रतिवर्ष
1	2	3	4
1.	मे० नार्थ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड	बागा, नरनपुर, जिला चम्पारण, बिहार	7,500
2.	मे० दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	6,600
3.	मे० सरदार शक्कर पेपर मिल्स लिमिटेड, सूरत	सूरत, गुजरात	4,900

2. लिखाई और छपाई के कागज का निर्माण करने के लिए स्वीकृत एकक:

1.	मे० सांगा मेहर बाग सहकारी कारखाना, अहमदनगर	अहमदनगर	15,000

1	2	3	4
2.	मे० श्री विट्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	शोलापुर	4500
3.	मे० कपनगान सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	अहमदनगर	7,500
4.	मे० मराठवाड़ा शेतकारी कागद कारखाना लिमिटेड	बीड	9,900
5.	मे० बेलगंगा पेपर्स एण्ड पल्प मिल्स लिमिटेड	जलगांव	6,000
6.	मे० मुला सहकारी शक्कर कारखाना	अहमदनगर	6,000
7.	मे० श्री भगवती सहकारी किल्हापुर शक्कर कारखाना	कोल्हापुर	6,000
8.	मे० मदुरै पेपर एण्ड बोर्ड	सतारा	16[illegible]0
9.	मेसर्स श्री सतपुड़ा तापी परिसर शक्कर कारखाना लिमिटेड	परषोतम	15,000
10.	मे० श्री ध्यानेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	अहमदनगर	6,000
11.	मे० सहयाद्रि सहकारी कारखाना लिमिटेड	सतारा	6,000
12.	महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड	अहमदनगर	1900
13.	मे० औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड	औरंगाबाद	7500
14.	मे० श्री गुरूदेव सहकारी कागद उत्पादन	उसमानाबाद	1500

हाजिरा उर्वरक संयंत्र के लिए उम्मरत-हाजिरा पाइप लाइन

1281. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा उर्वरक संयंत्र को गैस सप्लाई करने के लिए उम्मरत-हाजिरा पाइप लाइन परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) क्या उक्त कार्य में कई महीनों का विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कई करोड़ रु० की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) बम्बई हाई से हाजिरा उर्वरक संयंत्र को गैस कब तक सप्लाई की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाजिरा में क्रिबको फर्टिलाइजर प्लांट को गैस सप्लाई करने वाले ओ० एन० जी० सी० के प्रोजेक्ट के पूर्ण होने में देरी होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) दो ड्रोजरों का उलट जाना।

(2) 200 टन के एक विन्च का असफल होने के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों को चोट लगना और एक व्यक्ति की मृत्यु होना।

(3) विन्च रस्सी का टूट जाना।

(घ) क्रिबको संयंत्र को 6 सितम्बर, 1985 से गैस की सप्लाई चालू हो गई है।

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा नए उत्पादों का विकास

1282. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मायुटिकल्स लिमिटेड को सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के बाद इसके अनुसन्धान तथा विकास विभाग ने एक भी उत्पाद का विकास नहीं किया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक विकसित किए गए उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं जिनकी बाजार में काफी मांग है, का उत्पादन बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी के उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा नियन्त्रण में लिए जाने के बाद बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के अनुसन्धान एवं विकास विभाग द्वारा विकसित उत्पादों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कम्पनी ने ऐसी किन्हीं मदों का उत्पादन बन्द नहीं किया जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हों।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० के अनुसन्धान एवं विकास विभाग द्वारा विकसित उत्पादों के नाम

1. विबीटोन (संशोधित फार्मूला)
2. इरिथ्रोमाइसिन ड्राई सिरप
3. एन्टासिड—डी० एम० पी० एस० गोलियां
4. एन्टासिड—डी० एम० पी० एस० ससपेंशन
5. डायगैस्टिव एन्जीमेस—स्लाइक्सर
6. डायगैस्टिव एन्जीमेस—डी० एम० पी० एस० कैप्सूल्स
7. डी० एम० पी० एस० कैप्सूल्स
8. एन्टी डायरहोइल प्रेपन
9. असवन विद हनी बेस
10. एन्टरिक कोटिड इरिथ्रोमाइसिन टेब (नोन स्टेण्डर्ड एण्ड एक्सपेरीमेंटल गोलियां)
11.. सिट्रासोल ग्रेग्यूल्स
12. हरबाल बेसड हेयर टोनिक

(परफ्यूम हेतु फार्मूलेशन विकसित की जा रही है)

लघु उद्योग एककों द्वारा निर्माण की जाने वाली वस्तुओं पर निगरानी

1283. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु उद्योग एककों द्वारा निर्माण की गई विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर निगरानी करती है,

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं जिनके बारे में उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार नीतियां तैयार करते समय इन आंकड़ों को ध्यान में लेती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन-सी दवाइयों के मामले में ये आंकड़े प्रयोग में लाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) लघु एककों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में विशद उत्पादन आंकड़े नियमित आधार पर उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर भी, 20 महत्वपूर्ण आरक्षित वस्तुओं के सम्बन्ध में नमूने के आधार पर उत्पादन-आंकड़े नियमित आधार पर इकट्ठा करने के प्रयास किए गए हैं। इन 20 वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

20 महत्वपूर्ण आरक्षित वस्तुओं की सूची

क्र० सं०	वस्तु
1.	बिस्कुट
2.	स्वदेशी किस्म के जूते
3.	लपेटने (रेपिंग) का कागज
4.	पेंट्स और वार्निश
5.	साबुन
6.	दियासलाई
7.	आप्टीकल ब्लीचिंग एजेन्ट
8.	स्टील कास्टिंग
9.	स्टील के पाइप और ट्यूबें
10.	बोल्ट् नट और रिवेट
11.	डीजल चालित इंजिन वाले और अचल किस्म के वाहन
12.	पॉवर चालित पम्प
13.	एअर और गैस कम्प्रेसर
14.	मशीन टूल्स
15.	पॉवर ट्रांस्फार्मर्स
16.	बिजली की मोटरें
17.	बिजली के पंखे
18.	रेडियो रिसीवर
19.	पेंसिल
20.	जिप फासनर

6-ए० पी० ए० का अभाव

1284. श्री बी० बी० रामैय्या : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में 6-ए० पी० ए० का अभाव है;

(ख) क्या यह सच है कि सप्लाई की माध्यम एजेंसी द्वारा न तो 6-ए० पी० ए० की सप्लाई की जा रही है और न ही आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार अनापति "प्रमाण-पत्र" जारी किए जा रहे हैं;

(ग) सप्लाई की माध्यम एजेंसी वास्तविक उपभोक्ताओं को जून, 1985 तक तिमाही-वार इसकी कितनी मात्रा सप्लाई नहीं की है; और

(घ) इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 6-ए० पी० ए० के आयात में एस० टी० सी० को कुछ समस्याएं थीं किन्तु इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है।

(ग) एस० टी० सी० द्वारा अप्रैल-जून, 1985 की तिमाही तक पंजीकृत समग्र मांग पूरी कर दी गई है।

(घ) एस० टी० सी० ने 6-ए० पी० ए० के आयात की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पुरस्कार के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्य निष्पादन

1285. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन क्षेत्र में उत्तम कार्य-निष्पादन के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार के लिए पुरस्कार विजेताओं के चयन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति-एवं-जूरी ने इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व सभी राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन के सभी पहलुओं पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन से सम्बन्धित उन गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें ध्यान में रखा गया था;

(ग) विशेषज्ञों द्वारा विचार की गई पश्चिम बंगाल की राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की कार्य-निष्पादनता अन्य राज्यों की राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की कार्य-निष्पादन की तुलना में क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल का राज्य सड़क परिवहन उपक्रम किन-किन क्षेत्रों में पीछे रह रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विशेषज्ञ समिति एवं जूरी ने केवल उन राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन पर विचार किया है जिन्होंने योजना में भाग लिया था।

(ख) यात्री परिवहन क्षेत्र संबंधी उत्पादकता पुरस्कार के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सात प्रमुख कारणों को ध्यान में रखा गया है :—

(1) क्षमता की उपयोगिता;

(2) परिचालन कार्य-निष्पादन;

(3) ऊर्जा की खपत;

(4) सामग्रियों की उपयोगिता;

(5) जनशक्ति की उपयोगिता;

(6) माल सूची का स्तर;

(7) प्रदान की गई सेवा की किस्म।

उपर्युक्त कारकों को प्लीट उपयोगिता, वाहन उपयोगिता, परिचालन लागत आदि जैसे उप-कारकों को उपयुक्त महत्व देते हुए पुनः उप-विभाजित किया गया है।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ-समिति-एवं-जूरी से किसी एक परिवहन उपक्रम की समीक्षा समिति के रूप में कार्य करने की आशा नहीं की गई थी। यह जन-हित में भी नहीं होगा कि एक "जूरी" से किसी एक उपक्रम के कार्यकलापों के मूल्यांकन को पुरस्कार देने के लिए सामने रखने को कहा जाए।

सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में रासायनिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण

1286. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों और शहरी बस्तियों में स्थापित सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र उद्योगों के रासायनिक तथा फार्मास्युटिकल उद्योगों का सर्वेक्षण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) निर्धारित रसायन, पेट्रो-रसायन तथा फार्मास्युटिकल एककों में खतरों के नियन्त्रण हेतु उठाये जाने वाले अपेक्षित उपायों पर विचार और समीक्षा करने तथा निगरानी की उपयुक्त पद्धति तैयार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालय दल का गठन किया गया है। इस दल ने चुनींदा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रीय एककों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करने हेतु 6 विशेषज्ञ दल स्थापित किये हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर, ऐसे एककों के निरीक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों की सहायतार्थ सुरक्षा मदों की एक विस्तृत चैकलिस्ट तैयार की जायेगी। इस चैकलिस्ट की सर्वाधिक पुनरीक्षा की जायेगी।

विद्युत उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुए प्रस्ताव

1287. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) बिजली के उत्पादन और वितरण का विकास सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षित है। विद्यमान निजी स्वामित्व वाली युटिलिटियों में यूनिटों के विकास और निजी क्षेत्र में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की भी अनुमति दी जा रही है। निजी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन सम्बन्धी प्रस्तावों पर तदनुसार विचार किया जाता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 110 मेगावाट के एक और यूनिट की प्रतिष्ठापना के मैसर्ज अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कम्पनी के प्रस्ताव को हाल ही में अगस्त, 1985 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है। निजी/संयुक्त क्षेत्र में कैप्टिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर सरकारी नीति के अनुसरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकता है, जिनमें कोयले की उपलब्धता जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित कर दिए गए हों। राज्य प्राधिकारी 25 मेगावाट तक के कैप्टिव संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की अनुमति देने में सक्षम हैं; जहां क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होती है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

बिहारशरीफ में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1288. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बिहारशरीफ में स्वचालित एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में अतिगंल टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार और विकास

1289. **श्री टी० बशीर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में अतिगंल टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार और विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। एक्सचेंज का 300 से 600 लाइनों में विस्तार करने के लिए एक्सचेंज उपस्कर आबंटित किया गया है। 7वीं योजना के दौरान उपस्कर प्राप्त होते ही यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

शाखा डाकघरों/एक्सट्रा डिपार्टमेन्टल सब आफिस को उप-डाकघरों का दर्जा देना

1290. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान नए पदों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध में छूट प्राप्त कर किसी शाखा डाकघर/एकस्ट्रा डिपार्टमेन्टल सब आफिस को विभागीय उप-डाकघर के स्तर का दर्जा दिया गया है, और किसी उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उनके सर्किल-वार (बहु-राज्य सर्किलों में राज्य-वार) नाम क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 में दर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों पर विचार किया गया है विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार अथवा अन्य निकायों ने वापस न किए जाने वाले अंशदान को बहन करने की पेशकश की है, ताकि डाक विभाग पर कोई भार न पड़े;

(घ) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या और नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) छनियानी उत्तर प्रदेश में तथा करहाल मध्य प्रदेश में।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एन० आर० सी० वाले मामलों में भी घाटे की कुछ राशि विभाग द्वारा पूरी की जाती है। विभाग की संसाधन स्थिति की दिक्कतों को देखते हुए, ऐसे मामलों में पाबंदी में ढील देना उपयुक्त नहीं समझा गया।

दूरसंचार सेवाओं द्वारा गांवों को जोड़ने की षष्ठकोणीय योजना

1291. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने अगले पांच वर्षों के दौरान गांवों को जोड़ने के लिए षष्ठ-कोणीय योजना बनाई थी;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में परभनी तथा नांदेड़ जिलों में इस योजना की क्या प्रगति रही; और

(ग) क्या इस योजना पर काम संतोषजनक चल रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए परभनी और नांदेड़ के लिए निर्धारित लक्ष्य 7 रखा गया था और इस अवधि की उपलब्धि 9 है।

(ग) जी हां।

दुर्गापुर में ट्रक निर्माण परियोजना

1292. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रस्तावित ट्रक निर्माण परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया जाना था; और

(ग) उक्त परियोजना के बारे में सही स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी और मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी द्वारा प्राप्त क्रयादेश

1293. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी और मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्रोतों से वर्ष 1982 में कुल कितने मूल्य (टन और रुपयों में) के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन क्रयादेशों में भारतीय रेलवे का हिस्सा कितना है; और

(ग) हावड़ा के लघु उद्योगों को वर्ष 1982 से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्रोतों से कुल कितने मूल्य (टनों और रुपयों में) के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उसमें भारतीय रेलवे का हिस्सा कितना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

बी० सी० सी० एल० द्वारा मशीनों की खरीद

1294. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितने मूल्य की मशीनें खरीदी गई हैं;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है;

(ग) मशीनों की क्षमता के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अनियोजित यंत्रीकरण से रोजगार के अवसर कम हुए हैं और पूंजीगत लागत बढ़ी है परन्तु उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों यानी 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा खरीदी गई मशीनों का कुल मूल्य लगभग 158.52 करोड़ रुपए है। इसमें 10.96 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा राशि भी सम्मिलित है।

(ग) पिछले तीन वर्षों यानी 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 के दौरान भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों के क्षमता उपयोग का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	स्थापित क्षमता (मि० घन मीटर) प्रतिवर्ष	प्राप्त (मि० घन मी०)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
1982-83	20	15.05	75.10
1983-84	23	16.25	70.03
1984-85	26	20.00	77.00

(घ) जी, नहीं। यंत्रीकरण अनुमोदित साध्यता अध्ययनों के आधार पर एवं कठिन भू-खनन दशाओं का सामना करने के लिए शुरू किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले उपभोक्ताओं को दूसरे गैस सिलेण्डर की सप्लाई

1295. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में खाना बनाने की गैस का उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेण्डर सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में नगरों से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं को भरा हुआ सिलेण्डर प्राप्त करने में बहुधा 15 दिन या इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में विलम्ब कभी-कभी बाटलिंग संयंत्रों के कार्यचालनों, परिवहन, औद्योगिक संबंधों आदि से संबंधित कठिनाइयों के कारण हो जाता है। तेल कम्पनियों द्वारा दूसरा सिलिण्डर सिवाय उन बाजारों के जहां उनका पिन टाइप बाल्वों में परिवर्तन अभी तक आरंभ नहीं हुआ है आम तौर पर देश भर में दिया जा रहा है।

विभागेतर कर्मचारियों के बारे में सबूर आयोग

1296. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेतर कर्मचारियों के बारे में गठित "सबूर आयोग" की कार्यावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त आयोग को अपना प्रतिवेदन सभी राज्यों का दौरा करने के बाद प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित करने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग ने उक्त निर्देश का पालन किया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के कम वजन के सिलेण्डरों की सप्लाई

1297. **श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान खाना पकाने की गैस के कम वजन के सिलेण्डर सप्लाई किए जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं कि सभी गैस सिलेण्डरों में खाना पकाने की गैस निर्धारित मात्रा में हो?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1984-85 के दौरान कम वजन के कुकिंग गैस सिलेण्डरों की सप्लाई सम्बन्धी शिकायतों की कुल संख्या 134 थी।

(ख) सभी शिकायतों की यथा विधि जांच की गई थी और निष्कर्षों के आधार पर उपभोक्ताओं को कम वजन के सिलेण्डरों के लिए मुआवजा देने/निशुल्क प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की गई थी।

(ग) सभी बाटलिंग संयंत्रों में कड़ी नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भरे हुए सिलेण्डर का वजन वितरकों को देने से पूर्व सही हो। वितरकों को दिए गए स्थायी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक सिलेण्डर को उपभोक्ताओं को रिफिल की सप्लाई देने से पहले तौला जाता है। तथापि, चोरी/रिसने से बचाव के लिए तेल उद्योग ने कुछ बाजारों में हीट-शींक प्लास्टिक की बनी सीलों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में नई कोयला खानें खोलना

1298. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० की सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में नई कोयला खानें खोलने के लिए राशि निवेश करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयला खानों के विकास पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश की डाक सेवाओं में सेवानिवृत्त विभागेतर कर्मचारी

1299. **श्री सी० सम्बु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सर्किल की डाक सेवा में कार्यरत दो हजार से भी अधिक विभागेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सर्किल में आज तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (विभागेतर) की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ग) इन कर्मचारियों को खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश सर्किल में सेवानिवृत किए गए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 2000 से अधिक नहीं है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों का दर्जा घटा कर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर स्तर का बनाने के फलस्वरूप जो पद समाप्त किए गए उनके कारण केवल 802 अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को हटाया गया है।

(ग) अभी तक अन्य उपलब्ध रिक्त पदों पर 200 अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को खपाया गया है। भविष्य में अतिरिक्त विभागीय रिक्तियों पर शेष कर्मचारियों को खपाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक

1300. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 1982-83 से 1984-85 के बीच की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के लिए मूचकांक में वृद्धि/गिरावट की वार्षिक दर के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सी० एस० ओ० औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को राज्य-वार इकट्ठा नहीं करता है। फिर भी, उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उत्पादन के मूल्य में हुई वृद्धि दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उत्पादन के मूल्य की हुई प्रतिशत वृद्धि दर

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	के दौरान उत्पादन के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि दर		
	1979-80 में 1978-79 की तुलना में	1980-81 में 1979-80 की तुलना में	1981-82 में 1980-81 की तुलना में
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	+15.2	+17.9	+ 9.6
2. असम	+ 5.8	— 3.5	+10.8
3. बिहार	+11.0	+10.6	+43.8
4. गुजरात	+20.5	+22.7	+16.0
5. हरियाणा	+32.0	+17.0	+27.0
6. हिमाचल प्रदेश	+33.7	+19.9	+25.2

1	2	3	4
7. जम्मू और कश्मीर	+32.5	+ 5.9	+ 4.7
8. कर्नाटक	+12.9	+11.7	+16.5
9. केरल	+18.3	+27.8	+15.8
10. मध्य प्रदेश	+23.5	+16.2	+24.0
11. महाराष्ट्र	+16.9	+16.3	+17.7
12. मणिपुर	+29.7*	+51.9*	+266.9
13. मेघालय	+58.9	+65.4	—12.4
14. उड़ीसा	+14.3	+ 8.8	+27.5
15. पंजाब	+24.6	+17.8	+24.0
16. राजस्थान	+22.0	+17.0	+19.1
17. तमिलनाडु	+19.1	+18.7	+20.3
18. त्रिपुरा	(क)		+21.5
19. उत्तर प्रदेश	+11.2	+14.1	+47.4
20. पश्चिम बंगाल	+18.1	+16.9	+12.9
21. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	+15.9	+23.4	+21.2
22. चण्डीगढ़	+34.2	+13.1	+14.8
23. दिल्ली	+28.2	+14.0	+ 7.7
24. गोवा, दमण और द्वि	+ 2.6	+52.5	+12.1
25. पांडिचेरी	+16.3	+24.1	+18.6
योग	+17.8	+16.9	+20.6

(क) मणिपुर में सम्मिलित।

* मणिपुर और त्रिपुरा की वृद्धि दर और उत्पादन के मूल्य के आंकड़े इकट्ठे दिए गए हैं क्योंकि 1979-80 के लिए त्रिपुरा के उत्पादन के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

केरल का औद्योगिक विकास

1301. श्री के० मोहनदास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में औद्योगिक विकास की दर क्या थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास में निवेश किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी० एस० ओ०) औद्योगिक उत्पादन का राज्यवार सूचकांक नहीं बनाता । किन्तु उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार केरल में विकास की प्रतिशत दर उत्पादन के मूल्यानुसार 1979-80 में 1978-79 के मुकाबले 18.3, 1980-81 में 1979-80 के मुकाबले 27.8 और 1981-82 में 1980-81 के मुकाबले 15.8 रही है ।

(ख) तथा (ग) केरल स्थित केन्द्र सरकार के उपक्रमों में निवेश की मात्रा सकल ब्लॉक के अनुसार नीचे दी गई है :—

निम्नांकित तारीखों को सकल ब्लॉक, चल रहे पूंजीगत कार्यों, निर्माण के समय अनावंटित खर्चों का मूल्य :—

(करोड़ रुपयों में)

31.3.82	31.3.83	31.3.84
542.68	617.53	715.11

राय-बरेली स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग का आधुनिकीकरण

1302. **श्री विनेश सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राय बरेली स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग का आधुनिकीकरण किए जाने में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : आरम्भ में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रायबरेली कारखाने में स्ट्रोजर स्विचिंग उपस्कर के निर्माण की व्यवस्था थी। क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की प्रतिवर्ष 2 लाख लाइनों के उत्पादन की क्षमता निर्धारित कर कारखाने का विस्तार किया जा रहा है । वर्तमान उत्पादन परम्परा को और अधिक आधुनिक बनाने के प्रस्ताव पर आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्य किए जाने की सम्भावना है ।

राज्यों द्वारा लेवी सीमेंट की मांग

1303. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री सोमनाथ रथ :
श्री टी० बाल गौड़ :
श्री गुरु दास कामत :
श्री मुरलीधर माने :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 और 1985 में विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से लेवी सीमेंट की कुल कितनी मात्रा मांगी थी;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए केन्द्र द्वारा सीमेंट की कुल कितनी सप्लाई की गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 28-2-1982 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण के बाद राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए लेवी सीमेंट का आवंटन कुछ विशेष सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था। राज्यों/संघ क्षेत्रों की मांग के बारे में नियमित अन्तराल से जानकारी नहीं प्राप्त की जाती। फिर भी आवंटनों में वृद्धि हेतु राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किए गए अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। नियमित त्रैमासिक आवंटनों के साथ-साथ राज्यों/संघ क्षेत्रों को प्राकृतिक विपदाओं आदि के लिए अतिरिक्त तदर्थ आवंटन भी किए जाते हैं। 1984 और 1985 के दौरान सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को किए गए कुल आवंटन निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी० टनों में) मूल आवंटन (बिजली व सिंचाई से भिन्न)	तदर्थ आवंटन	कुल (मी० टनों में)
1984	78,14,500	3,91,660	82,06,160
1985	82,75,600	2,32,420	85,08,020

(ख) तथा (ग) राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा अपने सम्बन्धित विभागों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनायी गयी है और पात्र व्यक्तियों/सोसाइटियों को वितरित की जाने वाली सीमेंट की मात्रा का निर्णय राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए लेवी सीमेंट के कुल आवंटनों में उक्त मात्रा आवंटित की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक बिक्री श्रेणी के अन्तर्गत 1984 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा भेजी गई कुल मात्रा 25.26 लाख मी० टन थी। 1985 (सितम्बर, 1985 तक) इस श्रेणी के अन्तर्गत भेजी गई मात्रा 16.08 लाख मी० टन थी।

[हिन्दी]

बिजली की लाइन खेतों से होकर ले जाने के लिए किसानों को मुआवजा

1304. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिजली की लाइनें किसानों के खेतों में खम्भे लगाकर ले जाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने खेतों के बड़े भाग से वंचित रहना पड़ता है और किसानों को इसके लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था करने का है, जिनके खेतों से बड़ी बिजली लाइनें ले जाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के खण्ड-19 में यह व्यवस्था है कि बिजली को सप्लाई से सम्बन्धित कार्य, जिसमें पारेषण लाइनें बिछाना शामिल है, करते समय किसी प्रकार के नुकसान, क्षति अथवा असुविधा के लिए लाइसेंसधारी द्वारा पूरा मुआवजा दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

"ड्रग यूनिट्स अगेंस्ट कैटेगराईजेशन" शीर्षक से समाचार

1305. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में "ड्रग यूनिट्स अगेंस्ट कैटेगजाइरेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को फार्मास्युटिकल्स उद्योग संघों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) लाइसेंस एवं मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सरकार को औषध उद्योग संघ से प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं । फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसेस आफ इण्डिया संघ तथा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड एलाईड मैन्युफैक्चरर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का यह विचार है कि विदेशी साम्य पूंजी के स्तर पर ध्यान न देते हुए देश की सभी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों को एक समान समझा जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । जबकि इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का यह मत है कि विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों के समान नहीं समझा जाना चाहिए ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद में टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा धरना

1306. **श्री एम० वेंकटरत्नम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद में दिनांक 25 अक्तूबर, 1985 को 3000 टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा धरना दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं; और

(ग) सरकार उनका क्या हल निकालने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नही ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रतिबन्धात्मक प्रथाएं समाप्त करने हेतु कार्यक्रम

1307. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों की लाभप्रदता में बाधा पहुंचाने वाली सभी प्रतिबन्धात्मक प्रथाओं को समाप्त करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ख) क्या ऐसी शिकायत है कि सरकार की औद्योगिक नीति मे कोई संगति और निरंतरता नहीं है और नीति निर्धारण करने वाले तथा क्रियान्वित करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लगातार बदलते रहने के परिणामस्वरूप हमारे उद्योगों के विकास में गिरावट आई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्योरा एकत्र किया जा रहा है तथा इसका विवरण सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर

1308. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि मैकेनिकल टाईपराइटर की तुलना में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर अधिक कुशल हैं और मैकेनिकल टाइपराइटर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटर को इलेक्ट्रानिक उत्पाद घोषित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर साकारात्मक है तो इस घोषणा से उपभोक्तानों को क्या लाभ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । सरकार ने बड़े और लघु दोनों ही क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में योजनाएं स्वीकृत की हैं । हाल ही में, सरकार ने टाइपराइटर उद्योग में व्यापक समूह बनाने की एक योजना भी प्रारम्भ की है । इससे टाइपराइटरों के विद्यमान विनिर्माता और आशय-पत्र धारक अपने

औद्योगिक लाइसेंसों/स्वीकृतियों को उपयुक्त तरीके से पृष्ठांकित करा सकेंगे ताकि वे अपनी सम्पूर्ण स्वीकृत क्षमता के भीतर किसी भी टाइपराइटर का उत्पादन कर सकें।

(ख) से (घ) "टाइपराइटरों" को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अधिसूची के "वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण" शीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्टि 13(1) में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अधिसूची के अन्तर्गत प्रविष्टि 5(8) "इलेक्ट्रानिक उपकरण" के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। इसके अलावा टाईपराइटर चाहे वे मानवचालित हैं, बिजली अथवा इलैक्ट्रानिक के हों, टाइपराइटर परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। फिर भी, इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर मानव चलित/बिजली के टाइपराइटरों की तुलना में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से काफी उन्नत और सुधरे हुए है। ऐसे इलैक्ट्रानिक टाइराइटरों को जिनमें कम्प्यूटर की संगतताएं हैं अर्थात् लाइन सम्पादित करने की सुविधा, 8 के बाइट्स की न्यूनतम स्मृति और कम्प्यूटर से जोड़ने के लिए आर० एस०-232 जैसा एक कम्प्यूटर इन्टरफेस पोर्ट लगा हो, को कम्प्यूटर वस्तु की श्रेणी में माना जाएगा, आयातित पुर्जों और हिस्सों पर सीमा शुल्क तथा तैयार उत्पाद पर उत्पादन शुल्क के लाभों को देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इन रियायतों के परिणामस्वरूप इलैक्ट्रामिक टाइपराइटरों का मूल्य वर्तमान मूल्य का लगभग आधा रह जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादन के लिए योजना परिव्यय में कटौती

1309. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं योजना में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए 8,856 करोड़ रुपये के प्रस्तावित योजना परिव्यय में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या योजना परिव्यय में कटौती का पेट्रोलियम उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार वित्तीय आबंटन में कमी के कारण पेट्रोलियम उत्पादन के अभाव को किस प्रकार दूर करने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सातवीं योजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अनुमोदित परिव्यय 8752.67 करोड़ रुपये हैं तथा आयल इण्डिया लिमिटेड का अनुमोदित परिव्यय 950 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) परिव्यय में कटौती के कारण सातवीं योजना में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन लक्ष्यों में कटौती नहीं की गई है।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का पुनः प्राक्पित करना

1311. **श्री चिंता मोहन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के प्रेसीडेंट ने गैर-सरकारी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के सम्बन्ध में सहायता देने, गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्व प्रतिबंधित

क्षेत्रों आदि में प्रवेश करने की अनुमति देने हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की सीमाओं में ढोल देने की दृष्टि से औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का पुनः प्रारूप तैयार करने का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या स्थिति है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार के कुछ सुझाव फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के के अध्यक्ष ने अभी हाल में एक संवाददाता सम्मेलन में रखे थे।

(ख) हालांकि सरकारी औद्योगिक नीति का मूल ढांचा औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में उपलब्ध है फिर भी सरकार इसके लिए जांच कर रही है कि ऐसी कौन-सी विशेष वस्तुएं हैं जिनका निजी क्षेत्र में विकास किया जा सकता है और उससे सरकारी क्षेत्र की मुख्य प्रभुता पर भी आंच नहीं आएगी। औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति और प्रक्रिया को उदार और सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री सहित अन्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझावों को और अधिक उदारीकरण करने के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

असम की निर्वाचक नामावलियों में बंगाली मतदाताओं के नाम काटे जाने के बारे में जांच

1312. **डा० सुधीर राय** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम राज्य में मतदाताओं के नामांकन के समय निर्वाचक नामावलियों में से मतदाताओं के नाम सुनियोजित ढंग से काटे जा रहे थे;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग के असम समझौते के पश्चात् निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के कार्य की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग को असम के बंगाली संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें निर्वाचक नामावलियों से बंगालियों के नाम बड़ी संख्या में निकाले जाने का अभिकथन था। आयोग की धारणा है कि निर्वाचक नामावलियां, उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन और निर्वाचक नामावलियां तैयार करने संबंधी कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं और किसी वर्ग या समूह के व्यक्तियों को सुनियोजित ढंग से अपवर्जित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया हैं। सरकार और असम आन्दोलन के नेताओं के बीच हुए समझौते की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने कई अतिरिक्त कदम उठाए हैं। आयोग ने सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत पात्र व्यक्तियों द्वारा दावे फाइल किए जाने और अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध आक्षेप फाइल किए जाने के लिए अवधि 27-9-1985 तक, अर्थात् तीस दिन के लिए, बढ़ा दी है। आयोग ने नामावलियों की तैयारी के संप्रेक्षण और अधीक्षण के लिए केन्द्रीय संप्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इन संप्रेक्षकों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि वे दावों

और आक्षेपों के निपटारे की रीति पर दृष्टि रखें जिससे कि उनका निपटारा विधि और आयोग के अनुदेशों के अनुसार हो। सभी निर्वाचन-क्षेत्रों की नामावलियों का अन्तिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर, 1985 को किया जा चुका है।

डाक और तार विभाग में महिला कर्मचारियों को प्रसूति छुट्टी

1313. श्री सुरेश कुरुप :
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डाक और तार महानिदेशक ने अपने केन्द्रीय प्रबन्धकों को निदेश दिये हैं कि उन महिला कर्मचारियों को प्रसूति छुट्टी नहीं दी जाये, जिन्होंने विवाह के बाद अपने नाम नहीं बदले हैं अथवा जो छुट्टी के अपने आवेदन के साथ विवाह प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत करती हैं अथवा आवेदक अविवाहित मां है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम और प्रसूती असुविधा अधिनियम, 1961 में किन्हीं उपर्युक्त मांगों के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं तो डाक और तार महानिदेशक अपने आदेश द्वारा उनमें से किसी एक पर जोर दे सकता है अथवा अविवाहित मां की प्रसूति छुट्टी देने से इन्कार कर सकता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महानिदेशक डाक-तार (दूरसंचार विभाग) ने उन महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश मंजूर न करने के बारे में अपनी फील्ड यूनिटों को निर्देश जारी नहीं किए हैं जिन्होंने अपने विवाह के बाद अपना नाम नहीं बदला है अथवा अपने प्रार्थना पत्र के साथ विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे, दूरसंचार विभाग के अधीन सभी फील्ड यूनिटों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सरकारी अविवाहित महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश न दें।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में उपर्युक्त मुद्दों की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) हालांकि नियमों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि प्रसूति अवकाश की पात्रता के लिए महिला सरकारी कर्मचारी को विवाहित होना चाहिए, फिर भी स्पष्टतया यह अपेक्षा की जाती है कि वह विवाहित हो। तदनुसार, उपर्युक्त (क) में दिए आदेश जारी कर दिए गए थे।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राहत

1314. श्री अमल दत्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज से माफी, रियायती दरों पर ऋण, ऋण को इक्विटी में बदलने, ब्याज सहायता आदि के रूप में राहत प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपक्रमों के नाम, उन्हें दी गई सहायता का स्वरूप, सहायता की मात्रा आदि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दी गई राहत के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता :—

31-3-1982 को बकाया कुल 14,38,27,829.50 रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1982 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

उक्त ऋण की किश्तों के पुनः भुगतान पर 1-4-1982 से पांच वर्षों के लिए ऋण स्थगन भी दिया गया था।

2. नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन :—

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित ब्याज-राज सहायता दी गई थी :—

1982-83	15,76,561.66
1983-84	22,79,862.70
1984-85	25,50,465.63

3. मेसर्स बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड :—

(क) 31-3-1981 को बकाया 5516.60 लाख रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1981 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

(ख) 1981-82 में हुई नकद हानियों को ऋण के जरिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया था और 31-3-1985 तक उस पर ब्याज नहीं लिया गया था।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित सरकारी ऋणों की किश्तों के पुनः भुगतान पर 31-3-1985 तक ऋण-स्थगन प्रदान किया गया है।

4. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी :—

(क) 31-3-1981 को बकाया 1873.80 लाख रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1981 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

(ख) 1981-82 में हुई नकद हानि को ऋण के जरिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया था और 31-3-1985 तक उस पर ब्याज नहीं लिया गया।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित सरकारी ऋणों की किश्तों के पुनः भुगतान पर 31-3-1985 तक ऋण स्थगन प्रदान किया गया है।

5. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड :—

(क) 31-3-1934 को बकाया 695.39 लाख रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1984 से 31-3-1988 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

(ख) ऋण की किश्तों के पुनर्भुगतान पर एक वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए ऋण स्थगन दिया गया था और उसके बाद बकाया ऋणों का 10 वर्षों की अवधि में भुगतान करने का पुनः कार्यक्रम बनाया गया था।

6. जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड :—

(क) 31-3-1981 को बकाया 45.73 करोड़ रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1982 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(ख) कम्पनी को 1981-82 में हुई नकद हानि को ऋण के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया गया था और उस पर 31-3-1985 तक ब्याज नहीं लिया गया था।

(ग) ऊपर (क) तथा (ख) से उल्लिखित सरकारी ऋणों की किश्तों के पुनर्भुगतान पर 31-3-1985 तक ऋण-स्थगन दिया गया है।

7. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड :

(क) 31-3-1979 को बकाया 1295.35 लाख रुपये के ऋणों को समेकित किया गया था और उसकी वसूली 1-4-1984 से 7 किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) 1-4-1979 से पांच वर्षों की अवधि के लिए उपर्युक्त ऋणों पर ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(ग) 195 लाख रुपये के संचित ब्याज का भुगतान जिसे कम्पनी ने 31-3-1979 तक देना था, 1-4-1979 से पांच वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था।

8. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड :—

(क) 147 करोड़ रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1981 से चार वर्षों की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(ख) 31-3-1981 तक ब्याज की 65 करोड़ रुपये की बकाया राशि को ऋण में बदलने का निर्णय लिया गया था और 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(ग) 1981-82 में नकद हानियों को पूरा करने के लिए कम्पनी को दी गई सहायता के सम्बन्ध में 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित ऋण की किश्तों के पुनर्भुगतान पर 31-3-1985 तक ऋण-स्थगन प्रदान किया गया था।

9. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड :—

(क) 31-3-1981 को बकाया 48.93 करोड़ रुपये के ऋणों पर 1-4-1981 से चार वर्षों की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

(ख) 31-3-1981 तक ब्याज की 21.66 करोड़ रुपये की बकाया राशि को ऋण में बदलने का निर्णय लिया गया था जिस पर 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट भी प्रदान की गई थी।

(ग) नकद हानियों और कार्य-संचालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1981-82 और 1982-83 में स्वीकृत किए गए 18.50 करोड़ रुपये के ऋणों पर 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट भी प्रदान की गई थी।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित ऋणों की किश्तों के पुनर्भुगतान पर 31-3-1985 तक ऋण-स्थगन दिया गया था।

इन्सुलिन की आवश्यकता

1315. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति तिमाही औसतन कितनी इन्सुलिन की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन्सुलिन की अपेक्षित मात्रा का निर्माण देश में किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष में एक पूरी तिमाही की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष इसका आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में रोगियों को बिना किसी कठिनाई के इन्सुलिन उपलब्ध हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औषध एवं भेषजों पर छठी योजना कार्यकारी दल ने इन्सुलिन की मांग का अनुमान निम्न प्रकार लगाया है :—

वर्ष	मांग (एस० यू०)
1982-83	2300
1983-84	2530
1984-85	2780

(ख) काफी सीमा तक देश आत्मनिर्भर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) निवेश को सुनिश्चित करने के लिए गैर फेरा गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए इन्सुलिन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। एम० आर० टी० पी० अधिनियम भी इन्सुलिन में निवेश एवं उसके उत्पादन पर लागू नहीं होता।

मणिपुर में चालू विद्युत परियोजनाएं

1316. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में चालू विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा प्रत्येक की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मणिपुर में इम्फाल और इरिल नदियों के स्रोतों पर किन्हीं पन बिजली परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य प्राधिकारियों से सूचना की प्रतीक्षा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मणिपुर में निम्नलिखित जल-विद्युत स्कीमें निर्माणाधीन हैं :—

स्कीम का नाम	आई० सी० (किलोवाट)	चालू होने की संभावित तारीख
1. लोकछाओ	2×200	1986-87
2. थूमिंग	2×500	1987-88
3. गेलनेल	2×200	1987-88
4. लीमखोंग चरण-3	2×500	1987-88
5. कोथलमनबी	2×200+2×100	1986-87
6. खुगा	3×500	सातवीं योजना के बाद

छठी योजना के दौरान बल्क ड्रग्स फार्मूलेशन्स तथा आयातों का लक्ष्य

1317. **श्री पी० कुलनदेईवेलू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्मास्युटिकल उद्योग में बल्क ड्रग्स फार्मूलेशन्स तथा आयात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) फार्मास्युटिकल उद्योग को इस सम्बन्ध में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में प्रगति सम्बन्धी स्पष्ट नीति का अनुसरण कर रही है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) छठी योजना के अन्तिम वर्ष (1984-85) का संशोधित लक्ष्य प्रपुंज औषधों के लिए 500 करोड़ रुपये एवं फार्मूलेशनों के लिए 1950 करोड़ रुपये था। आयातों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार वर्तमान औषध नीति की समीक्षा कर रही है तथा एक नई नीति बनाने का विचार रखती है।

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन द्वारा सहायता

1318. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्धा घाटी कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए ब्रिटेन से सहायता मांगी है;

(ख) क्या तीसरे विश्व देशों में कोयला-खनन परियोजना आरम्भ करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु विस्तृत शर्तों पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सितम्बर, 1985 में लन्दन में हुई भारत-ब्रिटेन संयुक्त संचालन ग्रुप की बैठक के दौरान इस मामले को उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ङ) वर्धा घाटी कोयला क्षेत्रों के लिए भारत को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न में उल्लिखित प्रस्तावों के सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) **वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र** :

ब्रिटिश विशेषज्ञ भारत आएंगे और इस कोयला क्षेत्र के विकास हेतु अग्रता परियोजनाएं बनाने में कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनी "केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०" की सहायता करेंगे।

(2) तृतीय विश्व के देशों में सहयोग :

भारत सरकार ने नेशनल कोल बोर्ड आफ यू० के० के साथ सम्बद्ध कम्पनी ब्रिटिश माइनिंग कंसल्टैन्ट्स लि० एवं काल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनी, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के बीच "समझौता ज्ञापन" का अनुमोदन कर दिया है। इस "समझौता ज्ञापन" के कारण ये दोनों कम्पनियां तृतीय विश्व के देशों में संयुक्त परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। यह समझौता हुआ है कि प्रत्येक पक्ष सम्भावित अवसरों की जानकारी एक-दूसरे को देगा।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कोयले का पाया जाना

1319. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में कोयले के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस क्षेत्र में कब कोयला निकालने का विचार है; और

(ग) इन नए भंडारों से कितना कोयला प्राप्त होने की आशा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले मान्ड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए क्षेत्रीय समन्वेषण से 2224 मिलियन टन के अनुमानित कोयला संसाधनों का पता चला है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन भंडारों के दोहन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

भारत के साथ प्रौद्योगिकी में योगदान करने के लिए ब्रिटेन का प्रस्ताव

1320. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी के जानकारी के आयात और विदेशों द्वारा निवेश को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उपायों के अनुसरण में ब्रिटेन की सरकार ने भारत की औद्योगिक क्षमता के भावी विकास में सहायता करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी में योगदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर ब्रिटेन की वास्तविक प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) उस पर ब्रिटिश कम्पनियों और गैर-सरकारी व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें अद्यतन ब्रिटिश प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) इण्डो ब्रिटिश आर्थिक समिति की औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी उप समिति की दिनांक 11-13 सितम्बर,

1985 को लन्दन में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विदेशों से प्रौद्योगिकी के आयात और पूंजी निवेश के सम्बन्ध में हाल ही में उदार बनाई गई भारत सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए परस्पर लाभ देने वाले सहयोगों के विषय क्षेत्रों को अधिक से अधिक ब्रिटिश कम्पनियों के ध्यान में लाने के प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए और एक दूसरे की पूरक भारतीय और ब्रिटिश कम्पनियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें बढ़ाने के लिए सम्बन्धित राष्ट्रीय एजेंसियां द्वारा सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए, ऐसे सम्बन्धों के सम्भावित क्षेत्रों में आटोमोटिव प्रॉडक्ट्स दूर-संचार इलेक्ट्रानिक्स और साफ्ट वेयर फ्लेकिसबल मैनुफेक्चरिंग सिस्टम्स प्रदूषण निवारण सम्बन्धी उपाय ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक साधन आदि शामिल किए जा सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार

1321. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संगठनों के नेताओं ने देश में और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मजदूर संघ के नेताओं के सुझावों का विचार किये बिना सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार कार्य, वस्तुतः संसाधन सम्बन्धी बाधाओं के होने पर भी हाथ में लिया जा रहा है।

अप्रचलित प्रौद्योगिकी और पुराने उपकरण के कारण कोयले का कम उत्पादन

1322. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रचलित प्रौद्योगिकी और पुराने उपकरणों के कारण तथा विद्यमान प्रबन्ध प्रथाओं के कारण देश में कोयले का कुल उत्पादन कम है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने तथा विद्यमान पुरानी और अप्रचलित मशीन तथा उपकरणों को बदलने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रबन्ध प्रथाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने खुले मुखवाली खानों के खनन तथा भूमिगत खनन की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोयला उत्पादन का आयोजन योजना आयोग

के परामर्श से निर्धारित रखते हुए किया जाता है। कोयले का उत्पादन कोकिंग कोल को छोड़कर आमतौर से इसकी मांग के अनुरूप रहा है। कोकिंग कोल के, मामले में कुछ सीमान्त कमी रही है।

प्रौद्योगिक और प्रबन्ध व्यवहार को अद्यतन करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह प्रत्येक कम्पनी और परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है। खनन के आधुनिक उच्च उत्पादन तरीके ओपेनकास्ट खानों के साथ-साथ कुछ चुनिंदा भूमिगत परियोजनाओं में भी लागू किए गए हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले शुरू की गई कुछ मौजूदा खानों का भी पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) किसी नियत खनन ब्लाक में चाहे ओपेनकास्ट खनन द्वारा अथवा भूमिगत खनन द्वारा खनन के तरीके निश्चित करने से पहले, प्रत्येक विशिष्ट मामले में कोयला भंडारों की विशेषताओं और भूवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर विस्तृत तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई आम दिशा-निर्देश निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादन और निर्यात

1323. **श्री श्रीहरि राव : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित और निर्यात की जा रही वस्तुओं के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को विभिन्न प्रोत्साहन आदि देकर उत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1983-84 में लघु उद्योग उत्पादों का निर्यात करने की सम्भावना का अध्ययन किया गया था जिसमें परिष्कृत फल और सब्जियां, सेनिटरी फिटिंग्स, सिलाई मशीनें, लकड़ी के फर्नीचर, चमड़े के दस्ताने, चमड़े के जूते और कम्पोनेंट्स, पी० वी० सी० पाइपों और खेल का सामान जैसी वस्तुएं शामिल थीं।

लघु क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले निर्यात संबंधी आंकड़े सरकार द्वारा अलग से नहीं रखे जाते तथापि, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों आदि से उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के निर्यात ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु० में)
1981-82	2,070.71
1982-83	2,096.92
1983-84	2,159.22

(ग) लघु क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य प्रोत्साहन निम्न-लिखित हैं :—

(1) निर्यात समूह प्रमाण-पत्र देने के लिए निर्धारित की गई कम से कम न्यूनतम सीमा।

(2) निर्यात समूहों/ट्रेडिंग समूहों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस मंजूर करने के वास्ते चुने हुए उत्पादों के निर्यात के जहाज भाड़े से मुक्त मूल्य को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है।

(3) वर्ष 1984-85 में आरम्भ की गई उद्यमियों, व्यापारियों निर्यातकों की योजना को 1985-88 की निर्यात नीति में उदार बना दिया गया है।

(4) 1 लाख रुपये के मूल्य के प्रोटो-टाइप जिनकी संख्या अधिक से अधिक दो ही होगी, के आयात, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग निगमों के जरिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात और व्यवसायियों, या भूतपूर्व सैनिकों अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में नए लघु उद्योग एककों की स्थापना करने के लिए प्रतिबंधित और सीमित उचित वस्तुओं के वास्ते आयात-लाइसेंस देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी।

(5) नकद सहायता, आर० ई० पी० लाइसेंस, शुल्क की वापसी, शुल्क से मुक्त आयात, विदेश में व्यापार शिष्टमंडलों/बिक्री-सह-अध्ययन दलों के लिए 60 प्रतिशत एम० डी० ए० सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात की पूर्ति, ब्याज राज सहायता, प्राथमिकता के आधार पर कच्चा माल उपलब्ध कराना, कम से कम सीमा पर संघ का निर्माण राजकोषीय वित्तीय प्रोत्साहन निर्यात संबंधी परामर्श सेवाएं, निर्यात के लिए पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, विदेश में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशी बाजारों सम्बन्धी सूचना का प्रचार-प्रसार करना, निर्यात विपणन पाठ्यक्रमों और गोष्ठियों का आयोजन आदि।

कोयले से गैस बनाना

1324. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रेंच फर्म ने कोयले से गैस बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह हमारे देश में भी प्रयोग की जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अमेरिका के "इन्स्टीट्यूट आफ गैस टेक्नालाजी" द्वारा विकसित यू-गैस कोयला गैसीकरण प्रक्रिया को फ्रांस की राष्ट्रीय कोयला कपनी—"शारबोनाजे द फ्रांस (शा० द० फा०)" ने अपनी भावी कोयला-गैसीकरण प्रौद्योगिकी के तौर पर चुना है। इस प्रक्रिया में, धुला कोयले की एक तरलीकृत जल में लगभग 1000° से० ग्रे० ताप पर भाप और आक्सीजन अथवा हवा के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया की जाती है। इससे ज्वलनशील गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है।

(ग) इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के विषय में विचार तभी किया जा सकता है जब यह व्यापारिक आधार पर स्थापित हो जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन और भत्तों के बारे में समान नियम और विनियमन

1325. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों आदि के लिए अपने नियम और विनियमन तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो एक समान नियम और विनियमन न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संस्था के अन्तर्नियमों अथवा सृजनात्मक संविधियों के अधीन नीति-निर्देश, यदि कोई सरकार द्वारा जारी किये गए हैं, के अनुरूप अपने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को अधिशासित करने वाले नियम एवं विनियम बनाने के लिए उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं। ऐतिहासिक कारणों से इन एककों की स्थिति तथा कारोबार, जिसमें वे व्यस्त हैं; के कारण एक समान नियम एवं विनियम व्यवहार्य नहीं हैं। किन्तु, आवधिक मजदूरी समझौतों के समय वेतनमान एवं भत्तों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

कोयला खान श्रमिक कल्याण अधिनियम के उपबन्धों को लागू न करना

1326. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी कोयला खानें हैं जो कि कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खानों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम का प्रशासन कोयला खान श्रम कल्याण आयुक्त करते हैं। अतः इस अधिनियम के प्रावधानों का कोयला खानों द्वारा कार्यान्वयन नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की अधिकतम तथा न्यूनतम आय में असंगति

1327. **श्री हरूभाई मेहता :**
श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी/अधिकारियों को कितना अधिकतम और न्यूनतम वेतन दिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी/अधिकारियों को कितना अधिकतम और न्यूनतम आय में असंगति को कम करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मूल वेतन के अलावा कुल वेतन एवं महंगाई भत्ते में अनेक अन्य उपान्त लाभ शामिल हो सकते हैं, जो कुछ तो ऐतिहासिक कारणों से तथा कुछ संघबद्ध कर्मचारियों के बारे में प्रबन्धकों एवं मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के कारण एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके अलावा, उसी कम्पनी के वैसे ही वेतनमान पाने वाले कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न वेतन पा सकते हैं। इस प्रकार यह बताना बहुत कठिन है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारियों/अधिकारियों को कितना न्यूनतम/अधिकतम वेतन दिया गया है।

(ख) हालांकि ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, तथापि मजदूरी/वेतन परिशोधन के समय असमानता घटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली

1328. **श्री भरत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में चकबन्दी के अन्तर्गत आने वाले गांवों को वर्ष 1954 से 1983 तक बिजली मिल रही थी;

(ख) क्या वर्ष 1983 के बाद इन गांवों को बिजली की सप्लाई बन्द कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई है और व्यापार आदि बन्द हो गया है; और

(ग) चकबन्दी के परिणामस्वरूप जिन लोगों को लाट मिले थे उन्हें बिजली की सप्लाई कब तक की जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्ति नगर तथा हिन्द नगर, बीजपुर उत्तर प्रदेश में ठेका आधार पर कार्य

1329. **श्री राज कुमार राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शक्तिनगर तथा हिन्द नगर, बीजपुर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में प्रत्येक कार्य ठेका आधार पर कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ठेका आधार पर कराए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमित कार्य के लिए स्थाई कर्मचारियों की भर्ती करना संभव नहीं है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य ठेकेदारों के जरिए हाथ में लिया जाता है तथा प्रचालनाधीन यूनिटों का प्रचालन सम्बन्धी अनुरक्षण विभागीय तौर पर किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में शक्तिनगर में सिंगरौली परियोजना के सम्बन्ध में 64 वृहत ठेके थे तथा 580 छोटे-छोटे मूल्यों के ठेके दिए गए थे और बीजपुर में हिन्दनगर में रिहन्द परियोजना के बारे में 25 वृहत् ठेके तथा 280 छोटे-छोटे मूल्यों के ठेके दिए गए थे। नियमित स्वरूप के कार्यों के लिए परियोजना में नियमित पदों पर जन शक्ति का नियोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

रुग्ण उद्योगों का पता लगाना

1330. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक अपनी एककों को पुनः स्थापित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रुग्णता की स्वयं सूचना दी है;

(ख) क्या सरकार का रुग्ण तथा प्राय रुग्ण कम्पनियों का पता लगाने की जिम्मेदारी लेने का विचार है; और

(ग) क्या पद्धति अपनाई जाएगी जिससे कि रुग्णता का समय पर पता लगाया जा सके ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रुग्णता की स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार रुग्ण एककों के सम्बन्ध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनसे सहायता प्राप्त सक्षम रूप से जीव्य औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में पुनःस्थापन योजनाएं तैयार की जाती हैं।

सरकार ने लोकसभा में दिनांक 29-8-1985 को एक विशेष कानून अर्थात् दी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन) बिल, 1985 प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण और जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों का समय रहते पता लगाने के साथ-साथ एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करने की व्यवस्था है जिसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के रूप में नामित किया जाना है और जिसे सक्षम रूप से जीव्य रुग्ण औद्योगिक एककों की त्वरित पुनःस्थापना करने के लिए उपयुक्त अभ्युपायों पर विचार करने और सुझाव देने का अधिकार होगा।

प्रस्तावित कानून के अनुसार अलग-अलग एककों में रुग्णता की सूचना देने का उत्तर-दायित्व स्वयं इन एककों पर होगा।

[हिन्दी]

सातवीं योजना अवधि के दौरान तेल के कुओं के स्थान

1331. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर कितने-कितने तेल कुएं खोदे जाएंगे और उन पर कितना व्यय होगा; और

(ख) क्या तेल और खाना पकाने की गैस का उत्पादन इतनी लाभप्रद लागत से किया जा सकेगा कि इससे घरेलू मांग लगभग पूरी हो जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों/बेसिनों में लगभग 2200 कुएं खोदने का प्रस्ताव है :

गुजरात

कच्छ और सौराष्ट्र

असम

अरुणाचल प्रदेश

नागालैण्ड

त्रिपुरा

कृष्णा-गोदावरी

कावेरी

बंगाल

उड़ीसा

राजस्थान

हिमालय की तलहटियां

गंगा घाटी

गोंदवाना

विंध्यालय

डक्कन सिनोक्लाइज

बम्बई अपतट

कच्छ अपतट

केरल-कोंकन

अण्डमान और

उत्तर पूर्वी तट

ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० के लिए सातवीं योजना में 9702 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) यह आशा की जाती है कि तेल तथा गैस का उत्पादन मितव्ययितापूर्ण होगा। चूंकि तेल की खोज मुख्यतः सम्भावनाओं पर आधारित होती है इसलिए निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं होगा कि इस क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में गैस की खोज

1332. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और जम्मू में सारुइनसर को गैस की खोज के लिए उपयुक्त क्षेत्र पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां छिद्रण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ज्वालामुखी में चार तथा सारुइनसर में एक कुआं खोदा है। इन क्षेत्रों में खुदाई के लिए कुछ और स्थानों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) अभी तक व्यापारिक आधार पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं हुए हैं।

टेलीफोन विभाग में उपभोक्ता सेवा केन्द्र

1333. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग में कार्य कर रहे उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या लोगों की सहायता करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में 223 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी इन केन्द्रों के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी का विकास

1334. **श्री चित्त महाता :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में खादी का विकास और संवर्धन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) खादी के उत्पादन में वर्ष 1984-85 के 1200 लाख वर्ग मीटर से बढ़कर वर्ष 1989-90 के दौरान 1800 लाख वर्ग मीटर हो जाने का अनुमान लगाया गया है। खादी के उत्पादन का मूल्य 1984-85 के 161 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 288 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान खादी के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में खादी की बिक्री पर छूट देकर सरकार द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने की संभावना है। खादी में रोजगार का स्तर 1984-85 के 14 लाख व्यक्तियों से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 20 लाख व्यक्ति हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों की मांग, उत्पादन और आयात

1335. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल० पी० जी० सिलेण्डरों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनकी कुल मांग कितनी है;

(ख) क्या सिलेण्डरों का अभी भी आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के आयात के क्या कारण हैं;

(घ) क्या नए एकक स्थापित करने के लिए अभी भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) नए लाइसेंस देना बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग की लगभग 35 से 40 लाख प्रतिवर्ष सिलिंडरों की आवश्यकता की तुलना में वर्तमान में देश में एल० पी० जी० सिलिंडरों की स्थापित निर्माण क्षमता 1.46 करोड़ है।

(ख) और (ग) ब्राजील की मैसर्स मैंजेल्स माइन्स के साथ संविदा की शेष मात्रा के अतिरिक्त, जिसके बारे में 1983 में निणय लिया गया था, एल० पी० जी० सिलिंडरों का आयात नहीं किया जा रहा है।

(घ) औद्योगिक (विकास और विनियोजन) अधिनियम, 1951 के अधीन एल० पी० जी० सिलिडरों के निर्माण के लिए औद्योगिक यूनिट को लाइसेंस की आवश्यकता नही है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

टायर के मूल्य में वृद्धि के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

336. **श्री के० राम मूर्ति :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने टायर उद्योग के मूल्य ढाचे का अध्ययन किया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से टायर उद्योग के 1982-83 और 1983-84 के वित्तीय निष्पादन, टायरों की लागत, संरचना तथा मूल्य संशोधनों के औचित्य के बारे में जांच करने के लिए कहा गया था। इसे उत्पादन शुल्क के संदर्भ में, यदि कोई हो, मूल्यों के संचालन की जांच करने के लिए भी कहा गया था।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे :—

(1) 1980 से 1983 के दौरान अधिकांश कम्पनियों में लागतों के खर्चों के सभी "शीर्षों" के अन्तर्गत अर्थात् सामग्रियों, श्रम और उपरिव्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी।

(2) अगस्त, 1981 और अप्रैल, 1984 के बीच टायरों में सभी कच्चे माल में कुल मिलाकर मूल्य में वृद्धि का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था।

(3) परिवर्तन और बिक्री लागतों को लेते हुए, कुल लागत और मूल्य (निवल विक्रेता मूल्य) के बीच तुलना से मिश्रित चित्र स्पष्ट होता है।

(4) उत्पादन शुल्क की विशिष्ट दरों के मूल्यानुसार परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1-3-1984 के बाद देय उत्पादन शुल्क मूल लागत के आधार पर पहले दिए जाने वाले उत्पादन शुल्क से सामान्यतया अधिक होते हैं।

(5) टायर कम्पनियों की लाभदेयता वर्ष 1980 से 1983 की चार वर्ष की अवधि में घटी-बढ़ी है और सामान्यतया वर्ष 1983 (1981 और 1982 की अपेक्षा) में बहुत तेजी से इसमें ह्रास हुआ।

(6) उद्योग के 1:1 वाले समग्र ऋण इक्विटी स्वरूप के साथ 12 प्रतिशत करेतर प्रतिफल तथा ऋणों पर 14 प्रतिशत से औसत ब्याज दर से लगाई गई पूंजी पर लगभग 21 प्रतिशत प्रतिफल की आवश्यकता है। 1983 में प्रतिफल के इस स्तर को केवल एम० आर० एफ० और जे० के० ने ही प्राप्त किया।

(7) 1980 में प्राप्त की गई उद्योग की क्षमता का उपयोग 98 प्रतिशत था जबकि इसके मुकाबले यह 1983 में कम होकर 78 प्रतिशत पर पहुंच गयी। अप्रयुक्त क्षमता लागत से उत्पादन की एकक लागत में वृद्धि और उद्योग की लाभदेयता में ह्रास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है।

(८) निवेशों (एक चरण) और टायरों पर शुल्क के मिश्रित प्रभाव से अनुमानित मूल्य में 83 प्रतिशत की वृद्धि होती है जबकि निवेशों तथा टायरों पर बिलकुल कोई कर न हों।

(9) सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या वह टायर उद्योग में मूल्यों, कटौतियों और व्यापार तथा वितरण प्रणालियों के मामले को एम० आर० टी० पी० आयोग को जांच के लिए प्रस्तुत करना अब उपयुक्त होगा।

औषध उद्योग के लिए आवश्यक "इंटरमीडिएट्स" का आयात

13 7. प्रो० मधु दण्डवते : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम औषध उद्योग के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख "इंटरमीडियेट्स" को सरकारी माध्यम से आयात करने में असफल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इससे सरकारी क्षेत्र में कुछ फार्मास्युटिकल्स बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी माध्यम से आयात की जाने वाली "इंटरमीडिएट्स" को देश में ही प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम को 6 ए० पी० ए० की अधिप्राप्ति में कुछ समस्याएं हो रही थीं जो अब सुलझा ली गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 6 ए० पी० ए० जो एकमात्र सरणीबद्ध मध्यवर्ती है, का स्वदेशी रूप से उत्पादन मैं० आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल० और मैक्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में मैं०

गुजरात लाइका ने इस मध्यवर्ती का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है। ये स्वदेशी निर्माता अपने उत्पादों की आपूर्ति सरणीबद्ध वितरण के लिए कर रहे हैं।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन पर गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का कार्यारम्भ

1338. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित गैस आधारित तीन विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के मामलों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गैस पर आधारित तीन केन्द्रों से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर लिया है। इन परियोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए विचार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा छोटे बिजलीघरों की स्थापना

1339. **श्री यू० एच० पटेल :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ऊर्जा मन्त्री ने राजकोट में बताया था कि बिजली की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा छोटे बिजलोघरों की स्थापना में अत्यधिक रुचि रखती है और उसके लिए उन्हें सभी सम्भव सहायता देगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे छोटे बिजलीघरों की स्थापना के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या विशेष सहायता दी जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकोट में चैम्बर आफ कामर्स के साथ 31-10-1955 को एक अनोपचारिक बैठक के दौरान गुजरात के ऊर्जा राज्य मन्त्री ने निजी उद्योगपतियों की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनके प्रयत्नों की अनपूर्ति के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक एस्टेटों में लघु कैप्टिव संयन्त्र (लगभग 5 से 20 मेगावाट तक के) स्थापित करने के विचार का स्वागत किया था। इस प्रकार के संयन्त्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार का प्रावधान करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) जहां विद्युत की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है तथा विद्युत की सतत और विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है उन मामलों में कैप्टिव संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। यदि क्षमता 25 मेगावाट तक होती है तो इस प्रकार की अनुमति देने के लिए राज्य बिजली बोर्ड सक्षम है, जिन मामलों में प्रस्तावित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होती है उनमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

खाना पकाने की गैस का मूल्य घटाना

1340. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की उत्पादन लागत नगण्य हैं;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं से लिए जा रहे मूल्य से इसका क्या सम्बन्ध है; और

(ग) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस का मूल्य घटाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना

1341. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) 1 मई, 1985 को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा उसमें प्रत्येक ग्रुप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) यदि कोई कमी है, तो उसके क्या कारण है तथा बकाया चले आ रहे आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में अनारक्षित किए गए पदों की संख्या क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। 1-5-1985 को उपक्रम में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या प्रत्येक श्रेणी में इस प्रकार है :—

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1	2	3	4
श्रेणी क	501	60	7
श्रेणी ख	136	28	3

1	2	3	4
श्रेणी ग	198	37	7
श्रेणी घ	20	5	—
	905	130	17

(ग) कम्पनी द्वारा मानदण्डों में छूट दिए जाने के संगठित प्रयासों के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कमी थी।

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में गैर-आरक्षित पदों की संख्या

	अनु० जाति	अनु० जनजाति
श्रेणी क	4	1
श्रेणी ख	3	1
श्रेणी ग	—	1
श्रेणी घ	—	—
	7	3

सौर तापीय विद्युत उत्पन्न करने के लिए योजना

1342. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बड़े पैमाने पर सौर तापीय विद्युत उत्पन्न करने की योजना है;

(ख) क्या निधि की उपलब्धता से देश की ऊर्जा की 20 प्रतिशत आवश्यकताओं को नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं में नवीकरणीय संसाधनों का वर्तमान योगदान कितना है; और

(घ) उपरोक्त (क) का ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब निर्णय लिया जाएगा?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (घ) आंध्र प्रदेश में सलोजिप्पली गांव में एक 22 किलोवाट की सौर तापीय ऊर्जा प्रजनन प्रणाली पूरी होने के करीब है। गाजियाबाद के पास अखेजा गांव में एक 50 किलोवाट सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना भी बनाई गई है। मेगावाट आकार के सौर विद्युत स्टेशनों सहित अतिरिक्त विद्युत इकाईयां लगाने के लिए सम्भाव-

नाओं और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इसी बीच देश के विभिन्न भागों में जल तापन, सुखाने के लिए, खाना पकाने आदि अनुप्रयोगों के लिए बड़ी संख्या में सौर तापीय प्रणालियां और युक्तियां लगाई जा रही हैं।

(ख) समुचित वित्तीय प्रसाधनों, प्रोत्साहन की नीति और विशिष्ट मानकों के अध्ययन यह यह दर्शाते हैं कि यह सम्भव हो सकता है कि देश की ऊर्जा की आवश्यकता का 20 प्रतिशत अपारम्परिक, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शताब्दी के बदलने तक प्राप्त हो सकता है।

(ग) महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय स्रोतों से अनुमानित ऊर्जा प्रजनन/बचत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पारम्परिक हाइड्रो ऊर्जा के अतिरिक्त अनुमानित वर्तमान ऊर्जा प्रजनन/बचत

1. बायोगैस	: प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख टन इंधन लकड़ी के बराबर प्रतिवर्ष लगभग 500 लाख क्यूबिक मीटर बायोगैस (प्रतिवर्ष 68 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग और प्रतिवर्ष लगभग 75 करोड़ रु० की कीमत का खाद उत्पादन)
2. सौर तापीय ऊर्जा	: प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख किलोवाट घंटे के बराबर ऊर्जा की बचत।
3. सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा	: प्रतिवर्ष लगभग 800,000 किलोवाट घंटे का ऊर्जा प्रजनन।
4. पवन ऊर्जा	: प्रतिवर्ष 2.5 लाख किलोवाट घंटे प्रजनन और बचत।

इसके अतिरिक्त लगभग 133 लाख टन इंधन लकड़ी और 40 लाख कृषि अपशिष्टों को ऊर्जा के उद्देश्यों से वर्किंग ग्रुप ऊर्जा नीति (1979) के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष इस्तेमाल करने का अनुमान है।

कर्नाटक के बिदर जिले में पेट्रोल टैंकर में आग लगने के कारण हुआ नुकसान

1343. श्री सुभाष यादव :
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री धर्मसिंह मलिक :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित

उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताता गया था कि कर्नाटक के बिदर जिले में एक पेट्रोल टैंकर के खाई में गिर जाने और आग लगकर उसके फट जाने से 40 से अधिक लोग मारे गए और 82 लोग घायल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस मामले की इस बीच कोई जांच की गई है;

(घ) क्या हताहतों को कोई सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है ।

(ख) ठेकेदारों के टैंक-ट्रकों के जल जाने के अतिरिक्त 14 किलोलिटर पेट्रोल की क्षति हुई थी । इसके अलावा, अभी तक 71 व्यक्ति मर चुके हैं और 33 जख्मी व्यक्तियों का इलाज चल रहा है ।

(ग) पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) और (ङ) जबकि राज्य सरकार ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के सम्बन्धी को 5000 रुपये और प्रत्येक जख्मी व्यक्ति को 2000 रुपए की दर से राहत देने की घोषणा की है, 3 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और जिसमें से अभी तक 75,000 रुपए की अदायगी की जा चुकी है ।

नाहन फाउन्ड्री

1344. **श्री के० डी० सुलतानपुरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहन फाउन्ड्री हिमाचल प्रदेश को पेश आ रहे भारी वित्तीय संकट को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने फाउन्ड्री को अपने नियन्त्रण में लेने हेतु केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में संसद सदस्यों ने भी इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा फाउन्ड्री को कब तक अपने नियन्त्रण में लिए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार नाहन फाउन्ड्री को जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, अधिकार में लेने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है ।

गोदावरी-कृष्णा बेसिन में तेल की खोज पर होने वाला व्यय

1345. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तेल की खोज पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं योजना के दौरान "गोदावरी-कृष्णा बेसिन" में तेल की खोज पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) वाणिज्यिक उपयोग के लिए पाइप लाइन कब बिछायी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 8752.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की स्वीकृति दी गई है।

(ख) लगभग 387 करोड़ रुपये का अन्तरिम आबंटन किया गया है।

(ग) चूंकि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में वाणिज्यिक आधार पर गैस उत्पादन की व्यवहार्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, अतः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गैस के परिवहन के लिए कोई बड़ी पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव नहीं है।

रेफ्रीजरेटर उद्योग में मन्दी

1346. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेफ्रीजरेटर उद्योग में 50 प्रतिशत उत्पादित सामान बिना बिका हुआ पड़े होने के कारण इस उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सभी कम्पनियों में ऐसे कितने रेफ्रीजरेटर पड़े हुए हैं जो बाजार में बिक्री हेतु तैयार हैं; और

(ग) बाजार में इस मन्दी के कारणों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामगढ़ ताप संयंत्र, राजस्थान के लिए रियायती दर पर गैस की सप्लाई

1347. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को राजस्थान में अपने छिद्रण कार्यों के दौरान घोटारू और मनीरा में गैस का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ग) उक्त गैस से कितनी मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सकता है;

(घ) क्या जैसलमेर जिले में गैस पर आधारित इस ताप संयंत्र की स्थापना के लिए मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी गई है;

(ङ) क्या इस लघु ताप संयंत्र का कार्य रियायती दर पर गैस न मिलने के कारण रोक दिया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या रामगढ़ ताप संयंत्र को रियायती दर पर गैस की सप्लाई की जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो गैस की सप्लाई कब तक की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने खुदाई कार्यचालनों के दौरान, राजस्थान में घोटारू और मनीरा डिब्बा में गैस का पता लगाया है। राजस्थान राज्य में गैस के कुल भण्डारों का मूल्यांकन अस्थायी तौर पर करीब 540 मि० घन मीटर किया गया है। तथापि, और अधिक कुओं की खुदाई की गई है ताकि सम्पूर्ण क्षमता का मूल्यांकन हो सके और वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित हो और इस गैस के विभिन्न प्रयोगों के लिए उत्पादन योजनाएं निश्चित की जा सकें।

(घ) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रामगढ़ में 3 मेगावाट की स्थापित क्षमता की गैस पर आधारित विद्युत परियोजना, योजना आयोग द्वारा राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृत की गई थी।

(ङ) से (छ) देश भर में गैस के विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए किए जाने वाले मूल्य निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए पूंजी निवेश में असमानता

1348. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्ष 1972-77 और 1978-83, में पश्चिमी क्षेत्रों में कितना पूंजी निवेश किया गया और इसकी तुलना में पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान कितना पूंजी निवेश किया गया और क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि कोई असमानताएं हैं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस अन्तर को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में किए गए पूंजी निवेश का राज्यवार ब्यौरा सम्बन्धित वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है, जिसे हर साल सभा पटल पर रखा गया है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार एवं वित्तीय-संस्थाओं के पूंजी निवेश का प्रश्न है, अपेक्षित क्षेत्रवार जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस विस्तृत जानकारी को एकत्र करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा, उसके अनुरूप यह उतनी लाभप्रद सिद्ध नहीं होगी। इसके अलावा, पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय केवल इन्हीं तर्कों के आधार पर नहीं किए जाते, ताकि सभी तकनीकी, आर्थिक एवं अन्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा करके असाधारण क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रखा जा सके।

रायगढ़ को "उद्योग विहीन" जिला घोषित करना

1349. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिला पिछड़ा और उद्योग विहीन जिला है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मध्य प्रदेश में रायगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला चुना गया है और इसे वर्ग "ग" में शामिल किया गया है।

(ख) 1979-80 तक के उन जिलों को, जिनमें कोई भी बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है, उद्योग रहित जिलों के रूप में चुना गया है। रायगढ़ जिला इस मानदण्ड को पूरा नहीं कर पाता।

(ग) विशिष्ट जिले का औद्योगिकीकरण करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, केन्द्र सरकार चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान करके उनके प्रयासों में योगदान देती है। रायगढ़ जिला, जो एक वर्ग "ग" जिला है, में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी इस मंत्रालय के प्रेस टिप्पण संख्या 14/2/85-डी० बी० ए०-1 दिनांक 9-4-85 के साथ पठित "इन्सेन्टिब्ज फार इन्डस्ट्रीज इन बेकवर्ड एरियाज (सेन्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड सेन्ट्रल फानेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स) अप्रैल, 1984" नामक पुस्तिका, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में निर्दिष्ट लाइसेंसों की स्वीकृति में प्राथमिकता पाने, 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये, जिसे प्रभावित केन्द्रस्थ संयंत्र के औद्योगिक एकक के मामले में 5 प्रतिशत बढ़ाकर अधिकतम 15 लाख रुपये कर दिया गया है, की केन्द्रीय निवेश राजसहायता आदि पाने के पात्र हैं।

हाजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन के सम्बन्ध में अमरीकी डालरों में लेन-देन

1350. **श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीरा-बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइप लाइन के लिए दस्तावेजों में यह स्पष्ट किया गया है कि लेन देन अमरीकी डालरों में किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में टेलीफोन सेवा में खराबी

1351. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सारे देश में विशेष रूप से कर्नाटक में टेलीफोन सेवा दिन-प्रति दिन खराब हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्रयोक्ताओं की शिकायतों पर कई सप्ताह तक कार्यवाही नहीं की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आमतौर पर देश भर में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। कर्नाटक में पूर्व वर्ष की तुलना में टेलीफोन सेवा में कोई गिरावट नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं। शिकायतों पर तत्परता से कारंवाई की जाती है। खराबी को दूर करने के लिए औसतन समय 3 घंटा और 36 मिनट का है।

(ग) सेवा को संतोषजनक बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

पैकेजिंग उद्योग

1352. **श्री पी०. आर० कुमारमंगलम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैकेजिंग उद्योग अभी भी अपनी आरम्भिक स्थिति में ही है और उसमें परम्परागत व पुरानी मशीनें हैं तथा इसीलिए देश के भीतर और देश के बाहर विपणन के क्षेत्र में, विशेषकर तरल पदार्थों, अर्द्ध-तरल पदार्थों और इनसे भी अधिक शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के मामलों में पिछड़ रहा है;

(ख) क्या हमारी पैकेजिंग लागत मंहगी पड़ती है और कभी-कभी तो यह पैक की जाने वाली वस्तुओं की लागत से भी अधिक लागत की पड़ती है; और

(ग) क्या तेजी से समाप्त होते जा रहे हमारे वनों की रक्षा की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने हेतु कि कागज और लकड़ी पर आधारित उत्पादों का प्रयोग समाप्त किया जाए और/अथवा बिल्कुल कम कर दिया जाए, उद्योग का वैज्ञानिक आधार पर विकास किए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उपभोक्ता उद्योग विशेषकर ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स, खाने के तेल और खनिज तेल, खाद्य और कन्फेक्शनरी वस्तुओं, कृषि उत्पाद, चाय, काफी आदि के विकास के साथ-साथ इन क्षेत्रों में इन उद्योगों को सेवाएं देने के

लिए पैकेजिंग उद्योग विकासशील है। प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में विशेष रूप से पिछले दो या तीन वर्षों में पैकेजिंग उद्योग का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण देखने में आया है।

(ख) इस उद्योग के लिए उपलब्ध कच्चे माल की अधिक लागत होने के कारण देश में पैकेजिंग की लागत अधिक है।

(ग) पैकिंग के लिए कागज और लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने या इसके बदले किसी अन्य वस्तु का इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डाक टिकट बेचनें और पंजीकृत पत्रों के वितरण मे गैर-सरकारी व्यक्तियों और फर्मों का अंतर्ग्रस्त होना

1353. **श्री के० बी० उन्नीकृष्णन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी प्रणाली आरम्भ की गई है जिसके द्वारा गैर-सरकारी विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा डाकघरों के अलावा अन्य दुकानों और स्थानों पर कमीशन के आधार पर डाक टिकट बेचे जाते हैं;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को पंजीकृत वस्तुओं के वितरण का कार्य भी ठेके पर सौंपा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी विक्रेताओं तथा पार्टियों को कितना कमीशन दिया जाता है;

(घ) डाक व्यवस्था के ऐसे अन्य क्षेत्र कौन-से हैं जहां उसी तरह गैर-सरकारी व्यक्ति और फर्म अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ङ) यह नीति बनाने के क्या कारण हैं और इसके क्या लाभ हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लाइसेंस शुदा एजेंटों के माध्यम से डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री की योजना विभिन्न स्तरों में 1966 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अधीन $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा 16-8-85 से लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की एक योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अधीन अन्य कार्यों के अलावा लाइसेंस शुदा एजेंटों को डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री की बिक्री के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस योजना में डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री की बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

(घ) कुछ डाक मार्गों पर डाक वाहन का कार्य आर्थिक सहायता/रायल्टी के आधार पर प्राइवेट ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है।

(ङ) यह नई व्यवस्था लाइसेंस शुदा एजेंटों के माध्यम से केवल पत्रों के रजिस्ट्रेशन पत्रों को स्वीकार करने/लेटरबक्सों से पत्रों की निकासी करने के सम्बन्ध में है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों/स्थानों में डाकघर नहीं है वहां डाक सुविधाएं सुलभ कराना है।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों में द्वितीय न्यायपीठ स्थापित करने की मांग

1354. **श्री सरफराज अहमद** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय न्यायपीठ स्थापित करने की मांग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) किन राज्यों के लिए सरकार ने द्वितीय न्यायपीठ स्थापित करना स्वीकार कर लिया है और कब तक तथा ऐसे राज्यों में किन स्थानों पर द्वितीय न्यायपीठ स्थापित करने की सम्भावना है; और

(ग) वे कौन से राज्य हैं, जिनकी द्वितीय न्यायपीठ स्थापित करने की मांग स्वीकार नहीं की गई है तथा उसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उन राज्यों के नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय की नई न्यायपीठों के लिए मांग की है, क्योंकि कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय की दूसरी न्यायपीठ पहले से ही है।

जिन राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों की स्णाई न्यायपीठ स्थापित की जाने की मांग की है वे निम्नलिखित हैं :—

1. उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
2. मणिपुर 3. मेघालय 4. नागालैण्ड 5. त्रिपुरा	गौहाटी उच्च न्यायालय
6. कर्नाटक	कर्नाटक उच्च न्यायालय
7. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
8. तमिलनाडु	मद्रास उच्च न्यायालय

(ख) और (ग) ये मांगें जसवन्त सिंह आयोग को निर्देशित कर दी गई थीं। आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में सुरिनगढ़ में पन-बिजली परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब होना

1355. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सुरिनगढ़ में कोटो पन-बिजली परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही सुरिनगढ़ जल-विद्युत परियोजना को 19 4-85 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम था। अब यह परियोजना 1986-87 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है। क्रियान्वयन में विलम्ब का कारण भूवैज्ञानिक कठिनाइयां तथा सीमेंट की कमी होना है और अधिक विलम्ब को रोकने के लिए परियोजना प्राधिकारी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत

1356. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इसकी खपत में वृद्धि करने का है;

विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्राजील से एल० पी० जी० सिलेण्डरों का आयात

1357. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एल० पी० जी० सिलेंडरों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद ब्राजील से आठ लाख एल० पी० जी० सिलेंडर खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयात का क्या औचित्य है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) देशी स्रोतों से एल० पी० जी० सिलेण्डरों की उपलब्धता में होने वाली आवर्ती कमी के कारण, 1983 में निर्णय लिया गया है कि ब्राजील से इनका आयात किया जाए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल उत्पादन में गिरावट

1358. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 के पहले छः महीने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 5.53 मि० मी० टन के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 1995-86 के पूर्वार्ध में कच्चे तेल का वास्तविक उत्पादन 2.5 मि० मी० टन रहा है ।

इस कमी को पूरा करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं ।

(i) विकास खुदाई को बढ़ाना ।

(ii) वर्क ओवर प्रयासों में तेजी लाना ।

(iii) अतिरिक्त पम्पों और कम्प्रेसरों की स्थापना करके गैस लिफ्ट सम्बन्धी अधिक कुएं लगाना ।

(iv) जल अन्त:क्षेपण करके अधिक दबाव को बनाए रखना ;

लेह में डोमखार (प्रमुख) विद्युत परियोजना और कारगिल जिले में पारकाचिक सुरू विद्युत परियोजना का निर्माण

1359. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख क्षेत्र के लोग केन्द्रीय सरकार से लेह जिले में डोमखार (प्रमुख) विद्युत परियोजना तथा कारगिल जिले में पारकाचिक सुरू विद्युत परियोजना के निर्माण की जांच करने के तथा इसका निर्माण कार्य केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत शुरू करने के बारे में अनुरोध कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों परियोजनाओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) परकाचिका सुरू विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दोमखर जल विद्युत परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट और परकाचिक (सुरू) विद्युत स्कीम के सम्बन्ध में उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है । स्कीमों की जांच करने तथा रूपरेखा तैयार करने के लिए यह जम्मू तथा कश्मीर सरकार पर निर्भर करता है और वह विशेषज्ञों का एक दल भेजे। यदि जम्मू तथा कश्मीर सरकार को भारत सरकार की सुविज्ञ सलाह की आवश्यकता है तो वह प्रदान की जा सकती है।

तेल की खोज के लिए अरब पेट्रोल निर्यातक क्षेत्रों के संगठन के साथ समझौता

1360. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :
श्री आर० एम० भोये :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अरब के पेट्रोल निर्यातक देशों ने पेट्रोलियम केमिकल औद्योगिकरण तेल की

खोज और अरब तेल उत्पादक देशों के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के काम में निकट सहयोग की व्यवस्था करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौते और उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और और (ख) भारतीय शिष्टमंडल और अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के बीच हुआ विचार विमर्श अरब पेट्रोलियम देशों के संगठन के सदस्य देशों और भारत तथा पेट्रोलियर निर्यातक देशों के संगठन के संस्थानों और भारत के संस्थानों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों से सम्बन्धित था :—

(i) अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्य देशों द्वारा भारत में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमताओं का उपयोग।

(ii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए अनुसन्धान तन्त्रजाल का उपयोग; तथा

(iii) आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के बीच द्विपक्षी तथा बहुपक्षी सहयोग।

विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, इसके सदस्य देशों तथा भारत के बीच सहयोग को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों के बीच आत्म-निर्भरता एवं सहयोग और अधिक बढ़ेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल दोनों की ही एजेंसी रखने वाले डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

1361. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जिन्हें मिट्टी के तेल की एजेंसियां भी दी गई हैं; और

(ख) ऐसे कितने पेट्रोल डीलरों के विरुद्ध गत एक वर्ष के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश भर में उन खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) के डीलरों की कुल संख्या 1970 है जिनके पास एस० के० ओ/एल० डी० ओ० की एजेंसियां भी हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे 40 डीलर थे जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा तेल उद्योग अधिकारियों द्वारा की गई नियमित/अचानक जांच के दौरान के विभिन्न प्रकार के कदाचारों में लिप्त पाए गए।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी घाटी में तेल की खोज

1362. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी घाटी में गैस के वाणिज्यिक उत्पादन सम्बन्धी प्रस्ताव वापिस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस घाटी में 5940 लाख टन गैस के भंडार मौजूद हैं;

(घ) क्या भारी उपकरण ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण छिद्रण कार्य रोक दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यथास्थिति 1-1-1985 को इस बेसिन में 6.3 मिलियन टन गैस के समतुल्य तेल भण्डार के होने का अनुमान है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । तातीपाका-1 संख्यक कुंए की खुदाई में कुछ देरी हुई क्योंकि सड़क मार्ग में पुलों के कमजोर होने तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण रिग को सड़क द्वारा नहीं ले जाया जा सका । बाद में इस रिग को एक नौका द्वारा ले जाया गया ।

[हिन्दी]

स्मृति डाक टिकटें जारी करना

1363. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्मृति डाक टिकटें जारी करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गढ़ मांडला की ख्याति प्राप्त एवं पराक्रमी महारानी दुर्गावती तथा एक ही चट्टान पर निर्मित जबलपुर के "मदन महल" के सम्बन्ध में कोई स्मृति डाक टिकट जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी अब तक उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी स्मृति में कब तक डाक टिकटें जारी किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग की फिलैटली सलाहकार समिति सरकार को स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध मे परामर्श देती है। ऐसी डाक टिकटों को जारी करने के लिए मार्गनिर्देशन सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जी हां।

(ग) फिलैटलिक सलाहकार समिति ने महारानी दुर्गावती पर स्मारक डाक टिकट जारी करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार किया था लेकिन समिति ने उसकी सिफारिश नहीं की जहां तक "मदन महल" पर डाक टिकट जारी करने का सम्बन्ध है अभी हाल में विभाग को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1981 के बाद स्मारक विशेष-डाक-टिकट जारी करने के लिए मार्गनिर्देशन सिद्धान्त

1. प्रस्ताव डाक-टिकट जारी होने की तारीख से काफी समय पहले अर्थात लगभग एक वर्ष पूर्व पहुंच जाने चाहिए ताकि एक नियोजित कार्यक्रम के एक भाग के बतौर प्रस्तावों की उचित रूप से जांच, डिजाइन, अनुमोदन, घोषणा, मुद्रण तथा डाक टिकटों की सप्लाई की जा सके।
2. सामान्यत: स्मारक डाक-टिकट किसी जीवित व्यक्ति पर जारी नहीं किए जाते हैं।
3. कुछ विशेष मामलों को छोड़ कर किसी व्यक्ति पर एक से अधिक डाक टिकट जारी नहीं की जाती हैं। ऐसे मामलों के प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति की सिफारिश पर सरकार विचार करती है।
4. जिन व्यक्तियों पर स्मारक-डाक टिकट जारी की जानी है उनका या तो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो या सामान्यत: उनकी जन्म शताब्दी या 10वीं/25वीं/100वीं पुण्य तिथि का अवसर हो। कुछ विशेष मामलों में ही पहली पुण्य तिथि के अवसर पर स्मारक डाक-टिकट जारी की जाती है।
5. सामान्यत: किसी संस्थान पर उसकी शताब्दी पर ही डाक टिकट जारी की जाती है।
6. डाक-टिकट जारी करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ही विचार किया जाता है। तथा कम महत्वपूर्ण के अवसरों पर विशेष बिरूपण की व्यवस्था की जाती है।
7. एक वर्ष में लगभग 40 स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी की जाती हैं। जिसमें से लगभग 10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाने का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

1364. **श्री आर० प्रभु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक लाइसेंसधारी नीति को उदार बनाने का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीति में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हाल ही में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति और प्रक्रिया का उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जनवरी-अक्तूबर, 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जनवरी-अक्तूबर, 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या 1196 थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 818 थी। इस प्रकार इसमें 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लाइसेंस मुक्त उद्योगों से सम्बन्धित एककों की पंजीकरण योजना के अन्तर्गत मई-अक्तूबर, 1985 की अवधि में 839 पंजीकरण पत्र जारी किए गए। एसोसिएटिड चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा किए गए 22 एककों के त्वरित अध्ययनों से अगले तीन वर्षों से अधिक समय की निवेश सम्बन्धी प्रवृत्तियों का पता चला है जिसके अनुसार मोटे तौर पर कुल 1750 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। इसका अधिकांश भाग सम्भवत: निवेश वातावरण में सुधार होने का सूचक है।

(ग) अप्रैल से अगस्त, 1985 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन के औसत सूचकांक में अप्रैल से अगस्त, 1984 की अपेक्षा 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उद्योगों में उत्पादकता चेतना

1365. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने उद्योग में उत्पादकता चेतना जाग्रत करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) देश में उत्पादकता चेतना का संवर्द्धन करने के मामले में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु उसके नेट-वर्क को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आर्थिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों—विशेषकर उद्योग, कृषि और सेवा के क्षेत्रों में उत्पादकता सम्बन्धी जागरूकता पैदा करने के लिए गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है और दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से उत्पादकता सम्बन्धी जानकारी का प्रचार कर रही है। अपने सामान्य कार्यकरण के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने सात प्रमुख उद्योग समूहों अर्थात्;

(1) विद्युत अनित्रण, परिक्षण तथा वितरण उपकरण,

(2) औद्योगिक मशीनें,

(3) सीमेंट

(4) मशीन टूल्स

(5) आटोमोबाइल्स तथा सम्बद्ध उद्योग

(6) कागज, लुगदी और सहायक उद्योग,

(7) चमड़ा तथा चमड़े का सामान,

के लिए उद्योगवार उत्पादकता बोर्ड स्थापित किया है और उत्पादकता में सुधार करने के लिए असाधारण कार्य-निष्पादन को मान्यता देने के लिए उद्योग स्तर पर उत्पादकता पुरस्कार भी आरम्भ किया है। परिषद ने राष्ट्रीय प्रयास के निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप को गहन बनाया है :—

(क) ऊर्जा संरक्षण,

(ख) सामग्री प्रबन्ध,

(ग) रख-रखाव प्रबन्ध,

(घ) श्रमिक प्रबन्ध सम्बन्ध,

(ङ) प्रदूषण नियन्त्रण,

(च) प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी और कार्यकरण में सुधार,

(छ) उत्पादकता के माप और मानीटरी मॉडल तैयार करके क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादकता में सुधार,

(ज) गहन सर्वेक्षणों और कार्यान्वियन सम्बन्धी अध्ययनों के माध्यम से एकक और कार्यशाला स्तर पर उत्पादकता में सुधार; तथा

(झ) लघु, खादी और ग्रामीण उद्योगों का विकास।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के 75 सदस्य हैं और इसकी प्रबन्ध परिषद् में नियोजकों, कर्मचारियों और सरकार का समान प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्य हैं। परिषद् और प्रबन्ध परिषद् द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा की जाती है और देश में उत्पादकता अभियान की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक निदेश दिए जाते हैं।

दिल्ली और फैजाबाद के बीच सीधी डायल सेवा

1366. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का दिल्ली और फैजाबाद के बीच सीधी डायल सेवा कब से आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को वर्तमान फैजाबाद-दिल्ली सीधी डायल सेवा में कुछ तकनीकी खराबियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन खराबियों के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फैजाबाद और दिल्ली के बीच कानपुर टी० ए० एक्स० के जरिए एस० टी० डी० सुविधा पहले ही अगस्त, 1984 से उपलब्ध है।

(ख) जी हां। हाल ही में फैजाबाद से दिल्ली की एस० टी० डी० सेवाओं के असन्तोषजनक कार्यकरण की एक शिकायत मिली है।

(ग) फैजाबाद से एस० टी० डी० सेवाओं के असन्तोषजनक कार्यकरण का मुख्य कारण, फैजाबाद और कानपुर टी० ए० एक्स० के बीच सर्किटों की अपर्याप्त मात्रा की वजह से संकुलन उत्पन्न हो जाना है। सर्किटों को बढ़ाने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। सेवा में सुधार लाने के लिए कानपुर टी० ए० एक्स० और दिल्ली में स्टोर्ड प्रोग्रेम्ड कंट्रोल इलेक्ट्रानिक ट्रंक ऑटामैटिक एक्सचेंज के बीच और अधिक लाइनें जोड़ी जा रही हैं।

सातवीं योजना में खादी तथा ग्रामोद्योगों में उपलब्ध किया जा रहा रोजगार

1367. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों में उपलब्ध की जा रही नौकरियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कितने लोगों को रोजगार मिलने की आशा है और योजना आयोग के माध्यम से कुल कितना परिव्यय कराया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान खादी के अन्तर्गत 20 लाख व्यक्तियों और ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत 30 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में व्यारा टेलीफोन एक्सचेंज के लिए प्रतीक्षा सूची

1368. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत टेलीफोन डिविजन के व्यारा टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन हैं;

(ख) ये आवेदक कब से प्रतीक्षा सूची में है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक ये टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जायेंगे और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या ब्यौरा के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुऐ वहां पर अधिक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है, यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूरत टेलीफोन जिले के व्यारा टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 31-10-85 को 75 आवेदन थे।

(ख) प्रतीक्षा सूची में सबसे पुराना आवेदन 7-3-1983 का है। प्रतीक्षा सूची का पूर्ण विवरण जो विभिन्न श्रेणियों में है, इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी०	विशेष	सामान्य	कुल
9	6	60	75

(ग) ऐसी सम्भावना है कि वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1986-87 के दौरान निपटा दी जाएगी। मौजूदा 300 सी० बी० एन० एम० टेलीफोन एक्सचेंजों को 360 सी० बी० एम० एक्सचेंजों द्वारा बदलने का और दूसरे चरण में इनका आगे विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैनुअल एक्सचेंज का स्वचल एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

[अनुवाद]

केरल में पन बिजलीघर

1369. **डा० के० जी आडियोडी : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने पन बिजलीघर हैं तथा प्रत्येक की निर्धारित क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में इनकी औसतन क्षमता और उपयोग (लोड फैक्टर) की प्रतिशतता क्या है और प्रति यूनिट लागत क्या है; और

(ग) कौन-सी परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनसे कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है और उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केरल ताप विद्युत केन्द्रों के नाम उनकी क्षमता, ऊर्जा उत्पादन शक्यता, भार अनुपात तथा विद्युत उत्पादन की लागत संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) केरल में निर्माणाधीन परियोजनाओं के नाम इनका अनुमानित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन और चालू करने की सम्भावित तारीख जैसा कि केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, निम्नानुसार है :—

केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	ऊर्जा (मिलिय यूनिट)	पूरा करने का लक्ष्य (महीना/वर्ष)
1	2	3	4
इडुक्की चरण-3	जल व्यपवर्तन	376	3/87
साबरीगिरी अभिवृद्धि	जल विद्युत	125	2/87

1	2	3		4
इदमलायर	75	320	I	5/86
			II	6/86
इदुक्कीचरण-2	390	व्यस्ततमकालीन केन्द्र	I	10/85 में चालू किया गया।
			II	1/86
			III	6/86
कल्लाडा	15	65		87/88
कक्कड़	50	262		5/89
लोअर पेरियर	180	493	I	1/90
			II	3/90
			III	5/90

विवरण

केरल में ताप विद्युत केन्द्रों के नाम, इनकी क्षमता, ऊर्जा उत्पादन, भार, अनुपात और विद्युत उत्पादन की लागत

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित (क्षमता मेगावाट)	ऊर्जा शक्यता (मिलियन यूनिट)		भार अनुपात		विद्युत उत्पादन की लागत पैसे में/किलोवाट आवर
			1982-83	1983-84	84-85	82-83
पल्लीवासल	37.5	284	82.3	72.4	81.6	
नेरियामंगलम	45	237	48	64.6	73.5	
संगुलम	48	182	28.3	39.1	45.0	
पेनियार	30	148	18.0	58.1	32.9	
पोरिंगलकुथु	32	170	61.6	76.9	84.7	
शोलयार	54	233	56.3	66.3	58.7	
कुट्टीयाडी	75	248	31.9	38.2	41.5	
साबरीगिरी	300	1213	40.8	32.4	52.3	
इदुक्की चरण-I	390	2015	67.9	42	56.7	
जोड़ केरल	1011.5	4730	60.6	51.2	57.5	
						6.958153 अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में माइक्रोवेव के माध्यम से टेलीफोन सेवा

1370. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इस वर्ष के दौरान माइक्रोवेव से टेलीफोन काम करना आरम्भ कर देंगे;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें माइक्रोवेव से जोड़ी जायेंगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माइक्रोवेव का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है; और

(घ) गंगानगर, सूरतगढ़, लूंकरनसर और बीकानेर को जयपुर और दिल्ली में माइक्रोवेव के माध्यम से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में 1985-86 के दौरान जिन स्थानों के टेलीफोन एक्सचेंजों को यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव माध्यम से जोड़ने की सम्भावना है, उनके नाम इस प्रकार हैं—अजमेर और हनुमानगढ़ ।

(ख) जिन अन्य स्थानों के टेलीफोन एक्सचेंजों को यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव परियोजनाओं के कार्य की नियमित पुनरीक्षा की जा रही है और जिनमें विशेष दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं उन्हें छोड़कर प्रगति सामान्यतया संयोषजनक है ।

(घ) श्रीगंगानगर राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है तथा इस का सम्पर्क भटिण्डा होकर जयपुर और नई दिल्ली से है । मायक्रोवेव/यू० एच० एफ० के माध्यम से सूरतगढ़ और बीकानेर का सम्पर्क क्रमशः 1990 और 1987 तक जयपुर और दिल्ली से स्थापित करने की अस्थायी योजना है । लूकणसार कीं फिलहाल राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़ने की योजना नहीं है ।

विवरण

राजस्थान में यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव के माध्यम से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्थानों के नामों की सूची

1. बीकानेर*	9. बूंदी
2. झुंझनु	10. सवाई माधोपुर
3. भीलवाड़ा	11. झालावाड़
4. चित्तौड़गढ़*	12. बारन
5. उदयपुर*	13. चूरू
6. डूंगरपुर	14. जालौर
7. बांसवाड़ा	15. सुजानगढ़
8. टोंक	16. सरदारशहर
	17. सूरतगढ़

*फिलहाल इन स्थानों में कोएक्सिअल केबिल प्रणालियां कार्य कर रही हैं ।

[अनुवाद]

साऊदी अरब से तेल का आयात

1371. श्री सोमनाथ रथ :

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का साऊदी अरब से तेल के आयात में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उस देश के साथ अपने वर्तमान तेल समझौते की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ग) साऊदी अरब से आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा में कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) क्रूड आयल की सप्लाई के लिए एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच के आधार पर किए गए कांस्ट्रेक्ट वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर पूर्ण होते हैं। सऊदी अरब सहित कई राष्ट्रों से वर्ष 1986 के लिए क्रूड आयल के आयात के कांट्रेक्ट भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

लीजिंग कम्पनियों द्वारा मशीनरी का आयात

1372. श्री अनिल बसु : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अक्तूबर, 1985 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य-कर रही लीजिंग कम्पनियों की संख्या क्या है; और

(ख) ग्राहकों को लीज पर देने के लिए मशीनरी का आयात करने की कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अपनाए गए संयुक्त स्टाक कम्पनियों के औद्योगिक वर्गीकरण में लीजिंग गतिविधियों को अलग से नहीं दर्शाया गया है। अतः यह सम्भव नहीं है कि देश में कितनी लीजिंग कम्पनियां कार्यरत हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कोयला संबंधी विकास

1373 श्री मुरलीधर माने : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में कोयला सम्बन्धी विकास हेतु कतिपय कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कोयला सम्बन्धी विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1989-90 तक 226 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में रु० 6700 करोड़ के परिव्यत का प्रावधान किया गया है। कोयले के उत्पादन में यह वृद्धि कुछ विद्यमान खानों का पुनर्गठन करके और अनेक नई परियोजनाओं का विकास करके की जाएगी ?

(घ) और (ड.) उड़ीसा के तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों में वर्ष 1984-85 के वर्तमान 5.44 मिलियन टन के उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1989-90 तक 13.9 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। तालचेर कोयला क्षेत्र में भरतपुर ओपेनकास्ट और जगन्नाथ-विस्तार योजनाएं और इब घाटी कोयला क्षेत्र में बेलपहाड़ तथा लाजकुरा ओपेनकास्ट खनन परियोजनाएं मन्जूर कर दी गई है। अन्य और परियोजनाओं का काम सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

देश में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1374. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर महानगरों में, नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतया विभिन्न शहरों में तथा विशेषतया महानगरों में 31 अक्तूबर, 1985 को टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी थी; और

(ग) बकाया प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा जहां कहीं सम्भव होता है, नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

विवरण

क्र० सं०	सिटी का नाम	31-10-85 की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1	बम्बई महानगर	18,39,29
2.	कलकत्ता ,,	30,429
3.	दिल्ली ,,	1,56,281
4.	मद्रास ,,	35,597
	योग :	4,06,236
5.	अहमदाबाद	34,486
6.	बेंगलुर	25,153
7.	हैदराबाद	35,730
8.	कानपुर	8,756
9.	पुणे	20,697
10.	आगरा	3,862
11.	इलाहाबाद	1,712
12.	अमृतसर	6,468
13.	बड़ोदा	14,399
14.	कालीकट	3,662
15.	चण्डीगढ़	12,213
16.	कोयम्बतूर	7,864
17.	एर्नाकुलम	7,648
18.	गुवाहटी	2,577
19.	इंदौर	9,258
20.	जयपुर	10,300
21.	जालन्धर	6,669
22.	लखनऊ	2,696
23.	लुधियाना	13,048

1	2	3
	24. मदुरै	3,111
	25. नागपुर	8,294
	26. पटना	4,105
	27. राजकोट	8,344
	28. सूरत	23,273
	29. त्रिवेन्द्रम	4,591
	30. वाराणसी	2,881
	31. विजयवाड़ा	4,270
	योग :	2,86,067
	कुल योग :	60,92,303

गुजरात में गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का विकास

1375. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए गुजरात में जामनगर जिले की क्षमता का सर्वेक्षण किया है;

(ख) "वायु शक्ति" तथा "ज्वार ऊर्जा" के विकास सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में जामनगर जिले में ऊर्जा के इन संसाधनों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कच्छ की खाड़ी में ज्वारभाटा ऊर्जा परियोजना के लिए एक पवन सर्वेक्षण परियोजना और खोज तथा अध्ययन प्रगति पर है।

(ख) और (ग) कांडला और ओखा में 1.5 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा प्रजनन के लिए पवन फार्म परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इस क्षेत्र के लिए अन्य विभिन्न पवन विद्युत प्रजनन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। कच्छ की खाड़ी में ज्वारभाटा ऊर्जा के सन्दर्भ में कार्यान्वयन निर्णयों पर सम्भवतया रिपोर्ट के पूर्ण होने के पश्चात विचार किया जाएगा।

उद्योगों की उत्पादकता की जांच

1376. **श्री सैयद मसूदल हुसेन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने भारतीय उद्योगों की उत्पादकता की जांच करने के लिए हाल ही में आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कारंवाई का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि कोई अनुवर्ती कारंवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्व-रोजगार योजना की प्रगति

1377. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1985 तक स्व-रोजगार योजना में कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या सरकार इसके और सुधार लाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ग) 31 अक्तूबर, 1985 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने बेरोजगारों को इस किस्म का रोजगार दिया गया, तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने मंजूर किए गए और कितने मंजूर किए जाने बाकी हैं;

(ङ) कुल कितनी राशि मंजूर की गई/की जाने वाली है; और

(च) 31 अक्तूबर, 1985 तक प्राप्त इस प्रकार के सभी आवेदन पत्र कब तक मंजूर कर दिए जाएंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान, योजना के पहले वर्ष के 2.5 लाख उद्यमों के लक्ष्य की तुलना में 31-3-1984 तक 2.42 लाख लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को 401.54 करोड़ रुपये राशि के ऋण तथा वर्ष 1984-85 के दौरान 31-3-1985 तक 2.29 लाख लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को 429.52 करोड़ रुपये राशि के ऋण स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1985-86 की उपलब्धि का पता वित्तीय वर्ष समाप्त होने अर्थात् मार्च, 1986 के बाद ही चलेगा।

(ख) यह योजना बिना किसी संशोधन के वर्ष 1985-86 में चलती रही। भविष्य में योजना को चलाए रखने सम्बन्धी निर्णय लेने के बाद ही इसमें और आगे सुधार करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान योजना की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। योजना की वर्ष 1985-86 की प्रगति का पता मार्च, 1986 के बाद ही चलेगा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लक्ष्य	आन्ध्र प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों के कृतिक बलों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन	जिला उद्योग केन्द्रों के कृतिक बलों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या सं०	राशि (लाख रु०)
1983-84	20,000	1,07,792	25,401	14,781	2,936.00
1984-85	15,100	82,447	28,401	13,084	2,733.92

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84 में 2,936.00 लाख रुपये और वर्ष 1984-85 में 2,733.92 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई।

(च) योजना चलने की अवधि वित्तीय वर्ष होती है। वर्ष 1985-86 में प्राप्त आवेदनों का निपटान 31 मार्च, 1986 के अन्त तक हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान (21-11-85 तक संकलित) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना की प्रगति का विवरण

		1983-84				1984-85			
क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1983-84 का लक्ष्य	जि० उ० केन्द्रों के कार्य दल द्वारा बैंकों को अनुशंसित मामलों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रु० में)	1984-85 का लक्ष्य	जि० उ० केन्द्रों के कार्यदल द्वारा बैंकों को अनुशंसित मामलों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की सं०	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,000	25,401	14,781	2,936.00	15,100	28,401	13,084	2,733.92
2.	असम	6,700	10,944	8,021	1,540.44	8,200	10,271	7,642	1,629.91
3.	बिहार	29,000	36,766	14,230	2,277.64	14,500	26,307	14,806	2,674.97
4.	गुजरात	11,200	19,585	10,497	1,538.88	10,700	6,140	4,072	665.96
5.	हरियाणा	5,300	9,682	6,199	998.99	6,300	8,258	5,478	957.45*
6.	हिमाचल प्रदेश	2,000	6,126	2,465	449.69	2,500	2,897	2,156	448.49
7.	जम्मू व कश्मीर	1,800	2,399	1,416	287.95**	1,400	1,668	1,119	244.10
8.	कर्नाटक	12,100	27,667	12,307	1,960.00	12,500	13,087	12,810	2,379.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. केरल	15,100	20,967	13,091	2,100.00	13,300	16,049	11,907	2,129.70
10. मध्य प्रदेश	17,500	39,243	18,786	2,857.80	19,100	31,966	18,065	3,404.38
11. महाराष्ट्र	20,800	52,009	24,579	4,024.28	25,000	40,432	18,667	3,109.28
12. मणिपुर	1,000	1,462	991	179.82	1,200	1,013	994	227.50
13. मेघालय	400	632	353	75.09	400	313	313	62.92
14. नागालैण्ड	250,250	253	189	39.25	200	प्राप्त नहीं	269	58.60
15. उड़ीसा	8,600	9,722	6,823	1,368.62	7,000	8,320	7,599	1,703.65
16. पंजाब	6,700	15,856	9,047	1,689.60	12,000	24,549	12,212	2,443.00
17. राजस्थान	10,000	23,414	1[illegible],054	2,365.30	15,000	22,178	15,382	2,898.57
18. सिक्किम	100	28	15	3.65	50	77	49	10.30
19. तमिलनाडु	17,500	33,472	21,247	3,316.00	21,700	28,602	22,500	4,248.86
20. त्रिपुरा	900	962	696	97.33	700	775	707	131.72
21. उत्तर प्रदेश	36,000	47,585	36,857	5,382.85	37,600	56,248	34,400	5,981.21
22. प० बंगाल	25,500	41,967	23,680	4,481.92	24,100	38,256	23,101	4,533.28
23. अण्डमान व निकोबार	100	112	66	15.22	100	प्राप्त नहीं	101	23.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	अरुणाचल प्रदेश	200	62	36	6.91	50	82	60	12.50
25.	चण्डीगढ़	5(0	599	325	56.50	300	468	300	62.00
26.	दादर व नगर हवेली	100	174	54	10.71	100	72	68	13.42
27.	गोआ, दमन व दिव	——जि० उ० के० कार्यरत नहीं था——				300	431	337	81.62
28.	मिजोरम	200	199	196	42.61	200	709	202	32.12
29.	पांडिचेरी	450	470	414	40.00	400	639	400	50.68
	योग	2,50,000	4,27,738	2,42,405	40,154.05	2,50,000	3,68,214	2,28,800	42,952.72

* (5452 मामलों के लिए)

** (1389 मामलों के लिए)

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

1378. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; अब तक ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और ऐसे प्रत्येक केन्द्र की क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए इलाहाबाद में भी एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या फूलपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र के जहां किसी उपयुक्त स्थान पर इस केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है, किसी भाग में कोई सर्वेक्षण किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) निम्न विद्युत शक्ति अनुप्रयोगों के साथ-साथ निम्न और मध्यम ग्रेड के ऊष्मा अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग आरम्भ हो चुका है। इस प्रकार की कई स्थापनाएं इलाहाबाद सहित देश के कई भागों में पहले से ही चल रही हैं। बड़े आकार के सौर शक्ति केन्द्र अनुसंधान और विकास के स्तर पर हैं।

[अनुवाद]

कोचीन के भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की स्थापित यूनिटों को स्थानान्तरित करना

1379. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कोचीन में स्थित प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और बेहतर सुविधा की दृष्टि से निकटवर्ती अम्बालमेदु में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के सतना को एस० टी० डी० द्वारा शेष भारत से जोड़ना

1381. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश स्थित सतना को एस० टी० डी० द्वारा शेष भारत से जोड़ने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त काम पर 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्विचन उपस्कर स्थापित कर दिया गया है। संचारण उपस्कर स्थापित किया जा रहा है।

(ख) 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक किए गए व्यय का संकलन किया जा रहा है और संकलन होते ही यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वाराणसी में बायो-गैस संयंत्र लगाना

1382. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के एक दल ने बायो गैस संयंत्र, जो कि गन्दा पानी निकालने जैसी सुविधाओं के मामले में बहुत ही आधुनिक होगा, को लगाने के सम्बन्ध में वाराणसी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें गंगा में प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य शहरों में भी, जो नदियों के किनारों पर स्थित हैं, इस प्रकार के बायोगैस संयंत्र लगाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

सरकारी उद्यम कार्यालय में व्यावसायिकों के पद

1383. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय सरकारी उद्यम कार्यालय में व्यावसायिकों के पद समाप्त करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में लक्ष्य तथा ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सम्बन्धी विभिन्न कार्यों पर किए गए सभी योजनागत एवं योजनेतर व्यय की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिव दल गठित किया गया है। इस दल ने मितव्ययता लागू करने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम कार्यालय सहित, मन्त्रालयों/विभागों के व्यय पैटर्न की जांच की है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए छिद्रण कार्य की प्रगति

1384. **डा० बी० एल शैलेश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में पहले से ही खोज कार्य किया जा रहा है उसमें क्या प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इनमें से किन क्षेत्रों में छिद्रण कार्य चल रहा है; और

(ग) क्या छिद्रण किए जा रहे इन क्षेत्रों का वाणिज्यिक खोज कार्य की व्यवहार्यता की कोई सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी योजना के दौरान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 335 अन्वेषी कुओं की खुदाई की और 891 मि० मी० टन० तेल और गैस के समतुल्य तेल के भूगर्भीय भण्डार स्थापित किए।

(ख) निम्नलिखित बेसिनों में अन्वेषणात्मक खुदाई चल रही है :—

1. काम्बे
2. कच्छ
3. राजस्थान
4. ऊपरी असम
5. असम उराकन फील्ड वेल्ड
6. पश्चिम बंगाल
7. कृष्णा-गोदावरी
8. कावेरी
9. अण्डमान और
10. पश्चिमी अपतट

(ग) जी, हां।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए मूल्य नीति में परिवर्तन

1385. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए मूल्य नीति में भारी परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए समन्वित मूल नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अपने सातवीं योजना के मसौदे के दस्तावेज में ऊर्जा के मूल्य का समेकित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है जिससे न केवल अर्थ व्यवस्था के लिए ऊर्जा की सही-सही लागत का पता चलेगा बल्कि यह ऊर्जा उद्योग की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

1386. डा० कृपासिंधु भोई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ख) उन नई ताप विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें देश में आगामी वर्षों में स्थापित किया जाएगा और निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की संख्या और उनके नाम क्या हैं और इनको किस अवधि तक पूरा कर लिया जायेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विभिन्न राज्यों में प्रचालनाधीन ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) आगामी वर्षों में क्रियान्वित किए जाने के लिए अब तक 64 नई ताप विद्युत स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही ताप विद्युत स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार चालू करने का कार्यक्रम
राज्य क्षेत्र		
1. कोरबा (पश्चिम) विस्तार	1×210 यूनिट-4	1985-86
2. बीरसिंहपुर (संजय गांधी)	2×210 यूनिट-1	1989-90
	यूनिट-2	सातवीं योजना के बाद
केन्द्रीय क्षेत्र		
1. कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र चरण-1	1×500 यूनिट-4	87-88
2. कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र चरण-2	2×500 यूनिट-5	89-90
	यूनिट-6	89-90
3. विन्ध्याचल	6×210 यूनिट-1	87-88
	यूनिट-2 से 6	परवर्ती यूनिटें 6-6 महीने के अन्तराल पर

विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	केवल यूटिलिटियों में ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या (केन्द्र के विभिन्न चरणों को एक इकाई माना गया है)
1. दिल्ली	2
2. हरियाणा	2
3. जम्मू और कश्मीर	1
4. राजस्थान	1
5. पंजाब	2
6. उत्तर प्रदेश	5
7. गुजरात	7
8. मध्य प्रदेश	4
9. महाराष्ट्र	9
10. आन्ध्र प्रदेश	4
11. तमिलनाडु	3
12. बिहार	3
13. दामोदर घाटी निगम	3
14. उड़ीसा	1
15. पश्चिम बंगाल	7
16. असम	5
17. कर्नाटक	1
18. केन्द्रीय	6

मारुति के लिए जापान के साथ येन-रुपए व्यवस्था को डालर-रुपए व्यवस्था में बदलना

1387. श्री मानिक रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येन-रुपये मूल्य के कारण जापान-भारत परियोजनाओं के लिए आटो पुर्जों के आयात में कोई प्रगति हुई है (इकनामिक टाइम्स) दिनांक 18 अक्तूबर, 1985;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या सुधारात्मक कदम उठाने का है;

(ग) क्या भारत के हित की सुरक्षा के लिए तथा दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य से मारुति के लिए येन-रुपये व्यवस्था को बदलने अथवा कोई अन्य स्थायी प्रबन्ध करने के लिए जापान से आग्रह करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

बल्क औषधों का आयात

1388. **श्री पी० मानिक रेड्डी :**
श्री एम० रघुम्मा रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में कुल कितने मूल्य की बल्क औषधि का आयात किया गया;

(ख) पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की उक्त आयात में प्रतिशतता कितनी थी; और

(ग) पूर्णतः भारतीय स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा किए गए आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 123.06 करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग) आयात के क्षेत्रवार ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते ।

"बेटनोवेट" मरहम का मूल्य निर्धारण

1389. **श्री विष्णु मोदी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में "बेटनोवेट" मरहम का मूल्य निर्धारित नहीं किया है जबकि यह उत्पाद मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है; और

(ग) इस मरहम का निर्धारित मूल्य क्या है तथा यह किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण बेटनोवेट मरहम का मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित बल्क औषध-बेटामेथासोन 17 वेलरेट का मूल्य निर्धारित किये जाने और उक्त बल्क औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के प्रस्तावित मूल्य

निर्धारण के विरुद्ध स्थगन प्रदान किए जाने के कारण मै० ग्लेक्सो लैब्स बेटनोवेट मरहम को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत अनुमोदित मूल्य पर बेच रहे हैं। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत बेटनोवेट 15 ग्राम ट्यूब का विद्यमान अधिकतम बिक्री मूल्य उत्पाद शुल्क सहित 10.43 रुपये है।

फेक्सिन कैपस्यूल की बिक्री

1390. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैक्सिन कैपस्यूल बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह एक आवश्यक दवाई है और इसके चिकित्सीय उत्पाद मूल्य नियन्त्रण के अधीन है;

(ग) इन कैपस्यूलों का निर्धारित मूल्य क्या है और इस दवाई को बेचने का नाम क्या है; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान इस उत्पाद की बिक्री कितनी थी और इस उत्पाद की बिक्री करने वाली कम्पनी की कुल बिक्री कितनी थी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) फेक्सिन कैपसूल, जिनमें सिफलेक्सिन होता है, का उत्पादन मै० कैपसूलेशन सर्विसेस द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तथा मै० ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज इण्डिया लि० द्वारा विपणन किया जा रहा है। मूल्य नियन्त्रण के प्रयोजन के लिए ये कैपसूल औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 की श्रेणी-III के अधीन आते हैं। जब मै० कैपसूलेशन सर्विसस ने फेक्सिन कैपसूलों का आरंभण किया, वे मूल्य नियन्त्रण से मुक्त थे क्योंकि उनकी कुल बिक्री 50 लाख रु० से कम थी।

(घ) ब्यौरे मंगवाने पड़ेंगे।

दक्षिण बेसिन में तेल की खोज में देरी

1391. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :
श्री ए० के० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण बेसिन "ज्वाइंट" गैस क्षेत्र का 1977 से पता लगाया गया था किन्तु उसका वर्ष 1987 के लगभग उपयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस गैस का उपयोग करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके उत्पादन के प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1976 में दक्षिणी बेसिन क्षेत्र में खुदाई किए गए पहले अन्वेषी कुओं ने तेल और गैस की

विद्यमानता का संकेत दिया और हाइड्रोजन सल्फाइड (एच$_2$ एस) के कोई चिन्ह नहीं थे। तथापि 1982 के दौरान, पन्ना में खुदाई किए गए कुओं में एच$_2$ एस की विद्यमानता के संकेत मिले क्योंकि पन्ना और बेसिन दोनों ही ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें फ्लूइड निरन्तर चल रहा है, पन्ना क्षेत्र में एच$_2$ एस की विद्यमानता से बेसिन गैस के अम्ली होने की सम्भावना मिली है। इसकी पुष्टि 1983 में की गई थी और अतः हजीरा में एक गैस स्वीटनिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है जिससे कि एच$_2$ एस को दूर किया जा सके और इस गैस को प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

(ग) गैस स्वीटनिंग और सल्फर रिकवरी संयंत्रों के निर्माण के अतिरिक्त इस गैस के परिवहन के लिए एक 1730 किलो मीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, इसे तट पर लाने के बाद आठ संयंत्रों की फीड-स्टाक की आकस्मिक आवश्यकता और दो गैस पर आधारित ऐसे विद्युत संयंत्रों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जो पाइप लाइन के साथ-साथ स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि पाइप लाइन के साथ-साथ सही स्थलों पर इस गैस से एल० पी० जी० का निष्कर्षण भी किया जाए।

(घ) इसके उत्पादन के प्रथम वर्ष में गैस का अनुमानित उत्पादन प्रति दिन 10 मि० घन मीटर है, इसे बाद के वर्षों में बढ़ाकर 20 मि० घन मी० करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बी० एच० ई० एल० द्वारा दिल्ली में एशियाई खेल ग्राम में भूमि और फर्श की जगह की खरीद

1392. श्री सी० जंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने दिल्ली में एशियाई खेल ग्राम में अपने स्वागत कक्ष और प्रशासनिक स्कन्ध के लिए 4000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि और 4549 रुपये प्रति वर्ग मी० की दर से फर्श की जगह खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्रतियोगी दरों पर सस्ती भूमि और कमरों की खरीद के लिए दिए गए विज्ञापनों और मांगी गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग 10 करोड़ की इस खरीद के लिए कमीशन भी दिया गया था और यदि हां, तो कितनी और किसको; और

(घ) उपर्युक्त कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल० ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से बातचीत करके एशियाई खेल गांव में भवनों को खरीदा था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बी० एच० ई० एल० ने इन भवनों के लिए डी० डी० ए० को 10.3 करोड़ रुपये दिये हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नए पदों पर प्रतिबन्ध में छूट

1393. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नए पदों पर लगे हुए वर्तमान परिबन्ध में या तो छूट दे दी है या इसे समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबन्ध में छूट देने या इसे समाप्त करने के सम्बन्ध में जारी की गई सूचना की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सरकारी उद्यमों द्वारा पदों के सृजन/भरे जाने पर लगे हुए पूर्व प्रतिबन्ध में छूट दे दी गई है।

(ख) यह छूट एक अधिशासी अनुदेश के माध्यम से न कि अधिसूचना के माध्यम से सम्प्रेषित की गई थी और इस प्रकार अधिसूचना की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखे जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बल्क औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना

1394. **श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में बल्क औषधों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस देना/पंजीकरण करने के लिए आर्थिक स्थिति के किन मानदण्डों पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि 40 प्रतिशत से अनधिक इक्विटी वाली विदेशी कम्पनियां अधिकांश दवाइयों का उत्पादन विदेशों में अपनी मूल कम्पनियों द्वारा तैयार की जाने वाली दवाइयों के मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य पर कर रही है;

(ग) उनके द्वारा हमारे देश में उत्पादित मदें और ऐसी मदों के मूल्य में कितना अन्तर है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) इसी प्रकार की जानकारी दिनांक 30 जुलाई, 1985 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1138 के माध्यम से दी जा चुकी है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा गांवों के लिए दवाई किटों की खरीद

1395. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को गांवों के लिए दवाई की सप्लाई के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, कितने क्रयादेश प्राप्त हुए, उनका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सप्लायरों के नाम क्या हैं जिनसे उन्होने ये किट खरीदे, विभिन्न राज्य सरकारों को इनकी सप्लाई कराई तथा कितनी मात्रा में खरीदे गये तथा सप्लायरों को इनका कितना मूल्य दिया गया;

(ग) सरकार द्वारा गांवों के लिए किटों को सीधे लघु सप्लायरों से न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ग्रामीण किटों की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्वेच्छा से आई० डी० पी० एल० को आर्डर दिए गए थे।

विवरण-1

राज्य	1982-83 के दौरान प्राप्त किया गया कुल व्यापार	1983-84 के दौरान प्राप्त किया गया कुल व्यापार	1984-85 के दौरान प्राप्त किया गया कुल व्यापार
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	62941 किटस	46940 किटस	76335 किट्स
राजस्थान	—	1150 "	400 "
दादर और नागर हवेली	—	100 "	—
सिक्किम	—	812 "	1092 "
कर्नाटक	—	8146 "	14070 "
मध्य प्रदेश	—	33312 "	—
हिमाचल प्रदेश	—	4000 "	9037 "

1	2	3	4
दिल्ली	1000 किट्स	800 किट्स	500 किट्स
हरियाणा	—	—	20157 "
बिहार	—	240 "	660 "
आन्ध्र प्रदेश	—	—	28684 "
त्रिपुरा	—	—	470 "
चंडीगढ़	30140 किट्स	—	—
योग	94081 "	95500 "	151405 "

विवरण-2

फर्म का नाम	मात्रा	अदा किया गया मूल्य
1	2	3
1982-83		
1. मै० शिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	62,953	56.03
2. मै० नेस्टर फार्मा० प्रा० लि० फरीदाबाद	29,057	25.21
	92,010	81.24
1983-84		
1. मै० शिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	55,999	56.33
	30,717	30.99
2. मै० नेस्टर फार्मा० प्रा० लि० फरीदाबाद	34,041	33.99
3. मै० अरोड़ा फार्मा० (प्रा०) लि० नई दिल्ली	4,001	3.99
	124,758	124.98
1984-85		
1. मै० शिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	33,918	43.41

1	2	3
2. मै० नेस्टर फार्मा० (प्रा०) लि० फरीदाबाद	58,378	74.72
3. मै० अरोड़ा फार्मा० (प्रा०) लि० नई दिल्ली	15,662	20.05
	107,958	138.18

औद्योगिक लाइसेंस दिए जाना

1396. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करते समय उनकी अन्त:निर्मित अतिरिक्त क्षमताओं का भी निरन्तर रूप से अनुमोदन करती है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान मन्जूरी प्रदान की गई है और नए पूंजी निवेश/रक्षित उनकी अतिरिक्त क्षमता को नियमित किया गया है;

(ग) इन एककों द्वारा किए गए उत्पादनों, उनकी मूल स्वीकृत क्षमता और नियमित की गई अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा लघु एककों के पूर्ण उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त क्षमता नियमित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक लाइसेंस 1978 की औषध नीति/लाइसेंसिंग नीति के प्रावधानों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला खानों का बन्द होना

1397. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला खानों के बन्द होने की सम्भावना है क्योंकि ये कोयला खानें अलाभकर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन खानों में कार्यरत श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार शरिफ, बिहार में गैस एजेंसी

1398. श्री विजय कुमार यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरिफ में खाना पकाने की गैस की केवल एक एजेंसी है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को गैस का सिलैण्डर प्राप्त करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उसके लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार शरिफ के खाने पकाने की गैस की एजेंसियों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जबकि रिफिल की सप्लाई में कार्यचालन सम्बन्धी कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु अधिक प्रभार लेने से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) और (घ) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने नए डीलरशिप के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए 12 अक्तूबर, 1985 को विज्ञापन प्रकाशित कराया है। चयन प्रक्रिया जैसी विभिन्न कार्यवाहियां ऐसी कानूनी औपचारिकताएं हैं जो एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने के पूर्व कार्य हैं, उन पर विचार करते हुए अतः यह बताना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रस्तावित डीलरशिप कब तक चालू कर दी जायेंगी ।

बिहार में स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना

1399. श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) इस परियोजना से बिहार को कितनी बिजली सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सप्लाई कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) वर्तमान सुवर्णरेखा जल-विद्युत परियोजना (130 मेगावाट) के नीचे की ओर सुवर्न रेखा बहुद्देशीय परियोजना निर्माणाधीन है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुवर्नरेखा नदी पर चांदिल बांध का निर्माण शामिल है ।

थांदिल बांध विद्युत परियोजना (2×4 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अप्रैल, 1985 के दौरान प्राप्त थी और इसकी जांच की जा रही है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, 36.33 मेगावाट आवर के वार्षिक विद्युत उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन पर इसकी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्यता सुनिश्चित हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र और गैस एजेंसियां खोलना

1401. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं, जिनमें वर्ष 1983-84 और 1985-85 तथा अप्रैल से अक्तूबर, 1985 के दौरान (एक) पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र (दो) गैस एजेंसियां खोलने के लिए आज तक विज्ञापन दिए गए हैं;

(ख) इनमें से उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इस बीच बिक्री केन्द्र/एजेंसियां खुल गई हैं;

(ग) शेष स्थानों के लिए बिक्री केन्द्र/एजेंसियां कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इनके आबंटन के कुछ मामले अब भी (एक) पांच वर्षों और (दो) तीन वर्षों से लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा अप्रैल-अक्तूबर, 1985 में तेल कम्पनियों ने हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में क्रमश: 17 तथा 96 क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों और 15 तथा 84 क्षेत्रों में एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की स्थापना के लिए विज्ञापन दिए। इनका जिला-वार विवरण अत्यधिक विस्तृत है तथा इसे जल्दी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरम्भ किए जाने से पूर्व की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समय की सीमा बताना व्यवहारिक नहीं होगा।

(घ) और (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के सम्बन्ध में एक मामला 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है तथा 15 मामले 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं। विज्ञापन के प्रति अपर्याप्त प्रत्युत्तर अथवा उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता ही इन मामलों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के मुख्य कारण हैं।

विवरण

राज्य का नाम	जहां एजेंसियां/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरम्भ की गई		क्षेत्र जिनके लिए आशय-पत्र जारी किए गए	
	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी०	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी०
1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	घुमारवीन	धर्मशाला	सीरकाघाट	शिमला (2)
		कूल्लू	स्वारघाट	कसौली
		बिलासपुर	करसोग	सोलन
		परवाणु	भोटा	डलहौजी
			बदसर	पालम-पुर
			कलांब	पौण्टा साहिब
				हमीरपुर
				सुन्दरनगर
पंजाब	धर्मकोट	जगरॉव	तलवंडी	मलरकोटला
	सेहनरा	फाजिल्का	पटियाला	जालन्धर
			पतरन	
	चाहाल	खन्ना	भोगपुर	फिरोजपुर
	सहौके	लुधियाना (5)*	बरसीपथाना	मालोन
	उगही	अमृतसर (5)	कंजला	कोटकपुरा
	प्रतापपुरा	कपुरथला (2)	अटारी निहाल	पटियाला
	पठानकोट	भटिंडा (2)	सिहंवाला	समाना
	सहौली	नाभा	हरपुरा	नागल
	कपुरथला	मोगा	फरीदकोट	जालंधर (2)
	मलसीलन	संगरूर	मण्डी गोबिन्दगढ़	धूरी
	बस्सीयन	जोरहन	समाना	सुनम
	सुलतानपुर	राजापुर (2)	(भवानीगढ़ रोड)	लुधियाना
	नाकोदर	मुक्तसर	परजीयन खुर्द	तरन तारण

1	2	3	4	5
	खनौरी	गोबिन्दगढ़	बारापिंड	पठानकोट
	दरांपुर	पटियाला (5)	मलवान कदीम	होशियारपुर
	समाध भाई	बांगा	पंजहग्रण	अबोरह
	मुक्तसर	नवाँ शहर	(फतेहगढ़)	ससनगर
		धादे	कोटेकपुरा	संदवान
		तेयोना	मंसा	पंशाता
		कोट-ईसा-खां	रामपुराफल	मेहताबगढ़
		जालन्धर	जालन्धर (3)	शेखपुरा
		(कपुरथला रोड)		घनोली
		तलवान		भुदारी
		गुलजारपुर		ऊबा-दिरी-घिलवान
				किल्ली निहाल
				सिहंवाला
				गंरदवाल
				मजीठा
				उमरानंगल
				नंदगढ़
				भनखण्डी
				मखु
				बेला
				मुल्लानपुर
				पठानकोट
				(डलहौजी बाई पास)
				दीदवींदी
				मुलोवाल
				जालन्धर-नकोदर
				रोड
				बग्गा पुराना
				लस्सारा अड्डा
				सरन अमानत खां

*ब्रेकटों में लिखी गई संख्या स्थानों पर डीलरशिप की संख्या निर्दिष्ट करती हैं।

लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंट योजना प्रारम्भ करना

1402. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग ने लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंट योजना किस तारीख को आरम्भ की है;

(ख) ऐसे स्थानों के सर्किल-वार (बहु-राज्यीय सर्किल के मामले में राज्यवार) नाम क्या हैं, जहां ग्रामीण अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में ऐसे एजेंट नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या नए पदों पर भर्ती पर और उसके परिणामस्वरूप नए शाखा डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तेज करने का विचार है ताकि वास्तविक मामलों में आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का किस प्रकार तेज किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह योजना 16-8-85 से चालू की गई है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) लाइसेंस शुदा डाक एजेंट योजना, उन क्षेत्रों में चालू की जानी है, जिनमें मंडल अधीक्षक, डाकघर द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार ऐसी सुविधा की आवश्यकता हो। यह प्रस्ताव नए पदों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध और उसके फलस्वरूप डाकघर न खोले जाने से सम्बन्धित नहीं है।

स्टोर एवं फरवर्ड प्रणाली लागू करना

1403. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तार (टेलीफोन) सेवा को मार्ग में होने वाला विलम्ब दूर करने और उसकी सेवा तेज करने की दृष्टि से स्टोर एवं फारवाई टेलीग्राफ (एस० एफ० टी०) प्रणाली लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के सर्किल-वार नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली चालू की गई है और उनके चालू किए जाने की तारीखें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली को चरणबद्ध रूप में बड़ाया जाएगा ताकि इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश लाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वार्षिक योजना (1985-86) के दौरान पृथक-पृथक किन-किन स्टेशनों पर यह प्रणाली आरम्भ की जाएगी; और

(ङ) क्या पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों की कोई वरीयता दिए जाने का प्रस्ताव है और किस तरह की वरीयता दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। पारगमन में विलंब कम करने तथा तार परियात का तेजी से संचारण करने के लिए देश में एस० एफ० टी० प्रणालियां चालू की गई हैं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में अर्थात् चालू वार्षिक योजना (1985-86) के दौरान वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, कटक और सिलीगुडी क ऐसी प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी चार वर्षों के दौरान लगभग 25 और शहरों में ऐसी एस० एफ० टी० प्रणालियां चालू करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ ऐसी प्रणालियों की स्थापना के लिए परियात विश्लेषण के आधार पर अस्थाई रूप से 8 शहरों का पता लगाया गया है ये शहर हैं— इंदौर, जबलपुर, चण्डीगढ़, जम्मू, राजकोट, वड़ोदरा, नागपुर और पुणे। बाकी शहरों का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) ऐसे क्षेत्रों के हिल स्टेशनों और तारघरों को, जहां कहीं भी परियात पर्याप्त होगा, टर्मिनल के बतौर एस० एफ० टी० प्रणालियों से जोड़ दिया जाएगा।

विवरण

क्र० सं० सर्किल का नाम	स्थान जहां एस० एफ० टी० प्रणाली कार्य कर रही हैं।		चालू होने की तारीख
1 2	3		4
1. आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद		30-07-82
	2. विजयवाड़ा		16-04-85
2. बिहार	1. पटना		28-05-83
3. दिल्ली	1. नई दिल्ली	पहली प्रणाली	27-01-83
		दूसरी प्रणाली	30-03-83
		तीसरी प्रणाली	27-12-83
4. गुजरात	1. अहमदाबाद		9-05-83
5. केरल	1. एर्नाकुलम	पहली प्रणाली	19-10-83
		दूसरी प्रणाली	17-06-85
6. कर्नाटक	1. बेंगलूर		30-07-84
7. महाराष्ट्र	1. बम्बई	पहली प्रणाली	18-05-83
		दूसरी प्रणाली	15-09-83
		तीसरी प्रणाली	28-05-84

1 2	3		4
8. उत्तर-पूर्व	1. गुवाहटी		9-01-85
9. राजस्थान	1. जयपुर		24-06-83
10. तमिलनाडु	1. मद्रास	पहली प्रणाली	2-04-82
		दूसरी प्रणाली	28-03-84
	2. मदुरै		30-04-84
	3. कोयम्बतूर		28-05-84
	4. त्रिचिरापल्ली		19-07-85
11. उत्तर प्रदेश	1. आगरा		30-3-84
12. पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता	पहली प्रणाली	1-04-43
		दूसरी प्रणाली	13-09-83

औषधों/फार्मूलेशनों का अनुमत क्षमताओं से अधिक उत्पादन

1404. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध बनाने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी क्षमता उनके संयंत्र और मशीनों के प्राधिकरण के सत्यापन के बाद विनितमित की गई है और प्रत्येक मामले का पूरा ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कम्पनियों ने अनधिकृत रूप से संयंत्र और मशीनें लगाकर औषधों और फार्मूलेशनों का अनुभूत क्षमताओं से अधिक उत्पादन किया है;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके उत्पादों तथा विनियमित की गई क्षमताओं का ब्योरा क्या है;

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी क्षमताओं के पुनः अनुमोदन और विनियमन के अनुरोध को अनधिकृत रूप से सन्यन्त्र और मशीनें लगाने के कारण नामंजूर कर दिया गया है;

(ङ.) क्या अनधिकृत रूप से संयंत्र और मशीनें लगाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध की गई ार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) एक तकनीकी दल द्वारा निरीक्षण की गई किसी भी कम्पनी को 1980 योजना के अधीन स्थापित क्षमता की मान्यता की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख) से (घ) तकनीकी दल जिसने 10 कम्पनियों के संयंत्रों का निरीक्षण किया है, की रिपोर्टों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ.) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दामोदर घाटी निगम के ताप बिजली केन्द्र के दूसरे यूनिट में आग लगना

1405. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री सुभाष यादव :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के ताप बिजली केन्द्र को 23 अक्तूबर, 1985 को आग लग जाने के कारण जो चार घंटे तक चलती रही है, भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने दामोदर घाटी निगम के 2 × 55 मेगावाट यूनिटों को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कोई विशेषज्ञ दल भेजना था;

(ग) नुकसान का अनुमान लगाए जाने के अतिरिक्त, विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष हैं और उसने इन पुराने यूनिटों को फिर से स्थापित करने और उन्हें बदलने के लिए क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) इन यूनिटों की मरम्मत किए जाने और उन्हें बदले जाने तक पश्चिम बंगाल को बिजली की अतिरिक्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधियों सहित एक दल ने मौके पर निरीक्षण करने के लिए कार्य-स्थल का दौरा किया है। घटना की जांच करने के लिए और अन्य बातों के साथ-साथ इन यूनिटों में सुधार करने तथा इन्हें बदलने के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) तुरन्त उपाय के रूप में, दामोदर घाटी निगम को उत्तरी विद्युत ग्रिड तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से कुछ सहायता की व्यवस्था की गई थी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ नए यूनिट चालू हो जाने के फलस्वरूप, राज्य बिजली बोर्ड इस समय दामोदर घाटी निगम को सहायता दे रहा है।

सौर-ऊर्जा उपयोग कार्यक्रम का विस्तार

1406. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा उपयोग कार्यक्रम के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 में उपरोक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) जी हां। उठाए गए कदमों में अनुसंधान और विकास का तीव्रीकरण, विभिन्न अनुप्रयोगों की प्रणालियों का प्रदर्शन और व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा वास्तविक प्रयोग की युक्तियों और प्रणालियों की राजसहायता प्राप्त आपूर्ति हैं। सौर तापीय प्रणालियों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1984 से चलाई जा रही राजसहायता योजना के अन्तर्गत कई जल तापन प्रणालियों, काष्ठ भट्टियों, सौर शुष्कन एककों, सौर स्टिल आदि को सहायता प्रदान की जा चुकी है। राजसहायता और जानकारी की प्रोत्साहन प्रक्रियाओं द्वारा सौर कुकरों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष परियोजना के अन्तर्गत नाममात्र कीमतों पर व्यक्तिगत किसानों को लगभग 100 जल पंपन प्रणालियों की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रदर्शन के लिए गली रोशनियों, जल पंपन प्रणालियों आदि जैसी प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के प्रतिष्ठापन के लिए कुछ राज्य सरकार की एजेन्सियों को दी जाने वाली सहायता भी बढ़ाई जा चुकी है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करने के लिए 1984-85 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है; ये राशियां आरम्भ की गई परियोजनाओं और विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति के अनुरूप हैं। इसी प्रकार से चालू वर्ष में प्रगति पर आधारित सहायता, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर, जारी रहेगी।

विवरण

सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई राशि

क्र०सं० राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1 2	3
1. आंध्र प्रदेश	9.27
2. बिहार	1.46
3. दिल्ली	25.73
4. गुजरात	98.31
5. हरियाणा	20.28
6. हिमाचल प्रदेश	5.40
7. जम्मू और काश्मीर	3.15

1	2	3
	8. कर्नाटक	10.44
	9. केरल	3.50
	10. मध्य प्रदेश	108.51
	11. महाराष्ट्र	6.47
	12. पंजाब	30.23
	13. राजस्थान	7.56
	14. तमिलनाडु	16.90
	15. उत्तर प्रदेश	137.44
	16. उड़ीसा	13.74
	जोड़ :	498.39

गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों की उन्नति के लिए धनराशि का आबंटन

1407. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों की उन्नति के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों की उन्नति के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गइ ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) 1985-86 के पहले, राज्य योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के आबंटन हेतु चर्चा और सिफारिश के लिए योजना आयोग में अलग से कोई कार्यकारी ग्रुप नहीं था। वार्षिक योजना 1985-86 से आगे के लिए एक अलग कार्यकारी ग्रुप बनाया गया है और योजना आयोग ने राज्य की योजना में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्शाहन के लिए विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट लागतों की सिफारिश करनी प्रारम्भ कर दी है। फिर भी केन्द्रीय सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता देती रही है।

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(I) कुछ राज्य सरकारें कुछ अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के लिए केन्द्रीय राजसहायता से अधिक आर्थिक सहायता दे रही है।

(II) कई राज्यों में अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के लिए राज्य बिक्रीकर और चुंगीकर से छूट है ।

(III) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों और केन्द्रीय सरकार के साथ अच्छा सम्पर्क रखने के लिए सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में राज्यों ने स्वतन्त्र एजेंसियों की स्थापना की है या राज्य सरकार के किसी एक विभाग की नियुक्ति की है।

(IV) राज्य सरकारों ने भी अपारम्परिक ऊर्जा युक्तियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन और बैंकों से ऋण उपलब्ध करने का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासनिक तंत्र अधिक चुस्त कर दिया है ।

(V) राज्य सरकार अब 1985-86 से इस क्षेत्र में चर्चा एवं अनुमोदन के लिए योजना आयोग में विशेष प्रस्तावों का सूत्रीकरण कर रही है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों को दिए गए/उपयोग किए गए केन्द्रीय धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसन्धान और विकास क्रियाकलापों तथा क्षेत्रीय (फील्ड) प्रदर्शनों को भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्य हेतु अलग से राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है और विभिन्न सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर परियोजनाओं की स्थापना की गई है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1982-83 से 1984-85 के दौरान राज्य सरकारों को दी गई राशि

क्र० सं०	राज्य	(लाख रुपयों में) दी गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	820.25
2.	असम	20.10
3.	बिहार	154.86
4.	गुजरात	509.45
5.	हरियाणा	279.08
6.	हिमाचल प्रदेश	129.50
7.	जम्मू और कश्मीर	17.89

1	2	3
8.	कर्नाटक	381.33
9.	केरल	58.14
10.	मध्य प्रदेश	458.03
11.	महाराष्ट्र	2051.20
12.	मणिपुर	0.87
13.	मेघालय	1.10
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	130.07
16.	पंजाब	218.33
17.	राजस्थान	416.86
18.	सिक्किम	0.31
19.	तमिलनाडु	529.33
20.	त्रिपुरा	0.45
21.	उत्तर प्रदेश	1188.46
22.	पश्चिम बंगाल	151.31
23.	योग	7516.92
24.	केन्द्र शासित प्रदेश और अन्य	101.17
	कुल योग (23+24)	7618.09

[हिन्दी]

कोचीन में गैस रिसने से 200 बीमार शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1408. **श्री शांति धारीवाल :**

श्री बी० बी० देसाई :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में कोचीन में गैस रिसने से 200 बीमार शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हैक्सा क्लोरोसाइक्लोपैनाटाडायन गैस के रिसने के कारण घटित उक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तरल पदार्थ के लाने ले जाने में विशेष सावधानी बरतने के लिए कोई नियम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि० ने सूचित किया है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि विदेश से आने वाले एच० सी० सी० पी० की आपूर्तियां केवल कोचीन में प्राप्त की जाएंगी और तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन उनका प्रेषण किया जाएगा ताकि इसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(ग) और (घ) एक उपयुक्त शक्ति प्राप्त निकाय, अर्थात्, हेजारड्स एबसटेसेस कन्ट्रोल बोर्ड (एच० एस० सी० बी०) सर्जित करने का प्रस्ताव है जो खतरनाक पदार्थों के आयात, उत्पादन, रख-रखाव तथा निपटाने के सम्बन्ध में नीति निर्णय लेगा।

[अनुवाद]

एडामलयार बांध (केरल) को खतरनाक स्थिति

1409. **श्री तम्पन थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में एडामलयार बांध खतरनाक स्थिति में है और इसके टूट जाने की अत्यधिक संभावना है;

(ख) क्या सरकार को इन स्थितियों के बारे में गंभीर शिकायतें की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बांध की स्थिति के बारे में जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) लाइनिंग में दरारों के जरिए विद्युत सुरंग में रिसाव का जुलाई, 1985 में पता चला था । अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों के एक दल ने परियोजना स्थल का दौरा किया था । दल ने राज्य बिजली बोर्ड को आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सुझाव दिए थे । तथापि, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि इदामलयार बांध की स्थिति सुदृढ़ है तथा अब कोई खतरा नहीं है । राज्य सरकार ने रिसाव आदि के कारणों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय लिया है ।

राज्यों को विद्युत परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण

1410. **श्री के० एस० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों को उदार शर्तों पर ऋण देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों पर गैर-सरकारी संगठनों अथवा विदेशों से, यदि वे वस्तु विनिमय भुगतान के लिए सहमत हो जाते हैं, ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(घ) क्या अब तक ऋण लेने के इस प्रकार के कोई अवसर आए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सभी प्रकार की बाह्य वाणिज्यिक सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा बातचीत की जाती है।

(घ) जी, नहीं ।

गुजरात में कोयला गारा पाइप लाइन परियोजना

1411. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं को कोयले की ढुलाई में सुधार करने हेतु कोयला गारा पाइप लाइन के लिए एक परियोजना प्राप्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कब से लम्बित पड़ी है; और

(ग) इसे मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1981 में गुजरात सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया था कि वह गुजरात राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में एक स्लरी परिवहन परियोजना शुरू कराए। राज्य सरकार को यह बताया गया कि इस मामले में कार्रवाई, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे देने के बाद की जाएगी। कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के आधार पर कोयला विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक दल बनाया गया था। इस दल को यह काम सौंपा गया है कि वह भारत में कोयला स्रोत को बिजली संयंत्र से जोड़ने वाली कोयला-स्लरी परिवहन की कम दूरी की प्रदर्शन पाइप लाइन की स्थापना के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सलाह दे। दल के निर्णय के अनुपालन में, न्यू मजरी ओपेनकास्ट खान से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के चन्द्रपुर ताप बिजली घर तक एक प्रदर्शनी स्लरी पाइप लाइन परियोजना का काम हाथ में लिया जा रहा है। देश में कोयला स्लरी परिवहन की व्यवहारिकता इस प्रदर्शन परियोजना के परिणामों के आधार पर तय की जाएगी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, बिहार की खानों में कामगारों की सुरक्षा

1412. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, बिहार की खानों में काम करने वाले कामगार असुरक्षित स्थिति में काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में कितने कामगारों की मृत्यु हुई;

(ग) इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या था;

(घ) मारे गए कामगार के परिवार को सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बिहार में काम करने वाले कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरियों में कार्यरत कामगार असुरक्षित नहीं हैं। फिर भी, कोयला खनन उद्योग एक जोखिम वाला उद्योग है और इसीलिए दुर्घटनाओं की संभावना को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। वर्ष 1984 के दौरान मृतकों की संख्या 28 थी। इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण छतों का बैठ जाना एवं रस्सों द्वारा ढुलाई थे। अब तक मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रु० 8,57,046 की राशि प्रदान की जा चुकी है।

(ड.) इन दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से ऐसे उपाय शुरू किए गए हैं जिनसे छत को सहारा देने वाली प्रणाली में सुधार आए और ढुलाई सड़कों से अलग सुरक्षित सड़कें बनें।

महाराष्ट्र में बन्दरगांव में कोयले का खनन

1413. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बन्दरगांव से इससे कितने टन कोयले के खनन की अनुमति दी गई है और वहां कुल कितना कोयला उपलब्ध है;

(ख) उक्त खनन कार्य कब तक शुरू करने का विचार है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है तथा उसमें स्थानीय लोगों की प्रतिशतता कितनी होगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की जायेगी उनको मुआवजा कब तक अदा कर दिया जायेगा और किस दर पर अदा किया जायेगा तथा उनको नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले की चीमुर तहसील में स्थित बैंडर कोयला क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वेषण महाराष्ट्र के खान महानिदेशक ने किया था। यहां 7.6 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में छः सीमों में 90 मि० टन कोयला भंडार का अनुमान लगाया गया है। इन कोयला क्षेत्रों में कोयले के खनन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। यह कोयला क्षेत्र वर्तमान खनन क्षेत्रों से 60/65 कि० मी० की दूरी पर एक अलग-थलग भू-खण्ड में है। इस ब्लाक में खनन साध्यता का पता करने के लिए विस्तृत पूर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और केन्द्रीय खान

आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० इस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करने के लिए कारंवाई कर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस खान का विकास कार्य भी शामिल कर लिया गया है। यहां उपलब्ध नौकरियों की संख्या इस परियोजना की समग्र नियोजन क्षमता पर निर्भर करती है। अभी तक किसी परियोजना का विचार नहीं बनाया गया है, इसलिए भूमि-अर्जन और मुआवजा अदा करने का प्रश्न *ही नहीं उठता।*

[हिन्दी]

कच्चे तेल और कोयले की रायल्टी में समानता

1414. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने कच्चे तेल और कोयले की रायल्टी में समानता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो कच्चे तेल और कोयले के लिए पृथक-पृथक कितनी रायल्टी की दर निर्धारित करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कर्मचारी फेडरेशन का अभ्यावेदन

1415. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावनि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ओर देश के अन्य भागों से 1-1-1984 से 31-10-1985 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों, एसोसिएशनों और फेडरेशनों की ओर से प्रबन्धकों को मांग पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर प्रत्येक प्रबन्धक ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

गुजरात में पश्चिम जर्मनी की वोलक्स वेगोन के सहयोग से मोटर उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव

1416. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :**
श्री यू० एच० पटेल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहता ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज ने जर्मनी संघीय गणराज्य की "वोलक्स-वेगोन" के सहयोग से गुजरात में मोटर उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी योजनाएं, परियोजनाएं और अनुमान क्या है;

(ग) उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावना कब है; और

(घ) पिछले क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना के लिए गुजरात सरकार और उपरोक्त ग्रुप को क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमिगत केबल प्रणाली के स्थान पर नई प्रौद्योगिकी

1417. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-संचार की भूमिगत केबल प्रणाली की मरम्मत सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सदियों पुरानी भूमिगत केबल प्रणाली के स्थान पर कोई नई प्रौद्योगिकी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस नई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी उपाय उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) बड़े शहरों में केबिलों को विशेष रूप से निर्मित डक्टों में बिछाने का प्रस्ताव है। जैली भरे केबिलों का भी प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) लागू नहीं होता।

प्रौद्योगिकी विकास महानिदेशालय का पुनर्गठन

1418. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय संगठन (एन० ए० वाई० ई०) ने सरकार से प्रौद्योगिकी विकास महानिदेशालय को पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो एन० ए० वाई० ई० द्वारा सरकार को दिए गए अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन की पूरी तरह जांच कर ली है, और यदि हां, तो इस पर, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ?

(ख) युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की मुख्य बातें तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पुनर्विन्यास से सम्बन्धित हैं जिससे यह सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई विकास संस्कृति के अनुरूप कार्य कर सके न कि मात्र प्रौद्योगिकी के विकास पर बहुत कम जोर देने नियंत्रक निकाय के रूप में कार्य करे।

(ग) अगस्त, 1985 में बनाई गई सुधार समिति (रेशनलाइजेशन कमेटी) ने तकनीकी विकास महानिदेशालय की कार्यात्मक संरचना का पुनरीक्षण किया और सुधार के लिए सुझाव दिए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस संगठन की पुनः संरचना के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

डाक तथा तार में विभागेतर कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर

1419. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक तथा तार में विभागेतर कर्मचारी एक ही पद पर पड़े हैं तथा पिछले 10-15 वर्षों से उनकी पदोन्नति नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने भी उन्हें इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के अंशकालिक कर्मचारी हैं जिन्हें कार्यभार के आधार पर नियमित विभागीय पदों की स्वीकृति का औचित्य न पाये जाने पर नियुक्त किया जाता है। उनका कार्य-समय 2 से 5 घंटे का होता है। उन्हें पृथक नियमों के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है जिन्हें अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण और सेवा) नियम 1964 कहा जाता है। उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं माना जाता। उनका पारिश्रमिक, कार्यभार के आधार पर परिकलित किया जाता है जो कि कुछ न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होता है। उन्हें सामान्यतः एक पद से अन्य पद पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। नियमित सरकारी कर्मचारियों के विपरीत वे विभाग से मिलने वाले पारिश्रमिक के अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य रोजगार करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पोस्टमैन/ग्रुप "घ" के विभागीय संवर्गों में खपाया जा सकता है। इसलिए उनके एक पद पर ही बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से तथा सेवा यूनियनो की ओर से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ संसद सदस्यों ने राज्य सभा और लोक सभा में भी उनके बारे में प्रश्न उठाए और सरकार उनका उत्तर देती रही है। कुछ संसद सदस्यों ने संचार मंत्री को भी लिखा था और उन्हें इस सम्बन्ध में सरकार की नीति से निरन्तर अवगत कराया जाता रहा है।

जैसा कि 25 मार्च, 1985 को राज्य-सभा में पहले ही घोषित किया गया था, सदन इस तथ्य से परिचित है कि सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए पहले से ही एक-एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की है। सरकार इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर विचार करेगी।

ग्राम विद्युतीकरण में प्रगति

1420. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य-वार क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान कुछ अनुसूचित जाति क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ जनजातीय बस्तियों को भी विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वर्ष 1985-86 में ग्रामीण विद्युतीकरण विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण में हुई राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण-1 में दी गई है

(ख) सातवीं योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए किया गया राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) 1983-84 और 1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हुई राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण 3 और 4 में दी गई है।

(घ) और (ङ) 1984-85 के दौरान विद्युतीकृत किए गए कुल 21,776 गांवों में से 4200 गांव आदिवासी क्षेत्रों में स्थित थे। इसके अतिरिक्त 10678 गांवों में हरिजनों की आबादी वाली बस्तियों में सड़क रोशनी की सुविधा पहुंचाई गई थी। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत 11817 हरिजन बस्तियों को भी विद्युतीकृत किया गया था।

1985-86 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर 20648 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने तथा 3,95,783 पम्पसेटों/ट्यूबवेलों को अर्जित किए जाने का लक्ष्य है जिनमें आदिवासी क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों की बस्तियां शामिल हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान सितम्बर, 1985 तक 642 आदिवासी गांव तथा 1352 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गई हैं।

विवरण-1

छठी योजना (1980-85) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्प सेटों/ट्यूबवैलों के सम्बन्ध में राज्यवार उपलब्धि

क्र० सं०	राज्य का नाम	ग्राम विद्युतीकरण	पम्पसेटों/ट्यूबवैलों का वर्णन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,419	2,41,818
2.	असम	7,580	1,058
3.	बिहार	13,952	39,774
4.	गुजरात	5,268	89,534
5.	हरियाणा	(*)	68,653
6.	हिमाचल प्रदेश	5,693	691
7.	जम्मू और कश्मीर	1,153	370
8.	कर्नाटक	6,401	1,50,906
9.	केरल	(*)	53,949
10.	मध्य प्रदेश	18,425	1,88,388
11.	महाराष्ट्र	7,761	3,37,882
12.	मणिपुर	280	26
13.	मेघालय	716	9
14.	नागालैण्ड	360	—
15.	उड़ीसा	6,531	17,044
16.	पंजाब	(*)	1,44,009
17.	राजस्थान	5,945	92,052
18.	सिक्किम	138	—

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	150	1,46,329
20.	त्रिपुरा	1,099	696
21.	उत्तर प्रदेश	24,498	1,47,415
22.	पश्चिम बंगाल	8,338	15,424
	जोड़	1,18,705	17,35,912

*शतप्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

विवरण-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण परिव्यय

क्र० सं०	राज्य	योजना परिव्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.55
2.	असम	145.00
3.	बिहार	181.71
4.	गुजरात	72.40
5.	हरियाणा	67.81
6.	हिमाचल प्रदेश	36.38
7.	जम्मू और कश्मीर	33 50
8.	कर्नाटक	52.74
9.	केरल	19.47
10.	मध्य प्रदेश	221.13
11.	महाराष्ट्र	263.36
12.	मणिपुर	20.60
13.	मेघालय	24.00
14.	नागालैण्ड	12.00
15.	उड़ीसा	107.38

1	2	3
16.	पंजाब	54.29
17.	राजस्थान	121.00
18.	सिक्किम	10.79
19.	तमिलनाडु	81.18
20	त्रिपुरा	15.00
21.	उत्तर प्रदेश	284.53
22.	पश्चिम बंगाल	182.13
	जोड़:	2,091.95

विवरण-3

वर्ष 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के सम्बन्ध में राज्यवार उपलब्धि

क्र० सं०	राज्य का नाम	ग्राम विद्युतीकरण	पम्पसेटों/ट्यूबवैलों का ऊर्जन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,000	46,424
2.	असम	2,014	290
3.	बिहार	3,607	6,570
4.	गुजरात	900	12,001
5.	हरियाणा	(*)	9,461
6.	हिमाचल प्रदेश	870	138
7.	जम्मू और कश्मीर	315	91
8.	कर्नाटक	927	37,688
9.	केरल	(*)	6,665
10.	मध्य प्रदेश	3,939	37,255
11.	महाराष्ट्र	1,447	68,155
12.	मणिपुर	105	15
13.	मेघालय	141	—
14.	नागालैण्ड	65	—

1 2	3	4
15. उड़ीसा	1,240	3,491
16. पंजाब	(*)	47,545
17. राजस्थान	1,255	12,739
18. सिक्किम	42	—
19. तमिलनाडु	37	17,589
20. त्रिपुरा	205	67
21. उत्तर प्रदेश	4,662	23,740
22. पश्चिम बंगाल	726	4,234
जोड़ :	23,497	3,34,158

(*) शतप्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

विवरण-4

वर्ष 1984-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के सम्बन्ध में राज्यवार उपलब्धि

क्र० सं० राज्य	ग्राम विद्युतीकरण	पम्पसेटों/ट्यूबवैलों का ऊर्जन
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1,193	60,561
2. असम	2,251	351
3. बिहार	603	4,410
4. गुजरात	1,205	18,625
5. हरियाणा	(*)	10,452
6. हिमाचल प्रदेश	950	106
7. जम्मू और कश्मीर	176	91
8. कर्नाटक	1,425	45,413
9. केरल	(*)	13,999
10. मध्य प्रदेश	3,698	37,441

1 2	3	4
11. महाराष्ट्र	1,194	76,556
12. मणिपुर	70	12
13. मेघालय	124	3
14. नागालैण्ड	100	—
15. उड़ीसा	1,242	3,611
16. पंजाब	(*)	25,459
17. राजस्थान	1,211	18,159
18. सिक्किम	35	—
19. तमिलनाडु	27	50,950
20. त्रिपुरा	160	19
21. उत्तर प्रदेश	5,046	24,631
22. पश्चिम बंगाल	881	7,768
जोड़ :	21,591	3,98,617

* शतप्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है ।

[हिन्दी]

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कार्य योजनाएं तैयार किया जाना

1421. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किए गए सभी जिला उद्योग केन्द्रों का पहला काम कार्य योजनाएं तैयार करना था;

(ख) यदि हां, तो उन जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या क्या है जिन्होंने कार्य योजनाएं तैयार की हैं तथा इन योजनाओं में कौन-कौन से आवश्यक मुद्दे शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या कई जिला उद्योग केन्द्रों ने बिना कोई सर्वेक्षण किए मनमाने ढंग से कार्य योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) क्या राजस्थान के पाली जिले के लिए भी ऐसी कोई योजना तैयार की गई थी, यदि हां, तो उससे कितनी संख्या में कारीगर लाभान्वित हुए और कैसे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । यह पहले कार्यों में से एक था ।

(ख) सभी जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्यवाही योजनाएं तैयार कर ली हैं। फिर भी, जिला उद्योग केन्द्रों को उपयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद अपनी कार्यवाही योजनाओं को अद्यतन बनाने के लिए जून, 1983 में अनुदेश दे दिए गए थे। 150 जिला उद्योग केन्द्रों ने अपनी कार्यवाही योजनाओं को अब अद्यतन बना लिया है जिनमें संसाधनों, अवस्थापना जिले के उद्योग के स्थिति की जानकारी और जिले में विकास के लिए गुंजाइश रखने वाले उद्योगों, आवश्यक विशेष अवस्थापना, कार्यसम्बन्धी कार्यक्रम और प्रोफाइलों का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

जिला उद्योग केन्द्रों को जिले का उपयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद कार्यवाही योजनाएं तैयार करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं।

(घ) राजस्थान के पाली स्थित जिला उद्योग केन्द्र ने कार्यवाही योजना तैयार कर ली है। पाली के जिला उद्योग केन्द्र में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान लाभान्वित होने वाले कारीगरों की संख्या निम्नलिखित है :—

मद	वर्ष	
	1983-84	1984-85
1. स्थापित नये एककों की संख्या		
(क) कारीगर	27	270
(ख) लघु उद्योग	188	263
(ग) योग	215	533
2. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई ऋण सम्बन्धी सहायता (लाख रु०)	101.91	187.98
3. प्रदान किए गए रोजगार के अवसर (व्यक्तियों की संख्या)	1260	1568

[अनुवाद]

टेलीफोन प्रणाली में विभिन्न तकनीकों का लागू किया जाना

1422. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक के दौरान आयात तथा विकास माध्यम से उपयोग किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण तकनीकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभाग में टेलीफोन प्रणाली में विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से इन प्रणालियों के दैनिक रख-रखाव में गिरावट आई है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है तथा उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) ग्रेड-तीन तक के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसी प्रणालियों को आरम्भ करने से पूर्व इसके रख-रखाव के लिए ऐसी परिवर्तित प्रणालियों में प्रशिक्षण दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले दशक के दौरान जिन टेलीफोन प्रणालियों का आयात किया गया तथा जिन्हें प्रयोग में लाया गया था, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) जापान से आयातित सी-400 जापानी क्रासबार प्रणाली (दो) जापान से आयातित फेटेक्स 100 एल० एनालॉग इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली, (तीन) फ्रांस से आयातित ई-100 वी० डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली, (चार) हालैण्ड से आयातित पी० आर० एक्स० कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली (पांच) जापान से आयातित इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टी० ए० एक्स०)।

(ख) और (ग) जी नहीं। आयातित प्रणालियां बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। सप्लाईकर्त्ताओं के कार्य में स्टाफ को संस्थापन और अनुरक्षण में पर्याप्त प्रशिक्षण देने के साथ-साथ भारत में दूरसंचार विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में भी प्रशिक्षण दिया गया।

(घ) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की संख्या 219 है। अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

फ्रांस 145, स्वीडन-1, जर्मन संघीय गणराज्य-1, ब्रिटेन-12, नीदरलैण्ड-21, जापान-36, पश्चिम जर्मनी-1, नार्वे-2,

(ङ) अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 2278 है।

[हिन्दी]

लागू न किए गए अधिनियम

142. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद द्वारा पारित किए गए ऐसे अधिनियमों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) ये अधिनियम कब पारित किए गए थे;

(ग) क्या इन अधिनियमों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) इन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई आबंटन करने का आधार

1424. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, देश में मिट्टी के तेल की मीट्रिक टन में कुल कितनी आवश्यकता थी और ग्रामीणों, शहरी लोगों और उद्योगों में अलग-अलग मिट्टी के तेल की कितनी खपत थी;

(ख) राज्यों को मिट्टी का तेल किस आधार पर वितरित किया गया और क्या उसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसे दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके आधार पर उपभोक्ताओं को उचित दर पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा सके और यदि हां, तो क्या विभाग ने इस संबंध में किए गए कार्य का कभी मूल्यांकन किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को वितरण हेतु मिट्टी का तेल किस दर पर सप्लाई किया जाता है और उपभोक्ताओं को यह किस दर पर वितरित किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केरोसीन की मांग का निर्धारण 4 माह के ब्लाक के आधार पर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन पर 5% की वृद्धि दे करके किया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, तूफान, एल० पी० जी० साफ्ट कोक की कमी आदि विशेष परिस्थितियों में तदर्थ आधार पर अतिरिक्त रिलीजें भी की जाती हैं। तेल कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में केरोसीन की बिक्री निम्नलिखित रूप से की गई थी :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

वर्ष	बिक्री
1982-83	5122806
1983-84	5400272
1984-85	5852184

केरोसीन तेल का ग्रामीणों, शहरी नागरिकों तथा उद्योगों द्वारा किए गए उपभोग के आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं।

जबकि केरोसीन का आबंटन इस मन्त्रालय द्वारा किया जाता है तथा पश्चातवर्ती गतिविधियों पर तेल कम्पनियां नजर रखती हैं तथा इसके खुदरा वितरण पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का नियंत्रण होता है जिन्हें समय-समय पर इसके सुनिश्चित रूप से सामान्य वितरण के लिए परामर्श दिया जाता है। केरोसीन की उपलब्धता तथा वितरण की समय-समय पर सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों की बैठकों में पुनरीक्षा की जाती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निश्चित किए गए भण्डारण से बाहर के अधिकतम बिक्री मूल्य के आधार पर तथा अन्य कारणों जैसे —भाड़ा, बिक्री कर, चुंगी आदि को ध्यान में रख कर केरोसीन (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अधीन सम्बन्धित राज्य सरकारें केरोसीन के खुदरा बिक्री मूल्यों का निर्धारण करती है और लागू करती है। जबकि केरोसीन का भण्डारण से बाहर का प्रचलित मूल्य 1821 93 रु० प्रति किलो लीटर है परन्तु उपरोक्त कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसके खुदरा मूल्य में भिन्नता होती है। 1-4-1985 की यथास्थिति को कुछ नगरों में केरोसीन के खुदरा बिक्री मूल्य निम्न प्रकार से थे :—

	(रु०/प्रति लिटर)
बम्बई	2.03
कलकत्ता	2.12
दिल्ली	2.11
मद्रास	2.08
कानपुर	2.25

[अनुवाद]

बिजली की वितरण प्रणाली में सुधार

1425. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की वितरण प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है और इससे विभिन्न बिजली घरों की उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजली की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यद्यपि देश में पारेषण और वितरण प्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार करना आवश्यक है तथापि विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के पारेषण और वितरण के लिए वर्तमान प्रबन्ध सब मिलाकर पर्याप्त हैं।

(ख) पर्याप्त पारेषण और वितरण सुविधाओं का सृजन करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु तथा सघन मानीटरिंग द्वारा इनको समयानुसार पूरा सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रणाली सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तथा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत उच्च वोल्टता एवं निम्न वोल्टता केपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डाक तथा तार कर्मचारियों की मांगें

1426. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों ने 27 सितम्बर, 1985 को पूरे देश में अपने कार्यालय

के बाहर धरना दिए थे तथा रैलियां आयोजित की थीं जिनमें विभागेतर कर्मचारियों, आर० टी० पी० कर्मचारियों तथा नैमित्तिक श्रमिकों को प्रति वर्ष 30 दिनों का बोनस अतिरिक्त बोनस तथा पृथक समेकन भत्ता दिए जाने की मांग की गई थी।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है और सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और कब तक ये सुविधाएं कर्मचारियों को दे दी जाएंगी; और

(ग) कौन-सी ऐसी मांगें हैं जिन्हें स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है और उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अहमदाबाद को छोड़कर 27 सितम्बर, 1985 को कहीं भी धरना या जलूस नहीं निकाला गया।

(ख) और (ग) स्टाफ उत्पादकता सूचकांक के आधार पर 27-9-85 को 29 दिन के वेतन के उत्पादकता से जुड़े बोनस की घोषणा की गई थी। इस योजना में नैमित्तिक मजदूरों और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है और उनकी उत्पादकता के सम्बन्ध में कि उन्हें कितने दिनों का वेतन दिया जाना है, इसका निर्धारण करने के लिए एक ही फार्मूला है !

इस योजना में आर० टी० पी० को शामिल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस समय और सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विशेष रियायत तथा प्रोत्साहन

1427. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्धशहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अग्रिम राशि के भुगतान में क्या विशेष रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ख) उनका टैरिफ से राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य टेलीफोन कनेक्शनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रिम जमा राशि के बारे में जानकारी चाहती हैं जो इस प्रकार है :—

(एक) **अपना टेलीफोन श्रेणी**

एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता

	10,000 लाइनें और अधिक	1000 लाइनें और अधिक लेकिन 10,000 लाइनों से कम	1,000 लाइनों से कम
जमा राशि	8,000 रु०	6,000 रु०	5,000 रु०

(दो) "सामान्य" और "विशेष श्रेणियां"

मीटर वाले वसचेंज				एक्सचेंज प्रणाली की किस्म और क्षमता समान दर वाले एक्सचेंज	
10,000 लाइनों और अधिक	10,000 लाइनों से से कम	100 लाइनों से अधिक	100 लाइनों से कम	सीमित समय की सेवा प्रदान करने वाले 20 लाइनों से अधिक मैनुअल	सीमित समय की सेवा प्रदान करने वाले 20 लाइनों के मैनुअल
जमा राशि 1000 रु०	800 रु०	1000 रु०	100 रु०	100 रु०	100 रु०

(ख) अग्रिम जमाराशि को राजस्व नहीं माना जाता है अतः राजस्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अखिल भारतीय विद्युत निगम की स्थापना

1428. **श्री मोहनभाई पटेल :**
श्री चिंतामणि जेना :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक अखिल भारतीय विद्युत निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस निगम के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) देश में बिजली की समस्या का समाधान करने में यह निगम कहां तक सहायक होगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) अखिल भारतीय विद्युत निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तथापि, विद्युत वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बिजली की मांग और बिजली का उत्पादन

1429. **श्री मोहनभाई पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बिजली की वार्षिक अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) इस समय बिजली का कुल उत्पादन कितना है;

(ग) देश में बिजली की कमी कितने प्रतिशत है;

(घ) अन्तर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें बिजली संकट का सामना करना पड़ता है और उनकी समस्या हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) 1985-86 के दौरान देश की ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता 181 बिलियन यूनिट है जिसकी तुलना में ऊर्जा का प्रत्याशित उत्पादन 170 बिलियन यूनिट होने की संभावना है। देश में ऊर्जा की कमी लगभग 6.0 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

(घ) विद्युत के उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं; निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना तथा ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना। मांग और सप्लाई के बीच शेष अन्तर को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध भी लगाए जाते हैं।

(ङ.) अक्टूबर, 1985 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और केरल मोटे तौर पर अपनी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे।

हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत की मामूली ऊर्जा की कमी थी। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 10% की कमी थी जबकि कर्नाटक, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर में लगभग 20% की कमी थी। जहां तक सम्भव होता है फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों के लिए सहायता की व्यवस्था की जा रही है।

उड़ीसा में खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना

1430. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्वयंसेवी एजेंसियों और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन न दिए जाने के कारण उड़ीसा में खादी और ग्रामोद्योग खराब स्थिति में है;

(ख) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग अपनी बुनियाद इसलिए मजबूत नहीं कर पाया है कि राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों ने राज्य में उपलब्ध पर्याप्त कच्चे माल का समुचित उपयोग नहीं किया है;

(ग) क्या ग्रामीण कारीगरों को अनुभव प्राप्त करने और नई तकनीकी को सीखने के लिए कभी भी देश के अन्य भागों में नहीं भेजा गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन और रोजगार निम्न प्रकार रहा :—

	खादी		ग्रामोद्योग	
	उत्पादन (करोड़ रु०)	रोजगार (लाख व्यक्ति)	उत्पादन (करोड़ रु०)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1981-82	0.51	0.07	9.89	1.18
1982-83	0.60	0.06	9.51	0.83
1983-84	0.49	0.04	11.40	1.00

यह पता चलेगा कि इसमें कोई खास कमी-बेशी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कताई और बुनाई की उन्नत तकनीकों में स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए भुवनेश्वर में एक प्रशिक्षित केन्द्र खोला है ग्रामीण कारीगरों को देश के अन्य भागों में प्रशिक्षित प्राप्त करने के लिए भेजा है जिसके लिए राज्य में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा एरिथोमाइसिन और डाक्सीसाइक्लीन का उत्पादन

1431. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को दो आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं एरिथोमाइसिन और डाक्सीसाइक्लीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक औषधि को कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था;

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ने इन औषधियों का उत्पादन कब शुरू किया तथा प्रत्येक औषधि का उत्पादन आरम्भ करने के वर्ष से प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ;

(घ) प्रत्येक औषधि के लिए अधिष्ठापित क्षमता क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम द्वारा प्रत्येक औषधि के उत्पादन के लिए स्थापित संयंत्र और मशीनों का मूल मूल्य क्या था ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

औषध का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता (टन)	स्थापित क्षमता (टन)	संयंत्र और मशीनरी का मूल मूल्य (रु० लाख)
इरिथ्रोमाइसिन	36	36	205.48
डोक्सीसाइक्लीन	5	5	71.89

(ग) इरिथ्रोमाइसिन का उत्पादन 1980-81 के दौरान आरम्भ हुआ तथा डोक्सीसाइक्लीन का 1979-80 के दौरान/वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(यूनिट : एम० टी०)

वर्ष	इरिथ्रोमाइसिन	डोक्सीसाइक्सीन
1979-80	—	1.15
1980-81	3.6	2.21
1981-82	3.3	0.61
1982-83	—	0.014
1983-84	1.1	—
1984-85	—	—

जे० पी० नगर, बंगलौर में नया टेलीफोन एक्सचेंज

1432. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० पी० नगर बंगलौर में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने की कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह बंगलौर शहर का 6 फेस वाला सबसे बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज है; और

(ख) क्या जयनगर का विद्यमान टेलीफोन एक्सचेज उपर्युक्त नई एक्सटेंशन की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा जयनगर टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहा है तथा इसके स्थान पर जयनगर में ही 5000 लाइनों का बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज उसी अहाते में निर्मित नई इमारत में स्थापित किया जा रहा है जो जे० पी० नगर की टेलीफोन मांग को भी पूरा करेगा।

बंगलौर शहर में टेलीफोन एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलना

1433. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज हैं;

(ख) क्या विद्यमान टेलीफोन एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन टेलीफोन एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रामिक एक्सचेन्जों में बदलने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) शून्य।

(ख) जी हां। जब भी मौजूदा एक्सचेन्ज के उपस्कर अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे इन्हे इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदल दिया जाएगा।

(ग) बैंगलूर सेण्डल की 7000 लाइनें और पीनिया की 2000 लाइनों को सातवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आगरा में गैस पाइप लाइन

1434. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में एक गैस पाइपलाइन लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में स्थित उद्योगों को कोयले के स्थान पर गैस का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस सप्लाई की जा सकेगी, जो कि ताज और अन्य स्मारकों के संरक्षण के लिए आवश्यक है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय विद्युत निगम स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का मत

1435. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय विद्युत निगम की स्थापना न्यूनाधिक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ढांचे के अनुसार ही करने के बारे में अपने मत से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार का इस बारे में क्या मत है;

(ग) यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या मत है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अखिल भारतीय विद्युत निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्याधिकारियों और निदेशकों का चयन

1436. **श्री भोला नाथ सेन :**

श्री अमल दत्त :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों में मुख्य कार्याधिकारियों और निदेशकों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इन पदों के भरे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा ऐसे पदों के लिए कितने प्रत्याशी चुने गए हैं जिनकी नियुक्ति के लिए मूल मंत्रालयों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) मौजूदा रिक्तियों के लिए आवश्यक भर्ती सम्बन्धी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । स्थानापन्न व्यवस्था की गई है, जिससे कि इन उद्यमों के कार्य में कोई हानि न हो ।

(ङ) ऐसे पदों के लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा चुने गए उम्मीदवारों, जिनकी नियुक्तियों के लिए मूल मंत्रालयों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है, की संख्या 44 है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आज की तारीख को मुख्य कार्यपालक (पूर्णकालिक अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक) और कार्यकारी निदेशक की रिक्तियां

क्र०सं०	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त होने की तारीख
1	2	3
मुख्य कार्यपालक		
1.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग्स लि०	20-9-83
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	30-9-84

1	2	3
3	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	1-5-85
4.	रद्दी धातु व्यापार निगम	1-4-85
5.	ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	7-5-84
6.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स	15-4-85
7.	मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि०	24-6-85
8.	चाय व्यापार निगम	15-4-85
9.	ने० टे० का० (प० बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा)	1-9-85
10.	भारतीय उर्वरक निगम	16-7-85
11.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	1-10-85
12.	इंजीनियर्स इण्डिया लि०	1-6-84
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	1-10-85
14.	माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन	4-10-85
15.	अस्पताल सेवा परामर्शदायी निगम लि०	नया पद
16.	ग्राम विद्युतीकरण निगम	14-6-85
17.	भारतीय रूई निगम	1-6-85
18.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	1-1-85
19.	महाराष्ट्र एण्टिबायोटिक्स लि०	12-4-85
20.	दिल्ली परिवहन निगम	5-7-84
21.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	19-10-84
22.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम	29-5-85
23.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी	9-6-85
24.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	2-3-85
25.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	30-10-85
26.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	18-1-85
27.	भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इंजीनियर्स लि०	1-9-85
28.	राज्य फार्म्स निगम लि०	13-6-85
29.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	21-1 85

1	2	3
30.	भारतीय सड़क निर्माण निगम	2-1-85
31.	बामेर लारी एण्ड कम्पनी	1-10-85
32.	राज्य व्यापार निगम	1-8-85
33.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	15-11-85
	कार्यकारी निदेशक	
1.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो०	24-6-85
2.	निदेशक (चिकित्सा सेवा), भारतीय अस्पताल सेवा परामर्शदायी निगम	नया पद
3.	निदेशक (कार्मिक), एण्ड्र्यू यूले एण्ड कम्पनी	9-7-84
4.	निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन सेवा), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	20-2-85
5.	निदेशक (क्रय एवं विक्रय), कपास निगम	22-8-84
6.	निदेशक (उत्पादन), कुद्रेमुख आयरन और कं० लि०	1-8-85
7.	निदेशक (प्रचालन), हिन्दुस्तान कॉपर लि०	30-3-85
8	निदेशक (क्षेत्रीय इंजीनियरी), कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपो०	1-7-85
9.	निदेशक (विपणन), माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो०	1-9-85
10.	निदेशक (तकनीकी), इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलोजी डिवेल्पमेंट, कारपोरेशन	10-11-84
11.	कार्यपालक निदेशक (समुद्रीय मालवाही एवं यात्री सेवा), भारतीय नौवहन निगम	17-4-85
12.	निदेशक (कार्मिक), नेवेली लिग्नाइट कारपो०	1-5-85
13.	निदेशक (वाणिज्य), माझगांव डाक लि०	30-6-85
14.	निदेशक (पोत निर्माण), गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	27-12-83
15.	निदेशक (वित्त), ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी	30-8-85
16.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1-4-85
17.	निदेशक (वित्त), गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	1-10-85
18.	निदेशक (कार्मिक), भारतीय सीमेंट निगम	9-10-85
19.	प्रबन्ध निदेशक (मिग कम्प्लेक्स) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	9-8-85
20.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो०	8-7-85
21.	निदेशक (कार्मिक), बोंगाईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	8-4-85

1	2	3
22.	निदेशक (वित्त), इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलोजी डिवेल्पमेंट कारपो०	1-10-85
23.	सदस्य (इंजीनियरी), भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	3-11-85
24.	कार्यपालक निदेशक, नौवहन निगम	28-10-85
25.	निदेशक (प्रणाली एवं परियोजना), इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	1-3-85
26.	कार्यपालक निदेशक (विपणन), राज्य व्यापार निगम	20-10-85
27.	निदेशक (सिविल), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	19-11-85
28.	निदेशक (कार्मिक), भारी इंजीनियरी निगम	1-1-84
29.	निदेशक (वित्त), फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि०	1-12-84

* इसमें आस्थगित रखी गई रिक्तियां शामिल नहीं हैं।

सरकारी उद्योग चयन मण्डल की सिफारिशों पर प्रशासनिक मंत्रालय/सम्बद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा नियुक्तियां केवल मंत्रिमण्डल नियुक्ति समिति की स्वीकृति से ही की जाती है। विलम्ब वहां होता है, जहां चुने हुए व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने में समय लगाते हैं अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते हैं अथवा जहां विशिष्ट कार्यकुशलता सम्पन्न व्यक्तियों को खोजना पड़ता है।

खाना पकाने की गैस की बिक्री में वृद्धि

1437. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : 1984-85 के दौरान एल० पी० जी० की बिक्री में 1982-83 की तुलना में करीब 58% की वृद्धि हुई है। वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार हैं :--

वर्ष	एल० पी० जी० की बिक्री
1982-83	601,000 मी० टन
1983-84	746,000 मी० टन
1984-85	950,000 मी० टन

6 ए० पी० ए० के मूल्य में गिरावट

1438. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट के लिए निर्धारित 1677 रु० प्रति किलोग्राम में बिक्री मूल्य 6 ए० पी० ए० के 1230 रुपये प्रति किलो के पूल मूल्य पर आधारित है;

(ख) क्या दिल्ली और बम्बई के बाजारों में एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का वास्तविक बिक्री मूल्य 1425 रुपये प्रति किलो के पास आसपास है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान देश में उत्पादित 6 ए० पी० ए० पर राज-सहायता के रूप में कुल कितना धन व्यय किया गया और इस प्रकार की अदायगियों का औचित्य क्या है;

(घ) ए० पी० ए० और एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्राइट के उत्पादन की तुलना में उसकी कितनी मांग है; और

(ङ) क्या 1425 रु० प्रति किलो पर एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का 6 ए० पी० ए० मूल्य घटाने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादक एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट को इस औषध के लिए निर्धारित 1677 रु० प्रति कि० ग्रा० के अधिकतम बिक्री मूल्य से अनधिक मूल्य पर बेचने को स्वतन्त्र है ।

(ग) 6 ए० पी० ए० के मूल्य निर्धारण की वर्तमान पद्धति में स्वदेशी उत्पादन के लिए 2100 रु० के प्रतिधारित मूल्य तथा 1230 रुपये प्रति कि० ग्रा० के संगृहीत मूल्य तथा देश में उत्पादित 6 ए० पी० ए० के स्वदेशी मूल्य पर 870 रुपये प्रति कि० ग्रा० की आर्थिक सहायता के भुगतान की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1983-84 और 1984 85 के दौरान, आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल० मैक्स और एलेम्बिक को अन्य बातों के साथ-साथ 6 ए० पी० ए० के स्वदेशी उत्पादन के लिए 186.12 लाख रु० की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था ।

(घ) देश में एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है । 6 ए० पी० ए० की मांग की अंशतः स्वदेशी उत्पादन से और अंशतः आयात से पूर्ति करनी पड़ती है ।

(ङ) मूल्यों का सतत पुनरीक्षण किया जाता है ।

पूंजी के अति मूल्यांकन किए जाने के कारण औषधों के मूल्य में वृद्धि

1439. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों में पूंजी का अति-मूल्यांकन किया गया है जिसके कारण अन्ततः औषधियों के मूल्य बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो लघु एककों अर्थात् एम्पिसिलिन, सल्फा मेथोक्सीजन ट्राइमेथोप्रिम, पाइराजिनामाइड, 6 ए० पी० ए० आदि के एककों द्वारा लगाई गई पूंजी की तुलना में औषधों और ड्रग इन्टरमीडिएट्स के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) ऐसा कोई विशिष्ट दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि विभिन्न एककों की उत्पादन प्रक्रियाएं, दक्षताएं तथा ऊपरिव्यय एक समान नहीं हो सकते, इसलिए उत्पादन लागत विभिन्न होती है।

औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रण बाह्य वर्ग की वस्तुएं

1440. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत औषधियों का एक नियन्त्रण बाह्य वर्ग रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नियन्त्रण बाह्य वर्ग के अन्तर्गत आने वाली अधिकांश औषधियों का मूल्य 500 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर दिखाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इसको किस प्रकार उचित ठहराती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस बात से किस प्रकार इन्कार कर सकती है कि नियन्त्रण बाह्य वर्ग से उपभोक्ता का शोषण नहीं होता है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क), (ग) और (घ) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अधीन मूल्य निर्धारण की योजना में निर्माताओं के लिए मूल्य नियन्त्रित श्रेणी के फार्मूलेशनों में कम मार्क-अप की तुलना में मूल्य अनियंत्रित श्रेणी के फार्मूलेशनों में उच्च लाभ को समाप्त करने की परिकल्पना है। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के कार्यान्वयन से दवाइयों के मूल्य सन्तुलित करने में सहायता मिली है।

(ख) चूंकि इन उत्पादों पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है अतः मार्क-अप के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

हाजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के लिए टेंडर स्वीकार करना

1441. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर के निर्माण के लिए किसी फर्म से टेंडर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टेंडर को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) उस फर्म का नाम क्या है जिसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया है और कितनी राशि के टेंडर दिए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है ।

न्यायिक सुधार सम्बन्धी आयोग की स्थापना

1442. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सुधार सम्बन्धी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रस्तावित आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार ने न्यायिक सुधारों के लिए एक आयोग गठित करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) औपचारिक रूप से आयोग की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) यह एक सदस्यीय आयोग होगा और इसके अध्यक्ष का नाम अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

गुजरात में जारी किए गए आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

1443. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात में 1983 से जून, 1985 की अवधि के दौरान जारी किए गए अधिकांश औद्योगिक लाइसेंस रसायन, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक उद्योगों से सम्बन्धित है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : गुजरात राज्य में एककों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983, 1984 और जनवरी-जून, 1985 में स्वीकृत किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या के अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गुजरात राज्य में एककों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983, 1984 और जनवरी-जून, 1985 में स्वीकृत किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या के अनुसूचित उद्योगवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	अनुसूचित उद्योग	स्वीकृत आशय पत्रों की संख्या	स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की सं०
1	2	3	4
1.	धातुकर्मी उद्योग	25	34
2.	प्राइम मूवर्स (बिजली के जनरेटरों से भिन्न)	2	1
3.	विद्युत उपकरण	50	36
4.	दूर संचार	17	5
5.	परिवहन	13	5
6.	औद्योगिक मशीनें	22	16
7.	मशीन टूल्स	1	3
8.	मिट्टी हटाने वाली मशीनें	1	—
9.	विविध, मैके० तथा इंजीनियरी उद्योग	21	9
10.	वाणिज्यिक, कार्यालय एवं घरेलू उपकरण	—	1
11.	औद्योगिक उपकरण	2	2
12.	वैज्ञानिक उपकरण	1	1
13.	उर्वरक	1	1
14.	रसायन (उर्वरकों से भिन्न)	66	43
15.	औषधि एवं भेषज	33	16
16.	वस्त्र (रंगे, छपे या अन्यथा प्रक्रियायित वस्त्र)	15	22
17.	कागज और लुगद कागजों के उत्पाद सहित	2	2
18.	चीनी	1	5
19.	खाद्य परिशोधन उद्योग	4	5
20.	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	9	8

1	2	3	4
21.	साबुन, प्रसाधन एवं अंगराग सामग्री	3	2
22.	रबर का सामान	2	1
23.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	3	—
24.	सरेस और जिलेटिन	1	—
25.	कांच	3	1
26.	सिरेमिक	5	3
27.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	9	10
28.	विविध उद्योग	—	1
	जोड़	312	233

औषध मूल्य, समीकरण कोष का उपयोग

1444. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) औषध मूल्य समीकरण कोष का ब्यौरा क्या है और यह कोष किस प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कोष की स्थापना वर्ष 1979 में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 जारी किए जाने के समय की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1985 तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है और इस धन-राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) औषध मूल्य समीकरण कोष की स्थापना के प्रयोजन का वर्णन औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के पैराग्राफ 17 में किया गया है ।

(ग) 31 अक्तूबर, 1985 के अन्त तक इस कोष में 884.97 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई थी और इस राशि में से निर्माताओं को 753.85 लाख रुपए की राशि का भुगतान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा औषधियों की बिक्री

1445. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा बेची जाने वाली औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितनी औषधियां व्यापार माध्यमों से बेची जाती हैं और कौन-सी औषधियां संस्थागत विक्रय अर्थात् अस्पतालों आदि को सप्लाई करके बेची जाती हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० व्यापार माध्यमों से 54 प्रपुंज औषधों का विपणन कर रही है। 133 फार्मूलेशन तथा 18 पशु चिकित्सा औषधें संस्थानों को तथा व्यापार माध्यमों के द्वारा बेची जा रही हैं। 30 फार्मूलेशन तथा 30 पशुचिकित्सा औषधें केवल संस्थानों को बेचे जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासकीय खर्चों में कटौती

1446. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो को अपने प्रशासकीय खर्चों में कटौती करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस कदम से इन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों को सलाह दी गई है कि :—

(क) राजस्व व्यय में सर्वाधिक किफायत बरतें तथा सत्कार, अतिथि-गृहों, यात्रा आदि सम्बन्धी विविध व्यय को यथासम्भव कम से कम रखें;

(ख) राजस्व क्षमता, उत्पादकता एवं लाभ पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रचालन सम्बन्धी व्यय की अनावश्यक मदें हटाने की सम्भाव्यता खोजें; और

(ग) यथासम्भव मितव्ययता की दृष्टि से वेतन एवं भत्तों तथा यात्रा भत्तों की व्यवस्था की गहन समीक्षा करें।

किन्तु, पद बनाने एवं भरने पर लगी हुई वर्तमान रोक को आंशिक रूप से हटा लिया गया है तथा मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यमों को केवल अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे—नई परियोजनाओं को चालू करने, वर्तमान कार्यों का विस्तार करने,, सांविधिक आवश्यकताओं अथवा कार्यों के विविधीकरण मे अपने निदेशक मण्डल की पूर्व स्वीकृति से ही पद बनाने एवं भरने का प्राधिकार दिया गया है। सरकारी उद्यमों द्वारा ये नये पद/रिक्तियां केवल तभी बनायी और भरी जाएंगी, जबकि वे उचित माध्यम से वर्तमान जन-शक्ति के उपयोग, प्रशिक्षण एवं परि-नियोजन के सभी अन्य साधन काम में ले लें। इन सदुपायों के कार्यान्वयन की प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा भी निगरानी की जाएगी। आशा है कि इन सदुपायों से उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को एक सीमित हद तक सुधारा जा सकेगा।

केरल के पठानमथिता में एस० टी० डी० सुविधाएं

1447. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पठानमकिता सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन सेवा (एस० टी० डी०) की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्माण कार्य चल रहा है तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा सुलभ किए जाने की सम्भावना है।

फेनबेन्डाजोल को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में शामिल न किया जाना

1448. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्थेलमिन्टिक्स ग्रुप की औषधियां पर आधारित फार्मूलेशन्स औषधि मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं;

(ख) क्या फेनबैन्डाजोल औषधि को मूल्य नियन्त्रण में शामिल नहीं किया गया है जबकि मेबेन्डाजोल को उसमें शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स हैक्स ने फेन्बेंडाजोल का उत्पादन आरम्भ करने के बाद मूल्य निर्धारण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि आवेदित मूल्य और आयात की अवतरित लागत में बहुत अधिक अन्तर नहीं था तथा चूंकि इस प्रपुंज औषध का कोई अन्य उत्पादक नहीं था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस प्रपुंज औषध को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 की सूची में शामिल न किया जाए। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 में मेबेन्डाजोल भी शामिल है।

[हिन्दी]

टेलीफोन के अधिक राशि के बिल

1449. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 के जनसत्ता में "गलती करे कम्प्यूटर सजा भुगे उपभोक्ता" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है ?

(ख) यदि हां तो उन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जहां पर अब तक गलत तरीके से टेलीफोन के अधिक राशि के बिल बनाकर ऐसी गलतियां हुई हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गलतियों को तुरन्त सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या उन उपभोक्ताओं, जिनके टेलीफोन कनेक्शन इस आधार पर काटे गए हैं, से जुर्माना वसूल किए बिना उन्हें तुरन्त कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन द्वारा अक्तूबर, 1985 के दौरान जारी किए गए कुल 1,46,000 कंप्यूटरीकृत बिलों में से 63 मामलों में गलत राशि के बिलों का पता चला है। ये बिल ओखला और नेहरू प्लेस एक्सचेंजों से सम्बन्धित हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा गलत राशि के बिलों की सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद उनके बदलने, संशोधित बिल जारी करने तथा प्रभावित उपभोक्ताओं को उचित राहत देने के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

(घ) गलत बिलों का भुगतान न करने पर कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं काटा गया।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शीरे पर से नियन्त्रण हटाना

1450. **श्री के रामसूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया अल्कोहलबेसड इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है यदि शीरे पर नियंत्रण हटाने के लिए कोई कदम उठाया गया तो उद्योग पर उसके गम्भीर प्रभाव पड़ेंगे;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) प्रति वर्ष कितनी अल्कोहल का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को कितनी मात्रा में अल्कोहल की सप्लाई की जा रही है तथा इन उद्योगों की प्रति वर्ष कितनी अल्कोहल की आवश्यकता है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अलकोहल पर आधारित उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर उचित विचार करने के पश्चात और सम्बन्धी नीति का निर्णय लिया जाएगा।

(ग) दिनांक 16-3-85 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की पिछली बैठक के समय, वर्तमान अलकोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर, 1984-नवम्बर, 1985) के दौरान 6000 लाख लिटर अलकोहल के उत्पादन का अन्दाज लगाया गया था।

(घ) चूंकि अलकोहल की अनुमानित उपलब्धता इसकी मांग से कम थी, इसलिए यह निर्णय किया गया कि पेय अलकोहल की मांग को 1982-83 के उपयोग स्तर के तुल्य माना जाए तथा

औद्योगिक उपभोग के लिए 1983-84 के उपभोग स्तर पर 100 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी जाए। उस आधार पर औद्योगिक उपयोग के लिए अलकोहल की मांग लगभग 3000 लाख लिटर लगाई गई, जबकि वर्तमान अलकोहल वर्ष की सम्भावित मांग 4420 लाख लिटर थी। औद्योगिक उपयोग के लिए अलकोहल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सीमा शुल्क मुक्त डिनेचर्ड स्पिरिट के आयात की भी स्वीकृति दी गई है।

कृतिम रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1451. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी कृत्रिम रबड़ संयंत्रों के क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कृत्रिम रबड़ संयंत्रों में स्थापित क्षमता का कम उपयोग इस कारण है क्योंकि उद्योगों को दक्षिण कोरिया, जापान और ताईवान जैसे देशों से ओ० जी० एल० के अन्तर्गत कृत्रिम रबड़ को आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो देश में कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान सिन्थेटिक रबड़ संयंत्रों के क्षमता उपयोग के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

एकक का नाम	क्षमता (टन/नर्म)	अप्रैल-सितम्बर के दौरान उत्पादन
1. मै० सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लि०	30,000	12,700
2. मै० इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	20,000	*5,800

* मुख्यतः उपकरण, पावर और कच्चे माल की समस्याओं के कारण कम उत्पादन हुआ।

(ख) सिन्थेटिक रबर का आयात मुख्यतः इस कारण किया जाता है कि स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) दो ग्रास रूट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 40,000 टन है।

दूरसंचार में सुधार के लिए योजनाएं

1452. **श्री श्रीहरि राव :**

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला मुख्यालयों को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी प्रणाली/माइक्रोवेव/कोक्सियल/उपग्रह जैसे कम से कम एक विश्वसनीय माध्यम से राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ने की योजना है;

(ख) इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार की देश में दूरसंचार प्रणाली को आंगलिक को (डिजीटलाइज) बनाने की नीति है और क्या यह दूरसंचार में सुधार करने के लिए की जा रही कार्यवाही का एक भाग है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1985-86 के दौरान प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। यह प्रणाली छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू की जा चुकी है ?

(ख) सातवीं योजना में पारेषण माध्यम सुलभ कराने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने की लागत शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) सातवीं योजना के दौरान डिजीटल एक्सचेंज की 71,000 लाइनें तथा 100 कि० मी० डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है।

टेलीफोनों की बढ़ी हुई राशि के बिल

1453. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि टेलीफोन प्रयोक्ताओं को बड़ी राशि के और गलत नम्बर मिलने के कारण भारी असुविधा और परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत महीनों के दौरान गत वर्ष उसी अवधि की तुलना में गलत बिल दिए जाने/गलत नम्बर मिलने के कितने मामले हुए हैं; और

(ग) सरकार ने प्रयोक्ताओं को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। हमें तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि कुछ उपभोक्ता अधिक राशि के बिल जारी होने के बारे में शिकायत करते हैं लेकिन जारी किए गए बिलों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है अर्थात् 1 प्रतिशत से भी कम। टेलीफोन प्रणाली में गलत कालों की घटनाएं भी बहुत कम हैं अर्थात् औसतन 0.52 प्रतिशत है।

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गत छः माह के दौरान अधिक राशि के बिल जारी होने के मामलों की संख्या नीचे दी गई है। जहां तक गलत नम्बर मिलने का प्रश्न है, कुल मीटर की गई कालों की संख्या से इन कालों को अलग रखना सम्भव नहीं है।

अवधि	अधिक राशि के बिलों से सम्बन्धित शिकायतों की सं०
(एक) अप्रैल 84 से सितम्बर 84	46490
(दो) अप्रैल 85 से सिम्बर 85	44885

(ग) अधिक राशि के बिल निम्नलिखित कारण से हो सकते हैं :

(एक) मीटर रीडिंग के गणना में लिपिकीय गलती अथवा प्रतिलिपि तैयार करने में गलती अथवा पंचिंग कार्य में अशुद्धि ।

(दो) तकनीकी दोष ।

(एक) लिपिकीय गलती के बारे में, सभी यूनिटों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि बिल बनाने में पूरी सावधानी बरती जाए और यदि कोई गलती हो तो उसे तुरन्त ठीक किया जाए और उपभोक्ता को उसकी जानकारी कराई जाए । इसके अतिरिक्त, गणना में गलती कम करने के लिए महानगरीय टेलीफोन जिलों जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्लो और मद्रास की गणना व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है ।

(दो) जहां तक तकनीकी दोषों का सम्बन्ध है, उसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(एक) क्रासबार एक्सचेंजों में फोजिटिव बैटरी मीटरिंग व्यवस्था प्रारम्भ करना ।

(दो) दिन तथा रात्रि ट्राफिक के लिए आटोमेटिक स्विच ओवर की व्यवस्था करना ।

(तीन) यदि उपभोक्ता ट्रंक काल करता है और जिस उपभोक्ता को ट्रंक कॉल की जाती है, उसके द्वारा होल्ड करने की स्थिति में फोरर्ड नीलीज को 1 से 2 मिनट से घटा कर 10 से 20 सेकिंड करना ।

(चार) काल किए गए उपभोक्ता के उत्तर की पहचान के लिए ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों में 500 मिली सेकेंड डिले प्रारम्भ करना ।

(पांच) उपभोक्ता मीटर की रुटीन जांच ।

उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए तथा अपराधी तत्वों द्वारा मीटर अथवा लाइन के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :—

(क) मीटर सील करना ।

(ख) मीटर कक्ष में ताला लगाना ।

(ग) मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष में प्रवेश रोकना ।

(घ) वितरण प्वाइन्ट ऊपर उठाना ।

(ङ) वितरण प्वाइन्ट में ताला लगाना ।

जहां तक गलत नम्बर की कालें मिलने का प्रश्न है, इस प्रकार के मामलों को कम से कम रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(एक) उपभोक्ता के अहाते में टेलीफोन उपकरण के निरीक्षण के एक कार्य के रूप में छः महीने में एक बार टेलीफोन उपकरण के डायल की जांच की जाती है।

(दो) टेलीफोन उपकरणों सहित उपभोक्ता की फिटिंग का पूरी तरह से नियन्त्रण।

(तीन) टेलीफोन एक्सचेंजों के दोष के कारण गलत नम्बर मिलाने वाले उपस्कर की प्रत्येक सप्ताह स्वचल रुटीनरों के माध्यम से कार्यकरण की जांच की जाती है ताकि इस समस्या को कम से कम किया जा सके।

(चार) उपभोक्ता की लाइन के इंसूलेशन में सुधार लाने के लिए वितरण नेटवर्क में जैली भरे केबिलों का प्रयोग किया जा रहा है तथा भूमिगत केबिलों का ट्राई एअर द्वारा दाबीकरण किया जा रहा है।

(पांच) डायल करते समय मानवीय गलती से बचने के लिए टेलीफोन निर्देशिका में ठीक डायलिंग सम्बन्धी अनुदेश छापे गए हैं। ठीक तरीके से डायल करने के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने के लिए सिनेमाघरों में स्लाइड्स दिखाए जाते हैं।

(छः) जिन उपभोक्ताओं के नम्बर बन्द कर दिए जाते हैं वे इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सूचना दें। उपभोक्ता द्वारा अपने परिचयपत्र, शीर्ष पत्र और साइन बोर्डों आदि पर सही नम्बर मुद्रित किया जाए/प्रदर्शित किया जाए।

(सात) प्रत्येक उपभोक्ता के लिए यह एक अच्छी आदत है कि वह अपनी टेलीफोन नम्बरों की सूची अद्यतन रखे जिनसे वह अक्सर संपर्क करता हो।

(आठ) रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घरेलू गैस एजेंसी आदि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जिनके पास भारी संख्या में काल मिलाई जाती हैं, को अपने बदले हुए नम्बरों को विभाग की अपेक्षा अनेक बार प्रकाशित करें।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि

1454. **श्री श्रीहरि राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं और उनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या वे देश के आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार सभी तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हालांकि सकल शोधन क्षमता कुल मांग से अधिक है फिर भी कुछ उत्पादों की मांग पूर्णतया: पूरी नहीं हो पा रही है।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों में मथुरा, कोयाली तथा बोगाईगांव स्थित शोधनशालाओं में विस्तार/डिवॉट्लनेंकिग सम्मिलित हैं।

विवरण

(मिलियन मीट्रिक टनों में)

क्रं० सं०	रिफाइनरी का नाम तथा स्थान	1-4-85 को स्थापित क्षमता
1.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई	6.00
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई	3.50
3.	कोचीन रिफाइनरीज लि०, कोचीन	4.50
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० विशाखापटनम	4.50
5.	मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास	4.60
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०, बोगईगांव (असम)	1.00
7.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, हल्दिया	2.50
8.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, बरौनी	3.30
9.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, गौहाटी (असम)	0.85
10.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, दिग्बोई (असम)	0.50
11.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, कोयाली	7.30
12.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, मथुरा	6.00
		45.55

महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग जिले के गांवों में तार और टेलीफोन सुविधाओं वाले डाक घर

1455. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले में कुछ गांवों ने तार और टेलीफोन सुविधाओं वाले डाकघरों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सिन्धुदुर्ग जिले में ऐसी सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में 14 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पांच ग्रामों में अर्थात् मध्य शिवडी, धौली, सुकावाड, आदीवारे और पंडुर में दूरसंचार सुविधा प्रदान की गयी है। टोचल कट्टो, सावदव, हताड़े, नारंगरा, पियुलवाडा, वालावल, पटगांव और मवाने के अन्य ग्रामों में दूरसंचार सुविधा देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ग) मामलों पर वित्तीय और साज-सामान के स्रोतों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

कोयला कम्पनियों के विभाजन करने का प्रस्ताव

1156. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कम्पनियों के विभाजन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्तमान दो कम्पनियों वेस्टर्न कोलफील्ड्स और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स का विलय किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के लिए उत्पादन में परियोजित वृद्धि और निवेश, इन दोनों कम्पनियों के कार्य-स्थल का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, प्रबन्ध तकनीक और संचार की समस्याएं आदि बातों पर विचार करके भारत सरकार ने कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियों के रूप में दो नई कम्पनियां बनाने का अनुमोदन कर दिया है। यह कम्पनियां विद्यमान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का विभाजन करके उस दिन से बनाई जाएंगी जिस दिन से वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित की जाएं। इनमें से एक कम्पनी का नाम होगा "नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०"। इसका मुख्यालय सिंगरौली (म० प्र०) में होगा और इसका कार्य-क्षेत्र वर्तमान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० का "सिंगरौली प्रभाग" होगा। दूसरी कम्पनी का नाम होगा "साउथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०"। इसका मुख्यालय बिलासपुर (म० प्र०) होगा।

केरल में मिनी/माइक्रोपन बिजली घरों की स्थापना

1457. **श्री के० कुन्जम्बु** :
श्री बी० एस० विजयराघवन :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी/माइक्रोपन बिजली घरों की स्थापना करने के लिए केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लिया गया नि०
1.	मुवाथुपुझा	1×6	780.2	राज्य योजना में शामिल करने के लिए स्कीमों की सिफारिश योजना आयोग को कर दी गई है।
2.	मालमपुझा	1×2.5	294.6	
3.	मुडापट्टी	1×2	292.3	
4.	चिमोनी	1×2.5	313.72	

गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के विकास में प्रगति

1458. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन संसाधनों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारी बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) बायो गैस, विभिन्न माडलों के उन्नत प्रकार के चूल्हे और सौर तापीय ऊर्जा युक्तियों की एक श्रेणी विकसित हो चुकी है और उस स्तर तक बढ़ चुकी है जहां देश के विभिन्न भागों में उनका प्रयोग अब बड़े पैमाने पर हो रहा है तथा यह प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों को देखते हुए यह प्रौद्योगिकियां आर्थिक दृष्टि से पहले ही व्यावहारी प्रमाणित हो रही हैं। इसके साथ-साथ, सूर्य की गर्मी के विद्युत में सीधे रूपान्तरण के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है तथा टेलीफोन को विद्युत, गली रोशनी, सामुदायिक रोशनी, पीने के पानी की आपूर्ति तथा गांव में दूर संचार, विशेषकर दूरस्थ और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, प्रदान करने के लिए वास्तव में आरम्भ की गई सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है। परम्परागत ऊर्जा विकल्पों की तुलना में ये युक्तियां दूरस्थ क्षेत्रों में सुनिश्चित लघु शक्ति अनुप्रयोगों के लिए पहले से ही किफायती हैं। पवन पम्पों का भी विकास हो चुका है तथा प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षण के प्रयोजनों के लिए 1000 से अधिक पवन पम्प कार्य कर रहे हैं। विद्युत के पर्याप्त उत्पादन के लिए पवन विद्युत फार्म कार्यान्वियन के अधीन हैं। इंधन उत्पादन के लिए गैसीफायर और कृषि अपशिष्ट, काष्ठ और काष्ठ अपशिष्ट से विद्युत का भी विकास हो चुका है तथा इनका क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ,

विभिन्न बायो-ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागतों को पुनः कम करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को अधिक तीव्र किया जा चुका है।

राज्यों में विद्युत उत्पादन एककों की क्षमता उपयोग में वृद्धि

1459. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन एककों की क्षमता उपयोग में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एककों की क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षमता के और अधिक उपयोग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जल विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का पैरामीटर संयंत्र भार अनुपात नहीं है क्योंकि उनकी क्षमता का समुपयोजन मुख्य रूप से डिजाइन की क्षमता और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 1982-83 में 49.4 प्रतिशत, 1983-84 में 47.9 प्रतिशत, 1984-85 में 50.1 प्रतिशत था। वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रवार संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(2) अपेक्षित गुणवत्ता वाला और पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त करने के लिए और स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(3) ऐसे कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है तथा सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरे करना।

(4) इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(5) केन्द्रीय ऋण सहायता से ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित करना।

विवरण

1982-83 से 1984-85 तक के दौरान संयंत्र भार अनुपात

राज्य/केन्द्र	संयंत्र भार अनुपात (%)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
दिल्ली			
बदरपुर	49.1	48.7	47.8
आई० पी० केन्द्र	53.0	50.2	61.7
राजघाट	31.0	23.2	30.6
हरियाणा			
फरीदाबाद विस्तार	28.3	27.9	27.9
पानीपत	35.9	32.6	39.7
अन्य	26.8	46.3	42.6
जम्मू व कश्मीर			
कालाकोटा	1.0	1.5	0
राजस्थान			
कोटा	—	72.3	61.9
पंजाब	—	—	79.4
उ० प्र०**			
ओबरा	43.4	35.7	29.7
हरदुआगंज ख	34.6	36.3	34.1
हरदुआगंज ग	33.8	35.8	25.1
हरदुआगंज क	24.7	20.5	32.0
पंकी	50.8	46.8	48.8
आर० पी० एच० (कानपुर)	20.4	24.5	24.8
अन्य	9.0	7.6	24.9
सिंगरौली सु० ता० वि० के०	64.2	55.7	59.3
**भटिण्डा	51.0	57.0	61.0
रोपड़	—	—	79.4

1	2	3	4
गुजरात			
धुवारण (टी०)	75.3	69.1	66.2
धुवारण (जी० टी०)	18.2	—	—
उकई	58.3	49.6	50.5
गांधीनगर	41.5	63.1	39.8
वानकवोरी	46.4	48.1	59.2
उतराण	69.6	64.4	59.7
अन्य	4.2	12.4	9.9
ए० ई० कम्पनी (प्राइवेट)	63.7	77.3	71.3
साबरमती (प्राइवेट)	77.4	73.2	71.4
म० प्र०			
सतपुड़ा	61.6	52.4	48.5
कोरबा—1	50.7	55.3	55.1
कोरबा—2	65.2	64.7	44.3
कोरबा—3	61.5	35.8	56.2
कोरबा पश्चिम	—	64.8	47.2
अमरकंटक	46.7	59.2	65.9
कोरबा सु० ता० वि० के०	—	62.1	52.2
महाराष्ट्र			
नासिक	46.1	51.1	51.9
कोराडी	55.8	44.0	36.0
खापरखेड़ा	25.1	28.2	18.6
पारस	53.1	43.9	34.4
भुसावल	30.1	47.0	45.7
पारली	75.3	69.9	74.2
चन्द्रपुर	—	—	45.2
उरान (जी० टी०)	56.9	75.6	61.6
अन्य	53.9	46.8	27.9

1	2	3	4
ट्रोम्बे (प्राइवेट)	75.1	75.1	65.7
चोला (रेलवे)	34.2	45.8	49.1
आन्ध्र प्रदेश			
कोठागुडम क	49.9	58.2	58.9
कोठागुडम ख	27.0	24.2	32.1
कोठागुडम ग	27.1	28.5	38.2
रामागुण्डम ख	77.4	72.7	50.4
नेल्लौर	28.9	55.4	44.5
विजयवाड़ा	79.1	84.2	77.4
अन्य	13.7	3.7	1.7
रामागुण्डम सु० ता० वि० के०	—	—	57.4
कर्नाटक			
रायचूर	—	29-3-85 को चालू किया गया	
तमिलनाडु			
इन्नौर	37.6	77.9	36.2
बेसिन ब्रिज	27.0	14.1	14.2
टूटिकोरिन	53.0	50.5	62.0
नेयवेली	73.0	74.2	77.2
बिहार			
पतरातू	40.5	34.3	33.0
बरौनी	30.2	26.3	21.3
दा० घा० नि०			
चन्द्रपुर	50.5	5413	52.8
दुर्गापुर	46.2	35.0	40.3
बोकारो	51.3	54.0	51.0
पश्चिम बंगाल**			
बंडेल	57.5	44.9	48.4
संथालडीह	30.5	27.4	24.7

1	2	3	4
गौरीपुर	17.5	11.8	12.2
गैस टर्बाइन	21.7	—	—
सी० ई० एस० सी० (प्राइवेट)	57.6	50.2	45.6
टीटागढ़	—	60.9	71.3
डी० पी० एल०	36.0	30.3	28.7
असम			
नामरूप	37.3	38.5	38.2
चन्द्रपुर	41.9	49.7	35.0
बोंगईगांव	15.4	19.5	15.9
लकवा जी० टी०	65.4	47.1	37.8
अन्य	48.9	48.8	36.4
**उड़ीसा			
तलचेर	35.2	33.3	32.2

फरक्का की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की यूनिट की विभिन्न यूनिटों को चालू करना

1460. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की यूनिट की विभिन्न यूनिटों को चालू करने की योजना और कार्यक्रम क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की यूनिटों का अनुमोदित कार्यक्रम तथा चालू करने का वर्तमान प्रत्याशित कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :—

यूनिट/क्षमता	सरकार द्वारा अनुमादित कार्यक्रम	इस समय प्रत्याशित कार्यक्रम
यूनिट-1 (200 मेगावाट)	मई, 1985	जनवरी, 1985
यूनिट-2 (200 मेगावाट)	नवम्बर, 1985	जून, 1986
यूनिट-3 (200 मेगावाट)	मई, 1986	दिसम्बर, 1986
यूनिट-4 (500 मेगावाट)	1990-91	1990-91
यूनिट-5 (500 मेगावाट)	1991-92	1991-92

विलम्ब मुख्य रूप से श्रमिक सम्बन्धी समस्याओं और बिहार और पश्चिम बंगाल में भूमि के अधिग्रहण में आई कठिनाइयों के कारण हुआ है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से परियोजना प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देने के लिए कहा गया है तथा परियोजना की प्रगति को समुचित मानीटरिंग की जा रही है।

लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना

1461. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए नियुक्त कार्य दल ने तत्काल एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का सुझाव दिया था, जिससे लघु उद्योगों को अपनी योजनाओं को आधुनिक बनाने तथा उक्त प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

लागत में वृद्धि की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिपूर्ति

1462. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लागत में वृद्धि की प्रशासनिक खर्च में वृद्धि करके पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि लागत में वृद्धि के एक अंश की उत्पादन लागत के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा इसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली और बम्बई टेलीफोन प्रशासनों का निगम में बदलना

1463. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली टेलीफोन प्रशासनों को निगमों में बदलने के कार्य में आगे कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या ऐसी निगमों के देश में और देश से बाहर ऋण मिलने की संभावना है; और

(ग) क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत कम से कम महासागरों में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची को वर्ष 1990 तक पूरा किया जा सके ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रस्ताव का उद्देश्य संसाधनों में वृद्धि करना है ।

(ग) जी नहीं ।

कोयला खानों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की प्रक्रिया शुरू करना

1464. **श्रीमती किशोरी सिंह :**
श्री नारायण चौबे :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 29 अक्तूबर, 1985 को घोषणा की थी कि कोयला खानों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध में किन स्तरों पर भाग लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है;

(ग) क्या कोयला खानों में श्रमिक संघों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है और भाग लेने वाले कार्यों के लिए श्रमिक प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां ।

(ख) शुरू में इस योजना को यूनिट स्तर अर्थात् कोलियरी स्तर पर लागू किया जाएगा और अन्य स्तरों पर इस योजना धीरे-धीरे चरणों में लागू किया जाएगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यूनियन का सदस्य बन चुका प्रत्येक कामगार गुप्त मतदान द्वारा यह बताएगा कि कामगार-हित पर वार्ता-मंचों में किस यूनियन को उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए । मतदान कार्य का संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) करेंगे । यूनियन का सदस्य बन चुके कामगारों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक मत पाने वाली यूनियनें, प्राप्त मतों के अनुपात में, अपने प्रतिनिधि नामित करेंगी । कोई भी शिल्प यूनियन अथवा जाति या संप्रदाय पर आधारित यूनियन इस योजना में सम्मिलित नहीं की जाएगी । केवल कर्मचारी ही कोलियरी स्तर पर नामित होने के हकदार होंगे । यह प्रक्रिया ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक में हुई आम सहमति पर आधारित है ।

विद्युत उत्पादन में सुपरक्रिटिकल बायलर प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना

1465. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 मिलीवाट के विद्युत उत्पादन संयन्त्रों में सुपरक्रिटिकल बायलर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में सहयोग के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार सुहरक्रिटिकल बायलरों की अनुपस्थिति में 500 मिलिवाट की विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता में सुधार करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रौद्योगिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कोयला और विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी देना

1466. **श्री सुभाष यादव :**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1985 के "दी इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृत न देने के कारण कोयला विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस अभिप्राय से नियुक्त सचिवों की समिति ने इस बारे में भूमि का अधिग्रहण करने की स्वीकृति के लिए निर्णय लिया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिन्हें परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि नहीं मिल रही; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने एवं बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में आने वाली विभिन्न समस्याएं निपटाने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देने हेतु एक ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट पर "सचिवों की समिति" ने विचार कर लिया है और इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी करने की सिफारिश की है।

(ग) कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 18 कोयला परियोजनाएं कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

राज्य-वार स्थिति निम्नलिखित है :—

पश्चिम बंगाल	—	1
बिहार	—	9
मध्य प्रदेश	—	5
उड़ीसा	—	2
महाराष्ट्र	—	1
		18

विद्युत क्षेत्र में 25 परियोजनाओं का कार्यान्वयन रुका हुआ है। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पश्चिम बंगाल	—	1
मध्य प्रदेश	—	2
महाराष्ट्र	—	2
उत्तर प्रदेश	—	6
केरल	—	2
राजस्थान	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	3
कर्नाटक/गोवा	—	1
उड़ीसा	—	1
जम्मू और काश्मीर	—	2
सिक्किम	—	1
अरुणाचल प्रदेश	—	2
पंजाब	—	1
		25

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम परियोजनाओं के लिए भूमि हेतु स्वीकृति दिया जाना

1467. **श्री सुभाष यादव :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1985 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये स्वीकृति देने से इन्कार किये जाने के कारण उन परियोजनाओं के लिए भारी समस्या पैदा हो गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिवों की समिति के अधिग्रहण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में एसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जिन्हें परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि नहीं मिल रही है;

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशो शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा वन भूमि के अधिग्रहण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में पेश आ रही कठिनाइयों के अध्ययन के लिए गठित एक कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने वन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये निर्देश जारी किए हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र की ऐसी भूमि की भागों को सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकृत किया जा रहा है।

सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण

1468. **श्री सुभाष यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण का कोई कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इससे सीमेंट के मूल्यों में कितनी कमी होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार सीमेंट उद्योग में (1) विनिर्माण प्रक्रिया का नम/अर्धनम से शुष्क अर्धशुष्क में बदलना, (2) ऊर्जा संरक्षण के अध्युपाय करना; (3) प्री-हीटर और प्री-केलासिनेटर की अधिष्ठापना; (4) प्रदूषण निर्माण यन्त्रों की अधिष्ठापना; (5) बिजली की कटौती के दौरान बिजली की लगभग 10% आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैप्टिव बिजली के एककों की स्थापना; (6) खदान परिचालन का आधुनिकीकरण; (7) कच्चे माल की पिसान; (8) सीमेंट की ग्राइन्डिग; (9) रोटरी पैकिंग संयंत्रों की अधिष्ठापना और (10) किस्म नियंत्रण उपकरणों आदि जैसे आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए धनराशि सीधे आवंटित नहीं की जाती है। अलग-अलग एकक अपने आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के लिए धनराशि अपने आन्तरिक संसाधनों, सार्व-

जनिक वित्तीय संस्थानों से सहायता आदि द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर भी, सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के एकक धनराशि सरकार से वार्षिक बजट के आवंटन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सीमेन्ट के मूल्यों में हुई कमी का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है क्योंकि उत्पादन की लागत, निविष्टयों की लागत, मजदूरी के स्तर आदि जैसे विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए डीजल/पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन के हेतु मानदण्ड

1469. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल/पेट्रोल पम्प केन्द्रों और गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने विज्ञापन जारी किए गए हैं और किन स्थानों को विशेषकर जारी किए गए हैं और किन स्थानों को विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आवंटन के लिए निर्धारित किया गया था; और

(ख) विशेष स्थान को अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित अथवा अनुरक्षित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 100 प्वाइन्ट रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए, तेल उद्योग की प्रत्येक वर्ष की विपणन योजना के 25% का कुल आरक्षण होता है। आरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपनाये गये मानदण्डों के अन्तर्गत, आरक्षित विधान सभा/संसदीय क्षेत्रों को अथवा उन क्षेत्रों को इनके लिये निर्दिष्ट किया गया है जहां उपर्युक्त जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है।

नारियल जटा उद्योग के नवीकरण के लिए योजना

1470. **श्री टी० बशीर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में नारियल जटा उद्योग का नवीकरण करने हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी कयर उद्योग के विकासार्थ 17.84 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कयर उद्योग के सहकारीकरण में सहयता पहुंचाने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है जिसके लिए योजना में 7.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत सदस्यों के लिए अंश पूंजी अंशदान, पूंजीगत उपकरणों, भूमि वर्क-शेडों की खरीद और प्रबन्धकीय राजसहायता आदि के लिए सहायता दी जाएगी। प्रौद्योगिकी और उत्पादकता को उन्नत बनाने के लिए अनुसन्धान एवं विकास, उत्पादन का विविधीकरण करने, निर्यात सहित विपणन सम्बन्धी सहायता देने, कयर कामगारों के लिए कल्याण सम्बन्धी उपाय आदि करने सम्बन्धी अन्य योजनाओं हेतु उपयुक्त प्रावधान विद्यमान हैं। सातवीं योजना में एक अन्य प्रमुख विषय केरल से भिन्न नारियल उत्पादक राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में भूरे रेश के क्षेत्र का विकास करना है।

टाटा और अशोक लेलैण्ड द्वारा निर्मित ट्रक

1471. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान टाटा मरसीडीज और अशोक लेलैण्ड द्वारा कुल कितने ट्रकों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त उल्लिखित ट्रकों और वाहनों पर कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि टाटा मरसीडीज और अशोक लेलैण्ड 40 प्रतिशत से अधिक ट्रकों और वाहनों के लिए बाजार ढूंढ़ने में समर्थ नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इन कम्पनियों द्वारा इस अवधि में निर्मित ट्रकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	1983-84	1985-85
मैसर्स अशोक लेलैण्ड	7133	6902
मेसर्स टेल्को	*46590	*47353

(*बस चेसिस सहित)

(ख) (करोड़ रु० में)

मेसर्स अशोक लेलैण्ड	13.57	11.53
मेसर्स टेल्को	71.51	72.43

(ग) और (घ) क्षमता का उपयोग 70-75 प्रतिशत के लगभग है। निर्माता क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए अपने उत्पाद-मिश्र में विविधीकरण करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

पूंजीगत वस्तु उद्योग

1472. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पूंजीगत वस्तु उद्योग के पैर विदेशी बाजारों से धीरे-धीरे फिसल रहे हैं और घरेलू बाजार पर भी उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है;

(ख) भारत में टैरिफ दरों और कच्चे माल तथा उत्पादित मध्यवर्ती वस्तुओं की अधिक लागत का पूंजीगत वस्तु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या इस उद्योग की पुरानी प्रौद्योगिकी भी विदेशी बाजारों में पूंजीगत वस्तु उद्योग आगे बढ़ पाने में असमर्थ रहने के लिए उत्तरदाई है; और

(घ) पूंजीगत वस्तु उद्योग को अद्यतन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) पूंजीगत सामान उद्योग में मन्दी चल रही है। जिसके परिणामस्वरूप, विकसित देश भी क्षमता उपयोगिता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए भारतीय पूंजीगत सामान उद्योग को कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी के आयात को उदार बनाकर कच्चे माल के आयात की नीतियों तथा प्रणालियों को सुगम बनाकर एवं प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत करके इस उद्योग की प्रतियोगिता को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।

लघु दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

1473. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :**
श्री एस० एम० भट्टम :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में लघु इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके वित्तीय पहलू क्या हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्री का आयात किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ङ) 1985-86 में ये केन्द्र किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ग) 90 लाइनों का छोटा स्वचल एक्सचेन्ज देशी है तथा अन्य का आयात किया जाना है।

(घ) 7.8 करोड़ रुपए कुल अनुमानित लागत से 68 एक्सचेन्जों के लिए उपस्कर का आयात किया जाना है। समन्वित डिजिटल नेटवर्क कार्यान्वयन के लिए नार्वे से अनुमानतः 8 करोड़ रुपए की लागत के चार सैकेण्डरी क्षेत्रों के लिए उपस्कर प्राप्त किए जाएंगे। शेष सैकेण्डरी क्षेत्रों के लिए

प्रारम्भिक आवश्यकताओं को आयात के जरिए पूरा करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। देशी उत्पादन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

प्रस्तावों तथा वित्तीय पहलुओं के ब्यौरे :—

1. 400, 600 लाइनों की क्षमता वाले 68 इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की 34.27 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापना। ये एक्सचेन्ज जिला मुख्यालयों तथा अन्य प्रमुख शहरों में लगाए जाएंगे।

2. अनुमानतः 100 करोड़ रुपए की लागत से 15 सैकेण्डरी क्षेत्रों में समन्वित विकास नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज तथा रेडियो लिंक की स्थापना करना। इसका कार्यान्वियन उपस्कर उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

3. देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 लाइनों की क्षमता वाले 100 इलेक्ट्रानिक कोटे स्वचल एक्सचेन्जों की स्थापना करना। उपस्कर का मूल्य अनुमानतः 24 लाख रुपये का होगा।

विवरण-2

1985-86 के दौरान जिन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज स्थापित करने का प्रस्ताव है उनके नाम, बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हों :—

क्रम सं० स्थान का नाम	राज्य का नाम	लाइनों की संख्या
1. कालपेट्टा	केरल	600
2. धार	मध्य प्रदेश	400
3. धेनकनाल	उड़ीसा	600
4. डूंगरपुर	राजस्थान	400
5. मोकोकचुंग	उत्तर-पूर्व	512
6. तेनसांग	उत्तर-पूर्व	256

9 लाइनों के एस० ए० एक्स० का सर्किलवार आबंटन

1. आंध्र प्रदेश	24	7. उत्तर-पश्चिम	2
2. गुजरात	1	8. उड़ीसा	2
3. जम्मू एवं कश्मीर	2	9. राजस्थान	11
4. कर्नाटक	15	10. तमिलनाडु	20
5. मध्य प्रदेश	3	11. उत्तर प्रदेश	3
6. महाराष्ट्र	15	12. पश्चिम बंगाल	1

जिन स्थानों पर इन एक्सचेन्जों को संस्थापित किया जाना है उनके नामों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

राजस्थान में 400 मेगावाट के ताप बिजली संयंत्र का निर्माण

1474. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिजली की कमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 400 मेगावाट के एक ताप बिजली संयंत्र का निर्माण करने के लिए बम्बई हाई गैस का उपयोग करने का है, जिसे राजस्थान में बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर के पास से होकर उत्तर प्रदेश ले जाने की योजना बनाई जा रही है; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उसकी मन्जूरी के लिए भेजा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत की कमी 5.1% थी।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में राजस्थान में लगभग 370 मेगावाट क्षमता का गैस पर आधारित एक केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाने की परिकल्पना है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित संशोधन

1475. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नियमित क्षेत्र में प्रबन्ध निदेशकों और महाप्रबन्धकों के पारिश्रमिकों में वृद्धि करने तथा कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन सूची में व्यक्तियों के नाम शामिल करने के प्रयोजन से वर्तमान पारिश्रमिक की सीमा अनुलाभों सहित 3,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए कोई विधान बनाना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ये संशोधन किन कारणों से करना चाहती है, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के कम्पनी अधिकारी सभी प्रकार की सुविधाओं सहित सर्वाधिक वेतन भोगी व्यक्ति हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनियों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियमों पर उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति

(सच्चर समिति) की सिफारिशों और प्राप्त हुए अनेकों अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए सरकार कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है। इस बावत प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नए सिंथेटिक फाइबर यूनिटों की स्थापना

1476. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लिष्ट रेशे उत्पादकों को हाल ही में बड़े पैमाने पर लाइसेंस दिए जाने से वर्तमान और नए एककों को विभाग योजनायें बनाने और नई योजनायें शुरू करने का अवसर मिला है, जिन पर काफी परिव्यय होगा;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उन एककों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें नए एकक स्थापित करने अथवा अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, उनकी कितनी क्षमता मंजुर की गई है और उनमें कब तक उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है;

(ग) उनमें से कितने एककों को देशी डी० एम० टी० का प्रयोग करने की टी० पी० ए० (टेरेथैलिक एसिड) का आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उन उत्पादकों द्वारा रेशे के मूल्यों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को दिए जाने का लाभ में किसी भी मामले में कमी न कर दी जाए ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सिन्थेटिक फाइवर उद्योग और सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न उद्योग में बड़े पैमाने पर लाइसेंस देने की अनुमति केवल विद्यमान अनुमोदित क्षमता के अन्तर्गत अनुज्ञेय है। इस नीति के अधीन विद्यमान एककों को सभी सिस्थेटिक फाइवरों अर्थात औद्योगिक यार्न/टायर कोर्ड सहित पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, नाइलोन फिलामेंट यार्न, पोलिप्रापिलिन फिलामेंट यार्न का निर्माण विद्यमान अनुमोदित क्षमता के अन्दर-अन्दर करने की अनुमोति दी जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शुद्ध किया गया टेरेप्थालिक एसिड (पी० टी० ए०) और डाइमेथिल टेरेप्थालिक एसिड (डी० एम० टी०) पालिस्टर के निर्माण के लिए वैकल्पिक कच्चे माल हैं। विद्यमान एकक संयंत्र में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए पी० टी० ए० अथवा डी० एम० टी० का प्रयोग कर रहे हैं।

(घ) सिन्थेटिक फाइवरों के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर रखने के उपायों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला खानों में कार्य शुरू करने की अनुमति

1477. श्री विजय कुमार यादव :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार की सात कोयला खानों में कार्य शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) के अधीन निम्नलिखित आठ क्षेत्रों (कोलियरियों) में बिहार राज्य खनिज विकास निगम से खनन कार्य कराने के लिए मन्जूरी चाही है :—

जिला हजारीबाग

1. पूरे सिरका
2. लेहरी टोंगड़ी
3. हेसालांग
4. बुंदू

जिला गिरीडीह

5. न्यू दुग्दा
6. सेन्ट्रल दुग्दा और ईस्ट घुटवे
7. लालगढ़

जिला पलामू

8. लोहंडा-लोहंडी

चूंकि यह "अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे टुकड़े" नहीं हैं बल्कि कोल इंडिया लि० की खानों के नजदीक स्थित क्षेत्र हैं और कोल इंडिया लिमिटेड के भावी क्रियाकलाप की योजनाओं में शामिल किए जाएंगे, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य खनिज विकास निगम के पक्ष में इन आठ क्षेत्रों के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के लिए सहमति नहीं दी है ।

काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में डाक व तार विभाग की कालोनी को पेयजल की सप्लाई

1478. श्री राजकुमार राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में डाक व तार विभाग की कालोनी में पेयजल की भारी कमी है और प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु नलकूप लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक लगाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो पेयजल की समय पर और नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर जिलों में पेट्रोल पम्प खोलना

1479. **श्री राज कुमार राय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर जिलों में कितने पेट्रोल पम्प स्थापित करने का विचार है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) क्या पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल उद्योग ने 985-86 की अपनी विपणन योजना में निम्नलिखित स्थानों पर पेट्रोल फुटकर बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने के लिए शामिल किया है। 1986-87 के लिए उद्योग की विपणन योजना अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

जिले का नाम	स्थल का नाम
1	2
आजमगढ़	भीतरीगंज (बिल्लारगंज)
	भाहांशतन
	किगहुंग
	महाराजगंज, सराय मीर
बलिया	शून्य
गाजीपुर	शून्य
जौनपुर	नौपेदबान-बाजार
	मारीयाहु-शीतलगंज रेड

1	2
गोरखपुर	रखांदी जंगल
	घुगली
	मितोरा
	पीपगंज
	थुड़ी बारी
	पूर्णदारपुर
	खजनी
	पाली

(ग) उपरोक्त 14 स्थानों में से उद्योग ने 4 स्थानों के बारे में पहले ही आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं। शेष स्थलों के लिए आवेदन-पत्र शीघ्र ही आमंत्रित किए जाएंगे।

डाक और तार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आजमगढ़ में मकानों का निर्माण

1480. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ में कार्यरत डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौराम उनके लिए वहां मकान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। टाइप-I का और टाइप II के दो क्वार्टर उपलब्ध हैं।

(ख) भूमि उपलब्ध न होने के कारण और क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

(ग) जी हां। बशर्ते कि इसके लिए भूमि उपलब्ध हो।

(घ) उपयुक्त भूमि की खोज की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए जिला अधिकारियों से भी सम्पर्क किया गया है।

आजमगढ़ में ठेकमा में टैलोफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

1481. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगमगढ़ जिले के ठेकमा में टेलीफोन एक्सचेंज के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी मौजूदा एक्सचेंज के स्थान पर इसी किस्म का एक नया एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश शेयर पूंजी वाले उद्योगों के उच्च प्रबन्धकों का भारतीयकरण

1482. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी शेयर पूंजी वाले उद्योगों के उच्च प्रबन्धकों का भारतीयकरण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) ऐसी गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मुख्य कार्यवाही अधिकारी अब भी विदेशी हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगम अनुच्छेदों और धारा 255 के निबन्धनों के अनुसार गैर-पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उसके शेयरधारकों द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार धारा 269, 198/309 और 388 और 637 कक के अधीन पब्लिक कम्पनी या ऐसी प्राइवेट कम्पनी जो पब्लिक कम्पनी की सहयोगी हो, के प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्धक की नियुक्ति और पारिश्रमिक का अनुमोदन करती है। सामान्यतः 40% से अधिक विदेशी साम्यधारित करने वाली कम्पनियों (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन ऐसी कम्पनियां) को विदेशी साम्याधारिता के अनुपात में बाहरी पूर्णकालिक निदेशकों की अनुमति दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कम्पनी के क्रियाकलापों की प्रकृति और उसमें लगी तकनीकी जानकारी का स्तर जैसी कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखती है। उस मामले में जहां कम्पनी 40 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य ग्राह्यता रखती हो (गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन कम्पनियां) वहां बाहरी पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति इन तथ्यों पर विचार करते हुए निश्चित की जाती है कि क्या कम्पनी के संगम अनुच्छेद में या इस प्रकार पूर्णकालिक निदेशक के रूप में निकाले गए पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए सहयोग-अनुबन्ध में कोई विशेष उपबन्ध है, क्या इस नियुक्ति से उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी जिससे आयात का प्रतिस्थापन होगा या निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, प्राप्त करना सुकर होगा और क्या ऐसे क्रियाकलापों का सम्बन्ध जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण से है। साधारणतः कहा जाय तो यह नीति उन कम्पनियों में बाहरी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने के लिए है, जिनमें विदेशी साम्याधारिता अल्प संख्या में है और कम्पनी के क्रियाकलापों में जटिल तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गैर-विदेशी मुद्रा विनियमन कम्पनियों का जिनमें मुख्य कार्यपालकों/पूर्वकालिक निदेशकों के रूप में बाहरी व्यक्ति बने हुए हैं, का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

मारुति कम्पनी द्वारा "मशीनिंग लाइन" का आयात

1483. **श्री एस० जयपाल रेड्डी :**
श्री सी० जी० ठाकुर :
डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक तकनीकी विकास ने यह सिफारिश की है कि मारुति कम्पनी के लिए "मशीनिंग लाइन" का भार एच० एम० टी० सार्थ-समूह को सौंप दिया जाए; और

(ख) क्या मारुति कम्पनी ने महानिदेशक तकनीकी विकास की सलाह की अवहेलना करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत की "मशीनिंग लाइन" का आयात किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) निर्धारित अवधि के अन्दर कार को 95 प्रतिशत तक स्वदेशी बनाने की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए मारुति उद्योग लिमिटेड मशीनिंग लाइनों के स्वदेशी विकास की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है और इस प्रकार लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से आयात की व्यवस्था की है ।

केरल में खाना पकाने की गैस का घरेलू वितरण बन्द किया जाना

1484. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अनेक कस्बों में खाना पकाने की गैस के एजेंट खाना पकाने की गैस का वितरण बन्द कर रहे हैं;

(ख) क्या तेल कम्पनियों ने पूर्व प्रक्रिया के स्थान पर यह प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी है;

(ग) क्या खाना पकाने की गैस के एजेंटों का कमीशन यथानुपात कम किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस नई प्रणाली का लाभ क्या है; और

(ङ) क्या केरल की तरह सारे देश में घरेलू वितरण बन्द किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) यद्यपि एल० पी० जी० रिफिलों को घरों में पहुंचाना एक सामान्य नियम है जो जारी है, फिर भी केरल सहित देश के कुल अन्य बाजारों में "भुगतान करो और ले जाओ" की योजना को प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया है। जो उपभोक्ता इस योजना को अपनाते हैं उन्हें प्रति सिलिंडर 1 रु० की छूट दी जाती है जो डीलरों की कमीशन में से दिया जाता है ।

वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने वाले घाटे में चल रहे उद्योगों का अधिग्रहण

1485. **श्री तम्पन थामस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन सभी उद्योगों को अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण/अग्रिम धनराशि ली है और जो घाटे में चल रहे हैं और जिन पर सरकार के ऋण/अग्रिम धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को इस प्रकार के रुग्ण एककों/घाटे में चल रहे उद्योगों के ऋणों की अदायगी न करने अथवा इन उद्योगों को दिए गए अग्रिम धनराशियों के लिए अधिग्रहण करने हेतु मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इण्डिया टायर डीलर्स फेडरेशन का ज्ञापन

1486. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया टायर टीलर्स फेडरेशन ने देश में टायरों और ट्यूबों के उत्पादन तथा वितरण में निगरानी रखने हेतु निर्माताओं, डीलरों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों सम्बन्धित सरकारी विभागों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिए जाने की सम्भावना हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) फेडरेशन ने सरकार का ध्यान टायर उद्योग की विभिन्न समस्याओं जैसे कीमतों में बढ़ोतरी, विशिष्ट किस्मों की कमी टायर उत्पादन कम्पनियों द्वारा अपनाए गए कुछ अनुचित तौर तरीकों की ओर आकृष्ट किया है तथा सुधार के लिए कुछ उपचारात्मक सुझाव दिया है । फेडरेशन ने टायरों के उत्पादन और वितरण पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का भी सुझाव दिया है।

(ग) से (ङ) टायरों के मूल्य या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने इन पहलुओं की पहले ही जांच की है तथा उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रहीं है। टायरों और ट्यूबों की विकास परिषद जिसमें उपभोक्ताओं सहित सभी सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, टायरों के उत्पादन, वितरण और कीमतों की समय-समय पर समीक्षा करती है। अतः सरकार महासंघ द्वारा सुझाई गई समिति का गठन करना आवश्यकता नहीं समझती ।

ताप बिजली घरों को सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश

1487. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में विद्यमान ताप बिजली घरों चाहे वे केन्द्रीय क्षेत्र में हों या राज्य क्षेत्र मे, को सक्षम बनाने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों से अन्तिम रिपोर्ट कब तक मांगी गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकारों और बिजली बोर्डों तथा वृहत विद्युत उपस्कर के निर्माताओं के बीच परस्पर कार्यवाही की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय विद्यमान ताप विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए समय-समय पर उपाय करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध करता आ रहा है । हाल ही में 3 और 4 नवम्बर, 1985 को हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भी ताप विद्युत के उत्पादन और ताप विद्युत के कार्य निष्पादन में सुधार लाने पर बल दिया गया था । राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से कहा गया है कि वे नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करके विद्युत केन्द्रों में प्रचालन और अनुरक्षण प्रणालियों में सुधार करके, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा आधुनिक प्रबन्ध प्रणालियां अपनाकर ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाए तथा ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन में सुधार लाना एक सतत् कार्य है ।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1488. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिथिंकिंग और मिनि सीमेंट प्लांट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कितने आवेदन पत्र उनके मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं; और

(ग) नये लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस देने में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) छह आवेदन निर्णयाधीन पड़े हैं और उनमें से पहला आवेदन सितम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ था ।

(ग) अपनाए जा रहे मानदण्डों के अनुसार चूना पत्थर के भण्डार वाले उन क्षेत्रों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर 100/200 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता के मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं हो सकते । इसके लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से एक प्रमाण-पत्र लिया जाता है । वर्टिकल शाफ्ट किल्न पर

आधारित संयंत्रों को सामान्यता प्रोत्साहित किया जाता है। उपर्युक्त को देखते हुए राज्य सरकार से सम्बन्धित जानकारी और सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद ही लाइसेंसों हेतु आवेदनों पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन संयंत्र में हाइड्रो क्लोरिन अम्ल का रिसना

1489. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल) के संयंत्र में हाइड्रो क्लोरान अम्ल के रिसने से अनेक मजदूर प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस रिसाव के कारणों की जांच का है,

(ग) क्या यह रिसाव निगम के कुछ कर्मचारियों का अकर्मण्यता अथवा लापरवाही के कारण हुआ है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) आई पी० सी० एल० के संयन्त्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिसाव से कुल मिलाकर 14 व्यक्ति प्रभावित हुये थे। प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात 12 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और 2 व्यक्तियों की जांच हेतु अस्पताल में रखा गया था और उन्हें दो दिन के पश्चात छुट्टी दी गई थी।

(ख) जी, हां। रिसाव कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. वेन्ट स्क्रबर के लिये नियंत्रण कक्ष में एक रिमोट स्विच सहित फायर वाटर कंट्रोल वाल्व की व्यवस्था की गई है।

2. वेन्ट स्क्रबर सर्कुलेशन पम्पों के लिये पावर आपूर्ति पद्धति में परिवर्धन किया गया है।

3. वेन्ट स्क्रबर सर्कुलेशन की खराबी दर्शाने के लिए कन्ट्रोल रूप में एक अलार्म लगाया गया है।

4. अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

जानकारी विनिमय के लिए कतर के साथ सहयोग

1490. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने उत्तर क्षेत्र के गैस संसाधनों का विकास करने के लिए कतर के साथ जानकारी विनिमय करने पर सहमत हो गया है;

(ख) क्या सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सहयोग से भारत को क्या लाभ हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं। भारत तथा कतर के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली और बम्बई को फ्रेंकफर्ट से जोड़ने के लिए दूर संचार नेटवर्क

1491. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने दिल्ली और बम्बई को जर्मनी में फ्रेंकफर्ट से जोड़ने के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने की पेशकश की की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश की शर्तें क्या हैं; और भारत को इस सम्पर्क से क्या लाभ होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। लेकिन पश्चिम जर्मनी सरकार ने टेलीफेक्स जैसी कुछ अतिरिक्त दूरसंचार सेवाएं भारत तक बढ़ाने में रुचि दिखाई है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दूसरा इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी द्वारा की गई पेशकश

1492. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी सरकार ने डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के स्थान पर दूसरी इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली कारखाने स्थापित करते के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग ने इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली कारखाने की स्थापना के लिए फ्रांस से ली गई प्रौद्योगिकी की तुलना में जर्मन प्रौद्योगिकी के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता ।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा अर्जित लाभ

1493. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा वर्ष 1983-84 और 1985-85 के दौरान लाभ की कितनी राशि अर्जित की गई है ?

(ख) क्या पिछले वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद इस निगम के लाभ में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय में निगम की कार्यनित्पत्ति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारतीय सीमेंट निगम को वर्ष 1983-84 और 1984-85 में हुआ शुद्ध लाभ निम्नलिखित है;

1983-84—741.23 लाख रुपये

1984-85—77.29 लाख रुपये (अनन्तिम)

(ख) जी, हां।

(ग) विद्यमान क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करके, उत्पादन की नम प्रक्रिया को शुष्क प्रक्रिया में बदलने के लिए प्रो-केलसीनेटर सम्मिलित करके, केप्टिव अनित्रण क्षमता बढ़ाकर, मशीनों को बदलकर और उनका पुनर्नवीकरण करके, चरसी दादरी एकक को पुनर्स्थापना करके, प्रति कर्मचारी उत्पादकता आदि बढ़ाकर निगम को लाभदेयता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 4 जून, 1985 से लागू सीमेंट के लेवी कोटे में कटौती करने से निगम की लाभदेयता में सुधार होने की सम्भावना है। निगम के कार्यनिष्पादन की उद्योग मंत्रालय द्वारा निरन्तर मानीटरी की जाती है।

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेन्सी केन्द्र स्थापित करना

1494. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें चालू वित्त वर्ष के दौरान अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेन्सी केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पिथौरागढ़ जैसे कुछ शहरों में बहुत समय पूर्व जमीन उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेन्सी केन्द्रों के निर्माण का काम शुरू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सर्किल के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेन्सी केन्द्रों के लिए पहले ही से जमीन उपलब्ध करायी गई है और उनमें निर्माण कार्य कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में यू० एच० एफ० केन्द्रों का सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, लखीमपुर, नरेन्द्रनगर और पिथौरागढ़ ।

(ख) जी नहीं । पिथौरागढ़ में एक महीने पहले ही भूमि का अधिग्रहण किया गया है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

(ग) लागू नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में रानीखेत और पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

1495. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रानीखेत और पिथौरागढ़ शहरों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि से अधिक भूमि अधिग्रहण करने का विभाग का प्रस्ताव भी भूमि की उपलब्धि में बाधक है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर भूमि कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिथौरागढ़ के जिला अधिकारियों द्वारा भूमि देने का प्रस्ताव रखा गया है और इसका अधिग्रहण बहुत जल्द कर लिया जाएगा । रानीखेत के लिए इस समय कोई भूमि उपलब्ध नहीं है ।

(ख) रानीखेत में भूमि के आबंटन के लिए रक्षा अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है । उन्होंने सहमति दे दी है लेकिन सेना मुख्यालय से इस पर सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी नहीं । दूरसंचार सेवाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि के लिए ही अनुरोध किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल की खोज के लिए बजट में राशि आबंटन की प्रतिशतता

1496. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश से नई तेल और गैस परियोजनायें आरम्भ करने पर कुल बजट आबंटन की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : वर्ष 1985-86 में तेल की खोज तथा इसके विकास कार्यों की योजना के लिये कुल 2630 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इसकी तुलना में नयी तेल तथा गैस की परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये अक्तूबर, 1985 के अन्त तक व्यय की गई राशि का प्रतिशत 0.40% है।

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में न्यायाधीशों की सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में की गई चर्चा

1497. श्री सी० जंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रारम्भ में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या उन्होंने न्यायाधीशों को गरिमाशाली प्रतिष्ठा, पर्याप्त परिवार पेंशन, दैनिक भत्ता, साज-सामान के खर्च, स्थानान्तरित किए गए न्यायाधीशों को आवास का तत्काल आबंटन, उनके सम्बन्धित राज्यों के लिए यात्रा की सुविधा, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, उनको कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति आदि दिए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ग) सरकार ने इनमें से प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय लिया है और क्या कार्यवाही की है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक स्वीकार की गई और रद्द की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनकी मांग स्वीकार करने में अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने फरवरी, 1985 में दिल्ली में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन का कार्यवृत्त सरकार को भेजा था, जो निम्नलिखित विषयों के बारे में है :—

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन।

(ii) सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियां के अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सतर्कता सेलों की स्थापना।

(iii) राज्य के बाहर से मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति।

(iv) सम्बन्धित राज्यों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना।

(v) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तें, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(1) न्यायाधीशों की शासकीय प्रास्थिति और स्थिति।

(2) मुख्य न्यायमूर्तियों की वित्तीय शक्तियां।

(3) पेंशन और कुटुम्ब पेंशन।

(4) सवारी भत्ता, सत्कार भत्ता, मकान भत्ता, साज-सज्जा भत्ता, दैनिक भत्ता, विद्युत भत्ता और स्थानान्तरण भत्ता।

(5) प्राइवेट चिकित्सकों को दी गई चिकित्सक-फीस और उस सम्बन्ध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।

(6) यात्रा सुविधाएं।

(7) आतिथ्य।

(8) सुरक्षा।

(9) उनकी कारों पर ध्वज लगाना।

(10) अर्जित छुट्टी का अग्रनयन।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा पाइप के लिए अनुबन्ध दिया जाना

1498. **श्री मोहम्मद मदफूज अली खाँ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय नौवहन कम्पनी द्वारा बहुत ही प्रतियोगी दरों की पेशकश किए जाने के बावजूद, भारतीय गैस प्राधिकरण ने हाल ही में ब्राजील, यूरोप और जापान से 400,000 मीटरी टन के पाइप लाने के लिए एक विदेशी नौवहन कम्पनी से अनुबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन कम्पनी द्वारा प्रतियोगी दरों की पेशकश किए जाने के बावजूद विदेशी नौवहन फर्म का अनुबन्ध देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) ओ० ई० सी० एफ० (जापान), के० एफ० डब्लू० (पश्चिमी जर्मनी) तथा इटली से उपलब्ध ऋण की उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिसमें कुल भाड़ा भी सम्मिलित है, लाइन पाइप सप्लायरों द्वारा जो भाड़े की दर उद्धत की गई है वह शुद्ध वर्तमान मूल्य में छूट देकर 21.8% मिलियन डालर के ट्रांसचार्ट के मुकाबले 13.61 मिलियन अमेरिकी डालर तक बैठती है। इस प्रकार सप्लायरों द्वारा लदान कराये जाने पर यदि समझौता किया जाए तो लगभग 8.^0 मिलियन अमेरिकी डालरों (लगभग 10 करोड़ रुपये) की बचत होगी।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार के गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) को एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना के लिए 4.14 लाख टन पाइप के आयात के लिए लाइन पाइप सप्लायरों से सी० एण्ड एफ कन्ट्रेक्ट करने की स्वीकृति प्रदान की है। "गेल" ने लाइन पाइप सप्लायरों से एफ० ओ० बी० कन्ट्रेक्ट तथा ट्रांसचार्ट से भाड़े का अनुबन्ध ब्राजील से 18" के 26500 टन पाइपों के आयात के लिये किया है जो कि ऋण सुविधा के अन्तर्गत नहीं हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना

1499. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाय ही में राजधानी में आयोजित राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) प्रधान मंत्री ने 31.8.85 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा विधि मंत्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त करते हुए यह कहा था कि ऐसे उच्च न्यायालयों की स्थापना की साध्यता और व्यवहारिकता पर पहले विचार विचार कर लिया जाए।

(ख) यह मामला भारत सरकार के ध्यान में है और वह इस बाबत संबद्ध राज्यों से परामर्श कर रही है।

टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग

1500. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में टेलीफोन क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस कम्प्यूटरीकरण के कारण टेलीफोन डायरेक्टरी संबंधी पूछताछ जैसी सेवाओं में सुधार होगा; और

(ग) क्या ऐसी विशेष सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को विडियो डिस्पले यूनिट उपलब्ध कराने और टेलीफोन डायरेक्टरियों का प्रकाशन बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महानगरीय टेलीफोन जिलों में कम्प्यूटर टाइम किराए पर लेकर सर्विस ब्यूरो के आधार पर कुछ आवेदनों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। अगले वर्ष के दौरान महानगरीय टेलीफोन जिलों में इन हाउस कप्यूटर लगाए जाने की सम्भावना है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1501. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या उद्योग मंत्री** केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा खादी

ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्र का मामला दर्ज होने के बारे में 8 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रमोद्योग भवन, नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों सम्बन्धी मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किस तारीख को दर्ज किया; और

(ख) इस मामले में कब तक जांच पूरी होने की सम्भावना है तथा इस मामले को न्यायालय में कब तक दायर किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सी० बी० आई० जी० ओ० डब्यू० की दिल्ली शाखा ने नकली शैक्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में 31.1.85 की एक मामला आर० सी० 8/85-दिल्ली के अन्तर्गत दर्ज किया था।

(ख) साक्ष्य न होने के कारण मामले की जांच करने के बाद 25.7.85 को बन्द कर दिया गया था।

12.00 मध्याह्न

प्रधान मंत्री द्वारा उनकी हाल ही की विदेश यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : जब संसद सत्र में नहीं था तो मैं 29 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक भूटान और 14 से 27 अक्तूबर तक ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैंड और सोवियत संघ की यात्रा पर गया था। मैंने 16 से 21 अक्तूबर तक बहामास में हुई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक तथा 21 से 24 अक्तूबर तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्ष गांठ के समारोह में भाग लिया। मैंने 18 नवम्बर को ओमान के राष्ट्रीय दिवस की 15वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लिया था।

भूटान की शाही सरकार और वहां के लोगों ने मेरा जो भव्य स्वागत किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपनी मां की ओर से भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार द्रुक वांग्याल भी स्वीकार किया। मेरी इस यात्रा से भूटान के साथ मौजूद हमारे सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं।

ब्रिटेन के साथ हमारे प्राचीन ऐतिहासिक और मधुर सम्बन्ध हैं। हमारे दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उससे दोनों देशों को लाभ पहुंचा है। श्रीमती मार्ग्रेट थैचर और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों के साथ मेरी बातचीत बहुत उपयोगी रही। मैंने ब्रिटिश क्षेत्र में चल रही भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों, हमारे आर्थिक आदान-प्रदानों में असन्तुलन तथा कौंसली और आप्रवासन

सम्बन्धी उन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जिसका सामना हमारे राष्ट्रिकों को करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सहायता मिली है।

बहामास में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति एक मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। अपनी स्थिति के अनुरूप हमने व्यापक आदेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक राष्ट्रमंडल समझौता स्वीकार किया गया। हम भी एक कठोर वक्तव्य के पक्ष में थे किन्तु यह समझौता इससे भी एक कदम आगे निकला। इस समझौते में पहली बार ब्रिटेन को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विशिष्ट बारीकी से मानिटर्ड आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कराया गया। प्रतिबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव पर निगरानी रखने तथा अश्वेत लोगों के उचित प्रतिनिधित्व सहित दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनीतिक बातचीत में सहायता करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों का एक दल गठित किया जा रहा है। हमने इस दल में सरदार स्वर्ण सिंह को नामित किया है। चोगम ने विश्व-व्यवस्था सम्बन्धी एक घोषणा भी स्वीकार की जो अनिवार्यतः भारतीय शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधारित थी।

24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करने के अतिरिक्त मैंने गुट-निरपेक्ष ग्रुप और पृथग्वासन विरोधी विशिष्ट समिति की विशेष बैठकों को भी सम्बोधित किया। बहामास और न्यूयार्क दोनों जगह बड़ी संख्या में राज्य और शासनाध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठक करने का मुझे अवसर मिला और उनके साथ द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उपयोगी चर्चा की। न्यूयार्क में हमने 6 राष्ट्रों के नेताओं, जिन्होंने दिल्ली में नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त घोषणा की थी, की एक बैठक भी की। हमने राष्ट्रपति रीगन तथा महासचिव गोर्बाचोव को एक अपील भेजी जिसका पाठ सदन के सभापटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1493-85]

क्यूबा का दौरा करने वाला मैं प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री था। इन्दिराजी ने राष्ट्रपति केस्ट्रो का निमन्त्रण स्वीकार किया था परन्तु दुर्भाग्यवश वे दौरे पर नहीं जा सकीं। राष्ट्रपति केस्ट्रो के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर मेरी चर्चा अत्यन्त उपयोगी रही। राष्ट्रपति केस्ट्रो ने राष्ट्रीय निर्माण के पथ पर अपनी जनता का उदात्त रूप में मार्गदर्शन किया है। उनकी अगुआई में क्यूबा में जो प्रगति हुई है उससे हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। मैंने अपनी मां की ओर से क्यूबा सरकार द्वारा विश्व नेता के रूप में श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें मरणोपरान्त दिया गया "जोस माली पुरस्कार" स्वीकार किया। हवाना की जनता ने मुझे जो भावभीनी विदाई दी वह मुझे हृदय तक छू गई।

भारतीय प्रधान मंत्री का नीदरलैण्ड का दौरा काफी दिनों से लम्बित था। हमारे सम्बन्ध निकट के और मधुर हैं। प्रधान मंत्री लूबर के साथ मेरी वार्ता अत्यन्त उपयोगी रही। विकासशील देशों और उत्तरी-दक्षिणी वार्ता के प्रति नीदरलैण्ड के अत्यन्त रचनात्मक समर्थन की हम सराहना करते हैं।

दिल्ली लौटते हुए मैं थोड़ी देर के लिए सोवियत संघ में भी रुका। मैंने महासचिव गोर्बाचोव के साथ विचारों का विस्तृत और अत्यन्त उपयोगी आदान-प्रदान किया। यह बातचीत उस बातचीत

से आगे की गई थी जो इस वर्ष मई में अपनी यात्राओं के दौरान मैंने वहां की थी। हम समाज हित के मामलों पर बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

ओमान की मेरी यात्रा महामान्य सुल्तान काबूस के व्यक्तिगत और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के उत्तर में थी। प्राचीन काल से ही भारत और ओमान के बीच वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। लगभग ढाई लाख भारतीय राष्ट्रिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ओमान में कार्य कर रहे हैं। ओमान के साथ हमारे सम्बन्धों का विस्तार होने की और अधिक सम्भावनायें हैं।

आज रात मैं वियतनाम और जापान की यात्रा पर जा रहा हूं। इन दोनों देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी ये यात्राएं भी उतनी ही लाभदायक सिद्ध होंगी जितनी कि अब तक की यात्राएं थीं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। श्रमिक वर्ग के एक नेता श्री अग्निवेश, जो बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, का पासपोर्ट छीन लिया गया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग के सामने बन्धुआ मजदूरी के विरुद्ध मामला रखा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह यह मामला न्यायालय में भी ले जा सकते हैं। वह न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक गम्भीर मामला है। यदि उन लोगों को जो श्रमिक वर्ग आन्दोलन में कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हें दण्ड दिया जाएगा तथा उनसे उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें दण्ड दिया जाएगा······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता हूं प्रोफेसर साहब। अन्य कारण भी हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : भारत में निरंकुश शासन नहीं है। यह एक स्वतन्त्र देश है। अतः यह अत्यन्त आपत्तिजनक है······

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। प्रोफेसर साहब, न्यायालय मौजूद हैं। इस प्रकार के मामले पहले भी हुए हैं। मैं इस मामले के तथ्यों को नहीं जानता। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूं। न्यायालय मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय मौजूद है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । विधि मंत्री कुछ कहना चाहेंगे । उनकी बात सुनिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा एक अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । विधि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं । कृपया उनकी बात सुनिए ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जहां तक पासपोर्ट जब्त करने का सम्बन्ध है इस पर न्यायालय में फैसला हो सकता है । मैं प्रो० मधु दण्डवते को याद दिलाना चाहता हूं कि जब जनता सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, प्रत्येक व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया गया । क्या आपको याद है ? यह एक ऐसा मामला है जिस पर निर्णय न्यायालय में हो सकता है । हमें इस पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कानून सबके लिए है । चाहे कोई वकील हो अथवा मजदूर अथवा बड़ा व्यापारी । कानून की नजर में सब बराबर हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्तर नहीं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । मैं इस प्रकार के निजी मामलों की अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए । मैंने "कोई तस्कर" अथवा कोई "नेता" नहीं कहा । मैंने केवल "भारत का नागरिक" कहा था । मैं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अन्तर नहीं करता । यदि वह दोषी है, उसे दण्ड दिया जाएगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझसे जबरदस्ती कुछ मत कहलवाइये ।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रो० मधु दण्डवते से जानना चाहता हूं कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया था ? मेरे विरुद्ध कोई आरोप नहीं था ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप मुझसे जबरदस्ती कोई बात क्यों कहलवाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह दोषी है तो उसे दण्ड दिया जाएगा। वह कैसे कह सकते हैं ? इस मामले पर निर्णय न्यायालय में ही होगा। मुझसे कुछ कहलवाने का प्रयत्न मत कीजिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। वह न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं निर्णय होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी की निन्दा नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्निवेश, मेरे लिए वह एक माननीय व्यक्ति हैं। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वह मामला उठा सकते हैं। व्यक्तिगत मामले भी हुए हैं। इन्हें उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता हूं कि वह दोषी है या नहीं। इस बात का निर्णय भी न्यायालय में ही होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह केवल भारत का नागरिक है; मेरे लिए वह नेता अथवा और कुछ और नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1985

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, पैराफिन वैक्स (पूर्ति,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वितरण और मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1985, जो 25 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 808(अ) में प्रकाशित हुआ था, (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1488/85]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, विधि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं सभा को बता दूं कि पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है । इसे नवीकरण के लिए भेजा गया है और यह विचाराधीन है तथा इसकी जांच हो रही है । स्वामी अग्निवेश ने सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं और उसे विदेश मंत्रालय ने उसके साथ बातचीत करने के लिए बुलाया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के एक एम० एल० ए० का दिल्ली में मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक कोई तलाश नहीं है । मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसकी जांच करवाइए······**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है । मेरे विचार में आप कुछ लिखकर दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन के माननीय सदस्य को अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : विधि मंत्री ने पहले ही कहा है कि मामला विचाराधीन है । पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है । मैं प्रो० मधु दण्डवते को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह सत्ता में थे—हमें भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं—मेरे समेत अनेक व्यक्तियों के पासपोर्ट अकारण ही जब्त कर लिए गए थे ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे कुछ कहने की अनुमति नहीं दी है । **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : उनका एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : महाराष्ट्र के एक एम० एल० ए० की 20 तारीख को रात के समय कस्तूरबा मार्ग पर हत्या की गई और उसकी कोई जांच नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत मामलों की अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : "टेलीग्राफ" समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय आपने कल भी उठाया था और आज भी, आपने इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया शान्त रहिए······

नियम 229 के अन्तर्गत, जब किसी सदस्य को किसी अपराधी के आरोप में या अपराध करने के कारण गिरफ्तार किया जाता है अथवा उसे न्यायालय द्वारा कारावास का दण्ड दिया जाता है और कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत हिरासत में रखा जाता है, तो दण्ड देने वाला न्यायाधीश, दण्डाधिकारी अथवा कार्यकारी अधिकारी, जो भी हो, को इसकी सूचना एक विहित प्रपत्र में अध्यक्ष के पास तुरन्त भेजनी चाहिए जिसमें उस सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत में रखे जाने अथवा दोषसिद्धि जो भी हो, के कारण तथा सदस्य को हिरासत या कारावास में रखे जाने का स्थान भी बताया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मेरे पास नहीं आया। मेरे पास बिना साइन किया हुआ है।

[अनुवाद]

यह एक बिना हस्ताक्षर किया हुआ पत्र है जो मुझे······

कुछ माननीय सदस्य : इसमें क्या लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अमुक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या पुलिस अधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं······यह अमुक व्यक्ति के विषय में है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप इसकी ओर ध्यान क्यों देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वही तो मैं भी कह रहा हूं। केवल यही पत्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए। अहस्ताक्षरित पत्र का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए तो अभी तक किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है।···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

आप बैठिए। आपने इसमें मेंशन किया है, चीफ मिनिस्टर का भी जिक्र किया है। आपने नहीं किया श्री माधव रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा।

[अनुवाद]

किन्तु मैं नहीं जानता। मुझे समाचार-पत्रों के लोगों से भी पूछना होगा।

[हिन्दी]

न्यूजपेपर्स बहुत बढ़िया लिंक का हमारा काम करते हैं।

[अनुवाद]

उन्हीं के माध्यम से हम अपनी बातें कहते हैं।

[हिन्दी]

मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं लेकिन मेरे भाई वहां पर बैठे हुए अगर पूछ लेते, अगर एस्सरटेन कर लेते, तो न उनको कष्ट होता और न मुझे कष्ट होता क्योंकि एक भले आदमी की बात है। पता नहीं गलत है या सही है, अगर गलत होगा, तो वह पकड़ा जाएगा और अगर सही है, तो छूट जाएगा मगर पूछे बगैर, बगैर तसल्ली किए हुए, ऐसा काम करना कोई शोभा नहीं देता है। न अखबार को शोभा देता है और न हमको शोभा देता है।

[अनुवाद]

अत: मैं सम्बद्ध पत्रकार से कहूंगा कि वह वह बात कहें जो जो उनके मस्तिष्क में है, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अब भी विरोध नहीं करूंगा। मैं सहमत हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं कि जो कानून के मुताबिक होगा, जो विधान के मुताबिक होगा, उसी हिसाब से पूछ लेंगे और मैं आपसे भी और उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि ठीक तरीके से काम हो। बगैर पूछे हुए और बगैर तसल्ली किए हुए किसी आदमी के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें सोचकर काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रेड्डी। मैंने श्री रेड्डी का नाम पुकारा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपने नियम 229 को उद्धृत किया। मेरे विचार में आपने ठीक ही किया है। मैंने नियम 229 के आधार पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। "दि टेलीग्राफ" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मुख्य मन्त्री ने उन्हें कहा······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है। बाकी क्या कसर रह गई है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुख्यमन्त्री ने वक्तव्य भी दिया है। पुलिस आयुक्त अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने का दोषी था।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानता हूं। कोई भी बात ऐसे ही नहीं मानी जाती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अत: इस मामले को पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री को भेजा जाना चाहिए। अत: मैंने पुलिस आयुक्त के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्यों, किसलिए ? पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया।

[अनुवाद]

आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? मैं नहीं मानता कि किसी को गिरफ्तार किया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने पत्रकारों से कहा है······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी साहब आप जम्प कर रहे हैं। पता नहीं चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा।

[अनुवाद]

मुझे पता लगाना पड़ेगा।

अब सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र—श्री आरिफ मोहम्मद खां।

12.20 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र
—जारी

[अनुवाद]

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अन्तर्गत अधिसूचना

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985 जो 3 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 732 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक विवरण।

(2) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985, जो 7 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 843 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक विवरण।

(3) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985, जो 7 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 844 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1489/85]

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि विधि मन्त्रालय ने मन्त्रिमण्डल उपसमिति से यूनियन कारबाइड के भोपाल कारखाने की गैस दु:खद घटना के पश्चात् स्थापित की गई न्यायिक जांच समिति के कार्य को बन्द करने की सिफारिश की है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं पता लगाऊंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह खबर समाचार पत्रों में छप चुकी है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : श्री जनार्दन पुजारी एक बैंक मेले का आयोजन कर रहे हैं। यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। यह सत्ता का दुरुपयोग है। वह कांग्रेस (इ) के लोगों को ऋण दे रहे हैं जो कि एक राजनीतिक दल है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके पास उत्तर भेज दिया है। इसमें कोई खराबी नहीं है। आप मेरे पास दूसरे प्रस्ताव की सूचना भेज सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी—सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

—जारी

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 1985 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 19 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का० आ० 838(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1490/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० का० नि० 831(अ), जो 6 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 30 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 268/84-सी० शु० और 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 74/85-सी० शु० और अधिसूचना संख्या 75/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि ईंधन मितव्ययी वाणिज्यिक वाहनों से सम्बन्धित आयात शुल्क की रियायतों के प्रयोजनार्थ ईंधन मितव्ययिता के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा को 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाया जा सके।

(दो) सा का० नि० 846(अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सितम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 293-सी० शु० के अतिलंघन में रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1491/85]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1965 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क टैरिफ (अभिदान-प्रदत्त वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और उनका संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1985, जो 2 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 704(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और उनका संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1985, जो 2 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 705(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1492/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 635(अ), जो 11 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय लघु एककों द्वारा निर्मित टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों को 50 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 844(अ), जो 15 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 204/83-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि बाद की अधिसूचना में यथोपबन्धित-छूट की परिसीमा से लोहे अथवा इस्पात के मिल स्केल को बाहर रखा जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 845(अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मिल स्केल को मूल्यानुसार 12 प्रतिशत से अधिक शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 847(अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय ऐसी कार्बन डाइआक्साइड को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट देना है, को भा० मा० सं० के विनिर्देशनों के अनुरूप न हो और जिसका उत्पादन किसी कारखाने में अथवा निर्माणशाला में किया गया हो और जो भा० सा० सं० के विनिर्देशनों के अनुरूप उस कार्बन डाइआक्साइड के निर्माण के लिए किसी बॉटलिग संयंत्र में इस्तेमाल हेतु सप्लाई किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, जिस पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी बॉटलिग संयन्त्र से उसको संयन्त्र से उसकी निकासी से पूर्व ही कर दी हो।

(पांच) सा० का० नि० 850(अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन और फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन को "निर्बाध व्यापार क्षेत्र" विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छः) सा० का० नि० 851 (अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उत्पाद-शुल्क माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से उस स्थिति में छूट देने के बारे में हैं, जब उसे भारत के अन्य भागों में स्थित उनके निर्माण कारखानों से अथवा भांडागारों से, एकमात्र निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन के लिए अथवा ऐसे माल के उत्पादन की बाबत उक्त जोन में स्थित उद्योगों द्वारा मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में लाया जाता है।

(सात) सा० का० नि० 852(अ), जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उत्पाद-शुल्क माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से उस स्थिति में छूट देने के बारे में है, जब उसे भारत के अन्य भागों में स्थित उसके निर्माण के कारखानों से अथवा भांडागारों से, एकमात्र निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन

के लिए अथवा ऐसे माल के उत्पादन की बाबत उक्त जोन में स्थित उद्योगों द्वारा फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन में लाया जाता है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1493/85]

नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

औद्योगिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1494/85]

12.20 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 नवम्बर, 1985 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 1985 की अपनी बैठक में पारित प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साप चुप करके बैठ जाइए। ऐसा ही हुआ करता है। यह सारा तय किया हुआ है।

[अनुवाद]

हमारा कार्यक्रम तय किया हुआ है। बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रोफेट मोहम्मद के सिलसिले में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। जो कुछ भी यह कह रहे हैं वह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज पहली दफा नहीं हुआ है महफूज अली साहब। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे इस समय नहीं कर सकते।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मैं तैयार हूं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते।

(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह वर्ग विशेष के लिए छुट्टी है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है?

[हिन्दी]

सारा सोच समझकर किया जाता है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.21 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधित समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें सामान्य, 1985-86

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं वर्ष 1985-86 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1508/85]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रो० रामकृष्ण मोरे—उपस्थित नहीं हैं। श्री एस० एम० भट्टम—उपस्थित नहीं हैं। नियम 377 के अधीन मामले। अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेते हैं।

12.22 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) प्रक्रिया को सरल बनाकर निष्क्रान्त संपत्तियों का पुराने निवासियों को अंतरण

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : विभाजन के पश्चात भारत सरकार ने निष्क्रांत सम्पत्ति ले ली थी तथा बहुत ही कम सम्पत्ति दिल्ली में ग्रह मन्त्रालय के अधीन संरक्षक विभाग/बंदोबस्त अधिकारी के पास रह गई है। इन सम्पत्तियों में पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से बहुत से परिवार रह रहे हैं और वे भारत सरकार को नियमित रूप से इनका किराया दे रहे हैं। इन लोगों ने इस सम्पत्ति के रख-रखाव पर अपनी काफी आमदनी खर्च की है जो कि 100 वर्ष से भी पुरानी सम्पत्ति है तथा यह बात सच है कि संरक्षक विभाग/बंदोबस्त अधिकारियों ने इस निष्क्रांत सम्पत्ति के रख-रखाव पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया है।

सम्बन्धित विभाग ने जुलाई, 1985 में इस सम्पत्ति की नीलामी करनी चाही परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। एक तरफ तो हम घरविहीन व्यक्तियों का दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवास सुविधा प्रदान करवा रहे हैं तथा दूसरी ओर इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि ये पुराने समय से रह रहे व्यक्ति बेघर हो जाएंगे।

अतः यह सम्पत्ति वहां रहने वाले पुराने निवासियों को इस बात को ध्यान में रखकर बेच दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस सम्पत्ति को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च की है। इन लोगों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिएं तथा प्रक्रिया को सरल बनाकर उपरोक्त सम्पत्ति को इन व्यक्तियों के नाम में अन्तरित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) उतर प्रदेश के गोरखपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने और वहां एक बड़ा औद्योगिक एकक स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल का प्रमुख केन्द्र गोरखपुर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयों की स्थापना न होने के कारण बेकारी व बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। छठवें दशक के प्रारम्भ में 20 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित खाद कारखाना रुग्ण इकाई बन चुका है। सातवीं योजना में भी किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रस्ताव के अभाव में गोरखपुर मण्डल का जनमानस क्षुब्ध है। निजी क्षेत्र की इकाइयां आर्थिक तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन हेतु पिछड़े जिलों को दिए जाने वाले संसाधनों के प्रावधान न होने तथा गोरखपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित न होने के कारण आकृष्ट नहीं हो रही हैं। अतः बढ़ती हुई आबादी का भार तथा बेरोजगारी के कारण यह क्षेत्र निर्धनता की निम्नतम श्रेणी पर पहुंच गया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब गम्भीरतापूर्वक विचार कर उक्त जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर औद्योगीकरण के वातावरण का निर्माण करें तथा सार्वजनिक क्षेत्र में किसी बड़ी इकाई की स्थापना करें जिससे यह जिला विकास मार्ग पर अग्रसर हो।

[अनुवाद]

(तीन) देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने और 7वीं योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाएं आरम्भ करने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 12वें भार सर्वेक्षण के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में 15103 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें से 10552 लाख यूनिट की व्यवस्था बिजली घरों से होगी और 4551 लाख यूनिट की व्यवस्था कैप्टिव यूनिटों द्वारा की जाएगी।

अत. सिर्फ इतना ही आवश्यक नहीं है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाए अपितु सातवीं योजना के दौरान नई परियोजनाओं को भी शुरू किया जाना चाहिए ताकि सातवीं योजना के दौरान बिजली की कमी को पूरा किया जा सके तथा आठवीं योजना के प्रारम्भ में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके।

पहली प्राथमिकता चालू परियोजनाओं को पूरा करने के काम को दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए उड़ीसा में रिंगाली, हीराकुन्ड 7वां यूनिट अपर कोलाब और इन्द्रावती परियोजनाओं को यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता विस्तार परियोजनाओं को दी जानी चाहिए जिनमें से रिंगाली परियोजना चरण 2 को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इससे बरसात के दिनों में 400 लाख यूनिट से अधिक अतिरिक्त बिजली पैदा करने में सहायता मिलेगी।

बिजली की अभूतपूर्व मांग को पूरा करने के लिए इब घाटी परियोजना को इस योजना में राज्य के अधीन रखने की बजाए तुरन्त ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को इस परियोजना पर कार्य शुरू करना चाहिए।

अत: अतिरिक्त बिजली पैदा करने की मांग को तभी पूरा किया जा सकता है जब चालू परियोजनाओं को पूरा किया जाए तथा सातवीं योजना में परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाए।

(चार) बम्बई नगर परिवहन परियोजना चरण-2 को तत्काल स्वीकृति देने और विश्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : बम्बई तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों की आबादी करीब एक करोड़ है। सड़क, रेल, जल परिवहन तथा पैदल चलने वाले लोगों की समस्याओं की वजह से बम्बई में स्थिति जटिल हो गई है। बी० एम० आर० डी० ए० ने बम्बई परिवहन परियोजना चरण II तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 525.66 करोड़ रुपए है। इस परियोजना पर विश्व बैंक प्रतिनिधि से भी अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई है। 28 मई, 1985 को महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस परियोजना को विश्व बैंक के पास सहायता प्राप्त करने के लिए भेजे जाने हेतु स्वीकृत किया जाए।

बी० एम० आर० डी० ए० क्षेत्र तथा बम्बई में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है तथा भारत सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे तथा यथाशीघ्र इस विषय में विश्व बैंक की मंजूरी ले।

(पांच) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मस्तिष्क-ज्वर की महामारी के फैलने को रोकने के लिए उस राज्य को पर्याप्त चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर महामारी के रूप में फैला हुआ है और इस भयंकर बीमारी के कारण देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और गोंड़ा नामक पूर्वी जिलों में कई सौ लोगों की मृत्यु हो गयी है। अन्य जिलों तथा राज्य की राजधानी से भी लोगों के इस रोग से पीड़ित होने के समाचार मिले हैं।

देवरिया जिले के 315 गांवों के 411 तथा गोरखपुर जिले के 228 गांवों के 272 पीड़ित लोगों में से 145 लोगों की देवरिया में तथा 76 लोगों की गोरखपुर में मृत्यु हो गई है। इन दो जिलों में गत कुछ वर्षों से बीमारी से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। डाकटरों के एक दल ने पाहरपुर, चटमील, नगवामो, हाजीपुर, उन्नाव और अनवारी गांवों में बहुत से लोगों को इस रोग से

पीड़ित पाया है। जो निवासी पानी में पैदा होने वाली घास-पात, फुई तथा गन्दे नालों तथा बाढ़ के पानी से युक्त कुओं पर जीवन-यापन कर रहे हैं, शहर जाने की स्थिति में नहीं हैं। इस बीमारी का 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे इस बीमारी से अधिक प्रभावित हैं।

यह एक मानवीय समस्या है। मैं सरकार से इस समस्या की तरफ तुरन्त ध्यान देने तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को पर्याप्त चिकित्सीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि स्थिति से निपटा जाए तथा इस रोग को फैलने से भी रोका जाए।

12.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(छः) तमिलनाडु में हाल की वर्षा से हुए भारी नुकसान को पूरा करने और लोगों को राहत देने के लिए उस राज्य को वित्तीय सहायता देना

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : हाल की वर्षा से नवम्बर, 1985 में तमिलनाडु में सम्पत्ति को बहुत नुकसान हुआ है तथा कई सौ लोगों की मृत्यु हुई है। तंजौर और दक्षिण अरकाट में धान की फसलें होती हैं और तंजौर तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है। धान की फसल पानी में डूब गई है जिसके कारण किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में 350 से अधिक टैंकों में दरार पड़ गई थी तथा बहुत से गांव बह गए हैं। तमिलनाडु के दूसरे बड़े टैंक, मदुरांतकम में 45 मीटर लम्बी दरार आ गई जिससे आस-पास के गांव बह गए। मदुरांतकम से सम्पर्क सड़कों तथा रेल पुलों को क्षति पहुंचने के कारण टूट गया है। कुल नुकसान बहुत ही अधिक है क्योंकि हाल की बाढ़ से बहुत से मार्गों तथा सड़कों में दरारें पड़ गयी हैं तथा स्कूल और सरकारी भवन गिर गए हैं।

तमिलनाडु के लोग तथा सरकार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया तथा यह आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति नुकसान का जायजा लेने के लिए तमिलनाडु का दौरा करेगी। तमिलनाडु सरकार लोगों को सभी प्रकार की राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह 120 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दे।

(सात) भूटान की चूखा पन-बिजली परियोजना के भारतीय कर्मचारियों की और अधिक छंटनी को रोकने और छंटनी किए गए कर्मचारियों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : भूटान की चूखा पन-बिजली परियोजना में हाल ही में अचानक और मनमाने ढंग से 90 कर्मचारियों की सेवाएं बिना पूर्व सूचना दिए और बिना कोई मुआवजा दिए समाप्त कर दिए जाने के कारण वहां के गत 6 से 13 वर्ष से काम कर रहे लगभग 2700 भारतीय लोगों में अपनी सेवा के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। यह परियोजना 1973-75 के दौरान भारत सरकार के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा आरम्भ की गई थी तथा इस परियोजना को भारत के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी ही चला रहे थे। लगभग 260 व्यक्तियों के कर्मचारियों का पहला बैच उपरोक्त आयोग द्वारा नियुक्त

किया गया था। तत्पश्चात् भारत सरकार तथा भूटान की रायल सरकार के प्रतिनिधियों को लेकर परियोजना के प्रशासन को देखने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था जिसका नाम चूखा परियोजना प्राधिकरण रखा गया था। प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। इन कर्मचारियों को बहुत ही दूर-दराज के क्षेत्रों में काम पर लगाया गया था जहां पर देश के किसी भी भाग से कोई सम्पर्क नहीं था। उन्होंने बहुत ही कठिन कार्य बिना किसी उचित तथा पर्याप्त पारिश्रमिक लिए किया है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग परियोजना के सफलतापूर्वक पूरे होने के लिए दिया है परन्तु अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है जबकि इस समय दूसरा रोजगार पाने के लिए उनके समक्ष कोई अवसर नहीं है।

अतः, मैं सरकार से चूखा पन-बिजली परियोजना से छंटनी हुए भारतीय कर्मचारियों की दुर्दशा पर विचार करके कर्मचारियों की आगे होने वाली छंटनी को रोकने, छंटनी हुए कर्मचारियों को भारत या भूटान की किसी अन्य परियोजना में नौकरी देने तथा इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में फिर से विचार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं?

(आठ) सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को, चाहे उनके द्वारा काटी गई जेल की अवधि कितनी भी रही हो, केन्द्रीय सरकार की पेंशन सुविधा देने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): यह देखा गया कि कई वास्तविक स्वाधीनता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार से मुख्य रूप से इस कारण पेंशन नहीं मिल रही है कि उन्हें कड़ी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है तथा यह भी उन्हें ही सिद्ध करना होता है कि वे कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए जेल गए थे।

मात्र छः माह की जेल के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वाधीनता सेनानी की पेंशन के लिए हकदार ठहराना नितान्त अनुचित है। हो सकता है बहुत से कई महान व्यक्ति जिन्होंने गम्भीरता से तथा सक्रिय रूप से स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, पूरे छः माह के लिए जेल न गए हों। फिर भी, उनके सहयोग के महत्व की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सरकार कम से कम ऐसे पुरुषों और स्त्रियों के जीवन के अन्तिम दिनों को, जिन्होंने देश के लिए अपना यौवन, अपना व्यवसाय, अपना वैभव तथा पारिवारिक जीवन न्योछावर कर दिया, पेंशन आसानी से देकर कुछ सुखद बना सकती है। उनके जेल जाने की अवधि कुछ भी हो, चाहे वह कुछ दिन हो अथवा कुछ वर्ष हो, सिर्फ उनके स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की बात को ही महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी जेल की अवधि की ओर ध्यान दिए बिना उन्हें पेंशन सुविधाएं देना ही श्रेयस्कर तथा उचित है। अतः जिन्होंने कुछ दिन हैं जेल में व्यतीत किए हैं उन लोगों को भी पेंशन देने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया जाए।

चूंकि स्वाधीनता सेनानियों की पीढ़ी तेजी से लुप्त होती जा रही है—वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं—यह अत्यावश्यक है कि और देरी किए बिना उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाए।

(नौ) बिहार में शिक्षा के त्वरित विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना): शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पीछे है और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों की सूची में उसका नाम है। यह देश का दूसरा बड़ा राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी

से हुए विकास तथा नई शिक्षा नीति को देखते हुए यह आवश्यक है कि बिहार के एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। पटना प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और यह राजधानी के मध्य स्थित है। अतः बिहार में शिक्षा के प्रसार की गति तेज करने के लिए इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए।

12.35 म० प०

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :

> "कि यह सभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्षों 1980-81 और 1981-82 सम्बन्धी तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों, जो क्रमशः 10 अगस्त, 1984 और 23 जनवरी, 1985 को सभा पटल पर रखे गए थे, पर विचार करती है।

जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्यों को विदित हैं, ये प्रतिवेदन क्रमशः 10-8-1984 तथा 23-1-1985 को सभा-पटल पर रखे गये थे परन्तु उस समय उन पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अतः हम इस समय उन पर चर्चा कर सकते हैं। आयोग ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में 78 सिफारिशें की हैं तथा चौथे प्रतिवेदन में 20 सिफारिशें की हैं। अब माननीय सदस्य इन प्रतिवेदनों पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों द्वारा इन दो प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के संदर्भ में जो सुझाव पेश किए जाएंगे उनसे सरकार अत्यन्त लाभान्वित होगी।

जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सरकार गरीबी दूर करने के लिए वचनबद्ध है, और चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आर्थिक दशा हमारे देश में सबसे खराब है, इसलिए 20-सूत्री कार्यक्रम इन लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने और देश से गरीबी समाप्त करने के लिए बनाया गया है। परन्तु हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों को सुनूंगी तथा चर्चा के अन्त में मैं सारी बातों के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्षों 1980-81 और 1981-82 सम्बन्धी तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों, जो क्रमशः 10 अगस्त, 1984 और 23 जनवरी, 1985 को सभा-पटल पर रखे गये थे, पर विचार करती है।"

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों को इस सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इसके सम्बन्ध में, मुझे सबसे पहले यह कहना है कि सरकार ने इस आयोग का गठन यद्यपि एक ऐक्ट के अधीन किया था तथापि सरकार की यह मंशा थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय को आयोग के साथ मिला दिया जाए, वह काम अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे इस आयोग को सांवैधानिक दर्जा दिए जाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक इसे वह दर्जा भी नहीं दिया जा सका है। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा और तभी इसे सांवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सकेगा। जब तक इसे वह दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके सामने जो रिपोर्ट आती हैं, उन पर आप कार्यवाही नहीं कर पाते।

इन रिपोर्टों में उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य सुझाव भी दिए हैं, उनमें से एक यह है कि आयोग के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, उस संख्या को बढ़ाये बिना उनका काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इसके अलावा 23 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी उन्होंने सुझाव दिया है......

लेकिन अभी तक आपने आयोग के उस सुझाव को पूरा नहीं किया है, इसको आपको पूरा करना चाहिए। जो कार्यालय आपने खोले हैं इनमें 12 क्षेत्रीय कार्यालय निदेशकों के अधीन और 5 क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशकों के अधीन हैं। जिनमें 214 कर्मचारी हैं। यदि आप इस रिपोर्ट के अनुसार चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को सुविधा दें, तो आपको उस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करना चाहिए।

आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का मूल्यांकन करते रहना। इन दोनों समुदायों के सामाजिक विकास कार्यों को कर्मठ और सामरिक दृष्टि से देने का काम अधिक महत्वपूर्ण है। आयोग का मत है कि जब तक दोनों समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना दिया जाता है तब तक वे अपने पांवों पर खड़े नहीं हो सकते हैं और अपने आपको गरीबी की जंजीरों से छुड़ा नहीं सकते हैं।

आयोग का यह भी सुझाव है कि आप इन दोनों वर्गों के लिए जो योजना बनाते हैं उनमें इनको बुलाकर इनके सुझाव लिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार का एक नियम बना देना चाहिए कि जब भी कोई योजना इन वर्गों के लिए बनाई जाएगी या लागू की जाएगी, तब इन लोगों को बुलाकर इनके सुझाव लिए जायेंगे। इस पर अमल किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्गों के लोगों के बारे में यहां पर कई दफा चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमीशन बनाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब समय आ गया है जब उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सेवाओं से सम्बन्धित दोनों वर्गों के कर्मचारियों को आरक्षित कोटे की नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के पास सीधे अभ्यावेदन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए सम्बन्धित विभाग या मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि इन वर्गों के लोगों के जो प्रमोशन होते हैं वे समय पर होने चाहिएं किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। वैसे तो आपने इनके लिए हर चीज में आरक्षण किया है, लेकिन जो आरक्षित जगहें हैं वे खाली पड़ी रहती हैं और आप कहते हैं कि हमें योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा है। अगर ऐसी बात ही चलती रहेगी तो यह आरक्षण का कोटा कैसे पूरा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन लोगों को योग्य बनाने के लिए आप विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हैं मास्टरी की जितनी पोस्टें उनके लिए भी आप कहते हैं कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से पढ़े-लिखे लोग हैं जो घरों में जाकर गुलामी कर रहे हैं और आप उनको नियुक्त नहीं कर पाते हैं। अभी तक ऐसी बहुत-सी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दी हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों जातियों के लोगों को नौकरी में सीधे आवेदन देने की जो सिफारिश की है, उसके लिए आदेश जारी किए जाएं जिससे उनको फायदा मिल सके और जो पद अभी तक इनके लिए आरक्षित हैं और रिक्त पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश की जाए ताकि इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके और समाज में इनकी हालत सुधर सके। समाज में इनकी इज्जत होने लगेगी, समाज इनको इज्जत से देखने लगेगा। इसलिए जरूरी यह है कि रिपोर्ट पर बहस ही न हो, खाली पैसे से ही काम नहीं होगा बल्कि सही ढंग से इस रिपोर्ट का अनुपालन किया जाये। कमीशन ने जो सुधार की मांग की है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिन बाद शिड्यूल्ड कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन की रिपोर्ट पर यह सदन चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक रस्म-अदायगी है क्योंकि इसके पहले भी कमिश्नर की रिपोर्ट पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और कमिश्नर की रिपोर्ट पर हमेशा सिफारिश की जाती है।

अगर कमिश्नर की रिपोर्ट देखें तो इसके पहले ही चैप्टर में उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि उनके पास कुछ पावर्स नहीं हैं, वह केवल सिफारिश कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि उन सिफारिशों पर सरकार कितना अमल करती है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो भी जवाब आये, उसमें बताया जाये कि इस रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें हुई हैं, उनमें से कितनी सिफारिशों पर अमल हुआ है और कितनी पर अमल नहीं हुआ है?

छठी पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई है, उसमें सबसे अहम मुद्दा गरीबी हटाने और शोषण रोकने का था। छठी योजना में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक धनराशि इस कार्य के लिए दी गई थी। मैं समझता हूं कि 5वीं योजना की तुलना में यह 4 गुना ज्यादा दी गई। इसके बावजूद भी हरिजन आदिवासी क्षेत्रों में जो रिजल्ट हमको देखना चाहिए था, वह देखने को नहीं मिला। केवल प्लान एलोकेशन या फंड दे देना ही पर्याप्त नहीं है, उसको खर्च करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह सही दिशा में खर्च हो रहा है या नहीं, यह देखना चाहिए।

भारत सरकार समय-समय पर कहती है कि हमने गाइड-लाइन्स इशू की हैं, लेकिन भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी, विशेष तौर पर हरिजन और आदिवासी इलाकों के लिए है। मैं

समझता हूं कि भारत सरकार अपनी ताकत को ठीक से जानने की कोशिश नहीं करती है। अगर संविधान के पांचवें शिड्यूल और छठे शिड्यूल के आर्टिकल 46, 275 और 339 को देखें तो उनमें बहुत से ऐसे प्रावधान हैं कि बहुत कुछ अधिकार भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार को दिए गए हैं। अगर भारत सरकार केवल राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी तो जो अपेक्षायें हरिजन और आदिवासियों को सरकार से हैं, वह कभी पूरी नहीं हो सकतीं।

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी राज्य-शासन के पास और मुख्यमंत्रियों के पास कितना समय इन इलाकों के लिए देने के लिए है? उनका समय सवेरे से शाम तक राजनीति और अपनी कुर्सी सलामत रखने के प्रयास में निकल जाता है। आधा समय इसी प्रयास में निकल जाता है। आदिवासी और हरिजनों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के पास इसके लिए बहुत कम समय है, इसलिए भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी इस विषय में आती है।

अभी जो आर्टिकल मैंने उद्धृत किये हैं, उनके तहत भारत सरकार के पास इतने अधिकार हैं, भले ही कुछ राज्य इसमें एतराज कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर केन्द्रीय सरकार को अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सेन्ट्रल इंडिया में जितने ट्राइबल इलाके हैं, उसमें जिस प्रकार के नतीजे मिलने चाहिए, वह हमें नहीं मिले हैं। आखिर इसका क्या कारण है कि प्रशासन आदिवासी लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया है। इसी कारण आज आदिवासी इलाकों में हमें असंतोष की बात सुनने को मिलती है। इस बारे में भारत सरकार को विशेष रूप से सोचना होगा। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि सेन्ट्रल इंडिया में जितने ट्राइबल इलाके पांचवें शेड्यूल में हैं, उसमें से कुछ इलाकों को छठे शेड्यूल में लेकर देखें। इससे आदिवासी क्षेत्रों में जो असंतोष है, वह दूर होगा और विश्वास पैदा करने की भावना जागृत होगी। आर्टिकल 46 के तहत आपके पास पूरी पावर हैं जिससे यह काम आसानी से हो सकेगा।

आर्टिकल 339 के तहत भारत सरकार को जो डायरेक्शन देने का अधिकार है, आज तक केन्द्र सरकार ने इस अधिकार का एक बार भी प्रयोग नहीं किया है। इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया और प्रयोग न करने में क्या हिचक है? आपने गाइड लाईन भी इशू कर दी हैं, फिर भी आर्टिकल 339 का आज तक उपयोग नहीं हुआ है।

आपकी जो 1981-82 की चौथी रिपोर्ट है, उसमें कुछ कम्पोनेंट प्लान के बारे में सिफारिशें हैं। कम्पोनेंट प्लान के बारे में आज तक कहीं भी नतीजे अच्छे दिखायी नहीं दिए हैं। एजेंसियों की बात रिपोर्ट में कही गई है कि जिला लेवल पर एजेंसी अलग से बननी चाहिए जो कि फंड को कंट्रोल करे। यह तो एक अच्छा कदम है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को दिया जाता है, वह उस मद में खर्च हुआ या नहीं, यह केन्द्रीय सरकार को मालूम नहीं होता है। अगर गम्भीरता से केन्द्र सरकार इसमें सख्ती बरते तो अच्छे नतीजे निकल सकते हैं।

अब मैं ट्राइबल इलाकों में लैम्पस के बारे में कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मंत्री महोदया कह रही थीं कि सारे लैम्पस ठीक चल रहे हैं। हमने कई जगह जाकर देखा है कि यह लैम्पस ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप इन लैम्पस को चैक करवायें। मध्य प्रदेश में तो आधे से ज्यादा लैम्पस

ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि काम करने का जो तरीका है, उसमें आपको परिवर्तन लाना होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया इस ओर अवश्य ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० पी० वल्लल पेरूमान (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्षों 1980-81 और 1981-82 सम्बन्धी तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

शुरू में, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि 1978 में इस आयोग की स्थापना करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण तथा उत्थान के लिए संवैधानिक संरक्षण दिये गये थे उन्हें कम किया गया है। इस आयोग की स्थापना 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के अधीन की गई थी। हालांकि इस संकल्प में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आयोग विशेष अधिकारी, अर्थात्, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जिसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, के अधिकार को कम नहीं करेगा। परन्तु विशेष अधिकारी के संवैधानिक अधिकार को, उसे इस आयोग का सदस्य बनाकर, जिसे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है, कम कर दिया गया है। उसके संवैधानिक अधिकार को इस आयोग की, चाहे वह कितने भी ऊंचे स्तर का हो, कार्य-प्रणाली से सीमित कर दिया गया है। आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि विशेष अधिकारी के संवैधानिक अधिकार को कम किया गया है।

दूसरी बहुत ही खेदजनक बात यह है कि कुछ वर्षों से विशेष अधिकारी का पद खाली पड़ा है; इसी प्रकार से आयोग के चैयरमैन का पद भी कुछ वर्षों से खाली पड़ा है। इन दो के अतिरिक्त आयोग के एक और सदस्य का भी पद खाली है। क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षणों को पूरा करने का यही तरीका है।

संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन, सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों की घोषणा करनी होती है। भारत सरकार ने 1965 में विधि मंत्रालय के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को पुनरीक्षित करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर चौथी लोक सभा में एक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था जिसने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत किया था। परन्तु चौथी लोक सभा के भंग होने के साथ यह विधेयक भी कालातीत हो गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न को फिर से 1978 में उठाया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 को फिर से संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यापक सूचियां, संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 तथा संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में दी गई सूचियों की जांच करने के बाद तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस समिति को 1979 के बजट सत्र के अन्तिम दिवस

तक अपना प्रतिवेदन संसद को देना था परन्तु इससे पहले ही छठी लोक सभा के भंग होने के कारण समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। यह 1978 का विधेयक भी कालातीत हो गया।

आज तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यापक पुनरीक्षित सूचियां तैयार नहीं की गई हैं। सातवीं लोक सभा में कोई संशोधन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया था। आठवीं लोक सभा में भी ऐसा संशोधन विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है।

ऐसी पुनरीक्षित व्यापक सूची के अभाव में अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए मै एक या दो उदाहरण दूंगा। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में वन्नान (धोबी) को अनुसूचित जाति माना जाता है। अखिल भारतीय धोबी संघ यह मांग करता रहा है कि धोबियों को सिर्फ सारे तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि सारे देश में ही अनुसूचित जाति माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से कई हजार तमिल जो तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं राजधानी शहर, दिल्ली में रह रहे हैं। उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें सिर्फ इसलिए नहीं मिलतीं कि उन अनुसूचित जातियों को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से गुजरात सरकार भी यह मांग करती रही है कि मोची समुदाय को भी अनुसूचित जातियों की राज्य सूची में सम्मिलित किया जाये ताकि इस विसंगति को दूर किया जा सके कि गुजरात के केवल दो जिलों में ही उन्हें अनुसूचित जाति माना जाता है। ऐसी विसंगतियां सारे देश में हैं।

इस अवसर पर मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह शीघ्र ही एक उचित विधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को पुनरीक्षित करने के लिए लाये ताकि सभी वर्तमान विसंगतियों को दूर किया जा सके। आयोग ने अपने 1980-81 के प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार की एक सिफारिश की है।

आगे बोलने से पहले मैं मांग करता हूं कि आयोग के अध्यक्ष, विशेष अधिकारी तथा सदस्य की नियुक्ति में और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक भी पुरःस्थापित किया जाना चाहिए।

1.00 म० प०

मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती के समय अर्हताओं में जो जाने छूट दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया जाए। और इस प्रकार की अधिसूचना इस वर्ष 29 मई को जारी की गई है। यदि यह सही है तो इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों को बहुत हानि होगी। मेरा सुझाव है कि इस आदेश को बिना किसी विलम्ब के निरस्त किया जाना चाहिए जिससे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहायता मिलती रहे।

शायद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने में अपनी असफलता के कारण सरकार के 36 मंत्रालयों/विभागों ने 1981-82 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग को आपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं की थी। 14 मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिए श्रेणी I के पद न तो आरक्षित थे और न ही भरे गए थे। इस प्रतिवेदन से यह

बात सामने आई है कि कृषि तथा सहकारिता विभाग, विधायी विभाग, पुनर्वास विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग में श्रेणी II के पद न तो आरक्षित थे और न ही भरे गए थे। यह वास्तव में खेदजनक बात है कि इन मंत्रालयों में श्रेणी III के पदों में भी अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित नहीं रखे गए। यही स्थिति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की भी है।

कर्मचारी चयन आयोग ने विशेष राज्यों तथा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए शेष बची रिक्तियों को भरने की दृष्टि से विशेष परीक्षा आयोजित करने के लिए मई, 1980 में एक विशेष परीक्षा सेल गठित किया था। पर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होने से पहले ही 28 फरवरी, 1982 को यह एकक बन्द कर दिया गया।

केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भर्ती भी संतोषजनक नहीं रही है। राज्यों में भी यह स्थिति भिन्न नहीं है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर केवल 5 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति के पुरुषों की संख्या 17 प्रतिशत थी। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता स्थिति में भी भिन्नता नहीं है। यह बताना उचित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। आज भी भारत सरकार के स्तर पर तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण केवल 5 प्रतिशत है।

आयोग के मद्रास कार्यालय द्वारा तमिलनाडु के सलेम, त्रिचिरापल्ली तथा तन्जापुर जिलों में किए गए अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जातियों के मजदूर मौजूदा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पता नहीं है। कई राज्यों ने अपनी भूमि सीमा कानून को राष्ट्रीय मार्ग निदेशों के अनुसार लागू नहीं किया है। वस्तुतः अनुसूचित जातियों के भूमिहीन कृषि मजदूरों को फालतू भूमि के वितरण सम्बन्धी कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई है। आश्चर्य की बात है कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में भूमि रिकार्ड को अद्यतन नहीं किया है। स्वाभाविक है कि खेतिहर और बटाईदार श्रमिकों को जो कृषि के मुख्य आधार हैं, विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभ नहीं मिल सके हैं।

मैं मानता हूं कि कई राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए हैं। लेकिन उनके कार्य पर नजर नहीं रखी गई है। इन निगमों की प्रतिविधियों की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर कोई समितियां नहीं बनाई गई हैं।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र में एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करेगा। वह विशेषकर उन योजनाओं के राज्य स्तर के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा जिन्हें केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता तथा अनुदान देती हो। इस आयोग को जांच अधिनियम 1952 के आयोग के अन्तर्गत अधिकार देना चाहिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक विकास सम्बन्धी आयोजन प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा केन्द्र और राज्य दोनों की योजनाओं पर निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने के काम में इसका सहयोग लिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था इस आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं मांग करता हूं कि देश में पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.05 बजे पुनः समवेत होगी।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

2 10 म० प०

मध्याहन भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 10 निमट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० रामचन्द्र रेड्डी।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : आज हमने बहुत अच्छे विषय पर चर्चा आरम्भ की है। 1980 के शुरू में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सरकार ने प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में चार वर्ष का समय लिया है। 1981-82 के प्रतिवेदन को 23-1-1985 को सदन के पटल पर रखा गया है। इससे पता चलता है कि उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के साथ कितनी सहानुभूति है। यदि उन्हें वास्तव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ कोई सहानुभूति है और यदि वे उनकी दशा सुधारना चाहते थे तो उन्हें इन प्रतिवेदनों को जल्दी प्रस्तुत करा चाहिए था तथा उप पर चर्चा करनी चाहिए थी और सदस्यों के विचार प्राप्त करने चाहिए थे तथा इन गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए के जिनको वर्षो से दबाया गया है तथा परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के प्रति यह सरकार केवल मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और उनके कल्याण की कोई चिन्ता नहीं है।

जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों तथा अन्य जातियों के गरीब लोगों के बीच पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां तक गरीबी दूर करने का सम्बन्ध है वहां उन्हें जातियों के बीच में नहीं लाना चाहिए। जहां कहीं भी गरीबी है यह समाज पर कलंक है यह सरकार की छवि पर धब्बा है। गरीबी को दूर करना होगा और जिस किसी जाति में गरीबी हो, वहां गरीबी दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। कृपया गरीबी के जाति मूलक न बनाए। सभी जातियों की गरीबी दूर करें

तथा अधिक से अधिक गरीब लोगों को ऊपर उठाएं। यदि आप यह कहेंगे कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गरीबी दूर की ज ए तो आप विभिन्न जातियों के बीच घृणा पैदा करेंगे।

जब संविधान बनाया गया था तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान सभाओं और ससद में या नौकरी या स्कूलों में स्थान आरक्षित करने की गारंटी दी गई थी। इसे पूरा करने की समय अवधि 10 वर्ष थी। 10 वर्षों के दौरान तत्कालीन सरकार ने आज्ञा की थी कि वे इन गरीब और दलित लोगों में बहुत सुधार लाएगी। परन्तु दस वर्ष पर्याप्त नहीं थे। वे कुछ नहीं कर सके। तब वे इसको बढ़ाते गए। इसे चार बार बढ़ाया गया हैं। हालांकि यह आरक्षण 40 वर्ष से है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की दशा में क्या सुधार किया गया है, कृपया इसका मूल्यांकन करें। शुरू में आपने सोचा कि आप 10 वर्षो के भीतर सभी लोगों के बीच से गरीबी दूर कर देंगे। आप इसे 10 वर्षों में नहीं कर सके हैं। आपने इसे करने में 40 वर्ष का समय लिया है। फिर भी आप इसे नहीं कर सके हैं। इससे सरकार की असफलता का पता चलता है कि सरकार केवल जवानी सहानुभूति दर्शा रही है और इन वर्गों से गरीबी दूर करने लिए कोई कुछ नहीं कर रही है। गरीबी को दूर करने के लिए आपको और कितने वर्ष चाहिए? वास्तव में यह समाज पर धब्बा है। इसे दूर करना होगा। क्या सरकार कह सकती है कि वह 10 या 20 वर्षों के भीतर गरीबी दूर कर देगी तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। चाहे वह अनुसूचित जातियों और जन जातियों में हो या अन्य समुदायों में हो। यह बेहतर होगा कि सरकार गरीबी दूर करने के कुछ प्रस्ताव लाए और उस दिशा में अग्रसर हो।

आरक्षण किसी न किसी अवस्था में समाप्त करना ही होगा। अब आरक्षण अलाभकर है। आरक्षण कुछ अन्य जातियां भी चाहती हैं कि आरक्षण शामिल किया जाए उदाहरण के लिए सकालो तथा धोबी समुदाय के लोग शोरगुल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भोई और वडडार जैसे कुछ अन्य समुदाय अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को मिल रहे लाभों को देख रहे हैं तथा वे शोर मचा रहे हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जातियों के सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि आप उन्हें भी शामिल कीजिए। क्योंकि जब आप सामाजिक रूप से उन्हें देखते हो तो वे अनुसूचित जातियों की तरह इतने बुरे नहीं हो सकते हैं लेकिन जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है तथा उनकी अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है। वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से बेहतर नहीं हैं। यदि ऐसा है तो क्या इन लोगों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करेगी और उन्हें कुछ वर्षों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी तथा यह देखेगी कि उनकी दशा में भी सुधार हो।

लोगों की गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समेकित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति विशेष कम्पोनेंट योजना जैसी कई योजनाओं मंजूरी दी गई है। सरकार इन योजनाओं द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। परन्तु सबसे पहले सरकार को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि इन योजनाओं से इन लोगों को कितना लाभ हुआ है। उन्हें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि क्या इस पैसे के वास्तव मे अनुसूचित जाति को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया गया है। उदाहरण के लिए हमें 4 या 5 गावों को चुनना चाहिए जहां इन योजनाओं के कार्यान्वित किया गया है। हमें 4 या 5 हरिजन गांवों में जाना चाहिए तथा यह पता लगाना

चाहिए कि उनके जीवन स्तर से सम्बन्धित क्या सुधार हुआ है और उन्हें कम से कम क्या सुविधाएं मिली हैं। केवल तभी हम जान पाएंगे कि इन योजनाओ से उन्हें कहां तक लाभ हुआ है तथा इन लोगों के स्तर को कहां तक ठीक तरह से लाभ मिला है। मैं समझता हूं कि इस प्रयोजना के लिए आबंटित धनराशि में से अधिकांश धनराशि बिचौलियों तथा इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों की जेब में चली जाती है। अतः अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ किसी भी तरह से उन्हें नहीं मिले हैं। 1980-81 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 41 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने बहुत कोमल केन्द्रों में उल्लेख किया है :—

> "हमारा अनुभव रहा है कि कार्यान्वयन व्यवस्था के अभाव में अनुसूचित जाति को जो लाभ गया वह आशाओं के अनुरूप नहीं है।"

अतः समिति की राय है कि अनुसूचित जाति के लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है। अब ऐसा समय आ गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों की दशा सुधारना जरूरी हो गया है। सरकार की वर्तमान नीति जहां आप लोग रहते है वहां से अलग इन जातियों के लिए मकान बनाने की है। इससे भेदभाव होता है और वे महामान करते है कि क्योंकि वे दलित हैं इसलिए उन्हें दूरवर्ती स्थानों पर रहना पड़ता है। जब तक इस भावना को उनके दिमाग से निकाला नहीं जाता है तब तक वे राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा अपना जीवन नहीं सुधार सकेंगे।

जिन जगहों पर अन्य समुदाय रहते हैं उन स्थानों पर हरिजनों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जा रही है और इस तरह राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है यदि आप इन लोगों के लिए शहरों और गांवों से दूर मकान बनवायेंगे तो आप अनुसूचित जाति के बीच एक भावना पैदा करेंगे कि ये वे लोग हैं जिन्हें शहरों और गांवों से दूर रखना होगा तथा वे अन्य समुदायों के साथ रहने योग्य नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके बाद जब भी गरीब लोगों के लिए मकान बनाए जाते वे मकान वहां बनाए जाने चाहिए जहां अन्य समुदाय के लोग रहते हैं जिससे कि आप एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकेंगे जो एकता का प्रतीक हो। सरकार की नीति आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को गरीबी को रेखा से ऊपर लाने की होनी चाहिए।

सरकार हरिजनों के लिए 500 रुपए का इसी के आसपास की लागत के मकान बना रही है। परन्तु ये मकान रहने योग्य नहीं हैं और वे सुअर खाना की तरह लगते हैं। वे मनुष्य बास के योग्य नहीं हैं। उन मकानों में ये लोग कैसे रह सकते हैं ? इन गरीब लोगों के लिए प्रत्येक 500 रुपए की लागत पर मकानों का निर्माण करने के स्थान पर यदि आप 5,000 या 10,000 रुपये प्रति मकान के हिसाब से मकानों का निर्माण करें तो वे केवल रहने योग्य ही नहीं बल्कि लम्बे समय रहने योग्य भी होंगे। 500 रुपए या इसी के आसपास की लागत से मकानों का निर्माण करने का क्या फायदा है जो केवल 4 या 5 वर्षों तक ही चलेंगे ? इन लोगों के लिए 5,000 या 10,000 रुपए की लागत पर पक्के मकानों का निर्माण किया जाए जो दो या तीन तक रह सकेंगे तथा मानव वास के योग्य भी होंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी० तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अंगभूत योजनाओं जैसी योजनाओं की कार्यान्विति का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करें। उन्हें इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों की कार्यान्विति से क्या कोई फायदा हुआ है। क्या वास्तव में गरीबों तथा दलितों को लाभ पहुंचा है। आयोग को यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए कि अड़चन कहां है। इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आपको ईमानदार और समर्पित लोगों की आवश्यकता होगी यदि सरकारी प्रकाशन में सच्चे और ईमानदार अधिकारियों की कमी होगी तो गरीब तथा दलित लोगों के लिए इन सभी योजनाओं को मंजूरी देने का कोई फायदा नहीं है इसमें सुधार किया जाना है। आपको ऐसे अधिकारियों से ही काम लेना चाहिये जो समर्पित है, जो इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं ऐसे लोगों का भाग्य सुधारना चाहते हैं, जब उनमें समर्पण एवं सहानुभूति की भावना होनी तभी हालात् सुधारेंगे, अन्य तरीके से नहीं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात का पता लगाये कि क्या लाभ निम्नतम स्तर तक पहुंच रहे हैं और क्या ये कदम इन गरीब लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर आने में मदद कर रहे हैं, यदि जरूरत हो तो इन योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिये ताकि वे वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकें और इन लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जा सके।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन गरीब लोगों के लिये 5 रु० या 10 रु० प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है लेकिन क्या कोई ऐसी एजेन्सी है जो यह देखे कि क्या इन गरीब लोगों को वास्तव में न्यूनतम मजदूरी दी जाती है या उच्च वर्ग के लोग उनका शोषण करते है? केवल एक कानून पास करने से कुछ नहीं होने वाला। एक सांसद जो 75 रु० दैनिक भत्ता पाता है, सन्तुष्ट नही है। वह और भी कुछ चाहता है। इसी प्रकार एक आदमी जिसका वेतन 100 रु० प्रतिदिन है तथा जिसे 50 रु० या 60 दैनिक भत्ता मिलता है संतुष्ट नहीं है, उच्च वर्ग के लोग जो सैकड़ों रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं वे भी सन्तुष्ट नहीं हैं। इन स्थितियों में आप इन गरीब लोगों के भाग्य में सुधार की आशा कैसे रखते हैं जबकि उन्हें 5 रु० या 10 रु० प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है और वे सुबह 1 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं, इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिये।

श्रम की गरिमा का आदर किया जाना चाहिये। 5 रु० की राशि कुछ भी नहीं है, आपको न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन आप 20 करोड़ लोगों की कीमत पर 60 करोड़ लोगों की सहायता कर रहे होंगे। इन 20 करोड़ लोगों की खातिर इन लोगों को हमेशा के लिए घोर गरीबी मत रखिये। इन गरीब लोगों की हालत सुधारने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाये जाने चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 1980-81 और 1981-82 दोनों वर्षों की रिपोर्टों में दिये सभी सुझावों को लागू करे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, इसमें भाग लेते हुए मैं भी अपनी कुछ बातें सभा के सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास इतनी खबरें हैं, इतने आंकड़े हैं कि अगर सबकी चर्चा करूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि सभा के सामने कुछ बातें रखूं ताकि सरकार को सहूलियत हो और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को कुछ लाभ मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कमिश्नर और कमीशन की व्यवस्था हुई है इस व्यवस्था में जो सभी आफिसर हैं, वे कई साल से, 1981 से अब तक उनके पद खाली पड़े हैं। इनको भी आप भरते नहीं हैं तो दोबारा कौन रिपोर्ट लिखेगा। फिर जो रिपोर्ट लिखी जाती है। वह कोई एक्शन टेकन नहीं होती। तो मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

कि की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन को भी सभापटल पर रखा जाए ताकि सभी को मालूम हो जाए कि सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

अगर यह नहीं होता तो सिर्फ रिपोर्ट लिखकर बड़े-बड़े वाल्यूम निकालते हैं और कुछ सजेशन और आब्जरवेशन दे दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती, कोई एक्शन टेकन उसके ऊपर नहीं होता है और जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी है वह इससे अच्छी है, क्योंकि उसमें कुछ एक्शन होता है। कम विषयों पर अध्ययन करना ठीक होता है, लेकिन कुछ एक्शन टेकन होता है, लेकिन इसमें कोई एक्शन टेकन न होने से रिपोर्ट रखी रह जाती है, उसपर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो मेरा सुझाव है कि जो आफिसर कमीशन में रखे जाएं वे अधिक रखे जाएं और पार्लियामेंट की तरफ से कानून बनाकर कमीशन को अधिक अधिकार दिए जाएं। सारे हिन्दुस्तान मे तकरीबन छः हजार एस्टेबलिशमेंट हैं चाहे स्टेट्स के हों या सेन्टर के, वे रिजर्वेशन परव्यु में आते हैं। आज हम लोग ट्राइबल वैलफेयर और हरिजन डवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन इनका जितना डवलपमेंट होना था, वह आज तक नहीं हो पाया। अगर मिजर्वेशन हटाना है तो हटा देना चाहिए और रखना है तो उसको ठीक तरह रखना चाहिए। अगर रिजर्वेशन हटा देते हैं तो वह देश के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। भारत सरकार की ओर से एक आफिस मेमोरेन्डम निकला है। उसमें यह लिखा गया हैं कि :

[अनुवाद]

"यह निश्चित किया गया है कि न्यूनतम शैक्षिण स्तर जहां कहीं भी वह भर्ती के नियमों में निर्धारित किया गया है, शैक्षिक अर्हता के भाग के रूप में लिया जाएगा, और चूंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं दी गई है, अतः शैक्षिक स्तर के मामले में भी उन्हें छूट नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष पद के लिए भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता 60% अकों के साथ स्नातक है तो अनुसूचित जातियों/जनजातियों सहित सभी के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए अशिथिनीय शैक्षिक योग्यता न अन्तर्गत इस पात्रता शर्त को पूरा करना पड़ेगा।"

[हिन्दी]

यह मेमोरेन्डम मिनिस्ट्री आफ पर्सनल एण्ड ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स एण्ड पब्लिक ग्रिवान्सेज एण्ड पेन्शन का है। यह 29 मई, 1985 को निकला है और इसका नम्बर 36011/8/84-एस्टे० (एस० टी० सी०) है। इस मेमोरेन्डम के खिलाफ सांसदों ने और बाहर के लोगों ने काफी एनीटेशन किया है। उस वक्त जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम इस मेमोरन्डम को हटा देंगे

लेकिन अब तक नहीं हटाया गया है। एक विज्ञापन हमने देखा है जिसमें फिफ्टी परसेंट क्वालिफिकेशन मानते हैं। पहले जब रिलेक्सेशन था तो तब भी लोग नहीं मानते थे, अब कहां से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन का कोटा फुलफिल नहीं है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उनको मैं पढ़कर सुनाता हूं :—

[अनुवाद]

मन्त्रालयों में 1-1-1983 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिशत इस प्रकार है : प्रथम श्रेणी : 6.72 (अनु० जा०); 1 41 (अनु० जनजाति); द्वितीय श्रेणी : 10.17 (अनु० जा०) और 1.46 (अनु० जनजाति)। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कर्मचारियों का प्रतिशत इस प्रकार है :

प्रथम श्रेणी : 3.93 (अनु० जाति); और 0.89 (अनु० जनजाति); और

द्वितीय श्रेणी : 5.38 (अनु० जाति); और 1.60 (अनु जनजाति)।

अत: श्रीमान् स्थिति यह है।

[हिन्दी]

मेरे पास हरेक डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो दो तीन घन्टे लग जाएंगे। उससे मैं बता सकता था कि कितना बैक-लाग है और क्यों नहीं क्लिअर हो पाता। आपने कई तरह की स्कीम्स चालू की हैं। लेकिन इनसे लाभ नहीं हो पाता है। मैंने पिछली बार एक प्रश्न पूछा था कि 35 साल हो गए और आदिवासी प्रोग्राम चलते रहते हैं तो यह बताया जाए कि कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 100 आदमियों के नाम दीजिए जो पावर्टी लाइन के नीचे हों तो उसके उत्तर में सरकार ने हमें बताया कि हम आपको कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि हमने इकानामिक सर्वे ही नहीं किया है। यह स्थिति है। हमको सब कुछ मालूम है कि जितना पैसा इन लोगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा है, वह कहां जाता है, कहां क्या हो रहा है। हमारा जितना इकानामिक डेवलपमेंट होगा, उतना ही देश के लिए लाभकारी होगा और हमारा देश उतनी ही उन्नति करेगा। योजनाओं से उनको थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता है, ज्यादा नहीं। यदि हम दो चीजों पर जोर दें तो उनका ज्यादा फायदा हो सकता है : एजूकेशन और एम्पलायमैंट। यदि आप उनको एजूकेशन दे देंगे तो ये लोग स्याने हो जाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हो जाएंगे। उसके बाद उनको नौकरियों में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इससे उनका जो जैनरेशन गैप है, वह कम होता जाएगा। यदि ये चीजें नहीं होंगी तो उनका जैनरेशन गैप बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, ज्यादा वाइडन होता जाएगा और अभी भी होता जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। हमारी सरकार क्या चाहती है, हमारी पार्टी क्या चाहती है और हमारे लीडर क्या चाहते हैं, उसके बारे में हमें पता है। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और काफी योजनाएं बनाई गई हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनके लिए यद्यपि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जितना होना चाहिए था, उतना फायदा उनको नहीं पहुंच सका है, उनका परसेन्टेज अभी भी बहुत कम है। यदि सब कुछ ठीक ढंग से किया जाता तो निश्चित तौर से उनको ज्यादा फायदा मिल सकता था।

एक कारण यह भी है कि हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, इम्पलीमेंटेशन स्टेज पर आते-आते, वे ठीक ढंग से इम्पलायमैंट नहीं होती हैं। अब सवाल यह है कि उनको इम्पलीमैंट कौन करता है, केन्द्र की तरफ से तो मात्र पैसा आबंटित कर दिया जाता है, वहां से इम्पलीमैंट करने वाला कोई नहीं है, उसके बाद राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे योजना को इम्पलायमैंट कराएं। हम जानते हैं कि बहुत-सी राज्य सरकारों की इच्छा ही नहीं है कि इन योजनाओं को ठीक तरह से इम्पलीमैंट किया जाए और हरिजन-आदिवासियों के नाम पर जितना पैसा उन्हें मिलता है, उसको वे किसी अन्य स्कीम पर डाइवर्ट करके खर्च कर देते हैं। यह सबको पता है, उसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप जितनी सबसिडी दे रहे हैं, उसका लगभग 75 परसेन्ट पिलफ्रेज हो रहा है : वह कौन करता है—वह बी० डी० ओ०, बैंक आफिसर या दलाल करते हैं। लेकिन न केन्द्र की ओर से और न राज्य सरकारों की ओर से उसे चैक करने वाला कोई नहीं है। वहां किसी तरह की मौनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रोग्राम्स पर ठीक तरह से अमल नहीं होता और उनको किसी तरह का फायदा नहीं मिल पाता, उनकी उन्नति नहीं हो पाती। उनके लिए विभिन्न योजनाओं पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, यदि मैं उनमें जाऊंगा तो काफी समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि सेन्टर की तरफ से और स्टेट्स की तरफ से भी मौनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पैसे के दुरुपयोग को रोका जा सके और वह ठीक ढंग से इनकी भलाई के कामों में खर्च हो और उस कार्यक्रम से जिन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, उनको लाभ मिल सके।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आज से 35 साल पहले हम लोगों ने इन जातियों की जो लिस्ट तैयार की थी, वह आज भी वैसे ही चली आ रही है। आज कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको उस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए और उस लिस्ट में से कई कम्युनिटीज को डिलीट करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, मैं समझता हूं कि उसमें भी परिवर्तन करके, हमें एक नया क्राइटेरिया अपनाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यू० एच० पटेल।

श्री अनादि चरण दास : कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए। मैं समाप्त कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको 15 मिनट दिए हैं।

श्री अनादि चरण दास : श्रीमान्, मैंने केवल 10 मिनट दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 15 मिनट ले लिए हैं। आप ही नहीं और बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। हर कोई बोलना चाहता है, हर किसी की रुचि है। हर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता है। केवल दो मिनट मैं आपको दूंगा। कृपया जल्दी समाप्त कीजिए, आगे जारी मत रखिए। जब आपकी पार्टी ने ही ऐसा निश्चित कर रखा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : वह क्राइटेरिया यह हो कि जो अछूत हों, दूसरे नाई और धोबी जिनकी सेवा न करते हों और तीसरे जिनके घरों में ब्राह्मण कर्म-कांड न करता हो, उनको ही इस लिस्ट में शामिल किया जाए। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वे बिलो-पावर्टी लाइन हों और गांव के

बाहर रहते हों। क्योंकि समय के अनुसार, बदली हुई परिस्थितियों में, इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके आधार पर एक नई लिस्ट तैयार की जानी चाहिए।

पीछे हमारी वैलफेयर मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी राज्यों की वैल्फेयर कमेटीज के सभापति भी मौजूद थे, उसमें मुझे यह पता चला कि एक लम्बारी और एक भुवि जाति है।

[अनुवाद]

छूआछूत का जो कलंक है उससे वे ग्रस्त नहीं हैं। लेकिन [हिन्दी] आज टचेबल होते हुए भी ये सारे फायदे ले जाती है। इसलिए जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक खास प्रोग्राम होना चाहिए। वैसे उनके लिए तो ये प्रोग्राम हैं ही, लेकिन जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए और ज्यादा प्रोग्राम होने चाहिएं और उन प्रोग्रामों के लिए ज्यादा धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

एजूकेशन की फेसिलिटी में आप जितना स्टाइपेंड देते हैं वह बहुत कम होता है। उससे कोई भी काम नहीं चल सकता है। वह इतनी कम होती है कि लड़के उससे कोई भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए उसकी धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे लड़के उस स्टाइपेंड से लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार से एक वूमेन एजूकेशन की नीति है उसके लिए भी बहुत कम पैसा रखा गया है। इस नीति के अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षा देने के लिए ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इतना कम समय दिया है कि उसमें सारी बातें कह पानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी आप लिखित रूप में मन्त्री जी को दीजिए वह इस पर गौर करेंगे।

श्री अनादि चरण दास : इसको लिखित में देना और बात है और संसद में बोलना दूसरी बात। जो हम यहां बोलना चाहते हैं उसे लिखित रूप में देना असम्भव है, इसीलिए कम से कम कुछ मुद्दे मौखिक रूप में उठाने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उपलब्ध समय बहुत सीमित है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं।

श्री अनादि चरण दास : आपका बहुत धन्यवाद।

श्री यू० एच० पटेल (बलसार) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, सदन में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमीशन का प्रतिवेदन पेश किया गया है, मैं उस पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। अब तक के वक्ताओं ने इस पर बहुत कुछ कहा है। भविष्य में आने वाले समय को देखते हुए मैं इस गम्भीर हालत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। बड़ी खेद की बात है कि

आजादी के बाद आज अड़तीस वर्ष बीत चुकने पर भी हम हरिजन और आदिवासियों को उन्हें संविधान से मिले अधिकारों को नहीं दिला सके हैं। पिछड़े लोगों की समस्याओं को देखकर हमारी नींद खुल जानी चाहिए। सन्त तुलसीदास ने सही कहा है कि—

तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए।
मुए ढोर के चरम से लोह भस्म हो जाए॥

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है, उसके भरे जाने के बारे में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आंकड़े दिए हैं इसलिए मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। लेकिन स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अड़तीस साल के बाद हम उन लोगों को दिया गया आरक्षित स्थान भी पूरा-पूरा भी नहीं भर पाए हैं। क्यों उनके लिए निश्चित किया गया स्थान नहीं भरा जाता है? इसके लिए सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रही है? क्या सरकार यह चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आन्दोलन चलावें, फिर कुछ करेंगे? अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्य सरकारें, विभिन्न निगम और अन्य स्थानीय संस्थानों में आरक्षित स्थान नहीं भरे गए हैं, तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने अपनी ओर से क्या किया है? अगर कुछ किया भी है, तो हालत में क्यों कोई परिवर्तन नहीं आता है? केवल बातें करने से या मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने से काम नहीं चलेगा। संविधान ने हरिजन और आदिवासियों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को जो अधिकार दिए हैं, उनका प्रयोग करना होगा। उसके लिए आवश्यक आदेशों को जारी करना होगा। सरकारें या अन्य संस्थान अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए क्यों आदेश जारी नहीं कर रहे हैं? मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नौकरियों में आरक्षित स्थान भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनावें तथा उसे लागू करने के लिए युद्ध के स्तर पर अपना कार्यक्रम शुरू करे।

अध्यक्ष महाशय, मैं एक और बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। गुजरात जैसे राज्य में आरक्षण को लेकर या ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश को लेकर, किसी न किसी बहाने इने गिने लोग जो कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, वे लोक सरकार को झुकाते रहते हैं। जबकि दूसरी ओर हरिजन और आदिवासी काफी बड़ी संख्या में होने पर भी उनके हितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा हो, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती है। क्या सरकार यह चाहती है कि हरिजन और आदिवासी अपने अधिकार पाने पाने के लिए आन्दोलन चलाएं, तभी कुछ करेंगे? इस प्रकार आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय के बारे में हमें अभी से ही सोचना होगा। अब तो हरिजन और आदिवासियों में से कुछ समझने वाले और अपने लिए कुछ करने वाले युवक आगे आने लगे हैं। वे लोग भी अब यह सोचने लगे हैं कि इतने वर्षों के पश्चात भी हमें केवल पशु की भांति जीने का अधिकार ही क्यों है? इन पिछड़े लोगों की आर्थिक व सामाजिक हालत में कुछ सुधार हो, वे अपना रोजगार सम्मानपूर्वक प्राप्त करें, इस पर हमें सोचना होगा। वे अगर गरीब और दयनीय ही रहेंगे, ये उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और वह प्रभाव जब किसी उल्टे मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो तो उसका नतीजा क्या होगा? उसे हम संसार के इतिहास से देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि हरिजन और आदिवासी लोग अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक कांग्रेस की तरफदारी करते आए हैं तथा संगठित रहे हैं। इन लोगों की

इतनी वफादारी को देखते हुए हमने भी इनके लिए जरूर थोड़ा बहुत किया है, बिल्कुल नहीं किया है, यह मैं नहीं कहता। फिर भी अभी हमें काफी करना होगा। आने वाला समय इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है। अब अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और इसलिए तो स्वर्गीय भूतपूर्व श्रीमती इन्दिरा बहन गांधी ने समय को पहचान कर इन पिछड़े हुए लोगों की परेशानीं को समझकर उस समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया। जिससे उन पर गरीब जनता की आशा जगी थी। वे सोचने लगे थे कि इन कार्यक्रमों से हमारा जरूर विकास होगा, और विश्वास को लेकर वे लोग कुछ आगे बढ़े। खेद तो इस बात को लेकर होता है कि यह कार्यक्रम इतना अच्छा होने पर भी तथा पांचवीं, छठी, सातवीं सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिए धन का काफी प्रबन्ध करने पर भी उसका लाभ इन पिछड़े लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा है। दिल्ली से राज्यों तक धन रूपी गंगा जाती तो जरूर है लेकिन जिन लोगों के लिए यह सारा धन खर्च किया जाता है, उन तक दूर-सुदूर गांवों तक तो कुछ बूंदें ही पहुंच पाती हैं। बीच में दूसरे लोग ही पैसे हजम कर जाते हैं। मेरी समझ में इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन ही है। प्रशासन को अपनी सही लीक पर हमें लाना होगा। सरकारी नीति को वह पूरी तरह से लागू करे। इसलिए जरूर मोड़ देने के लिए हमें उसमें कुछ चेतना लानी होगी। सरकार और योजनाओं के बीच कहीं ऐसी कमी है जिससे सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता। हमारा उद्देश्य अच्छा होने पर भी हम योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा सकते। हमे उस कमी को ढूंढ़कर उसे दूर करना होगा। यह काम अच्छे व दक्ष कार्यकर्त्ता ही कर सकते हैं। सरकार को देखना है कि ऐसे कार्यकर्त्ता उसे कैसे मिलें। श्री राजीव गांधी जी की इच्छा गरीब और पिछड़े व्यक्ति को खड़ा करने की है। इन्दिरा जी के बाकी रह गए कार्यों को पूरा करने की है। उसके लिए हमें उन्हें अपना सहयोग देना होगा तथा प्रशासन को चुस्ती से काम पर लगाना होगा। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, सरकारी नीति-नियम तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार उनको मिल रहे हैं या नहीं, उसे देखना होगा।

अध्यक्ष जी, योजनाओं को लागू करने के लिए धन का जहां कहीं भी खर्च होता है, सरकार पर्याप्त धन खर्चती है। केन्द्रीय सरकार स्वयं ही कई योजनायें चला रही हैं, वहां पर वह खुद पैसे खर्चती है। राज्यों को उनकी योजनायें चलाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। उसका लाभ गरीबों को मिलता है या नहीं? वह हमें देखना होगा। केवल मार्गदर्शन करना काफी नहीं है। हरिजन और आदिवासी लोगों के विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है, उस जिम्मेदारी को हम दूसरे पर डालकर केवल मूक-दर्शक बनकर देखते नहीं रह सकते। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाए, तो उस पर सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके जरिए कहीं चार हजार तो कहीं पांच हजार रुपए मदद के रूप में दिए जाते हैं। कई क्षेत्र ऐसे है जहां पर सत्तर या अस्सी इंच तक बारिश होती है, वहां पर इस प्रकार के जो मकान बनाए जाते हैं, वे तुरन्त गिर जाते हैं। एक-दो वर्ष में तो बिल्कुल टूट जाते हैं। उनमें प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी अत्यन्त कमजोर होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन मकानों के लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करे। जिन गरीब लोगों के लिए हम मकान बना रहे हैं, उनको महसूस होना चाहिए कि

सरकार उनके हित के लिए कुछ कर रही है। राज्य की आय तथा केन्द्रीय सरकार के बजट का एक चौथाई हिस्सा ऐसे कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे गरीब लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो कि हम भी आजाद भारत में एक मानव की भांति जी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बार और चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमने सावधानी से काम नहीं लिया, तो आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को अपना तीसरा नेत्र खोलने का समय आ गया है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाजुबन रियान।

श्री बाजुबन रियान : मैं बंगाली में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि दुभाषिया उपलब्ध है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है कि वह बोलेंगे लेकिन भाषा के बारे में नहीं दिया। दुभाषिया 5 मिनट में आ जाएगा, हमें इन्तजार करना चाहिए। मैं आपको 5 मिनट बाद बुलाऊंगा। श्री अमर रायप्रधान।

श्री अमर रायप्रधान (कूच-बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर हम इस भव्य सदन में इस सामाजिक-आर्थिक समस्या पर बहस कर रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने संबिधान से निर्देशों के अनुसार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जिसके कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग अभी भी उपेक्षित हैं और जिसका पता इन रिपोर्टों से और अनुसूचित जाति तथा जनजाति कमीशन की तीसरी और चौथी रिपोर्टों से भी पता चलता है। महोदय, मैं पहले अनुसूचित जाति और जनजातियों में बन्धुआ मजदूरों के विषय में कहूंगा, यहां चौथी रिपोर्ट के पृष्ठ 12 में उल्लिखित है कि :—

> "उपरोक्त टेबल से ऐसा प्रतीत होता है कि 1982 में 11 राज्य ऐसे पाए गए जहां बन्धुआ मजदूर थे।"

मैं यह उल्लेख आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूं, श्री अगरवाल की एक रिपोर्ट है, वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं टेहरी गढ़वाल के जिया न्यायाधीश हैं। इन श्री आर० सी० अग्रवाल ने उत्तरकाशी जिले के जोशियारा स्थान का 'उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दौरा किया। उड़ीसा के लगभग 100 मजदूर जो अनुसूचित जातियों के हैं। एक पिंजड़े में रखे जा रहे हैं जो आकार में 60 फीट × 15 फीट है। पानी भी गंदला है। ऐसा भोजन एवं पानी जानवरों को भी नहीं दिया जा सकता है।

> "श्रमिकों ने मुझे बताया कि उन्हें 2 रुपए से 3 रुपए प्रति सप्ताह मजदूरी दी जाती है और उनमें से कईयों को तो केवल 3 बार केवल 50 पैसे सब्जी के लिए दिए जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी 16.65 रुपए प्रति दिन है। लेकिन चूंकि इन लोगों को उत्तर प्रदेश के इस

क्षेत्र में जब लालच देकर लाया जा रहा था तो उस वक्त इन्हें उड़ीसा में लगभग 600 रु० दिए गए थे, इस समय उन्हें जो दिया जाता है उसमें से अधिकांश उनका मूल ऋण चुकता करने में चला जाता है यह मूल ऋण शायद ही कभी चुकता हो सके, उन्हें अपना बाकी जीवन 60 फीट × 15 फीट के टिन के पिंजड़े में बिताना पड़ेगा।"

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों की यह स्थिति है। आप रिपोर्ट में कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है। क्या आप इसकी जांच करेंगे? यह आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहां अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों का यह हाथ है। आप बिल्कुल भी गम्भीर नहीं हैं। आपको इन लोगों विशेषकर इन बंधुआ लोगों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। हम सब इससे शर्मिन्दा हैं। पूरे राष्ट्र को इस बात पर शर्मिन्दा होना चाहिए कि स्वतन्त्रता के 38 वर्ष बाद भी हम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों, देश के दलित लोगों और गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों और भिखारियों का सा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं। वे उड़ीसा से आए हैं।

श्री अमर रायप्रधान : यह रिपोर्ट में है। यह विपक्ष की रिपोर्ट नहीं है। यह किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं है। यह सब जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट है। आपको इसपर······**······होना चाहिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं इस पर······**······कैसे हो सकती हूं जबकि वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं? मैं इसे चुनौती देती हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आपको अपने को रिपोर्ट तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री अमर रायप्रधान : यह सब रिपोर्ट में ही है। यहां ऐसा लिखा है कि उड़ीसा की अनुसूचित जनजाति के लगभग 100 बंधुआ मजदूर······। यदि वे बंधुआ मजदूर हैं तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा। आप ऐसा तर्क कैसे दे सकते हैं। मुझे इसमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

कल के लगभग सभी अखबारों में यह बड़ी सुर्खियों में छपा था कि आरक्षण के प्रश्न पर गुजरात में लोगों में फिर टकराव हुआ। आरक्षण के समर्थन और विरोध में देश में दंगे हो रहे हैं। विपक्ष की यह दीर्घकाल से चली आ रही मांग है और कुछ कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने भी इसको उठाया है कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए एक पृथक विभाग हो। लेकिन यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ दिन पूर्व मन्त्रिमंडल में हेर-फेर किया गया और एक नए विभाग—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग—की स्थापना की गई यद्यपि इसका उल्लेख नहीं किया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें जो "ज्यादतियों' वाला भाग है उसपर कौन विचार करेगा? क्या आप इस काम को कर सकेंगे।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

निश्चित रूप से नहीं। यह गृह मन्त्रालय के पास ही है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की समस्या कई टुकड़ों में विभाजित कर दी गई है। कुछ टुकड़े गृह मन्त्रालय द्वारा देखे जाएंगे, कुछ कल्याण मन्त्रालय द्वारा तथा कुछ किसी अन्य मन्त्रालय द्वारा। इस प्रकार क्या आप उनकी समस्याएं हल कर रहे हैं ?

अब मैं आरक्षण की बात पर आता हूं। मैं इसके केवल एक ही भाग पर विचार करूंगा जिसे श्री ए० सी० दास तथा दूसरी तरफ के अन्य सदस्यों ने उठाया।

कमीशन की चौथी रिपोर्ट पृष्ठ 88 पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। यहां, 20 राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह (इसके सहायक बैंकों सहित), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के आंकड़े एक साथ दिए गए हैं। लेकिन तीसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भारतीय स्टेट बैंक में बहुत कम प्रतिशत है। दिए गए आंकड़े लगभग वही हैं जैसे लगभग दो वर्ष पहले थे—अनुसूचित जाति अधिकारी 2.24% से 2.35%, क्लर्क 13.3% से 13.29%, अनुसूचित जनजाति अधिकारी 0.46% से 0.47% तक, क्लर्क 2.66% से 2.54%। रिजर्व बैंक के आंकड़े इस प्रकार हैं : अनुसूचित जाति अधिकारी 4.11% से 3.97% यह भी कम हो गया है। यह आपकी आरक्षण नीति है। इसी प्रकार, जहां तक क्लर्कों का सम्बन्ध है उनका प्रतिशत भी 11.6% से घटकर 11.5% रह गया है। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं : अधिकारी 0.78% से 0.64% और क्लर्क 5.24% से 5.25%। आंकड़ों की लीपापोती करने के लिए उन्होंने सारे विभागों को एक साथ ले लिया है, और कुछ समय बाद जैसे 1986 में या 1987 में या 1988 में आप कहेंगे कि वित्त मन्त्रालय के सभी विभागों के सम्बन्ध में प्रतिशत इस प्रकार है। प्रतिशत उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जा रहा है।

आयोग ने बहुत-सी सिफारिशें की हैं। चौथे प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 17, पृष्ठ 118, में उल्लिखित है :

> "आयोग सिफारिश करता है कि मंत्रालय/विभाग सेवाओं में वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए प्रतिनिधित्व की प्रगति के आंकड़े बताते समय, अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में उनके द्वारा उठाए गए अन्य उपायों, जैसे विशेष सैल स्थापित करना, सम्पर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों के परीक्षण किए जाने पर भी प्रकाश डालें......"

वास्तव में रोस्टर नहीं रखे जा रहे हैं। प्रतिवेदन में व्यक्त विचारों से कांग्रेस सरकार का रवैया बहुत भिन्न है। बैंकिंग सेवाओं तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में भी रोस्टर नहीं रखे जा रहे हैं। मैं इसे चुनौती देता हूं और यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे चुनौती दे सकते हैं। इस सम्मानित सभा में एक सदस्य ने पूछा था कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में बैंकिंग संस्थाओं में रोस्टरों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं। उसका उत्तर यह दिया गया था कि बैंकिंग सेवाओं में रोस्टरों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को यह संवैधानिक गारंटी दी गई है कि उन्हें सेवाओं में आरक्षण मिलेगा परन्तु सरकार उसका पालन नहीं कर रही है। भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जर्नादन पुजारी ने श्री बनवारी लाल बेरवा को लिखे अपने दिनांक 15 मार्च, 1985 के पत्र संख्या 10/82/84/एस० टी० सी० (बी०)/1069-एफ में इस बात को स्वीकार किया था। मैं उद्धृत करता हूं :

"मैंने इस मामले की जांच करवाई है। बैंक ने सूचित किया है कि वह भारत सरकार द्वारा आरक्षण के बारे में जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन कर रहा है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विवरणिका को लागू करने का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि विवरणिका में उल्लिखित कोई भी उपबन्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर तभी लागू होता है जब इसे सरकार द्वारा विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत उन पर लागू किया जाता है।"

पिछले 38 वर्षों के दौरान अथवा 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद के 15 वर्षों के दौरान भी आपको एक मिनट का समय भी नहीं मिला कि आप विवरणिका के अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सेवाओं में लेने के लिए समुचित आदेश जारी कर सकें। आपने यह आदेश जारी नहीं किये। आपने संविधान का उल्लंघन ही किया है।

3.00 म० प०

आप कह सकते हैं कि आपकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से सहानुभूति है, परन्तु मैं कहूंगा कि आपकी यह सहानुभूति झूठी है क्योंकि आपने उनके लिए संविधान में दिए गए अधिकारो और गारंटियों तक का पालन नहीं किया है।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे देश में दूरदर्शन एक प्रभावी माध्यम बन गया है। 3 नवम्बर, 1985 को 'पार' फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसके नायक नायिका नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज्मी थे तथा जिसका निर्देशन गौतम घोष द्वारा किया गया था। महोदया, मुझे उम्मीद है कि आपने वह फिल्म देखी होगी। इसको इतना अधिक सेंसर किया गया कि इसके उन महत्त्वपूर्ण अंशों को निकाल दिया गया जिनमें बिहार के अनुसूचित जाति लोगों, हरिजनों तथा चमारों को अपने घर-बार छोड़कर विवश होकर कलकत्ता जाते हुए दिखाया गया। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। यह फिल्म पैरिस में स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा उद्‌घाटित भारत महोत्सव के उद्‌घाटन समारोह में दिखाई गई थी। उस समय यह ठीक थी। फिल्म के निदेशक श्री गौतम घोष ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें खेद है। यह फिल्म 'पार' के साथ बलात्कार था। यह शर्म की बात है कि भारत में जब उसे प्रदर्शित किया गया तो यह नहीं दर्शाया गया कि वे अनुसूचित जातियों के लोग हरिजन अथवा मोची ही हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के प्रति आपका क्या रवैया है। यदि आपका उनके प्रति यह रवैया है तो आप इन दलित लोगों का कल्याण नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के लिए जो शब्द आपने शुरू में उपयोग किया वह असंसदीय है, अतः उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

श्री अमर रायप्रधान : क्यों ? क्या इसे इसलिए निकाल दिया गया है कि इसमें फिल्म 'पार' का हवाला दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, केवल शुरू में आपने मंत्री महोदय के बारे में कहा। उसे निकाल दिया गया है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मुझे प्रसन्नता है कि आज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे तथा चौथे प्रतिवेदनों पर चर्चा हो रही है। हमने देखा है कि आदिवासी लोगों के विकास के लिए आई० टी० डी० पी० कार्यक्रम शुरू किया गया है। उस स य यह आशा थी कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें उस पर धन लगायेंगी, परन्तु आज जब हम रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आदिम जातियों के विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकारें कोई भार वहन नहीं करती है। केन्द्र द्वारा दिए गए अधिकांश धन का व्यय स्थापना पर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना धन स्थापना पर व्यय होता है तथा कितना आदिम जातियों के उत्थान पर खर्च होता है।

3.04 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

दूसरे, राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां हैं, परन्तु देखा गया है कि उनकी बैठकें नहीं होतीं जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल भी कई बार उन क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं भेज पाते। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि राज्यपालों द्वारा नियमित रिपोर्ट भेजी जायें। इन योजनाओं का, चाहे वे अनुसूचित जातियों के लिए कम्पोनेंट योजना हो या आई० टी० डी० पी० हो, आवधिक मूल्यांकन अनिवार्य है। इससे पता चलेगा कि राज्यों ने इन योजनाओं को किस हद तक क्रियान्वित किया है।

इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह घटना इस सभा की है, जिसमें उस समय के माननीय सदस्य श्री गिरिधर गोमांगो ने गृह मंत्री से पूछा कि इन योजनाओं में आदिम जाति लोगों को कितना लाभ हुआ है। कागजों में उन्होंने दिखाया कि 23 लाख लोगों को लाभ हुआ है परन्तु मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि 41 लाख लोगों को लाभ हुआ है। वही व्यक्ति आज मंत्री हैं। उन्होंने राज्य मंत्री से पूछा कि सही क्या है अखबार में दिए गए आंकड़े अथवा मंत्री महोदय के उत्तर में दिए गए आंकड़े? मंत्री महोदय कोई उत्तर नहीं दे पाए। अन्ततः गृह मंत्री को उनके बचाव के लिए आना पड़ा।

विभिन्न आदिम जाति लोग विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं। मध्य प्रदेश के बैघा विकास के सबसे निचले स्तर पर है। यदि आप मध्य प्रदेश जाएं तो आप उनके विकास के स्तर को जान पायेंगे। उनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है।

यदि आप महाराष्ट्र जायें तो आप पायेंगे कि गोंड समुदायों का प्रधान और अन्ध समुदायों का कुछ विकास हुआ है उनका ठीक तरह ध्यान रखा जाता है। परन्तु कोलम के बारे में क्या स्थिति है? उनकी उपेक्षा की जाती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। गोमांगो ने अपने कार्यकाल के दौरान आदिम जातियों के विकास के बारे में 1500 प्रश्न पूछे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन मामलों में रुचि लें।

अब मैं एक और मुद्दा लेता हूं। कुछ ऐसी आदिम जातियां हैं जो संवैधानिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त हैं। कुछ ऐसी भी आदिम जातियां हैं जो समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आपने भूतपूर्व अपराधिक जन-जातियों तथा कुछ भ्रमणशील जन-जातियों के बारे में सुना होगा। उनकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। 1871 में तद्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। उसका नाम अपराधिक जन-जातियां अधिनियम था। जब उसे क्रियान्वित किया गया तब उनमें से कुछ को बस्तियों में रखा गया। जब भी उन्हें बाहर जाना होता था उन्हें पुलिस पाटिल को रिपोर्ट करना होता था कि वे अमुक स्थान पर आये हैं, उन्हें आने जाने की रिपोर्ट करनी होती थी। 1950 में हमने संसद में एक अधिनियम पारित करके उन पर लगे इस प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया। परन्तु हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के हटाए जाने पर ही इन आदिम जाति लोगों में से कुछ को कुछ लाभ हुआ। इनमें से कुछ लोगों को तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया। कुछ अन्य क्षेत्रों में उन्हें अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया गया। परन्तु अन्य राज्यों में, जहां वे बहुमत में थे, उन्हें अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया गया। यही स्थिति है। इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कम से कम इस समय जब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने जा रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए।

महोदय, इन लोगों की जन-गणना नहीं हुई। हम जंगलों में घूमने वाले शेरों की जन-गणना करते हैं। परन्तु हम इन गैर-अपराधिक तथा अपराधिक आदम जातियों के लोगों की जन-गणना नहीं करते। मैंने पिछली बार गृह मंत्री से पूछा था कि इन लोगों की गणना की जाए, परन्तु मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। कुछ नहीं किया गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आपके पास अपराधियों के पुनर्वास के लिए समय है। परन्तु इन भूतपूर्व अपराधी जातियों तथा अपराधी जातियों के लिए समय नहीं है।

महोदय, क्या यह सही है कि सरकार ने सभा में घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधित किया जा रहा है और उनमें कुछ ऐसी और जातियों का समावेश किया जा रहा है जो सामाजिक दृष्टि से गिरी हुई है और जिनके लक्षण आदिम जाति लोगों जैसे हैं। किन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई उचित कारण है। यदि नहीं तो कृपया उनके लिए कुछ करें। अन्यथा वे लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा से पृथक रह जाएंगे। इन जन-जातियों (गैर-अधिसूचित और घुमक्कड़ जन-जातियों) को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर लेने से इन लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

यदि आप उनको ये विशेषाधिकार नहीं देना चाहते, तो आप एक नया वर्ग पैदा करें—जिन्हें आप शिक्षा, आर्थिक योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचायें। ऐसा करने से वे राष्ट्र की मुख्य धारा में स्थान पा सकेंगे। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराए जायें। हमने उन्हें 38 वर्ष तक इससे वंचित रखा है। महोदय अभी-अभी जब उत्तम भाई बोले, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, तो वास्तव में उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

उन्होंने बताया कि पिछले 38 वर्षों में उनके लिए अधिक कार्य नहीं हुआ है। इन गैर-अधिसूचित तथा खानाबदोश आदिम जाति लोगों की क्या स्थिति है ? अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मंडल आयोग नियुक्त किया गया, काका कोललकर आयोग नियुक्त किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मंडल आयोग का कहना था कि जो जनजातियां अपराधी रही हैं उनको तथा खानाबदोश आदिम जातियों को सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट को उसी रूप में, बिना कार्यवाही की गई रिपोर्ट के इस सभा में पेश किया गया। आज पर्यन्त कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या सरकार को पिछड़े वर्गों से भय है ? क्या सरकार को गुजरात आन्दोलन जैसे किसी आन्दोलन का भय है ? हम सभी जानते हैं कि ये आन्दोलन उच्च वर्ग के लोगों द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। परन्तु आप इसका उपयोग हमारे विरुद्ध करना चाहते हैं तथा हमें लाभों से वंचित रखना चाहते हैं। यह बुरी बात है जिसे हम सहन नहीं करेंगे।

महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार सभी राज्यों में भूतपूर्व अपराधिक आदिम जातियों तथा खानाबदोश जन-जातियों के लोगों की जन-गणना कराए। मैं चाहता हूं कि सरकार उनको देय लाभ दे क्योंकि वे लोग शिक्षा, सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आप अवश्य कोई कार्यक्रम शुरू करें जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिले, जिससे उनको शिक्षा मिले तथा उन्हें सरकारी नौकरियां मिलें। मैं जानना चाहता हूं कि काका कालेलकर आयोग को क्या खत्म कर दिया गया तथा मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आप चाहते हैं कि राज्य इसे क्रियान्वित करें। आपकी केन्द्रीय नौकरियों की क्या स्थिति है ? आपके पास रेलवे, डाक-तार विभाग तथा कई अन्य विभाग हैं। आप इन लोगों को केन्द्रीय सेवाओं में लेने से संकोच क्यों करते हैं ? आप विलम्ब करते रहे हैं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों का ठीक तरह ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस कार्य को असक्षम लोगों पर न छोड़े यदि आप वास्तव में इन डि-नोटीफाइड तथा खानाबदोश आदिम जातियों के लिए कुछ करना चाहते हैं।

अन्तत में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन डि-नोटीफाइड जन-जातियों की पृथक संस्कृति है। परिभाषा के अनुसार इन आदिम जातियों की पृथक और विशिष्ट संस्कृति और बोली है। वे समूह में एवं वन में रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जायें आप उन्हें पूरे राज्य में फैले हुए परन्तु अपनी पृथक बस्तियों में पायेंगे। आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते ? श्री गोमांगो जनजातीय उप-योजना के लिए उत्तरदायी हैं तथा श्री मकवाना काफी हद तक संघटक योजना के लिए उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूं कि वे पिछड़े लोगों के लिए कोई काम करें जो कि कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते। हम उन्हें निर्वाह वेतन दे रहे हैं। अभी भी वे बन्धुआ मजदूर हैं। क्या आप उच्च वर्ग का कोई एक भी ऐसा आदमी दिखा सकते हैं जो बन्धुआ मजदूर के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है ? माननीय अग्निवेष संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहते थे। उनका पासपोर्ट जब्त किया जाना था। श्री अग्निवेष बताएं कि क्या उच्च वर्ग में कोई ऐसा आदमी है जो बन्धुआ मजदूर है ? आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और डिनोटीफाइड तथा खानाबदोश आदिम जातियों में ही बन्धुआ मजदूर पायेंगे। अतः श्रीमान, कृपया इन लोगों के लिए कुछ कीजिए ताकि वे भी स्वतन्त्रता तथा क्षमता का कुछ लाभ उठा सकें, जिसकी हम चर्चा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति आयोग की तीसरी तथा चौथी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई है। मैं उनमें दी गई अनुशंसाओं का समर्थन करता हूं और शासन से अनुरोध करता हूं कि इन अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

मान्यवर, देश में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 70 करोड़ जनसंख्या है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है और अनुसूचित जाति की जनसख्या लगभग 7 करोड़ है। कुल मिलाकर 19 करोड़ लोग हैं जो कि निर्बल वर्ग के लोग कहे जाते हैं। इस समस्या का महत्व इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है। आयोग ने विभिन्न रिपोर्ट्स में विभिन्न प्रकार की अनुशंसायें की थीं, मैं उनके सिलसिले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर इस आयोग का गठन 22 जुलाई 1978 को होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन के अंतर्गत हुआ था। अतः इसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि रिपोर्टों में कहा गया है। एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति की नियुक्ति की जाती है। मुझे खेद है कि 23 नवम्बर सन 1981 के उपरांत यह पद आयुक्त अनुसूचित जाति का रिक्त पड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस पद को भरने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है। कई बैठकों में इस सम्बन्ध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पद को पद को नहीं भरा जा जा सका है। इसका सबसे बड़ा विशेष महत्व यह है कि शासन ने यह प्रावधान कर दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो समस्याएं थीं उनके अधिकारी, कर्मचारियों का जो उत्पीड़न होता था, उनकी आर्थिक या शैक्षिक जो समस्याएं होती थीं, उनकी तफतीश, इन्वेस्टीगेशन आयुक्त के द्वारा किया जाता था और उनकी जो रिकमण्डेशस आती थीं, उन पर शासन कार्यवाही करता था, लेकिन आज यह है कि लोग हम संसद-सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों के पास तमाम शिकायतें भेज रहे हैं, हम लोगों का काम बढ़ा हुआ है। मैंने पिछली मीटिंग में मंत्री जी से कहा था और अब भी कई लोगों ने कहा कि इस पद को तुरन्त भरा जाए। मेरा सुझाव है कि इस ओर तुरन्त कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त मैं एक चीच और देख रहा हूं मान्यवर कि दो एजेंसीज हैं, आयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति और आयोग अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए। इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, मेरा बड़ा ठोस सुझाव है। आर्टिकल 338(2) में संशोधन करके वहां इस आयोग को ही रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकेंगे और ज्यादा सुझाव आ सकेंगे और यह प्रभावकारी हो सकेगा। आप आयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति के पद को समाप्त कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर अभी मेरे साथियों ने आरक्षण के सम्बन्ध में सवाल उठाया। स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इसके लिए शासन को दोषी ठहराना मैं उचित नहीं समझता। शासन ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकी, की है और उसका नतीजा यह है कि हालांकि समय ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन जिस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, हमें बड़े धीरज और सामंजस्य रखकर देखना पड़ता है। सवा 6 परसेंट प्रथम श्रेणी में भरती हो सकी है, इतनी ही शायद द्वितीय श्रेणी में हुई है, 7 के करीब तृतीय श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण का

जितना कोटा है वह पूरा हो चुका है, लेकिन इसके मायने यह नहीं हैं कि आरक्षण के बारे में शासन को और कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इसको पूरा करने में शासन को अधिक ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं मुख्य बात यह कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि देश भर में आज आरक्षण के खिलाफ एक आवाज उठाई जा रही है। यह घृणा और द्वेष की आग जलाई जा रही है, शासन को इसे बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे गुजरात में हो या कहीं दूसरी जगह पर हो। अभी "भू-भारती" मेरे समक्ष है, इसके पृष्ठ 40 पर एक बड़ा विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि वह इसको देखे और इससे जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर कार्यवाही करे।

मान्यवर बड़ा ऊधम मचाया जाता है, सबसे ज्यादा आरक्षण में पदोन्नति के मामले में, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं शासन इस चीज को क्लेरीफाई कर देता है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने, हमारे गृह मन्त्री ने बार-बार घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण समाप्त नहीं होगा, फिर भी समाज में एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में एक विधेयक लाया जा रहा है, प्राइवेट विधेयक है, फैजाबाद के कोई एम० एल० ए० साहब हैं, वे इसको ला रहे हैं, गजट में प्रकाशित हो गया है, उससे अनुसूचित जातियों और जनजाति के लोगों में एक बड़ी बेचैनी व्याप्त है, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या आरक्षण समाप्त हो रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी से भी इस सम्बन्ध में बात की थी। माननीय मन्त्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस बारे में एक स्पष्ट बयान दे दें कि अनुसूचित जाति और जन-जातियों के आरक्षण को समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे जितनी भी भ्रांतियां और भ्रम फैले हुए हैं, वे सब समाप्त हो जायेंगे। अभी मेरे एक साथी ने बताया कि भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आफिस मेमोरेन्डम जारी किया था। वह मैंने भी देखा था जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कुछ काडर्स में पांच प्रतिशत की छूट दी गई थी अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लिए, उसको इस आफिस मेमोरेन्डम के माध्यम से विदड्रा कर लिया गया। तत्कालीन राज्य मन्त्री जी ने भी वायदा किया था कि इसको वापिस ले लेंगे। अब तक नहीं लिया गया है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मेमोरेन्डम का संशोधन कराकर पुनः स्थिति लाने के लिए आदेश जारी करने की कृपा करें। आरक्षण की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के लिए एक-एक पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बना हुआ है। इन केन्द्रो से कोई भी विद्यार्थी आई० ए० एस०, सेन्ट्रल सर्विसेज और न पी० सी० एस० में सफल होकर आया है। शासन की नीति को क्रियान्वित करने वाली मशीनरी को कसना चाहिए तभी उसके प्रभावकारी नतीजे निकल सकेंगे। जहां तक शैक्षिक काम की बात है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि वजीफा दिया जाने के लिए अभिभावकों की आय-सीमा का का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक हैं। इस समय साढ़े सात सौ और एक हजार रुपए की सीमा है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि महंगाई को देखते हुए इसे दुगुना कर दें ताकि और अभिभावकों के बच्चे भी इन सुविधाओं से वंचित न हो सकें। यही बात छात्रवृत्ति के भी में भी है। उसमें भी कम से कम ड्योढ़ी वृद्धि कर दी जाए। भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों को आश्रम पद्धति स्कूलों को चलाने के लिए काफी धन की मदद दी है। इस प्रकार के स्कूलों की संख्या और बढ़ा दी जाए और अधिक सहायता भी की जाए ताकि इन स्कूलों का विकास अच्छी तरह से हो सके। जहां तक

भूमि आबंटन की बात है, वह दोनों रिपोर्टों मे दिया हुआ है। अभी भी स्थिति यह है कि बहुत सी जगहों पर लोगों को कब्जा नहीं मिल सका है। इसके लिए शासन द्वारा सख्त से सख्त आदेश जारी किए जाएं। डेढ़ या आधा बीघा ही भूमि का आबंटन हुआ है। इससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। इससे शासन को भी कठिनाई होती है। शासन चाहता है कि अपनी समन्वित योजान के माध्यम से या आई० आर० डी० पी० के माध्यम से इन लोगों की मदद करे। जब तक इसका कोई चैक नहीं हो जाता तब तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स और जो सहायता दी जा रही है, उनके कोई प्रभावकारी परिणाम मिलने की आशा नहीं हैं। अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिए निगम बनाए गए हैं। उनकी स्थिति भी बड़ी ही दयनीय है। उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्त में हरिजन उत्पीड़न के बारे में कहना चाहूंगा। चौथी रिपोर्ट में फीगर्स दिए गए हैं कि इनकी क्या स्थिति है इनका अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि हरिजन उत्पीड़न इस देश में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस बारे में सदन को और सरकार को भी चिन्ता है। शासन से जो कुछ बन पड़ रहा है, वह कर रहा है। विभिन्न प्रदेशों में हरिजन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस इकाई का प्रबन्ध किया गया है। वे, इंक्वायरी करके रिपोर्ट देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में था तो मैंने बार-बार कहा और यहां भी फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संगठन को आप वही अधिकार दे दें जो अधिकार आपने सी० बी० आई० को दिए हुए हैं। चाहे वे मामले सिविल प्रोटैक्शन राइट्स ऐक्ट के हों अथवा उत्पीड़न के मामले हों, उन सब की तफतीश यही संगठन करें और उनके चालान भी अदालतों में पेश करे। तभी उनको कोई फायदा हो सकता है।

मान्यवर, अन्तिम बात मैं इनके सामाजिक विकास के बारे मे कहना चाहता हूं। रिपोर्ट में भी कई जगह जिक्र आया है कि इसके लिए सामाजिक संगठनों को अधिक से अधिक सहायता दिए जाने की जरूरत है ताकि पब्लिसिटी भी ठीक से हो सके और ये लोग समाज में स्वतन्त्रता से घूम सकें। जैसा वातावरण 1938 से पहले था, कुछ समाज-सुधारक, कुछ लीडर इन गरीब लोगों, इन दीन-दुखियों की व्यथा को समझते थे और इनके प्रति समाज में जो घृणा, विद्वेष या जलन की भावना थी, उसको मिटाने के लिए एक धरातल तैयार किया गया था। आज फिर से उसी प्रकार से संगठनों की आवश्यकता है जो समाज में इन लोगों के हितों की रक्षा कर सकें और इनके प्रति जो वैमनस्य, विद्वेष और जलन की भावना बढ़ गई है, उसको कम किया जा सके। इन शब्दों के साथ, दोनों रिपोर्ट्स में जो अनुशंसाएं की गई हैं, मैं उनका अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां सब धर्म और सर्व-जाति के सिद्धांत को हमेशा सम्मान दिया जाता रहा है, मान्यता दी जाती रही है। इस वर्ष कांग्रेस अपना शताब्दी-समारोह मना रही है और हमारी पार्टी का भी यही इतिहास रहा है तथा हम बड़े गौरव के साथ इस सदन में भी कहते हैं कि संविधान-निर्माण के समय डा० अम्बेडकर ने जो योगदान दिया, वह हमारे लिए गौरव का विषय है। उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। यदि हम बापू के समय का स्मरण करें तो उन दिनों भी कांग्रेस संस्था की ओर से हमेशा यही प्रयास किए गए कि पिछड़ी जातियों, जन-जातियों और अनुसूचित जातियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको आदरपूर्ण दर्जा दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया जाए। उसी परम्परा को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और यह सरकार आज भी चल रही है।

जैसा कि हम सब लोगों को विदित ही है कि राजनैतिक स्तर पर भी हमने इन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है और कुछ कांसटीटुऐंसीज को रिजर्व कर दिया गया है, उनसे सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि हमारे दिलों में उनके प्रति सम्मान है। जहां तक उनके विकास और उत्थान का सम्बन्ध है, उसके लिए हमारी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

सरकार ने इन लोगों के कल्याण के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स भारतवर्ष के हर जिले में चलाये हैं: उदाहरण के लिए, पिछड़ी जाति, जन-जाति तथा अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को जमीन का प्रावधान किया गया है, मकान बनाने की सुविधाएं प्रदान की गईं, उनके लिए कुटीर और छोटे उद्योगों की स्थापना की गई है, शिक्षा में उन्हें स्कौलरशिप दी गई है, नौकरियों और रोजगार में आरक्षण दिया गया है, उचित प्रतिनिधित्व दिया निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं, सरकार के इन सब कार्यों की हम सराहना करते हैं। मगर प्रशासन की ओर से हमें कुछ अनियमितताएं भी देखने को मिलती हैं, उनकी ओर मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में जगह-जगह से शिकायतें आती हैं कि उनका शोषण होता है, कहीं-कहीं उनको दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी करें जिससे कि इन लोगों का शोषण रोका जा सके।

जहां तक उद्योग और व्यवसाय का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत जो धनराशि हमारे ग्रामीण अंचल में बांटी है जिसके तहत मुर्गियां, गायें, भैंसें और अन्य जानवरों को खरीदने के लिए धन दिया जाता है, इसमें जो बिचौलिए आते हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको खातमा होना अत्यावश्यक है और इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपने सख्त से सख्त निर्देश जिलों में भेजें जिससे कि बिचौलियों से इन लोगों की रक्षा हो सके।

कहीं-कहीं यह भी देखने को मिला है कि जो पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि के आबंटन में दिक्कतें आती रहती हैं। उसमें कुछ उच्च वर्ग की जातियों द्वारा दखलंदाजी करने से इन लोगों को जमीन का आधिपत्य लेने में रुकावटें आ रही हैं। जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, उसमें मैंने देखा है कि ये नौकरियां पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों के बच्चों को तो मिल जाती हैं जो अपना स्थान समाज में बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं और उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से करते हैं, उनके बच्चों को नौकरियों की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी इस प्रकार की संस्थाएं या आर्गेनाइजेशन्स हैं जिनमें कि नौकरियां दी जा सकती हैं, उनमें इन वर्गों के लोगों को अधिक से अधिक नौकरियां दी जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व हो सके।

अन्त में, मैं एक गुजारिश यह भी करूंगा कि जहां भूमि आबंटन का प्रश्न आता है वहां पर सवर्णों में और इनमें एक टकराव की भावना पैदा हो जाती है, यह नहीं होनी चाहिए। इस देश में और भी बहुत-सी कौम के लोग रहते हैं जो आपस में सब भाई-भाई हैं। इसलिए इनमें आपस में मनमुटाव की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भूमि आबंटन का काम इस तरह से किया जाए जिससे इन लोगों में टकराव की भावना पैदा न हो।

अभी पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ इस प्रकार की चीज देखने को मिली है जिससे पिछड़े वर्ग, हरिजन और अनुसूचित जनजातियों का टकराव सवर्गों से हुआ, यह टकराव नहीं होना चाहिए और एक निश्चित रूप से और एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से उनको भूमि तथा नौकरियां दी जाएं जिससे इनमें आपस में टकराव की भावना पैदा न हो। इसलिए मैं आपसे पुन: यह निवेदन करूंगा कि जितनी भी चीजों में इन जातियों का आरक्षण है, वह ऐसा होना चाहिए जिससे इनको उस आरक्षण को देने में इनका सम्मान बरकरार रहे और किसी भी प्रकार का मनमुटाव पैदा न हो। सब लोगों को सम्मान से प्रतिनिधित्व मिलता रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री रामबहादुर सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, आज मुझे खुशी है कि देश की जनता की जो सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत में देश में जो सबसे निचली कतार में रहने वाले लोग हैं, हरिजन, गिरिजन, इनसे सम्बन्धित आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है। अपने देश में 42 प्रतिशत लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, इनमें बहुसंख्यक हरिजन और गिरिजन हैं। मैं आपके सामने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की परिभाषा बतलाऊंगा तो आपको सुनकर हैरत होगी। सरकारी कागजों में तो परिभाषा कुछ और है, लेकिन व्यवहार में जो परिभाषा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की है, वह मैं आपके माध्यम से महोदय इस सदन में उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं—गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का मतलब यह होता है कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं खुले आसमान के नीचे रहे। भूख लगने पर दोनों जून सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिले। बीमार होने पर दवा की बात तो दूर डाक्टर का मुंह तक देखने को न मिले। और गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे रहने का मतलब होता है कि लाश ढकने के लिए वस्त्र तक का न मिलना।

ऐसा भी सुनने को मिला है कि मां और बेटी के बीच में एक ही साड़ी है। यदि उसे पहन कर मां बाहर जाती है तो बेटी नंगी घर में रहती है और जब बेटी की आवश्यकता पड़ती है तो मां घर में नंगी होती है और बेटी उस साड़ी को पहनकर बाहर जाती है। यह स्थिति आमतौर से हरिजनों और गिरिजनों में है। लेकिन सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम आई० आर० डी० पी० का कार्यक्रम लागू किया है, उनको सब्सीडी देने का कार्यक्रम है, उनकी पढ़ाई-लिखाई की अलग व्यवस्था हो रही है। मैं जानता हूं कि आपको जो प्रयास करना चाहिए था, जितने व्यापक रूप में करना चाहिए था, उतना व्यापक रूप में प्रयास नहीं हुआ है। दाल में नमक के बराबर प्रयास हुआ है। वह नमक भी बिचौलियों ने लूट लिया है। गरीबों, हरिजनों, गिरिजनों के नाम पर जो अनुदान दिए हैं, अनुदान के माध्यम से पंपिंग सैट दिए हैं, उन अनुदानों और पंपिंग सैट का तमाम का तमाम पैसा बिचौलिये लोगों ने लूट लिया है। ऐसा मालूम होता है कि समाज के जो दलाल हैं, अधिकारी और प्रशासन के लोग हैं, इन्हीं का साम्राज्य छाया हुआ है और इनका एक ही कर्तव्य है कि जो कुछ भी समाज के कल्याण के लिए, खासकर हरिजनों और गिरिजनों के लिए सरकार की ओर से भेजा जाता है, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपनी जेबें भरने में लगा दी।

महोदय इसका कारण है। दुनिया में सारी चीजों की जड़ जमीन में होती है लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार की जड़ आसमान में होती है।

जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री से, यदि उस गंगोत्री में ही पानी गन्दा हो तो नीचे समतल भूमि पर कहीं भी आपको गंगा का पानी साफ नहीं मिलेगा। जब दिल्ली गन्दी हो गई है तो पटना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई गन्दी होगी ही। जब ये शहर गन्दे होंगे तो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के देहात भी गन्दे होंगे। इसलिए इन तमाम बुराइयों की जड़ों में जो बैठे हुए लोग हैं, इनको हटाना पड़ेगा, जहां से बुराई पैदा होती है, उस जगह को साफ करना पड़ेगा अनवरत रूप से उस जगह को साफ करने का धन्धा चलाना पड़ेगा और यह धन्धा तब तक चलाना पड़ेगा जब तक ये जगह साफ नहीं हो जाएं। इसलिए तमाम बुराइयों की जड़ में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा।

इस देश में रात में मोटरगाड़ी में आप किसी देहात में जायें और जहां उस मोटरगाड़ी की रोशनी पड़ती है, वहां देखें कि रात में दर्जनों महिलाएं अपनी लाज को ढकने के लिए खड़े होकर वस्त्र नीचे करती हैं। इस देश में महिलाओं के शौचालय नहीं हैं और आप उस देश में कम्प्यूटर की बात करते हैं, रंगीन टी० वी० की बात करते हैं और कहते हैं कि रंगीन टी० वी० से उनको शिक्षित किया जाएगा। किस को शिक्षित करेंगे? जिसके पेट में दाना नहीं, दाने के अभाव में जिसके पेट में चूहा कूदता हो, उन हरिजनों और गिरिजनों को आप रंगीन टी० वी० से शिक्षित नहीं कर सकते हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना मन बनाइए। आपने अपना मन नहीं बनाया है। जब तक आप अपना मन नहीं बनाएंगे, हरिजनों और गिरिजनों के कल्याण के लिए सपना नहीं देखेंगे तब तक आप उनके कल्याण के लिए काम नहीं कर सकते हैं।

इसीलिए मैंने कहा कि आपने आज तक अपना मन नहीं बनाया है और न सपना देखा है। यही कारण है कि आपने आज तक उस आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? दर्जा क्यों नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि इसका मतलब यह होगा कि आयोग की ओर से जो सुझाव आते हैं, उनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जब उनका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा तो फिर हरिजनों और गिरिजनों के लाभ के लिए काम आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए आपने मन नहीं बनाया। यदि आपने मन बनाया होता तो आपको चाहिए था कि जो कुछ काम उनके हक में किया गया है, उनके कल्याण के लिए किया गया है, जो कुछ राशि इनके नाम पर खर्च की गई है, उस राशि से उनको लाभ नहीं पहुंचा है या नहीं, आप उसका मूल्यांकन करते, लेकिन आपने कोई मूल्यांकन नहीं किया है। इसीलिए मूल्यांकन नहीं किया है कि धपने में नीचे से ऊपर तक साझा है। यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो जो गुर्गे बैठे हैं, लठैत लोग बैठे हैं जिनके लाठी के बल पर आप यहां बैठे हैं, उनको कष्ट होगा।

मैं चाहूंगा कि यदि आपने हरिजनों के कल्याण के लिए मन बनाया है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दें।

(व्यवधान)

हरिजनों के हक में जितने काम हुए हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। तीखी बात करने से मैं मानने वाला नहीं हूं। मुझे ज्यादा मत छेड़िए। आपके लोगों की करतूतों को अगर यहां कह दूंगा तो आपका

मुंह काला हो जाएगा। मैं उस जगह से आता हूं, जिनके बल पर आप यहां आए हैं। वे वहां पर नंगा नाच करते हैं, वहां आपके पाप का घड़ा भर गया है, यदि उसको फोड़ दूंगा तो आपका मुंह काला हो जाएगा।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आप हरिजनों और गिरिजनों का कल्याण चाहते हैं तो इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दें और जो कुछ काम हुआ है उसका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करने के बाद जो दोषी पाए जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा दें।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर आप अवश्य काम करिए।

श्री नरसिंह मकवाना (ढंढुका) : माननीय सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 46 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो कुछ कहा गया है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि :

"राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

इनका पालन करने के लिए हमारी सरकार बराबर कोशिश कर रही है और काफी कुछ काम भी हुआ है। लेकिन जैसे नतीजे आने चाहिएं वह अभी तक नहीं आये हैं। आज हरिजन और आदिवासी लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उनकी जो हालत है, उसका वर्णन करते हुए मैं सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा।

आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में 78 सिफारिशें की हैं और चौथी रिपोर्ट में 20 सिफारिशें की हैं। इन सब सिफारिशों पर सरकार ने क्या फैसला किया है, इस सम्बन्ध में मैं नहीं जानता। मुझे विश्वास है कि जिस मंत्री महोदया के पास यह मंत्रालय है वह इन सब पर सोच-समझकर फैसला करेंगी। आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उसमें से बहुत-सी सिफारिशें इतने महत्व की हैं कि उसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय करना होगा।

आज अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की जो लिस्ट है, उसके बारे में हरेक राज्य में झगड़ा है। कहीं पर उसको बनाने की जरूरत है और कहीं उसकी विस्तार की जरूरत है। यह झगड़ा करीब 5-7 साल से चल रहा है। इस सम्बन्ध में दो बार विधेयक भी लाया गया और दो बार प्रवर समिति में भी भेजा गया। लेकिन चौथी लोक सभा भंग हो गई तो वह काम रुक गया। बाद में छठी लोक सभा भी भंग हो गई तब वह काम रुक गया और आज भी वह काम रुका हुआ है। प्रत्येक राज्य में इस सवाल को लेकर बड़ी गड़बड़ चल रही है। विशेषकर गुजरात राज्य में हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात राज्य में तो जो अछूत नहीं हैं, जो अनटचेबल्स नहीं हैं, अस्पृश्य नहीं हैं, मोची जाति के लोग जो कभी भी अनटचेबल्स नहीं माने गए, जो सवर्णों के बीच में रहते हैं और उन्हीं की तरह से पढ़े-लिखे भी हैं उनको कोर्ट के फैसले की बिना पर शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में रख दिया गया है जिसका वे अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं। पिछली बार मेडिकल

कालेज की सीटों में उन्होंने लाभ उठाया और इंजीनियरिंग कालेज में जो 18 स्थान हरिजनों को मिलने वाले थे, उनमें से 12 मोची जाति के लोग ही ले गए।

सन् 1977 में जब मोरारजी भाई प्रधान मन्त्री बने थे तो गुजरात के लोग उनसे मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जरूर करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वे भी चले गए। उसके बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तो उनसे भी गुजरात का एक हरिजन डेलिगेशन मिला था और उन्होंने बड़ी शांति से बात सुनी थी और कहा था कि आपकी बात ठीक है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसको ठीक किया जाएगा—ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था परन्तु दुर्भाग्य से आज वे भी हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी भारी है और आपको पहला काम यही करना चाहिए ताकि गुजरात के हरिजनों पर हो रहा अन्याय समाप्त हो। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों की सुविधाएं अलग-अलग रूपों में दिखाई देती हैं। मैं इस रिपोर्ट से कुछ रेलिवेन्ट पोर्शन ही पढ़ना चाहूंगा :

"जैसे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन व्यवस्था है, क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात् पूरे गुजरात राज्य में मोची समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया। इससे पहले मोची समुदाय केवल डांग जिले में तथा बलसार जिले के उम्बर गांव तालुक में ही अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट था। गुजरात सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि मोची समुदाय उपर्युक्त क्षेत्रों को छोड़ कर शेष गुजरात राज्य में छुआछूत के कारण कभी भी सामाजिक निर्योग्यता से पीड़ित नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि राज्य के अन्य भागों में रहने वाले मोची समुदाय के लोग अपेक्षाकृत अधिक उन्नति पर हैं तथा उक्त अधिनियम के लागू हो जाने पर उन्हें वे सभी फायदे मिलने लगेंगे जो वास्तव में डांग जिले और उम्बर गांव तालुक में रहने वाले मोची समुदाय के लोगों को मिलने चाहिए थे। अतः उक्त विधेयक में गुजरात राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में मोची समुदाय की स्थिति, जो कि अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू होने से पहले अर्थात् क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने से पहले विद्यमान थी, को फिर से लौटाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में पायी गई वर्तनी और विराम चिह्नों की कुछ त्रुटियों को ठीक करने का प्रस्ताव भी किया गया था।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जन-जाति) आदेश, 1950 में निहित सूचियों की जांच-पड़ताल करने तथा उनमें आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विस्तृत सूचियां तैयार करने का मामला संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति को 1979 के बजट सत्र की अन्तिम तारीख तक अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करनी थी, लेकिन इससे पहले ही छठी लोकसभा भंग हो जाने पर उक्त समिति भी भंग हो गई और इस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन), विधेयक, 1978 भी समाप्त हो गया था।"

इसमें आगे लिखा है :

"विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से आयोग को जो सूचना प्राप्त हुई उससे पता चलता है कि केवल गुजरात सरकार ने अक्तूबर, 1977 में भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था कि गुजरात राज्य के अनुसूचित जातियों की सूची में, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू होने से पहले "मोची" समुदाय को जो स्थिति थी उसे बहाल किया जाए अर्थात् "मोची" समुदाय को केवल राज्य के डांग जिले तथा वलसाड जिले के उमर गांव तालुक में ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाए न किसारे राज्य में।"

राज्य सरकारों की जो भी सिफारिशें थी, वहां के हरिजनों की जो मांगें थी, उन सब को आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार का पहला काम है कि जल्दी इन सूचियों को ठीक किया जाए और हर राज्य में जो गड़बड़ी चल रही है, उस गड़बड़ी को समाप्त करने के बाद काम को आगे ले जाया जाए।

सभापति महोदय, एक बात यह भी है कि सारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है और अनुसूचित जाति और जन-जाति की संख्या भी बहुत बढ़ी है। लेकिन लोक सभा और विधान सभाओं में हरिजन-आदिवासियों की सीटें उतनी ही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में हरिजन-आदिवासियों की सीटें भी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए यदि आप विधेयक लाने की आवश्यकता पड़े तो भी वह लाना चाहिए। इसके बारे में जो आयोग ने सिफारिश की है, वह भी मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं :

आयोग का अब भी मत है कि 32 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का जीवन स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अतः आयोग अपनी पहली रिपोर्ट में की गई इस सिफारिश को फिर से दोहराना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 334 निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाए :

3.52 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

"इस संविधान के प्रारम्भ से 30 वर्ष की समाप्ति के बाद लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बना रहेगा। बशर्तें हर दस वर्ष के बाद उसकी समीक्षा की जाए।"

इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात में हरिजनों-आदिवासियों की सीटें भी सारे देश में फिर बढ़ाने की आवश्यकता है।

एक बात मैं जमीन-कानून के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने हरिजनों-आदिवासियों को जमीन देने का फैसला किया है। इस कानून के तहत सरकार को तकरीबन 40 लाख एकड़ से

भी ज्यादा जमीन मिलने वाली थी, उसमें से सिर्फ 26 लाख एकड़ जमीन पर सरकार को कब्जा मिला और 26 लाख एकड़ में से 18 लाख 40 हजार एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ। इसमें से सिर्फ 9 लाख एकड़ जमीन आदिवासियों और हरिजनों को मिलीं। सरकार द्वारा कहा जाता है हरिजनों के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिए। सरकार द्वारा काम करने की गति बहुत धीमी है। बहुत धीमी गति से काम हो रहा है : उस गति को तेज करना पड़ेगा और उसको तेज करने के लिए इस सभा का भी पूरा सममर्न मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हरिजनों और आदिवासियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं मगर हम देखते हैं कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर उनको शिक्षा मिलती, तो वे दूसरे लोगों ने पीछे क्यों रहते। आज वे करीबन 50 फीसदी दूसरे लोगों से पीछे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि उनके बारे में शिक्षा के मामले में नये तरीके से सोचना चाहिए। मैं खास कर आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज गुजरात में एक बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। जब मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज से एडमिशन का सवाल आता है और हरिजनों और आदिवासियों को को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और यह कह दिया जाता है कि वे मेरिट में नहीं आए मगर हालत यह है कि मेडीकल कालेज पौर इंजीनियरिंग कालेज में हरिजन और आदिवासी का लड़का मेरिट में आता है, तो उसको भी रिजर्व में गिना जाता है। हमारी मांग है कि जो मेरिट में आए, उसे मेरिट में गिना जाए और उसके बाद रिजर्वेशन जो बना है, उसके हिसाब से सीटें दी जायें। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां गुजरात में जो हायर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा का नतीजा निकला, उसमें हरिजन का लड़का एक नम्बर पर आया। वह बहुत बड़ी स्पर्धा थी। उसको मेडीकल कालेज में एडमिशन देने की बात आई, तो रिजर्वेशन में उसको रखा गया। जो मेरिट में आता है और ज्यादा मार्क्स लेकर आता है, उसको मेरिट में गिना जाना चाहिए और रिजर्वेशन में उसको काउन्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आयोग ने जो बात कही है, उसकी तरफ में समाग्रह का ध्यान खींचना चाहता हूं। आयोग ने लिखा है :

"यद्यपि पिछले 30 वर्षों के दौरान काफी प्रयत्न किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य समुदायों के मुकाबले अनुसूचित जातियों का शैक्षिक विकास अभी भी काफी पीछे है। 1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर केवल 14.7 प्रतिशत रिकार्ड की गई जबकि उस समय अखिल भारतीय औसत 33.80 प्रतिशत था। कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों में साक्षरता का सामान्य स्तर अनुसूचित जातियों के अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। शिक्षा के बारे में महिलाओं की स्थिति और भी असंतोषजनक है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 6.44 प्रतिशत है जबकि अन्य महिलाओं में साक्षरता दर 22.25 प्रतिशत है। देश के अनेक जिलों में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता दर 1 प्रतिशत है जो कि 0.2 प्रतिशत तक नीचे भी पहुंच गई है।"

शिक्षा की हालत के बारे में आयोग ने यह बात कही है। दूसरी बात जिस तरफ में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आयोग ने आगे कहा है :

"उप-कार्यकारी दल ने लिखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा के माध्यम से बराबरी पर लाने के लिए उनकी अधिक प्रगति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उन्हें उन लोगों के बराबर ज्ञान और हुनर से लैस न कर दिया जाए जिनके मुकाबले में वे सामाजिक रूप से बराबरी में आने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिए। आप काफी बोल लिये हैं।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, आयोग ने आगे लिखा है :

"जब तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अपनी योग्यता के बल पर खड़े होकर समाज में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में मुकाबला कर सकने लायक नहीं बन जाते, तब तक वे समाज में जीवन की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकेंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की कार्यकुशलता में सुधार करके उन्हें गैर-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष नहीं लाया जाता, तब तक पिछड़ेपन के कुचक्र में उनके फंसे रहने का खतरा बना रहेगा।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब बस करें।

[हिन्दी]

श्री नरसिंह मकवाना : अभी तो आधा बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं मिलेगा। और नहीं।

4.00 म० प०

इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग सम्बन्धी मुकदमे में श्री जगमोहन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रो० मधु दण्डवते का प्रस्ताव लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल, श्री जगमोहन के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सभा सिफारिश करती है कि श्री जगमोहन को जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल के पद से हटाया जाये।"

भूतपूर्व उप-राज्यपाल श्री जगमोहन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित की गई कठोर निन्दात्मक टिप्पणी से यह आवश्यक बन जाता है कि चर्चा आरम्भ करते हुए हम इस बात की ओर ध्यान दें कि न केवल इस समस्या के विधिक महत्त्व पर विचार किया जाए बल्कि उन लोकतांत्रिक परिपाटियों को भी बनाए रखा जाए जो हमारे देश के लोकतंत्रात्मक प्रयोग का अभिन्न अंग है और जिन्हें भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पोषित और प्रोत्साहित किया गया।

जब कभी उच्च अधिकारियों अथवा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर उच्च पदों पर हैं, कोई प्रतिकूल न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक निर्णयों की घोषणा हुई, आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति आस्थावान व्यक्तियों ने या तो त्यागपत्र दे दिया अथवा प्रधान मंत्री ने उन्हें त्यागपत्र देने का आदेश दिया। मैं अतीत के कुछ अंश स्मरण करना चाहता हूं :

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, जो केन्द्र में एक महत्त्वपूर्ण पद पर थे, के विरुद्ध जीवन बीमा निगम जांच में कुछ टिप्पणियों की घोषणा की गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आपको याद होगा पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरों। अपनी अनियमितता के विरुद्ध दास आयोग के निष्कर्षों का समाचार पढ़ते ही उन्होंने तत्काल त्याग-पत्र दे दिया था। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी, जो पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, ने जब न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी की तो तुरन्त त्यागपत्र दे दिया था। और फिर महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुप्रसिद्ध ए० आर० अन्तुले।

कुछ माननीय सदस्य : बदनाम नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं विशेषण आपके लिए छोड़ता हूं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले, के मामले में जिसमें उन पर यह आरोप था कि उन्होंने सीमेंट तथा अन्य पदार्थों के वितरण में धन ऐंठ कर कुछ न्यासों को दिया है, और आधारभूत निष्कर्ष उनके विरुद्ध थे, तो प्रधान मंत्री ने आदेश दिया कि वह पद छोड़ दें; और तदनुसार, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

मुझे यह विशेषाधिकार तथा मान प्राप्त था कि आपकी अनुमति से इस सदन में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम लाल के विरुद्ध इसी प्रकार का मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निस्सन्देह मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। किन्तु आपको याद होगा कि अपनी समापना टिप्पणी में मैंने कहा था : "आप अपने भारी बहुमत से मेरे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं, किन्तु आप आश्वस्त रहिए कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई परम्पराओं को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है; और समय आएगा जब मधु दंडवते का अस्वीकृत प्रस्ताव सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।" और शीघ्र ही वह समय भी आ गया जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया; और तत्पश्चात् एन० टी० रामा राव उभरे, और जनता के बहुमत से एक बार पुनः मुख्य मंत्री बन गए।

केन्द्र में डा० चन्ना रेड्डी इस्पात मंत्री थे। उन्होंने प्रतिकूल निर्णय के पश्चात् त्यागपत्र दे दिया। चूंकि इस सदन में अनेक नए सदस्य हैं, मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहता था। जिस सदन का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस देश का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस लोकतांत्रिक

व्यवस्था का आप प्रतिनिधित्व करते हैं वह औपचारिकताओं के आधारभूत ढांचे, संवैधानिक उपबन्धों, कानूनी उपबन्धों के आधार से ही नहीं जीवित है किन्तु इस देश में लोकतन्त्र मूलतः लोकतांत्रिक मानदण्डों तथा परिपाटियों के आधार पर जीवित है। जो कुछ मैं इस मूल प्रस्ताव द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं वह देश की परम्परा को बनाए रखना है उस परम्परा को जो हमारी विरासत के लम्बे इतिहास द्वारा निर्धारित की गई है और मेरे मूल प्रस्ताव का ठीक-ठीक उद्देश्य यही है।

यह सारा प्रसंग इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग मामले में श्री जगमोहन की भूमिका के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः मैं इस मामले के कुछ तत्वों को ही संक्षिप्त में वर्णन करना चाहता हूं। मैं इण्डियन एक्सप्रेस की ओर से अथवा किसी और की ओर से लड़ना नहीं चाहता हूं। मुझे केवल भूतपूर्व उप-राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग से मतलब है और हमें दुख इस बात का है कि उन्होंने विभिन्न कार्रवाइयों तथा निदेशों द्वारा यह दुरुपयोग किया है।

वर्ष 1949 में सरकार ने मथुरा रोड दिल्ली पर दस प्लाटों को प्रेस क्षेत्र के तौर पर आबंटित किया। 26 मई, 1954 को भारत सरकार तथा इण्डियन एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह के बीच एक पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें 5,705 वर्ग गज प्लाट नम्बर 9 तथा 10 प्रेस क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए। यह प्रेस क्षेत्र के लिए था अतः यह स्वाभाविक था।

यह केवल इण्डियन एक्सप्रेस ही नहीं किन्तु टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, नेशनल हेरल्ड, पैट्रियट तथा अनेक समाचार-पत्र समूह भी थे जिन्हें इस विशेष निर्दिष्ट क्षेत्र में प्लाट दिए गए तथा इसे एक प्रेस क्षेत्र बनाया गया; तथा दूसरों ने भी वहां भवन बनाये।

जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो यह देखा गया कि एक भूमिगत मल जल निर्यास लाइन थी जो प्लाट नं० 9 और 10 में होकर त्रिकर्णतः जा रही थी उससे इस नाली के पश्चिम में 2,740 वर्ग गज में निर्माण कार्य करना उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : मेरे पास आरोप लगाने सम्बन्धी एक पुस्तक है। इसमें स्पष्टतः यह लिखा है :

> "किसी सदस्य को (एक) बाहर के लोगों के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति नहीं हैं, क्योंकि वे अपना बचाव नहीं कर सकते।"

अतः क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा सकता है जो सदन में उपस्थित नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके मार्गदर्शन तथा आपका समर्थन करने के लिए नए सदस्य को पुस्तक भी पढ़ना चाहिए जो इस प्रकार है :

> "आप मूल प्रस्ताव को छोड़कर उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की निन्दात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते।"

आप वह भूल गए हैं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : आप जरा पैरा 1 देखिए। उसमें किसी टिप्पणी के बिना स्पष्ट रूप में लिखा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उन्हें बताएंगे या मैं उन्हें बताऊं ? (व्यवधान) मुझे अभी भी एक आरोप लगाना है। अभी मैंने वह नहीं लगाया है। वह उन्हें इसका पूर्वानुमान कर रहे हैं। मैं न्यायालय द्वारा यह आरोप लगाऊंगा। मैं स्वयं ऐसा नहीं करूंगा।

समझौते तथा प्रेस क्षेत्र में निर्माण के समय निर्माण किए जाने वाले क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। पट्टे में एक्सप्रेस समूह द्वारा दो प्लाटों पर 60 फीट की ऊंचाई तक तथा पांच मंजिल—500 का एक एफ० ए० आर० बनाने की व्यवस्था थी। इस बात की अपेक्षा थी। केवल मल जल लाइन का पता लगने पर भवन-निर्माण रोक दिया गया था।

महोदय, उचित कानूनी कार्यवाही के पश्चात् पहली एक्सप्रेस इमारत प्लाट सं० 9 तथा 10 पर मार्च, 1958 में बन गई और इसके पश्चात् एक और परिवर्तन हुआ, जब एक्सप्रेस ने फरवरी, 1980 में भारत सरकार से प्लाट क्षेत्र से बाहर मल-जल लाइन को ले जाने की अनुमति प्राप्त करके एक छोटी इमारत बना ली। वह एक आनुषंगिक परिवर्तन था।

विभिन्न स्तरों पर समुचित परामर्श करने के पश्चात् अनेक परिवर्तन और रूपभेद किए गए।

अब हम 1978 की बात करते हैं। एक्सप्रेस समूह ने प्लाट नं० 9 तथा 10 पर वर्तमान इमारत तथा नई इमारत में परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए 360 का एफ० ए० आर० प्राप्त किया। अनेक पुनरीक्षणों के पश्चात् एफ० ए० आर० की सरकार ने अनुमति दी। मैं इस सम्बन्ध में बाद में चर्चा करूंगा।

मैं अब कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, और मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उद्धरण दे सकता हूं और इस पर कोई रोक नहीं है। यह निन्दात्मक नहीं है। मैं बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उद्धरण विस्तार में देना चाहूंगा। अब हम उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विषय में चर्चा करते हैं। वह इस मूल प्रस्ताव का मुख्य प्रश्न है। इसमें कई पहलू हैं। समाचार पत्रों में भी इस मामले में हुए असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई थी। मैं अब उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जिनका प्रयोग इस विशेष मामले में असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री सेन ने किया। न्यायमूर्ति श्री सेन : "इस मामले में कई बार रद्दोबदल किया गया है। सुनवाई 27 अप्रैल, 1982 को आरम्भ हुई और बीच में रुक-रुककर 22 सितम्बर, 1983 को समाप्त हुई। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि प्रथम प्रतिवादी केन्द्रीय सरकार का उभयभावी रवैये तथा दूसरे प्रतिवादी अर्थात महान "जगमोहन" के विद्वेषपूर्ण रवैये से महोदय यह "विशेषण मेरा है, मैं इसे वापस लेता हूं" सुनवाई आगे जारी रखी जो 43 दिन चली। इससे जनता के धन तथा न्यायालय का मूल्यवान समय नष्ट हुआ है।"

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : व्यंग्यात्मक टिप्पणी, प्रोफेसर।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना असंसदीय है ? महोदय, कृपया डॉक्टर को संसदीय प्रक्रिया की एक प्रति दीजिए।

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरे पास है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है । मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि आप एक डॉक्टर के रूप में कार्य करेंगे, किन्तु**······के रूप में कार्य न कीजिए । महोदय, आरोप क्या हैं ?

डा० कृपासिन्धु भोई : आप कैसे प्रोफेसर हैं । हाई स्कूल के अथवा कॉलिज के ?

प्रो० मधु दंडवते : कतई नहीं । मैं तो एक नकारा प्रोफेसर हूं ।

महोदय, मूल आरोप क्या है ? मूल आरोप जनता सरकार के दौरान इंडियन एक्सप्रेस समूह को 360 एफ० ए० आर० की स्वीकृति प्रदान करना एक असाधारण तथा अवैध बात थी । यह तर्क सरकार का है । यह उन लोगों का तर्क है जो श्री जगमोहन का बचाव करना चाहते थे । यह उनका तर्क है जो दिल्ली नगर निगम का बचाव करना चाहते थे । अतः यह अत्यन्त रोचक है कि न्यायाधीशों ने सभी साक्ष्य तथा अभिवचन लेकर क्या कहा ।

निर्णय में "इंडियन एक्सप्रेस" के इस विचार का समर्थन किया गया कि नोटिस दुर्भावपूर्ण थे । यह इस मूल प्रस्ताव का आधार है और मैं निर्णय से उद्धृत करता हूं :

"याचिका दाताओं ने जिन तथ्यों की दलील दी है उनमें काफी हद तक इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि नोटिस पूर्णतः कदाशयपूर्ण थे और राजनैतिक मन्तव्य से जारी किए गए थे; कदाशयपूर्ण इसलिए थे कि दिनांक 17 मार्च, 1958 के पट्टे के इन्डेन्चर के खड 5 के अधीन भूमि तथा विकास कार्यालय के अभियन्ता अधिकारी के द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1980 के पट्टे को खंड 2(14) और 2(5) के तथाकथित भंग करने के कारण जब्त करने के कारण जारी किया गया । पुनः प्रवेश का प्रतिवादित नोटिस और नई एक्सप्रेस बिल्डिंग, जिसमें मुद्रण प्रेस लगा हुआ है, तोड़ने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 और 344 के अन्तर्गत जारी किया गया नगर निगम, नगर क्षेत्र के क्षेत्रीय अभियंता (भवन) का दिनांक 1 मार्च, 1981 का नोटिस वास्तव में इसलिए जारी किया गया था ताकि इंडियन ऐक्सप्रेस का प्रकाशन बन्द हो जाए क्योंकि जब कभी सत्तारूढ़ सरकार किसी नीति या सिद्धांत के मामले में गलती पर हुई तभी उसने उसकी सर्वदा आलोचना की थी । ये इसलिए भी कदाशयपूर्ण थे क्योंकि उनके द्वारा दुर्भावना से शक्ति का दुरुपयोग किया गया था अर्थात शक्ति का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए वह शक्ति दी गई और इस तरह वह शक्ति का कदाशयपूर्ण प्रयोग था ।"

"बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि प्रतिवादित नोटिस, दिनांक 1 मार्च, 1980 और 10 मार्च, 1980, विधि की क्रियान्विति के लिए या न्याय देने के लिए शासकीय कार्य का सामान्य निर्वहन करते हुए सदाशय से जारी नहीं किए गए थे बल्कि वे उससे भिन्न तथा असंगत प्रयोजन से प्रेरित थे और इस तरह वे पूरी तरह कदाशयपूर्ण थे तथा राजनीति से प्रेरित थे ।"

अगला उद्धरण और भी महत्त्व का है । जिन बातों में अनियमितताएं हैं उनके सम्बन्ध में दिए गए तर्क को प्रमाणित करता है :

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

"हमारे सम्मुख अन्य प्रतिवादियों सहित भारत संघ का जो समूचा मामला प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि मास्टर प्लान के अनुसार किसी व्यावसायिक क्षेत्र के लिए, जिसमें मथुरा रोड का व्यावसायिक काम्प्लेक्स भी शामिल है, 300 से अधिक की सम्मुखीन पहुंच सड़क पूर्णतः वर्जित है। यह बात तथ्यतः गलत है।"

मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह इसलिए गलत है क्योंकि स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आसफ अली रोड पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्लाट बेचे हैं जहां कि नई दिल्ली रिंग रोड पर भीकाजी कामा प्लेस स्थित हयात रिजेन्सी होटल के लिए 500 तक की सम्मुखीन पहुंच सड़क रखने की अनुमति है।

आगे विचार करते हुए न्यायालय ने कहा है:

"अतः यह निर्णय होना चाहिए कि तत्कालीन आवास तथा निर्माण आवास मंत्री ने नई एक्सप्रेस बिल्डिंग और उसके साथ ही 360 तक की बड़ी हुई सम्मुखीन पहुंच सड़क और छापाखाना लगाने के लिए दोहरे तहखाने का निर्माण करने की जो अनुमति दी थी वह दिल्ली की मास्टर प्लान या डी-II क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना या नगर निगम (भवन) उप-नियम, 1959 का उल्लंघन नहीं करती थी और न ही मथुरा रोड के प्रेस एरिया पर उप-नियम 25(2) (IV-बी) के साथ पठित उप-नियम 26 स्पष्टतः लागू होते थे।"

मैंने आपको वह बात बतायी है जो न्यायाधीशों ने कही है। परन्तु मैं न्यायमूर्ति वेंकटरामैया के निर्णय से भी उद्धरण देता हूं ताकि यह ज्ञात हो सके कि भारत सरकार के वकील ने क्या कहा था और वह बहुत-बहुत ही रोचक बात है। मुझे यह तो मालूम नहीं कि भारत सरकार के वकील इस बारे में क्या कहेंगे, परन्तु भारत सरकार के वकील द्वारा दिये गये वक्तव्य से न्यायमूर्ति वेंकट रामैया ने जो उद्धरण दिया था मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं:

"मैं मानता हूं कि दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री जगमोहन ने, जोकि इस मामले में दूसरे प्रतिवादी हैं, इस बारे में अनुचित रुचि ली थी कि प्रथम याचिकादाता (एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड) को प्रतिवादित नोटिस जारी किए जायें और उनकी कार्यवाही, जो इस मामले में विचारार्थ सामने आयी है, प्रशासन के सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि उक्त नोटिस सम्बन्धित अधिकारियों ने द्वितीय प्रतिवादी (श्री जगमोहन) के दबाव में आकर जारी किये। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये नोटिस जारी करने से पहले सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रश्न पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया हो कि ये नोटिस जारी किये जाने चाहिए अथवा नहीं……"

अब इसका रोचक अंश आरम्भ होता है:

"भारत संघ के विद्वान वकील, श्री लाल नारायण सिन्हा ने विशेष रूप से कहा है कि जिस दिन इस मामले में उपराज्यपाल द्वारा प्रार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई थी, उपराज्यपाल ने किसी अधिकार या शक्ति के बिना ही कार्यवाही की थी। उपराज्यपाल का यह दावा कि वह सम्बन्धित पट्टे के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के एजेंट थे और वह कदम उठा सकते थे जो पट्टे के अन्तर्गत उन्होंने उठाए थे, समाप्त हो जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है

> कि भारत सरकार के विद्वान वकील द्वारा उपराज्यपाल को सभी कार्यवाही को अस्वीकार किए जाने के पश्चात भी उपराज्यपाल अपनी कार्यवाही को उचित ही बताते रहे……इस मामले में उपलब्ध सामग्री यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि अभ्यारोपित नोटिस मनमाने ढंग से और बिना विचार किए जारी किए गए हैं……।"

विभिन्न निर्णयों, जो शक्तियों, उनके दुरुपयोग तथा दुर्भाग्यपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, से संगत उद्धरण देने के बाद मैं चाहूंगा कि सदन उनके आचरण पर विचार करें क्योंकि मूल प्रस्ताव का विषय जगमोहन हैं और मैंने यह मांग की है कि वह अपने उच्च पद से हटाया जाना चाहिए। 17 फरवरी, 1980 को श्री जगमोहन दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए। उस दिन रविवार था। सामान्यतः रविवार काम का दिन नहीं है किन्तु यह उपराज्यपाल इतने कुशल तथा सक्रिय थे कि रविवार को भी मन्दिर (गिरजाघर) जाने की बजाय वह अपने कार्यालय में ही क्रियाशील रहना चाहते थे। वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहते थे किन्तु उन्होंने केवल इतना किया कि उसी दिन रविवार को उन्होंने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को बुलाया और इण्डियन एक्सप्रेस बिल्डिंग फरवरी, 1980 तक पूरी हुई और मंजिल की इमारत के नए निर्माण के सम्बन्ध में फाइलें मंगायीं। यहां तक कि फाइलें निकालने के लिए नगर निगम की अलमारियों के ताले भी तोड़ दिए गए, क्योंकि रविवार को फाइलें प्राप्त करना सहज नहीं है। किन्तु आखिरकार वह उन सांविधानिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे जो उनको सौंप दी गई थीं। अतः उन्होने इस बात को पहले से मान लिया और उपायों को उचित ठहराया अतः उन्होंने अल्मारियों को तोड़ने के आदेश भी दिए और फाइलें बाहर निकाल दी गईं। 1 मार्च को जगमोहन ने एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया जोकि निर्णय की घोषणा करने का एक विचित्र ढंग था। उन्होंने 1 मार्च को एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा इंडियन एक्सप्रेस भवन को गिराए जाने की मंशा की घोषणा की। फिर इस घोषणा के दो घंटे के भीतर ही आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इसको अपने-अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया, कमाल है उनकी कार्यकुशलता और 1980 को निर्माण और आवास मन्त्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय के इंजीनियर अधिकारी ने लीज के करार के कथित भंग किए जाने के आधार पर पुनः प्रवेश (री एन्ट्री) का नोटिस जारी किया। कमाल की कार्यक्षमता प्रदर्शित की गई। जहां तक जगमोहन के रवैये का प्रश्न है जिसकी कि न्याय निर्णय से पुष्टि हो गई है तथा मेरे द्वारा उद्धृत विभिन्न अनुभवों से पुष्टि हो गई है, पहले तो उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया—उन्होंने अन्य लोगों के प्राधिकार पर अतिक्रमण किया—जैसा कि भारत सरकार के वकील ने स्वीकार किया है—तीसरे, जैसा कि न्यायाधीशों ने सबूत के साथ स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने दुर्भावना से कार्य किया और अन्ततः उनका यह कार्य राजनीति से प्रेरित था। अतः यह वही रवैया है यह वही जगमोहन जी हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान अत्यन्त सक्रिय थे। और जब आपात स्थिति समाप्त हुई और जब कुछ परिवर्तन हुए—उन परिवर्तनों को भी बदल दिया गया। वह पहला व्यक्ति था जिसने आपात स्थिति का समर्थन किया था। उन्हें यहां लाया गया तथा कहा गया कि उन्होने संवैधानिक दायित्वों को भिन्न ढंग से निभाना है। और फिर उन्होने अपना कार्य शुरू किया। न्याय-निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह राजनीतिक दृष्टि से अनुप्रेरित थे। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रेस 'क' अथवा प्रेस 'ख' का प्रश्न नहीं है। वह इडियन एक्सप्रेस से बदला लेना चाहते थे क्योंकि हमने आपात स्थिति के दौरान सरकार की नीतियों तथा उससे भंग होने वाली नागरिक मुक्ति तथा स्वतन्त्रता की आलोचना की थी। अतः राजनीतिक सबक सिखाने के इरादे से उन्होंने

इण्डियन एक्सप्रेस को समाप्त करना चाहा और उन्हें कुछ स्थितियां बड़ी सरलता से मिल गईं, उन्होंने उन शक्तियों का उपयोग करना चाहा जोकि उन्हें प्राप्त नहीं थीं। शक्ति का दुरुपयोग मैं समझ सकता हूं लेकिन उन शक्तियों का उपयोग जोकि उनके पास नहीं हैं, जैसा कि भारत सरकार के अधिवक्ता ने बताया है मेरी समझ से परे है। इन हालात में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है तथा उस स्थिति में जबकि दुर्भाग्यवश सिद्ध हो गई है तथा शक्तियों का दुरुपयोग सिद्ध हो गया है, इनके व्यवहार का ढंग स्पष्ट हो गया है, तव भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को भारी पदोन्नति दी गई है तथा उन्हें जम्मू तथा काश्मीर राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। यह सब क्या इंगित करता है यह बिल्कुल स्पष्ट है। अतः हर कहीं वह वैसे ही गुणों का प्रदर्शन करेगा। अतः इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य विशेष ढंग से निभाया तथा जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय उन्होंने वैसा ही कार्य किया। हमारा मत है कि राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी है। संवैधानिक संकट के समय वह देश के संविधान की तथा उस राज्य की रक्षा करता है। वह संवैधानिक संकट का सामना करता है और आवश्यक सिफारिशें करता है। इसके अलावा उसे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त संवैधानिक उपबन्धों के अधीन कार्य करना होता है।

महोदय, इस समय आप राजस्थान से चुनकर आए हैं, परन्तु मूलतः आप पंजाब के हैं। आपको पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति के सम्बन्ध में वाद-विवाद याद होगा। जब उसे पदच्युत किया गया तो जो लोग उसकी पदुच्यति का समर्थन करते थे उन्होंने विश्वविद्यालय के संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि उपकुलपति को राज्यपाल अर्थात् कुलपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करना होता है जो कि कुलाध्यक्ष होता है। मामला उच्च न्यायालय गया तथा मैं समझता हूं कि आपको याद होगा जो महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया जिसमें कहा गया कि निःसन्देह उपकुलपति को राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त कार्य करना होता है, परन्तु यह प्रसाद, तानाशाही ढंग का नहीं है। यह कुछ वास्तविकताओं, संवैधानिक आवश्यकताओं, कुछ विधिक उपबन्धों पर निर्भर करता है। इसे मनमाने ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि राष्ट्रपति अपना निश्चय करें, तथा चूंकि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर कार्य करता है, अतः मैं चाहूंगा कि मन्त्रिमण्डल के प्रसाद का मामला भी तय किया जाए। मन्त्रिमण्डल को संविधान की लोकतंत्रीय परम्पराओं, विधिक उपबन्धों की इन विकृतियों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें जम्मू और काश्मीर के वर्तमान राज्यपाल को निदेश देना चाहिए कि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दें क्योंकि वह पहले भी इसी पद पर थे और अब भी इसी पद पर हैं। इस पद पर रहते हुए वह अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उनपर जो नई जिम्मेदारी डाली गई है, उस संवैधानिक दायित्व को वह पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें त्यागपत्र देने का निदेश दिया जाए। और यदि वह त्यागपत्र नहीं देते तो उस स्थिति में प्रसाद का बना न रहना व्यक्त किया जाए तथा उसे अपना पद छोड़ने को कहा जाए। राज्यपाल तथा उपराज्यपाल पद की गरिमा तभी बनी रहेगी यदि यह कार्यवाही की जाती है। अतः मैं सभा से यह अपील करते हुए अपने भाषण को समाप्त करूंगा कि हमें इस मामले पर सभा को विभाजित नहीं होने देना चाहिए। स्वतन्त्रता के बाद की अवधि में स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमने मूलभूत परम्पराएं विकसित कीं। हमें उन परम्पराओं को जारी रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि उन्हीं परम्पाओं का पालन किया जाता है तो आधे सैकेण्ड में हीं हम इस संकल्प को पारित करेंगे।

अन्त में मैं आपको चेतावनी देते हुए समाप्त करूंगा। पिछली बार जब मैंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध प्रस्ताव रखा था तो मैंने एक चेतावनी दी थी। मैं उसे यह कहते हुए दोहराऊंगा कि आप भारी बहुमत से मेरे सकल्प को अस्वीकार कर सकते हैं परन्तु परिस्थिति की वास्तविकताएं आने वाले सप्ताहों में आपको विवश कर सकती हैं कि आप इसे क्रियान्वित करें।

नि सन्देह सत्ताधारी दल के सदस्यों को जो आदेश तथा ह्विप जारी किया जा चुका है, उससे आप मेरे मूल प्रस्ताव को पराजित कर सकते हैं, परन्तु मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि आने वाले सप्ताहों अथवा महीनों में जनमत आपको राज्यपाल को पदुच्युत करने के निए बाध्य करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल, श्री जगमोहन के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सभा सिफारिश करती है कि श्री जगमोहन को जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल के पद से हटाया जाए।"

अब श्री फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैंने प्रो० दण्डवते के भाषण को ध्यान से सुना है। प्रो० दण्डवते ने हमेशा की तरह एक बड़ा अच्छा भाषण दिया है। परन्तु मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि इस वाकपटुता से केवल विपक्ष की दयनीय दशा प्रकट होती है, जिससे प्रकट होता है कि उनके पास उठाने योग्य मामले नहीं बचे।

क्या मैं कह सकता हूं कि जिस अवधि में मैं इस सभा में रहा हूं—जो कि पर्याप्त तथा जिसमें दर्जनों संसद के स्तर हुए है—मैं समझता हूं कि हम इस बात पर सहमत हैं, कि यदि यह वातावरण होता जिसमें दीर्घकाल से चली आ रही समस्याएं, जैसे पंजाब की समस्या, गुजरात की समस्या, असम की समस्या, केवल हल ही नहीं की गईं, परन्तु यह सिद्ध हो गया है कि समस्या कितनी भी कठिन हो हल की जा सकती हैं और यह सरकार उन्हें हल करने में सक्षम है। इस संदर्भ में हम इस सत्र में देखते हैं कि—कि जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ—विपक्ष के पास उठाए जाने वाले मामलों का नितांत अभाव रहा। अतः जब प्रो० दण्डवते तथा उनके साथी वाद-विवाद के लिए ऐसे मामले उठाते हैं—जो कि कतई उठाने योग्य नहीं हैं, तो हमें उन पर तरस आता है।

अब, श्रीमान्, प्रो० दण्डवते ने निर्णय से उद्धृत किया है।

4.30 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उन्होंने श्री जगमोहन की दुर्भावना का उल्लेख किया है और यह कहा है कि इसके पीछे उनके नेक इरादे नहीं थे, तथा उन्होंने इसमें बहुत जल्दबाजी की। इस समय मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि न्याय-निर्णय एक नहीं है। तीन न्यायाधीशों द्वारा तीन पृथक-पृथक निर्णय दिए गए हैं। और जो प्रो० दण्डवते ने उद्धृत किया है वह न्याय-निर्णय में से एक ही है। न्यायाधीश सेन का निर्णय तथा अन्य दो निर्णय दिए गए हैं। उन दुर्भावना की या प्रयोजन ठीक न होने की या बेईमानी की

कोई बात नहीं कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि कैसे एक उच्चतम न्यायालय के एक सम्मानित न्यायाधीश श्री सेन (व्यवधान) मैं इस मामले में अपने साथी से पूरी तरह सहमत हूं। मैं वास्तव में न्यायमूर्ति सेन को एक अति सम्मानित न्यायाधीश मानता हूं। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश वास्तव में सम्मानित हैं तथा हमारे सम्मान के पात्र हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसे कि सभी संसद सदस्य माननीय हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सभी संसद-सदस्य माननीय हैं, हमें उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को सम्मानित और माननीय मानना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : श्री दण्डवते सहित।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : खेद की बात यह है। जो कुछ न्यायमूर्ति सेन ने कहा है तथा जिन प्रो० दण्डवते ने उद्धृत किया है वह प्रो० दण्डवते के अनुकूल है। परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि इससे न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी। जो कुछ उन्होंने कहा है वह राजनीतिक ढंग का है। जो कुछ उन्होंने लम्बे भाषण में कहा है। इसके द्वारा उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी की भूमिका की निन्दा की है। यह सल किस हद तक संगत था। किस हद तक उचित था? एक न्यायाधीश द्वारा लिखित न्याय-निर्णय में यह किस हद तक गरिमापूर्ण था, जोकि इस मामले पर विचार कर रहा था?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह न्याय-निर्णय पर आक्षेप कर रहे हैं। आप न्याय-निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह न्याय-निर्णय की आलोचना कैसे कर सकते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : न्याय-निर्णय इस प्रस्ताव का विषय है। अतः इस पर चर्चा करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनके कथन में कुछ गलत नहीं है। कृपया जारी रखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह सही नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं इससे मैं उन्हें ठीक से समझा सकता हूं। (व्यवधान) महोदय, इस मामले पर आप अपना निर्णय दे चुके हैं। (व्यवधान) आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक क्षण में मैं आपके साथ सहमत हो रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, अभी आपने न्याय-निर्णय पर जो चर्चा हो रही है उसपर अपना मत व्यक्त किया है। क्या मैं उससे आगे बात कह सकता हूं? मैं सभा में अपनी ओर से तथा सभी वर्गों की ओर से, चाहे वे इस पक्ष के हों

अथवा दूसरे के, यह कहना चाहता हूं कि हम लोग न्यायपालिका को उच्च सम्मान देते हैं, न्यायपालिका को सम्मान देना प्रत्येक नागरिक का मुख्य कर्त्तव्य है, यह प्रत्येक संसद सदस्य का मुख्य कर्त्तव्य है। मैं न्यायपालिका के सभी सम्माननीय न्यायाधीशों का अत्यधिक आदर करता हूं। मैं कभी भी किसी न्यायाधीश पर—वह न्यामूर्ति सेन हों या कोई अन्य न्यायाधीश हों—तनिक भी आक्षेप नहीं करूंगा। मैंने केवल यह सम्मानपूर्वक कहा है, इन वक्तव्यों में राजनीतिक घटनाओं का हवाला दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये वक्तव्य इस मामले से बिल्कुल मेल नहीं खाते, अतः मैंने कोई राय बनाए बिना यह प्रश्न उठाया है कि क्या इससे न्यायालय की गरिमा तथा प्रतिष्ठा बढ़ती है अथवा नहीं। मैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करूंगा जो निःसन्देह इस बारे में दृढ़ हैं। यह मामला मैं सभी के विचार के लिए रखता हूं ताकि इस प्रश्न पर उनकी आत्मा तथा विश्वास के साथ निर्णय हो सके।

माननीय सभापति महोदय न्यायमूर्ति सेन का निर्णय यहां विशेष रूप से उद्धृत किया गया है और मैं उसी निर्णय को लेकर अपनी बात कहने की अनुमति चाहता हूं। मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रस्ताव द्वारा श्री जगमोहन, जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे और अब जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल हैं, पर इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया गया है। ने इस चर्चा के दौरान वाद-विवाद ने जो मोड़ लिया है उसकी इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा लगता है कि इसका उल्टा असर उन पर ही पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जनता पार्टी की सरकार के समय का सबसे बड़ा काण्ड है। इस निर्णय से तत्कालीन आवास और निर्माण मंत्री श्री सिकन्दर बख्त के कारनामों का भन्डाफोड़ होगा। इससे श्री सिकन्दर बख्त और श्री रामनाथ गोयनका के बीच की सांठ-गांठ का पता लगेगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री रेड्डी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, श्री सिकन्दर बख्त संसद के सदस्य नहीं हैं। **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिये। **(व्यवधान)** क्या यह मूल प्रस्ताव है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री के नाते उनके द्वारा किये गये कार्य की आलोचना की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, सभापति महोदय, आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

सभापति महोदय : मैं आपकी आपत्ति अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब आपने मेरी बात को सुना ही नहीं है। महोदय, तो आप उसे रद्द या अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। आपने मुझे निवेदन करने तथा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी। आप मेरी बात सुनते ही नहीं और अपना विचार बदल देते हैं तथा आपने बिना सुने ही मेरी बात को रद्द कर दिया। (**व्यवधान**) यहां मुद्दा यह है कि श्री सिकन्दर बख्त का आचरण इस प्रस्ताव की विषय वस्तु नहीं बन सकता। आप कृपया प्रस्ताव को फिर से पढ़िये।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने अभी विनिर्णय दिया है, सिकन्दर बख्त की भारत सरकार के मन्त्री की हैसियत से आलोचना की जा सकती है।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं परवाह नहीं करता ··· (**व्यवधान**) आपने जो फैसला दिया है वह जल्दी ही आप पर ही भारी पड़ेगा।

(**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, क्या मैं आपसे तथा विशेष रूप से मेरे सहयोगी श्री रेड्डी से एक निवेदन कर सकता हूं ? श्री सिकन्दर बख्त के बारे में जो कुछ भी मैं कहूंगा, वह सिर्फ न्यायमूर्ति सेन के निर्णय में से ही होगा। न्यायमूर्ति सेन ने अपने निर्णय में जो कुछ कहा है मैं उसमें न तो एक भी शब्द जोड़ूंगा ही और और न ही घटाऊंगा ?

जैसा प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है, यह विशेष इमारत प्लाट संख्या 9 तथा 10 में बनायी गयी है तथा यह प्रेस कहलाता है। 1949 में जब यह प्लाट मंजूर किये गये तो इस क्षेत्र को बनाने का उद्देश्य था कि समाचार-पत्रों को अपने कार्यालय बनाने के लिये कोई अलग जगह होनी चाहिये। तथा इसी संदर्भ में इण्डियन एक्सप्रेस को प्लाट संख्या 9 तथा 10 दिया गया, पेट्रिआट को अन्य प्लाट तथा बराबर का ही टाइम्स आफ इण्डिया को, तथा नेशनल हेराल्ड तथा अन्य समाचार पत्रों को इसी क्षेत्र में प्लाट आबंटित किये गये। मैं यहां बताना चाहूंगा और मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि ये प्लाट प्रेस के लिए अखबार कार्य करने के लिये आवंटित किये गये थे न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये। महोदय क्या मैं और आगे कह सकता हूं, कि आपको रिकार्ड देखने से मालूम चलेगा कि यह विशेष प्लाट कपटपूर्ण तरीके से हिन्दी समाचार-पत्र निकालने के लिये प्राप्त किया गया था। श्री रामनाथ गोयनका ने चार मंजिल की एक इमारत बनवाई जिसमें भूमितल भी बनवाया और जिसमें चारों मंजिलें सिवाय भूमितल के वाणिज्यिक कार्यों के लिये उपयोग की जा रही है भूमितल को प्रेस के उद्देश्यों के लिये उपयोग में नहीं लाना था। परन्तु अभी सिर्फ भूमितल को ही समाचार-पत्र के कार्यालय के लिये उपयोग किया जा रहा है। अन्य मंजिलों में सिर्फ वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस बात को मैं यह कह कर स्पष्ट कर सकता हूं :—

मैं कार्यवाही में सम्मिलित कराने के लिए यह बात कहूंगा :

"अधिकारियों पर दबाव डलवाने की वजह से सम्पूर्ण नई एक्सप्रेस बिल्डिंग के लिये अनुमति दी गई थी।"

कार्यवाही देखने से पता चलेगा कि ऐसा श्री सिकन्दर बख्त, तत्कालीन मन्त्री ने किया था। नई एक्सप्रेस इमारत में बेसमेंट (भूमितल) के अलावा सारी इमारत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाई जाती है। इसके किरायेदारों में हैं भूमितल पर ग्रीवज कॉटन लिमिटेड ग्राउंड फ्लोर पर, मैसर्स श्रीराम फाइवर्स की 10 कम्पनियां, पहली मजिल पर, स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया दूसरी मंजिल पर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेंट के कार्यालय तीसरी मंजिल पर स्थित हैं। इस सम्पूर्ण व्यापार में काफी मुनाफा होता है। इसका श्रेय जनता शासन के दौरान तत्कालीन निर्माण एवं आवास मन्त्री श्री सिन्दर बख्त को जाता है।

वो रकम क्या है है जो उनको मिल रही है? इस सारी इमारत से, जो कि हिन्दी अखबार के लिये दी गई थी, लगभग एक करोड़ रुपया किराया आदि सालाना मिलता है···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, आप देखेंगे कि यह बात ही घटिया तरीका था जिस तरह से यह सारा वाणिज्यिक कार्य किया गया। सभापति महोदय, 25 अक्तूबर, 1977 को इण्डियन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों की ओर से निर्माण एवं आवास मन्त्रालय के सचिव, निर्माण भवन, नई दिल्ली के नाम एक पत्र भेजा गया था जिसमें लिखा था, मैं उसमें से संगत पैरा (5) को उद्धृत करूंगा :—

> "हमें ज्यादा जगह की आवश्यकता है क्योंकि हम हिन्दी का समाचार-पत्र छापना चाहते हैं।"

यह उससे सम्बद्ध अंश है। उनका कहना था "क्योंकि हम हिन्दी समाचार-पत्र को शुरू करना चाहते हैं, अतः हम उसके लिये एक नई इमारत बनाना चाहते हैं। इस कार्य के लिये हमें अनुमति दी जानी चाहिये चूंकि यह प्रेस की स्वतन्त्रता का प्रश्न है तथा प्रेस के लिये जगह मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों में छूट दी जाये तथा हिन्दी के समाचार-पत्र को नई इमारत में शुरू करने की अनुमति दी जाये।

जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था···

प्रो० मधु दंडवते : श्री फैलीरो अगर आप मुझे एक सेकिण्ड के लिये बोलने की अनुमति दें तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य इण्डियन एक्सप्रेस के मामलों के गुण दोष बताना नहीं है, (व्यवधान) महोदय, वो मान गये हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। वह मान गये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल यह कहना चाहता था कि इस मामले के महत्व पर सहमति होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि उपराज्यपाल ने अभद्र व्यवहार किया तथा वे अपने अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार से बाहर गये। मामला यह है, आप इस बात पर आइये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्री मधु दण्डवते ने एक मुद्दा उठाया है। यह उस व्यक्ति के लिये जो इस बात से परिचित नहीं है जिसे मैं उनके भाषण में बताऊंगा। लोग उनकी बात सुनते हैं एवं वह विश्वास के योग्य हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह इस प्रकार है। प्रो० मधु दण्डवते का कहना है

कि श्री जगमोहन ने दुर्भावना से कार्य किया क्योंकि उनका कार्य दुर्भावनापूर्ण था इसलिये उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस सभा को उन पर अभियोग लगाना चाहिये तथा उनके पद से उन्हें हटा देना चाहिये।

परन्तु मेरा कहना यह है कि श्री जगमोहन ने सिर्फ दुर्भावना से कार्य नहीं किया है अपितु उन्होंने इस घोटाले का भण्डाफोड़ करके दिल्ली की सेवा की है। श्री जगमोहन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपसभापति की हैसियत से दिल्ली को स्वच्छ बनाये रखने, अवैध निर्माण कार्यों पर नियंत्रण करने तथा दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बनाने के कार्यों से दिल्ली की बहुत सेवा की है। श्री जगमोहन पर अभियोग नहीं लगाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस घोटाले का पर्दाफाश करने···के लिये इस सदन द्वारा श्री जगमोहन की प्रशंसा की जानी चाहिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपातकाल के दौरान तुर्कमान गेट तुड़वाने के लिये तथा कश्मीर में फारूख सरकार को गिराने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : सरकारी वकील ने स्वयं ही कहा है कि वे कुछ ज्यादा ही कर गये हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमें सभी तर्क देने हैं। इस बीच न्यायमूर्ति सेन के निर्णय को देखते हैं। इस मामले के तथ्यों पर आएं तो हमने **इन्डियन एक्सप्रेस** के प्रबन्धकों के उस पत्र को देखा है जिसमें हिन्दी समाचार-पत्र निकालने के उद्देश्य से इमारत बनाने के लिये अनुमति मांगी थी। परन्तु यह कार्यालय उस इमारत में कहीं भी नहीं है न तो प्रथम मंजिल पर न ही दूसरी, तीसरी मजिल पर ही। तथा इससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये की आय होती है। उसके बाद क्या हुआ। उस पत्र के बाद क्या हुआ। न्यायमूर्ति सेन ने अपने फैसले के पृष्ठ 30 पर इस बारे में कहा है इस पत्र के बाद क्या हुआ ? श्री रामनाथ गोयनका ने सीधे ही मंत्री को लिखा कि इस निर्माण कार्य के लिये इन्हें अनुमति दे दी जाये, इस संदर्भ में विद्वान न्यायमूर्ति सेन ने यह कह कहा है—मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :—

"···मन्त्री द्वारा दी गई टिप्पणी के अनुसार"

यानि कि श्री सिकन्दर बख्त के अनुसार

> "···याचिका दाता संख्या 3, रामनाथ गोयनका के दिनांक दिसम्बर 7, 1977 के पत्र के हाशिए में मंत्री द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस प्रश्न की जांच किये के लिए आदेश दिए जाने थे।"

श्री सिकन्दर बख्त को जैसे ही श्री रामनाथ गोयनका सपत्र प्राप्त हुआ, तो उन्होंने तुरन्त ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस प्रश्न की जांच किए जाने के सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया। उसके पश्चात क्या हुआ।

> "7 जनवरी, 1977 को निर्माण और आवास मंत्रालय में सचिव, जे० बी० डीसूजा ने विस्तृत नोट तैयार कर मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। लगता है कि उन्होंने 7 जनवरी को मन्त्री से इस मामले में चर्चा की और उनके समक्ष यह स्पष्ट किया कि एक्सप्रैस न्यूज पेपर प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें पट्टे पर दिये गये परिसर अर्थात संख्या 9 और 10 के सम्बन्ध में

एफ ए आर 260 पहले ही इस्तेमाल कर लिया था और भवन बनाकर उन्होंने आधी भूमि पर अधिकार कर लिया था टिप्पणी में यह भी लिखा हुआ था कि यह बात कि प्रैस एरिया में अन्य पार्टियों ने 500 एफ ए आर अपने कब्जे में ले लिया था सही नहीं है। समाचार-पत्रों को दिए गए जमीन के प्लाट में अधिकतम एफ० ए० आर० 300 और उससे कम है; **टाइम्स ऑफ इण्डिया** इसमें इस मामले में अपवाद है, यह 304···था।"

यह कुछ अधिक है,

"···और नेशनल हैराल्ड के मामले में यह 306.3 था।"

यह कुछ अधिक है,

"उनके अनुसार शेष आधी भूमि पर इस प्रकार भवन निर्माण की अनुमति आवेदन कर्त्ताओं को देने का अभिप्राय यह है कि एफ ए आर 300 से बढ़कर 400 तक हो जाए। यदि हिन्दी में समाचार-पत्र प्रारम्भ करने की सचमुच आवश्यकता हो तो 260 से 360 तक वृद्धि की सम्भवतया अनुमति दी जा सकती है।"

यह सही स्थिति बिल्कुल नहीं थी।

"गन्दे नाले का पश्चिमी भाग खुला रखा गया था और यह कार-पार्किंग के लिये इस्तेमाल किया जा रहा था तथा अतिरिक्त हिस्से पर निर्माण से कार पार्किंग के लिए जमीन की आवश्यकता उत्पन्न होगी और तब इस सड़क पर कारें खड़ी करनी पड़ेंगी। मंत्री ने सचिव से कहा कि इस विषय पर याचिका-दाता संख्या 3 रामनाथ गोयनका से बातचीत द्वारा समुचित हल निकाला जाए।"

मंत्री ने सचिव से कहा कि वह याचिकादाता संख्या 3 के साथ इस विषय पर चर्चा करे। इस स्थिति में सचिव ने क्या कहा? सचिव का कथन का कि यह नहीं किया जा सकता पहले ऐसा कभी नहीं किया गया और श्री गोयनका का यह मत कि अन्य मामलों में ऐसा किया गया है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्या मन्त्री ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की? जी नहीं। मंत्री ने कार्यवाही नहीं रोकी। उन्होंने कहा, "इस विषय में रामनाथ गोयनका से मिलो और चर्चा करके उपयुक्त हल ढूंढो।" (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए चाहे जितनी रकम की भी आवश्यकता हो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उनकी यह बात रिकार्ड में है बाहर क्या बात हुई, हमें मालूम नहीं है। मंत्री से अनुदेश प्राप्त करने पर सचिव ने यह लिखा :

"श्री गोयनका ने जितनी एफ ए आर के लिए प्रार्थना की है उसके लिए सिफारिश करना कठिन है क्योंकि उस स्थिति में अन्य प्लाटधारियों, जिनमें टाइम्स आफ इण्डिया शामिल है, से इस आशय के अनुरोध प्राप्त होंगे कि वह उन्हें 60 फीट तक जमीन के पूरे क्षेत्र पर भवन निर्माण करने दिया जाये। इसका अर्थ यह होगा कि एफ ए आर 300 से बढ़कर 400 तक पहुंच जायेगा। 'पार्किंग' पर होने वाले प्रभाव और अन्य आवश्यकतायें स्वीकृत नहीं की जा सकतीं।"

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री बुच ने भी यही नीति अपनाई। उन्होंने यह रुख अपनाया और जैसा कि स्वयं न्यायाधीश से न के निर्णय से स्पष्ट है, कि समस्त अधिकारियों, इनमें कोई अपवाद नहीं है, की राय में श्री रामनाथ गोयनका की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है तथा वह अवैध है, और जब किसी अधिकारी ने मंत्री के सामने कोई पत्र रखा अथवा राय प्रकट की कि यह काम नहीं किया जा सकता है, तो मंत्री कहता है, "इस काम को करने का प्रयत्न कीजिए" श्री गोयनका से मिलिए और उनसे बार-बार यह कहा गया कि यह मालूम करिए कि का कोई ऐसा उपयुक्त हल हो सकता है जिससे श्री गोयनका की आवश्यकता पूरी की जा सकती हो। यह बात रिकार्ड में लिखी हुई है। यह फाइल का ही अंश है। तत्कालीन निर्माण और आवास मन्त्री ने स्वयं इन्हें नोट किया है।

एक माननीय सदस्य : यह कितने दुःख की बात है।

अन्य माननीय सदस्य : दण्डवते जी उस मंत्रिमण्डल के सदस्य थे।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, मैं मंत्रिमंडल में था।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने अभी कहा था कि यह निर्माण सर्वदा अवैध है। यह न केवल अवैध निर्माण है, बल्कि इस अवैध कार्य के लिए अनुमति भी दी गई है और स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करके इस अवैध निर्माण के लिए अनुमति देकर इसकी अवैधता को और भी बढ़ाया गया है। हरित क्षेत्र को कार्यालय में परिवर्तित किए जाने की अनुमति देकर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति देकर आप उस पर शुल्क भी वसूल करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री जगमोहन के अवैध कार्य से यह अवैधता बढ़ जाती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : बहुधा प्रो० दण्डवते अपनी भाषा के लालित्य और विनोद में खुद ही बह जाते हैं उनकी इन बातों की हम भी प्रशंसा करते हैं।

लेकिन यह बात सब जानते हैं कि परिवर्तन शुल्क वसूल किया जाता है और प्रो० दण्डवते को निसन्देह ही इसकी जानकारी है। होता यह है कि जब हरित क्षेत्र या कोई हिस्सा जो योजना अथवा मास्टर प्लान में आने से रह गया हो और यदि अवैध अथवा अनुचित तरीके से भवन निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा करने के लिए शुल्क वसूल किया जाता है और यही परिवर्तन शुल्क कहलाता है। निर्माण और आवास मंत्रालय के रिकार्डों के अनुसार श्री रामनाथ गोयनका से हरित क्षेत्र में किए गए इस निर्माण के लिए 3.30 करोड़ रुपने वसूल किए जाने हैं और श्रीमान्, दूसरे भवन की अनुमति देने में नियमों की अवहेलना के बावजूद भी नई एक्सप्रेस इमारत का निर्माण हो गया। इसके अतिरिक्त, जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने इसको समाप्त कर दिया, इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया और 3.30 करोड़ रुपए में से एक नया पैसा भी वसूल नहीं किया जिसका पता तभी लगा जब यह मामला श्री जगमोहन के हाथ में आया, हम श्री जगमोहन की एक ऐसी वस्तु स्थिति के लिए, जो कि स्वीकार की गई है, आलोचना करें कि वे इस बात को प्रकाश में लाने और उसका पर्दाफाश करने में सफल हुए हैं कि एक व्यक्ति विशेष सरकारी खजाने को 3.30 करोड़ रुपए का देनदार है और उससे इस धन को वसूल करने की सरकार को अनुमति दी जाय। इस बात के लिए हमें उनकी भर्त्सना करनी चाहिए ?

श्रीमन्, मैं यह भी कह दूं कि स्वयं न्यायाधीश सेन सहित सभी न्यायाधीशों ने यह स्वीकार किया है कि इस मामले में स्थान परिवर्तन का शुल्क स्थान अभी वसूल किया जाना है। इसके अतिरिक्त वे

यह मानते हैं कि जनता दल सरकार द्वारा इस पैसे को वसूल करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सारा मामला ही इस बात को लेकर है। अब प्रो० दण्डवते ने संवाददाता सम्मेलन के बारे में कहा है और उन्होंने उल्लेख किया कि······

प्रो० मधु दंडवते : किस तरह अल्मारियां अवैध रूप से तोड़ी गईं !

श्री एडुआर्डो फंलीरो : किस तरह श्री जगमोहन ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई है, श्रीमान् मैं एक बात यहां पर कहूं। कोई भी जो जागरूक है और जानता है कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाती है इस स्थिति को स्वीकार करेगा भले ही वह सदन के किसी भी पक्ष का हो। जब एक अवैध निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, यदि कोई इस अवैध निर्माण को वास्तव में खत्म करना चाहता है तो उसे तीव्रता से कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि, अन्यथा वह अवैध निर्माण पूरा हो जाता है और एक चीज जो हो चुकी है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अनुचित जल्दबाजी अपने आप में श्री जगमोहन के विरुद्ध एक मामला नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कह दूं कि कोई भी जल्दबाजी नहीं थी और विशेष रूप से इस मामले मे, यहां पर मैं मामले के वास्तविक तथ्यों में से उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय : आपको थोड़ा शीघ्रता से चलना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, अनुचित शीघ्रता से नहीं।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : केवल विद्वान न्यायाधीश ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में अनुचित जल्दबाजी से काम नहीं लिया, प्रो० मधु दण्डवते ने जो कहा वह सत्य है, पक्षों की सुनवाई करने की तिथि से 2 वर्ष और 3 माह बाद ही निर्णय दिया जा सका। मैं जानना चाहूंगा कि न्याय प्रणाली कहां जा रही है, उच्चतम न्यायालय में भी तर्क/बहस के होने में और फंसला दिए जाने में वर्षों निकल जाते हैं। समय की इतनी बड़ी बर्बादी का क्या कारण है जबकि सभी लोग यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी कह रहे हैं कि फैसले जल्दी किए जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : श्री गोयनका के कारण।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : इस संदर्भ में भी वकीलों द्वारा दी गयी छूटों का प्रश्न संगत हो गया। यहां कहा जा चुका है तथा पुन: यह सही है कि फंसला मुख्यता छूटों पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय के किसी भी ऐसे फंसले का लिखित प्रमाण नहीं मिलता जहां आधारभूत मुद्दों पर सात बड़ी छूट दी गई हों और जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई भी फंसला नहीं है जो पूरी तरह छूटों पर ही आधारित हो। यदि फंसला छूटों पर आधारित होना था और छूटों पर ही निर्णीत होना था तो 2 वर्ष और इतने महीनों के इस बहुत बड़े विलम्ब का क्या कारण था ?

फिर छूटों के विषय में। क्या छूटें हैं ? स्वयं वकीलों द्वारा सारी छूटों से इन्कार किया गया है। और इस मामले में वकील कौन हैं। वकील है—श्री लाल नारायण सिन्हा—एक भूतपूर्व महान्यायवादी, दरअसल इस मामले के प्रारम्भ में भारत के महान्यायवादी थे और जिनकी नेकनीयती, जिनकी ईमानदारी और निष्ठा को इस सदन में, या उच्चतम न्यायालय की बार मे, या अन्यत्र भी कोई चुनौती नहीं देगा और उससे इन्कार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये छूट उन्होंने कभी नहीं दीं। दूसरे, ज्येष्ठ अधिवक्ता संसद के हमारे एक साथी हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उच्चतम न्यायालय के

एक ज्येष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है और इस फाइल में एक पत्र इस आशय का है कि उन्होंने कभी भी ये छूटें नहीं दीं, इन अस्वीकृतियों के बावजूद भी न्यायाधीश क्या करते हैं ? न्यायाधीश अधिवक्ताओं को बोलने का अवसर नहीं देते —अपने सामने आने और यह कहने का अवसर नहीं देते कि उन्हें कैसे ऐसा लगता है कि छूट दी गयी हैं और कैसे वे कहते हैं कि छूट कभी नहीं दी गई। अधिवक्ताओं की पीठ पीछे और उन्हें कोई अवसर दिए बिना इस प्रकार की निन्दात्मक टिप्पणियां और आक्षेप किए जाते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह खेद का विषय है कि किसी भी न्यायालय द्वारा और जहां तक इसका प्रश्न है, संसद समेत किसी अन्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों की पीठ पीछे, उन्हें कोई अवसर दिए बिना इस तरह की निन्दात्मक टिप्पणियां अथवा आक्षेप किए जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मेरे पास संविधान की एक प्रति है, मैं अनुच्छेद 121 का हवाला दूंगा :

> "अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के सम्बन्ध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी।"

फैसले के प्रभाव पर बहस की जा सकती है परन्तु आचरण पर नहीं, यह कहना कि वह पीठ पीछे इसकी अनुमति दे रहे हैं इस तरह की अन्य बातें कहना, आर ऐसी चर्चा नहीं कर सकते ...(व्यवधान)।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : ये कटु सत्य हैं।

सभापति महोदय : आप फैसले पर चर्चा कर सकते हैं परन्तु न्यायाधीशों के आचरण पर कोई आक्षेप न करें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या मैं फिर से कहूं कि हमारी यह मंशा नहीं है और हम न्यायपालिका पर आक्षेप नहीं करेंगे। न्यायपालिका के प्रति हमारे दिल में अधिकतम इज्जत तथा आदर है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन टिप्पणियों को इस संकल्प के प्रस्तावक आधार बना रहे हैं, उनको दूसरे पक्ष द्वारा नकारे जाने के बावजूद और दूसरे पक्ष को जिसमें दो बहुत ही वरिष्ठ वकील और बहुत ही आदरणीय व्यक्ति सम्मिलित हैं, उनको कारण बताने तथा ये रियायतें उन्हें कभी नहीं दी गयीं थीं, को सिद्ध करने का कोई अवसर दिए बगैर ये टिप्पणियां की गई थीं। मेरा कहना यह है कि वकीलों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर यह संसद, जिसको सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं है, गौर न करे बल्कि संसद के समक्ष जो फैसला है उसी पर गौर करे क्योंकि उन दो वकीलों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गयी हैं वे सहज न्याय के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं और वास्तव में वे स्वयं न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं क्योंकि उन्हें कभी भी अपने पक्ष में सफाई पेश करने और ये आक्षेप पूर्णतया न्यायोचित नहीं हैं, सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया था।

श्री वसन्त साठे : हम आचरण पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो निर्णय पर टिप्पणी कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सहमत हूं। हमने गोलक नाथ निर्णय पर भी चर्चा की थी।

4.59 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यह जनता दल जब सत्ता में था उस समय के दुःखद किस्सों में से एक है और आज हम सभी को तथा सम्पूर्ण सभा को सदन के समक्ष यह मामला लाने के लिए आभारी होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये गलत काम हुए, जिस भ्रामक प्रक्रिया के तहत यह कार्य हुआ तथा तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त ने श्री रामनाथ गोयनका से मिलकर उसको करोड़ों रुपए का लाभ राजकोष को नुकसान पहुंचाकर दिलाने में पद का उपयोग करके षड्यन्त्र किया उसकी जांच, एक संसदीय जांच, की मांग करता हूं। (**व्यवधान**) महोदय, मेरा कहना है कि तथ्य मामले का पर्दाफाश करेंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई बुरे इरादे की बात नहीं है।

5.00 म० प०

महोदय, यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या राज्यपाल को यह जांच करने की शक्ति प्राप्त थी। क्या मैं आपका ध्यान भारत सरकार की एक अधिसूचना की तरफ दिला सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह आपका सुझाव है कि एक संसदीय जांच होनी चाहिए और तब तक उपराज्यपाल पद से हट जाएं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या यह निष्कर्ष मेरे भाषण से निकलता है ? यह आपकी व्याख्या है।

महोदय, मैं राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। प्रो० दण्डवते ने कहा है कि उपराज्यपाल को इसकी जांच करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मैं आपका ध्यान भारत सरकार की 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसके अनुसार राज्यपाल को क्रमांक 3 में 'भूमि और भवन विभाग' (लैंड एण्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट) शीर्षक के अन्तर्गत इस मामले में न सिर्फ दखल देने का अधिकार है :

> "भूमि और विकास कार्यालय (नाजुल भूमि प्रशासन) दिल्ली विकास प्राधिकरण। भूमि अर्जन, विकास और निपटान। दिल्ली मास्टर प्लान।"

उसे इस अधिसूचना के अन्तर्गत सभी अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए निष्कर्ष में मैं कहता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : एल० एन० सिन्हा ने क्या कहा है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : एल० एन० सिन्हा ने कहा है कि जो रियायत उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी उसका उसने कभी उपयोग नहीं किया। यह है जो सिन्हा ने कहा है।

निष्कर्ष यह है कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल, श्री जगमोहन पर आरोप लगाने के बजाय हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए तथा इस जालसाजी तथा कांड को प्रकाश में लाने के लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। श्री जगमोहन दिल्ली के विकास की योजना बनाने वालों में से एक हैं और मैं उन लोगों से, जिनके मन में कोई शंका है, निवेदन करूंगा कि वे इस चर्चा के बाद बहादुर शाह जफर मार्ग जो 'खूनी दरवाजा' (मर्डर माडल) के नाम से विख्यात हैं और पुरानी दिल्ली को नयी दिल्ली से जोड़ता है, का दौरा करें। अगर इसी प्रकार से इस प्रकार के निर्माण की वहां पर अनुमति दी जाती रही तो उस क्षेत्र की क्या दशा होगी ! क्योंकि, महोदय, जैसा कि आपने देखा है कि इस मामले में हरित पट्टी, जिसे पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया है, उस क्षेत्र पर तत्कालीन सरकार ने बहु मंजिली भवन निर्माण करने की अनुमति दे दी थी और उसका परिणाम यह है कि पार्किंग सड़क के किनारे हो रही है। इसके बाद, फैसले को देखते हुए, पहले ही उस क्षेत्र के दो समाचार-पत्रों ने इसी प्रकार की रियायतें मांगी हैं। वे भी सड़क के किनारे के पार्किंग स्थल पर निर्माण करना चाहते हैं। यह सड़क पहले ही खूनी दरवाजे के नाम से विख्यात है क्योंकि वहां भीड़ बहुत अधिक है। प्रो० मधु दण्डवते जैसे लोग नई दिल्ली में संसद के पास खुले बंगलों में रहते हैं और इस बात को नहीं जानते परन्तु जो लोग रहते हैं......

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सदस्य उस मार्ग से यात्रा करे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा कोई विशेष बंगला नहीं है। कहा जाता है कि इस बंगले में भूतों का बास था। कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैं वहां रह रहा हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अगर वह उस बंगले में खुश नहीं हैं तो हम उनके बंगले को बदलने का प्रबन्ध कर सकते हैं।

महोदय, यह तो श्री जगमोहन की प्रशंसा करने का विषय है। उन्होंने दिल्ली में बेहतरीन प्रशासन की परम्पराओं को प्रोत्साहित किया है और जहां तक संभव हो सका शहर की स्वच्छता को कायम रखा अथवा कायम रखने की कोशिश की है तथा एक बड़ी जालसाजी का, जिसके लिए मैंने जांच की मांग की है, पर्दाफाश किया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में प्रो० मधु दंडवते को कई बार सुना है परन्तु पहले उन्होंने अपनी किसी बात या कानून के मामले को गलत आधारों पर कभी नहीं बनाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की परम्पराओं तथा लोकतांत्रिक संगठनों का उल्लेख किया। मुझे खुशी है। उनकी शुरूआत ठीक थी परन्तु जब वह मामले के तथ्यों पर आए तो हमने पाया कि वह एक ऐसे बड़े पूंजीपति की कार्यवाई को, जो सरकारी राजस्व के साथ धोखाधड़ी करने तथा जनता पार्टी के एक मंत्री महोदय से विशेष कृपा दृष्टि पाने की कोशिश कर रहा था, उचित ठहराने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उनके तथ्य सही नहीं हैं और वह गलत कानून का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मामले के तथ्य बताता हूं। "इण्डियन एक्सप्रेस" वालों ने प्रेस तथा समाचार-पत्र के प्रकाशन के लिए एक इमारत बनाने के लिए जमीन का एक प्लाट लिया था। महोदय, इस काम के लिए जमीन रियायती दर पर दी गई थी और उसी क्षेत्र में अन्य समाचार पत्रों को भी इसी तरह जमीनें दी गई थीं। लेकिन श्री गोयनका ने उस जमीन का दुरुपयोग करने की गुस्ताखी की और उन्होंने इमारत बनाने के लिए

केवल अधिक भूमि का इस्तेमाल किया बल्कि इमारत भी बड़ी बनाई और उससे भारी किराया भी वसूल करते हैं। इस तरह जिस उद्देश्य से जमीन दी गई थी उसके लिए उसका इस्तेमाल नही किया गया और उसका दुरुपयोग किया गया। इसका इस्तेमाल दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करके ऐसा किया गया। हर इमारत के आसपास कुछ जमीन पार्किंग के लिए छोड़ी जाती है। नियमों में उल्लेख है कि इमारत बनाने के लिए कितना क्षेत्र प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर 1000 वर्गमीटर जमीन है तो इमारत 600 या 700 वर्गमीटर जमोन पर ही बनाई जानी चाहिए और शेष जमीन पार्किंग और हरित क्षेत्र सहित अन्य कार्यों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में श्री गोयनका ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करके पार्किंग क्षेत्र को भी इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों का ही नहीं बल्कि दिल्ली मास्टर प्लान का भी उल्लंघन किया है। हम या उपराज्यपाल यही चाहते हैं कि मास्टर प्लान का कड़ाई से पालन किया जाए। जबकि श्री गोयनका ने मास्टर प्लान का उल्लंघन किया है।

महोदय, जैसा कि मेरे सहयोगी श्री फलीरो ने बताया है, उस जगह पर बहुत से लोगों को जमीन दी गई है। वे सभी बड़ी-बड़ी कारों वाले बड़े-बड़े व्यवसायी हैं और उन्हें अपनी कारें वहां पार्क करनी होती हैं। लेकिन चूंकि श्री गोयंका ने नियमों का उल्लंघन करके जमीन का दुरुपयोग किया है इसलिए उन सभी कारों को भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर पार्क किया जाता है। इससे यातायात के नियमों का भी उल्लंघन होता है। इस सदन के समक्ष ये तथ्य हैं और इन पर हमें अपना निर्णय देना है।

अब मैं कानून के उस मुद्दे पर आता हूं, जिस निर्णय में से प्रो० दंडवते ने उद्धृत किया है परन्तु वह अल्पसंख्यक निर्णय है। उन्होंने बहुमत निर्णय का उल्लेख नहीं किया है। वह तो एक न्यायाधीश का मत था। इसे निर्णय नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय ही निर्णय कहलाता है। न्यायाधीशों के बहुमत ने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए वह उपराज्यपाल श्री जगमोहन के बुरे इरादे से किए गए कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा करके प्रो० दण्डवते गलत तथ्य और कानून के आधार पर मामला बना रहे हैं। वास्तव में हुआ यह था कि अपनी बड़ी इमारत को लोगों को किराए पर देने के बाद श्री गोयंका ने चाहा कि वह और निर्माण कार्य करके "एक्सप्रेस" की इमारत का और विस्तार करें। इसके लिए उन्होंने आवेदन भेजा जो नामन्जूर हो गया और निर्माण कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि वह क्षेत्र तो पार्किंग और अन्य कार्यों के लिए था। इस पर उन्होंने मन्त्री महोदय से बात की और उन्हें मन्जूरी मिल गई। मन्त्री महोदय को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अगर ऐसी स्थिति में अनुमति दी जाती है तो इसके लिए प्राधिकरण को एक प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। लेकिन इस मामले में प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया। मंत्री महोदय ने प्राधिकरण के नियमों तथा ऐसे मामलों में प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया की उपेक्षा की। दूसरी बात यह है कि अगर यह बात मान भी ली जाए कि मंत्री को ऐसा करने का अधिकार था तो भी उन्हें शुल्क माफ करने का अधिकार नहीं था। कानून के अन्तर्गत निर्धारण शुल्क और जो पैसा उक्त प्राधिकरण को मिलना चाहिए था वह 3.5 करोड़ रुपए है। मंत्री को राजस्व को होने वाली इतनी अधिक राशि के भुगतान को माफ करने और उन्हें पार्किंग स्थल पर इमारत बनाने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए

मंत्री ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया। राज्यपाल सरकारी सेवक के तौर पर कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार काम करने वाले इरादे की जांच करने के बजाय इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इन सब बातों की अनदेखी की है उसका आशय क्या था? 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना के अन्तर्गत उपराज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं और वह कानून तथा प्राधिकारों के अनुरूप काम कर रहे थे। ये तो मंत्री थे जिन्होंने इस व्यक्ति की खातिर अधिकारों का उल्लंघन किया।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उक्त इमारत का प्रयोग उस कार्य के लिए किया गया जिसके लिए उसका निर्णय किया गया था? जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, और भी समाचार-पत्र हैं। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि जितनी इमारत बनाने की मन्जूरी मिली थी या जितनी जरूरी थी उससे अधिक इमारत बनाई हो। केवल 'एक्सप्रेस' वालों ने, श्री गोयंका ने ही ऐसा करने का दुःसाहस करके कानून कानून का उल्लंघन किया। ऐसा उन्होंने मन्जूरी प्राप्त किए बिना, शुल्कों का भुगतान किए बिना ही किया। और किसी समाचार पत्र ने ऐसा नहीं किया। शुल्क की इतनी बड़ी राशि के लिए कौन जिम्मेवार है जिसका भुगतान सरकार को नहीं किया गया? श्री गोयंका के साथ इस हद तक पक्षपात किया गया कि उससे राजस्व को 3.5 करोड़ रुपए की हानि हुई? ऐसी कौन-सी मजबूरी थी जिसके कारण मंत्री के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था? उपराज्यपाल ने कानून के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुसार तथा जनहित में काम किया था। अब प्रो० मधु दण्डवते जी का कहना है कि उप-राज्यपाल ने जो किया वह गलत इरादे से किया था। क्या मंत्री ने जो किया वह अच्छे इरादे से किया गया था? सदन इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि किस तरह श्री गोयंका और तत्कालीन जनता सरकार के मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त की सांठगांठ से यह कार्य जल्दी में किया गया जबकि कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल ने कार्यवाही करने में जल्दी की। क्या मंत्री को उन्हें अनुग्रहीत करने की जल्दी नहीं थी? उल्टे तत्कालीन मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा सदन से अनुरोध है कि वह इस बात से सहमत हों कि यह श्री जगमोहन द्वारा बुरे इरादे से किए गए काम का मामला नहीं है। यह तो समाचार-पत्र के मालिक श्री गोयंका और मंत्री के बीच सांठगांठ के कारण सरकार को 3.5 करोड़ रुपए का धोखा देने का मामला है। इसकी जांच की जानी चाहिए। बिना किसी कानूनी अधिकार के उन्हें किन स्थितियों में यह रियायत देनी पड़ी?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मन्त्री को भूतलक्षी प्रभाव से हटाना चाहते हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : वह हम कर चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : उस मन्त्री और अन्यों को जनता की अदालत में काफी सजा मिल चुकी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : माननीय सदस्य परम्पराओं की बात कर रहे थे। मैंने भी जनता सरकार की एक परम्परा का उल्लेख किया है कि कैसे एक व्यक्ति के साथ सांठगांठ करके उन्होंने सरकार को किस तरह धोखा दिया। जनता ने उन्हें इसीलिए सजा दी। उन्हें पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। तीन साल बाद ही हटा दिया और उसके बाद उन्हें वापस नहीं लाए और आज उनका कहना है कि राज्यपाल ने ठीक नहीं किया था। वस्तुतः जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, मन्त्री ने

ठीक नहीं किया था। श्री जगमोहन ने सरकारी अधिकारी के तौर पर प्राधिकारों के अनुरूप काम किया था। मेरा तो सुझाव है कि श्री जगमोहन के खिलाफ, जैसाकि प्रो० दण्डवते ने सुझाव दिया है, कार्यवाही करने के बजाय श्री गोयंका और उक्त मंत्री के बीच हुई सांठगांठ की, यह पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए कि राजस्व को 3.5 करोड़ रुपए की हानि क्यों हुई ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, जब उच्चतम न्यायालय ने श्री जगमोहन के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणी की थी तो मैंने सोचा था कि सरकार औचित्य प्रजातांत्रिक रूढ़ियों तथा परम्पराओं के अनुरूप कार्यवाही करेगी क्योंकि तंत्र के दूसरे अंग का भी सम्मान किया चाहिए और श्री जगमोहन को बरखास्त कर दिया जाएगा। लेकिन यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य उनका बचाव ही नहीं कर रहे बल्कि बड़े जोर-शोर से उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं होता। आज चर्चा किस मुद्दे पर की जा रही है ? इस मामले में श्री जगमोहन के व्यवहार की। हम यहां न्यायालय की कार्यवाही या निर्णय के गुण दोषों पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : हम निर्णय पर ही चर्चा कर रहे हैं। और यहां क्या चर्चा की जा रही है ?

प्रो० मधु दंडवते : उनका कहना है कि श्री जगमोहन के कार्य की चर्चा की जाए न कि निर्णय की। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इस मामले में श्री सिकन्दर बख्त, श्री गोयंका या किसी और का बचाव नहीं करना चाहता। ठोस तथ्य क्या हैं ?

श्री वसन्त साठे : मामले के गुण-दोषों की चर्चा कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी हां, उन ठोस तथ्यों का उल्लेख करूंगा जो हमारे सामने आए हैं और जिनके बारे में कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया है। मुद्दा यह है कि करार के उल्लंघन की बात, उसमें हुई धोखाधड़ी की बात कही जा रही है जो कि न्यायालय के ध्यान में लाई जा चुकी है और न्यायालय ने हर बात की जांच कर ली है। श्री सिकन्दर बख्त के मामले से सम्बन्धित तथ्य, पहले इमारत की एनेक्सी बनाने की अनुमति नहीं देना और बाद में अनुमति देने से सम्बन्धित तथ्य न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं और उन्होंने हर बात की जांच कर ली है और उसके बाद ही निर्णय दिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ श्री जगमोहन ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इस मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूं और इस पर सबको विचार करना चाहिए। उस पुनरीक्षण याचिका को दायर करते समय उन्होंने क्या किया था ? और किस किस संदर्भ के कारण न्यायिक प्रक्रिया के इतिहास में ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणी की गई ?

न्यायालय ने क्या कहा था ? उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "हमें यह टिप्पणी करते हुए खेद है कि पुनरीक्षण याचिका में प्रमाणिकता का अभाव है और यह झूठे संशोधनों पर आधारित है, इससे न्यायालय की प्रक्रिया का अपमान हुआ है।" न्यायालय का कहना है कि "पूर्णतया झूठे आरोपों पर आधारित इस पुनरीक्षण याचिका को दायर करने के भोंडे प्रयास से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंची है" क्या वे इसका मतलब समझते हैं ? आप इससे होने वाले परिणामों को समझते हैं।

(व्यवधान)

अपनी पुनरीक्षण याचिका में श्री जगमोहन ने कहा था कि निर्णय मिथ्या आधार पर दिया गया है और यह भारत सरकार के तथा दिल्ली नगर निगम के वकील के वक्तव्य पर आधारित है। इस पर न्यायालय ने क्या कहा है ? न्यायालय ने कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना का प्रयास है। क्या वह सही नहीं है ? क्या श्री जगमोहन ने यही नहीं किया था ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : पुनरीक्षण याचिका न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना का प्रयास था।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह झूठ था। इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय का कहना है कि यह अनुचित, निंदात्मक औद न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला है। श्री फैलीरो ने श्री एल० एन० सिन्हा के वक्तव्य तथा उसके बाद श्री एम० सी० भंडारी के वक्तव्य का उल्लेख किया है। श्री जगमोहन ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में जो वक्तव्य संलग्न किया है वह श्री एल० एन० सिंहा का नहीं बल्कि उनके सहायक श्री पी० पी० सिंहा का है।

याचिका में श्री भंडारी का कथन भी संलग्न था। यहां वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो बात उन्होंने नहीं कही उसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया था। न्यायालय में कहा गया कि उनकी यह बात सिद्ध करने के लिए किए गए प्रयास गलत थे कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में वकीलों के तर्कों को गलत उद्धृत किया गया। उन्होंने ऐसा कहा था और न्यायालय की कार्यवाही में इसे दर्ज किया गया है।

अब हमारे समक्ष यह मामला है। एक उच्चाधिकारी ने न्यायालय के समक्ष गलत प्रमाण रखने और गलत दावे करने का प्रयत्न किया था। इस तरह पहले से अधिक कड़ी निंदात्मक टिप्पणियां अब की गई हैं। मुद्दा यही है। मैं अन्य पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं। यदि कोई उल्लंघन किया जाता है, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। विद्वान वकील क्या कर रहे थे। वे दिल्ली नगर-पालिका की पैरवी क्यों नहीं कर सके ? यहां प्रश्न यह नहीं है······

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उस समय, जनता सरकार सत्ता में थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने क्यों प्रस्ताव पेश नहीं किया ? जबकि हम कोई सही काम करने का जो अन्याय किया जा रहा है उसे सही करने और न्यायालय की अवमानना नहीं होने देने का प्रयत्न करते हैं, आप उसमें टांग अड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप जगमोहन जैसे व्यक्ति के साथ आपका दाब पर क्या लगा हुआ है। क्या आप हमें बता सकते हैं······

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : हम लम्बे समय से चली आ रही परम्परा का अंग हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हो सकता है आपने व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति वफादार रहने की कसम खाई हो। कभी किसी ने आपकी खूब सेवा की हो, परन्तु हम किन्हीं आदर्शों, परम्पराओं आदि के प्रति वचनबद्ध हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यहां तक कि श्री गोयंका भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह शर्मिन्दगी महसूस करेंगे। आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नहीं। आप केवल टाल-मटोल करके सारी बात को नहीं उड़ा सकते। असल बात यह है कि आलोचना हुई है। पहले उपराज्यपाल के पद पर आसीन और अब राज्यपाल के पद पर होकर, कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना कैसे कर सकता है? मुद्दा यह है। इन्होंने याचिका में कहा था और न्यायालय का कहना है कि वह सही नहीं है। मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि क्या निर्माण किया जाना चाहिए था कि नहीं, क्या संविदा का उल्लंघन किया गया है या नहीं, मैं वह सब बताने नहीं जा रहा हूं। यहां बहुत स्पष्ट कहा गया है और यहां तक कि स्वयं न्यायाधीशों ने भी कहा है······

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : जनता के पैसे और सम्पत्ति की चिन्ता हमें है आपको नहीं······

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, न्यायालय को इसकी जानकारी है। यहां तक कि श्री जगमोहन द्वारा अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य करने की बात से भी न्यायालय अवगत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकार सीमा का अतिक्रमण किया है और वह ऐसा नहीं कर कर सकते। वह सम्पत्ति को नष्ट करने सम्बन्धी आदेश जारी नहीं कर सकते। ऐसे तर्क······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं श्री गोयंका की वकालत नहीं कर रहा हूं। वे न्यायालय में गोयंका को फंसाने में असफल रहे हैं। अब वे कानूनी प्रक्रिया समाप्त करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान चौधरी, कृपया मुझे सम्बोधित कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : न्यायालय के समक्ष सारी बातें कही गई थीं। अधिकारों के अतिक्रमण की बात भी कही गई थी। एक मुद्दा यह सामने आया कि पहले उनके अधिकार मुख्य आयुक्त के समान थे। न्यायालय में उसका भी निपटाव किया गया। अब दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक यह कि प्रेस का मुंह बन्द करने का प्रयत्न किया गया। दूसरे, कुछ अधिकारियों द्वारा, यहां तक कि एक उच्चाधिकारी द्वारा न्यायालय की अवमानता करने का प्रयास किया गया।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार राज्यपाल को उनके पद से हटा देगी।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : विपक्षी दलों के सदस्य मामले पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह सच है कि दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल श्री जगमोहन का आचरण इस प्रस्ताव

का मुख्य विषय है। लेकिन यह एक पृथक कार्यवाही नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में श्री जगमोहन का जैसा आचरण बताया गया और निर्णय के दौरान उठाए गए मुद्दों पर भी विचार करना होगा।

मेरे सहयोगी श्री फैलीरो ने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जैसाकि मैंने देखा है केन्द्र बिन्दु यह होना चाहिए था कि श्री जगमोहन द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल के नाते की गई कार्यवाही के परिणाम क्या निकले। निर्णय में कहीं भी, तीनों में से किसी भी न्यायाधीश द्वारा यह नहीं कहा गया कि श्री जगमोहन की कार्यवाही से उन्हें कोई निजी लाभ पहुंचा है। इससे किसी तरह धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है। यह प्रश्न मात्र अधिकार का प्रयोग करने से सम्बन्धित है।

श्री सेन के अनुसार, निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने पहले भाग में, श्री मिश्रा ने दूसरे भाग में और श्री वेंकटरमैया ने तीसरे भाग में, अर्थात सभी का तर्क इस तथ्य के आधार पर दिया गया है कि 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना में, जिसमें उपायुक्त की शक्तियां राज्यपाल को मिल गई थीं, का कोई आधार नहीं है। यह बिलकुल ही तकनीकी आधार है। दिल्ली के उप-राज्यपाल को 7 सितम्बर, 1966 से प्राप्त शक्तियों के अधीन, हजारों बार जमीन की बिक्री हुई। हजारों लोगों को रिहायशी जमीन और कार्यालय बनाने के उद्देश्य से जमीन बेची गई। यदि ऐसा बिना किसी आधार के किया गया है, क्या पूरी प्रक्रिया नए सिरे से बनानी होगी? क्या ये सभी सौदे अवैध हैं, अथवा हम यह मान लें कि उप-राज्यपाल अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सितम्बर, 1966 की अधिसूचना के अनुसार अच्छे इरादे से कार्यवाही कर रहे थे? मेरे विचार से इसका श्रेय श्री जगमोहन को है कि उन्होंने अनुच्छेद 239 के अधीन उन्हें प्राप्त अधिकारों और 7 सितम्बर, 1966 को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही की थी। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो इसमें बहुत गड़बड़ी और घोटाला होता।

वास्तविकता यह है कि श्री जगमोहन ने धोखाधड़ी के उस मामले की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें राजकोष में 3.3 करोड़ रुपये की हानि हुई। वाणिज्यिक किराए के रूप में उन्होंने जो भारी धनराशि प्राप्त की, उसे राजकोष में जमा नहीं किया गया और इस देश के निर्धन लोगों को उचित भाग नहीं मिला। इसका श्रेय श्री जगमोहन को है कि उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर जनता का ध्यान दिलाया।

दूसरे, उस समय तत्कालीन आवास और निर्माण मंत्री श्री सिकन्दर बख्त का आचरण कैसा था? उन्होंने न केवल इस अनुरोध को तत्काल स्वीकार कर लिया अपितु उन्होंने कुछ और भी किया। मैं 'सूर्या' के अक्तूबर, 1979 के अंक में से उद्धृत करूंगा, जब सरकार जनता की थी। मैं अन्तिम पैराग्राफ उद्धृत करता हूं:

> "एफ० ए० आर० 360 के आधार पर निर्माण करने के लिए असाधारण, हद से ज्यादा और अवैध अनुदान प्राप्त करने के बाद, इंडियन एक्सप्रेस ने यह मांग रखी कि उन्हें समूचे क्षेत्र पर भवन बनाने की अनुमति दी जाए, यद्यपि शत-प्रतिशत क्षेत्र पर भवन बनाना उप-नियमों का घोर उल्लंघन है।"

अतः उन्होंने एक कदम और भी उठाया। केवल इतना ही नहीं, वे शत-प्रतिशत क्षेत्र पर भवन बनाना चाहते थे। मंत्री महोदय का क्या कहना है? यह बात मैं श्री बख्त के बारे में व्यक्तिगत रूप में नहीं

अपितु जनता सरकार के शासन में आवास और निर्माण मंत्री के रूप में कह रहा हूं। श्री बख्त ने अपने पद से हटने से पूर्व इस बात पर जोर डाला कि इण्डियन एक्सप्रेस की यह मांग भी मानी जाए। अतः मंत्री महोदय ऐसा करने के इच्छुक थे। लेकिन समय और नियति किसी को नहीं बख्शते। भारत की जनता ने विपरीत निर्णय दिया। मंत्री महोदय कुछ और चाहते थे, यद्यपि उस क्षेत्र में सभी भवनों को ग्राउंड फ्लोर पर 80% जमीन पर निर्माण करने, पहली मंजिल पर 70% और उसके ऊपर की मंजिलों पर 50% जमीन पर निर्माण की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के नगर एवं ग्रामीण योजना अधिकारी ने भी यह परामर्श दिया था कि सम्बन्धित क्षेत्र में 300 एफ० ए० आर० से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो वे चाहते हैं श्री गोयंका उसे क्यों मानते।

मेरे विचार से यह प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में बहुत आश्चर्यजनक विचार व्यक्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हम भी न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाए रखना चाहते हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं करना चाहते। लेकिन हमें देखना है कि कोई एक व्यक्ति चाहे वह उप-राज्यपाल हो और कुछ लोगों अथवा न्यायाधीशों की नजर में वह अवांछनीय व्यक्ति हो, उसे उतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि वह दोषी हो, उससे ज्यादा नहीं। अधिसूचना के अन्तर्गत श्री जगमोहन को जो शक्तियां प्राप्त थीं, उन्होंने उसी के अनुसार कार्यवाही की है। और यदि वह अधिसूचना नहीं होती तो सभी कार्यवाहियां, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और जो अधिसूचना जारी होने के बाद की गई थीं, यह 20 वर्ष या 19 वर्ष और कुछ माह पहले की बात है, ये सभी कार्रवाइयां अवैध नहीं मानी जा सकतीं क्योंकि तकनीकी आधार पर उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उनका कहना है श्री जगमोहन ने सब कार्यवाही जल्दी में की, मैं कहता हूं कि उन्होंने जल्दी में कुछ नहीं किया।

श्री जगमोहन को 17 फरवरी, 1980 को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया था और श्री गोयंका को एक्सप्रेस बिल्डिंग के बारे में 7 अप्रैल को स्थगन आदेश मिला। अत: प्रो० मधु दण्डवते जो, 17 फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है। श्री जगमोहन ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर अप्रैल का महीना आया। 7 अप्रैल को स्थगन आदेश की मंजूरी दी गई। क्या यह ठोस मामला है ? यह तो विधि के प्रति उनके सम्मान की ही बात है। उनके द्वारा यह अधिकारों का सही प्रयोग ही किया गया था जिसने उन्हें उस भवन को तुरन्त गिराने के लिए कदम उठाने से रोका, जिसका उन्होंने कभी अनुमोदन नहीं किया था।

इसी तरह, वे चाहते थे कि इन बातों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। श्री जगमोहन यह मानकर चले कि केन्द्र सरकार के अधिकारी होने के नाते उन्हें आवास और निर्माण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी के परिणामस्वरूप किसी भी दृष्टिकोण में भिन्नता नहीं है। तीनों दृष्टिकोण समान हैं। सचिव द्वारा आवास और निर्माण मंत्रालय को भेजा गया शपथपत्र, आंखें खोल देने वाला है, जिसमें उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवास और निर्माण मंत्रालय का रवैया क्या है। आवास और निर्माण मंत्रालय के सचिव के शपथ-पत्र में कहा गया है कि :

> "तत्कालीन आवास और निर्माण मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त द्वारा दिए गए आदेश पूर्णतः अवैध, अनुचित और अनियमित थे। (2) कारण बताओ नोटिस समय पर और सही

तरीके से जारी किया गया था और कहीं भी दुर्भावना नहीं थी। (3) मेरा कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात उप-राज्यपाल द्वारा भेजे गए प्रति शपथ-पत्र को इस प्रति शपथ-पत्र का अंग माना जाए।"

अतः केन्द्र सरकार और उप-राज्यपाल के मन को अलग-अलग मानने जैसी कोई बात नहीं है। उप-राज्यपाल ने केन्द्र सरकार की नीति, प्रक्रिया तथा उसके नियमों और विनियमों के अनुसार कार्यवाही की है। श्री एम० के० मुखर्जी, मंत्रालय के सचिव, द्वारा भेजा गया शपथ-पत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। मैं सचिव के रवैये का समर्थन करता हूं कि वे उस तथ्य को जिसे गलत बताया गया था, जिस स्थिति में चालाकी से गड़बड़ी की गई थी, जो धोखाधड़ी की गई थी, पर प्रकाश डालने में सफल रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा, मंत्री महोदय की कार्यवाही न केवल अनुचित थी अपितु अनियमित भी थी। श्री जगमोहन का मामला जनता के सेवक का मामला है, जिन्होंने देश और जनता के हित में काम किया है। कहीं भी न्यायाधीश इस बात से सहमत नहीं हुए हैं कि श्री जगमोहन द्वारा की गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी। यदि मैं गलती पर हूं तो क्या प्रो० मधु दण्डवते मुझे बताएंगे कि क्या तीनों न्यायाधीशों ने एक मत निर्णय दिया है। जी नहीं। तीनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग निर्णय दिया है और एक हद तक न्यायाधीश मिश्रा ने भी कहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। श्री मिश्रा का कहना है कि एक जमीन पर भवन निर्माण का अधिकार धारा 19 से ही नहीं मिल जाता अपितु ठेके की शर्तें भी पूरी करनी होती है।

प्रो० मधु दण्डवते . तीनों न्यायाधीशों ने श्री जगमोहन पर विभिन्न कोणों से हमला किया है। वास्तव में यह इस निर्णय के तीन आयाम हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : ठीक है। लेकिन आपका यह मुद्दा कि उन्होंने दुर्भावना से काम किया है और इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए, निर्णय में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई है। यह आम राय नहीं है। एक न्यायाधीश की राय ऐसी हो सकती है किन्तु मैं व्यक्त किए गए विभिन्न विचार रख रहा हूं जिनमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यह बहुमत का निर्णय है। यह बहुमत का निर्णय था इसलिए हमें इसे मानना ही होगा। इसी तरह कुछ अन्य भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो यह सीनियर एडवोकेट, श्री भंडारी और तत्कालीन महाधिवक्ता श्री सिन्हा पर की गई काफी तीखी टिप्पणी है। उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। प्राकृतिक न्याय में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ टिप्पणी की जाएं और निर्णय दिया जाये उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इस मामले में सारी कार्यवाही जल्दी में की गई है। अगर पूरे मामले को देखा जाये तो पता चल जायेगा कि किस तरह पुनरीक्षण याचिका में केन्द्र सरकार के कागजात को लेने से मना कर दिया गया और परिसीमन अवधि का उल्लंघन करके उन्हें सुनवाई के दिन ही स्वीकार किया गया। तीस दिन की परिसीमन अवधि को स्वीकार नहीं किया गया। यह एक दुखद कहानी है। उपबन्ध यह है कि अगर न्यायालय में अगले दिन याचिका की सुनवाई होनी हो तो पूर्व संध्या को रजिस्ट्रार के निवास पर कागजात स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में उन्हें नहीं लिया गया। यहां तक कि सुनवाई के दिन सुबह 10 बजे भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। 30 दिन की परिसीमन अवधि नहीं दी गई। उन्हें

मध्याह्न पश्चात एक बजे के लगभग ही लिया गया और संघ सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर दो घंटे में ही निर्णय दे दिया गया। इसलिए निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यह मामला बनता तो है। उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए था। हमारे विद्वान वकीलों को मौका दिया जाना चाहिए था खासकर जब उन्होंने पत्र भेजे थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उन्हें क्यों सजा दी जाए? उनके खिलाफ टिप्पणी क्यों की गई? निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो न केवल विद्वान वकीलों को ही अवसर दिया जाना चाहिए था बल्कि तत्कालीन उप-राज्यपाल श्री जगमोहन की भी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। मेरे विचार से श्री जगमोहन की कार्यवाही से राजस्व को 3.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। न्यायमूर्ति वेंकट रमैया के कथनानुसार दिल्ली नगर निगम को मामले को दोबारा से शुरू करने का अधिकार है। इस कमी का पता चला है और उक्त न्यायमूर्ति ने इसका उल्लेख भी किया है। दिल्ली नगर निगम इस मुकदमे को दोबारा शुरू कर सकता है। न्यायमूर्ति वेंकटरमैया के निर्णयानुसार "दिल्ली नगर निगम स्वतन्त्र रूप से मामले की नए सिरे से जांच कर सकता है और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही कर सकता है।"

इस प्रकार विद्वान न्यायमूर्ति ने दिल्ली नगर निगम को विधि अनुसार मामले की नये सिरे से जांच तथा कार्यवाही करने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि कानून का उल्लंघन किया गया। किसने उल्लंघन किया? एक्सप्रेस के लोगों तथा श्री गोयंका ने न कि श्री जगमोहन ने। निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो, सरकार से मेरा अनुरोध है, कि वह श्री जगमोहन के देशहित में की गई ठोस, सकारात्मक तथा उल्लेखनीय कार्य को मान्यता दे जिससे कुछ अनियमितताओं का मामला कानून के दायरे में लाया जा सका। अत मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसे तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

श्री डी० एन० रेड्डी (कडप्पा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निन्दात्मक टिप्पणी के बाद या दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल को सेवा में बने रहने दिया जाना चाहिए या नहीं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि श्री सिकन्दर बख्त या गोयंका सही थे या गलय। यह एक अलग मामला है और इस प्रस्ताव में उनके व्यवहार की चर्चा करना अप्रांसगिक है।

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले कभी भी किसी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप नहीं लगाए जितने कि दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल श्री जगमोहन के विरुद्ध एक्सप्रेस भवन के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण के मामले में लगाए हैं। यह लगातार दूसरी निन्दात्मक टिप्पणी है। पहली टिप्पणी एक्सप्रेस के मामले में दिए मूल निर्णय में की गई थी। उसमें न्यायालय ने टिप्पणी दी थी कि श्री जगमोहन ने, भवन कानूनों का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ तीव्रता से कार्यवाही करने के अलावा इस मामले में अनुचित रुचि ली थी।

इस सम्बन्ध में, मैं उच्चतम न्यायालय के 1956 में दिए निर्णय को उद्धृत करता हूं :

> "अगर किसी भवन से जनहित में हस्तक्षेप नहीं होता तो उसे गिराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय क्षति होगी यदि जुर्माना वसूली इसका विकल्प हो।"

इस मामले में न्यायालय का यह निर्णय है कि जनहित का बिलकुल उल्लंघन नहीं हुआ है, अतः

श्री जगमोहन का कार्य राजनैतिक हितों से प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण तथा प्रेस की आवाज को दबाने के इरादे से किया गया था।

दोनों मामलों में श्री जगमोहन की, गैर-कानूनी ढंग से, संविधान के विरुद्ध और अपने पद का दुरुपयोग करने पर, आलोचना की गई।

उप-राज्यपाल के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को न्याय और औचित्य के मानदंडों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि उन्होंने इन मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है।

पुनरीक्षण याचिका के बारे में उच्चतम न्यायालय का कहना है :

> "याचिका पूरी तरह झूठे आरोपों पर आधारित है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचने का प्रयास है। इसमें स्पष्टता का अभाव है और सत्यता के अभाव में गलत बातें कही गई हैं और इस प्रकार न्यायालय पर आक्षेप किए गए हैं।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए इन गम्भीर आरोपों से उनके द्वारा इतने बड़े पद पर बनने रहने पर गम्भीर आशंका उत्पन्न हो गई है। संवैधानिक औचित्य की मांग यह है कि उन्हें तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है अतः उन्हें उस पद से तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए।

जहां तक मानदंडों की बात है, केन्द्र ने राज्यों से विचार-विमर्श के बिना उन पर राज्यपाल थोपने का रवैया अपना रखा है। इस सम्बन्ध में सुधार की गुंजाइश है।

अन्त में मैं सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा, उनके एक वक्ता के यह कहने पर कि श्री जगमोहन ने देश की सेवा की है, सराहना करने पर उन्हें बधाई देता हूं। इस सदन में जब श्री रामलाल के आचरण की चर्चा हुई थी तो उन्होंने उसके काम पर भी हर्ष ध्वनि की थी और अन्ततः श्री रामलाल को हटना पड़ा था। अब वे श्री जगमोहन के कार्य की सराहना कर रहे हैं तो उन्हें भी निश्चित तौर पर हटना पड़ेगा।

अप्रासंगिक मामलों को यहां उठाने से कोई फायदा नहीं। हम सदन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते। निर्णय को मद्देनजर रखते हुए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या श्री जगमोहन ने कुछ अनुचित किया है? निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने प्रेस की आवाज को दबाने के लिए, जोकि जनता का सबसे प्रिय अधिकार है, गलत इरादे तथा राजनैतिक-हितों से प्रेरित होकर काम किया। इसलिए उन्हें इस उच्च पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि "मिस्टर क्लीन" ने स्वच्छ सरकार का वायदा किया है। वह भ्रष्ट लोगों को अपने आसपास नहीं रख सकते। अतः "मिस्टर क्लीन" को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही निवेदन करना चाहता

हूं कि भारतीय इतिहास में कभी इस प्रकार का जजमेंट नहीं आया जिस प्रकार का यह जजमेंट आया है जिस पर कि हम विचार कर रहे हैं। कभी भी ऐसा जजमेंट नहीं रहा है। हमारा मत है कि आने वाली पीढ़ी यह देखेगी कि हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है, वह जजमेंट देते समय बुनियादी सिद्धांतों, बुनियादी उसूलों और बुनियादी मूल्यों को अपने जजमेंट में शामिल नहीं करता।

मान्यवर, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जिनको कि मेरे साथियों न कह दिया है।······ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन सोज चौधरी : महोदय, क्या ऐसा कहा जा सकता है? उनका कहना है कि न्यायालय सभी बुनियादी बातों को भूल गया है।

श्री रामप्यारे पनिका : महोदय, मैं किसी न्यायधीश विशेष की बात नहीं कह रहा हूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे इस बात का पता है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, वह किसी न्यायाधीश के आचरण की चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका : मान्यवर, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर जजमेंट को आप एक सिरे से दूसरे सिरेतक पढ़ें तो आप पायेंगे कि जो वास्तव में समस्याएं थीं उनको न देखकर कुछ रियायतें दी गई हैं। मान्यवर यह जजमेंट भी समय से नहीं आया। इसके कारण क्या हैं? जबकि कॉंसिल ऑफ लायर्स ने कंसीड किया था फिर भी 6 साल तक यह नहीं आया। इन्होंने क्या किया? कुछ ऐसे तथ्यों जो कि कानूनी तथ्य थे उनको नजरअन्दाज कर दिया गया। हमारे भारत सरकार के सेक्रेटरीज ने जो राय दी है, उन तत्वों को, उन बातों को, सरकार की संवैधानिक अधिसूचनाओं की कोई चर्चा नहीं की गई। जजमेंट में उन्हें भुला दिया गया।

मान्यवर, हम नौजवानों को कोर्ट के इस जजमैंट को देखने से लगता है कि इकतरफा न्याय दिया गया है। इसमें क्या कारण हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1971 में मेरी पार्टी, मेरी कांग्रेस सरकार की बहुत सी आलोचना की गई थी। कोई आवश्यकता नहीं था, कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी, न कहीं उसकी कानूनी तौर पर संवैधानिक जरूरत थी, ऐसा लगता है और उन तत्वों को जो देश के इंटरेस्ट में थे, दिल्ली जैसे बढ़ती हुई आबादी वाले शहर के लिए, उसके ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने की बात थी, उसमें आवागमन की सुविधा की बात थी, ऐसे प्रश्नों को इसमें भुला दिया गया है, ऐसा लगता है कि जजमेंट देते समय इन बातों का ख्याल नहीं किया गया। मान्यवर यही नहीं, अध्ययन करने से ऐसा लगता है, हमने पढ़ा है, इसमें स्वार्थ भी झलकता है, क्यों झलकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि इसमें सैद्धांतिक बातों को भी नहीं अपनाया गया। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें गम्भीरता से इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिन बातों को लेकर आज जजमेंट पर विचार किया जा रहा है। क्या यह सही नहीं है, याद करें जनता पार्टी के लोग कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, मुझे याद है 10 पार्टियां इकट्ठी हुईं, इनके सामने हमारी सरकार के अच्छे कार्यों के कारण सामयिक कार्यों के कारण कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, केवल एक ही निर्णय इनको मिला यह जजमेंट

और इन्होंने इस जजमेंट में यह नहीं देखा कि कि परिस्थितियों में दिया गया है। अगर यह ध्यान दिया होता तो मुझे निश्चित विश्वास है कि सी०पी०एम० के लोग या जो समाजवादी हैं, इस तरह की बात नहीं करते . मुझे दुख है कि मधु दण्डवते जैसे लोग ऐसे तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, जिनके ऊपर निश्चित रूप से म्युनिसपल ला के अन्तर्गत, कारपोरेशन ला के अंतर्गत जो मौलिक कानून हैं म्युनिसपल बोर्ड में मकान बनाने के, जिन्होंने उसको तोड़ा है. उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी हमारे साथी ने कहा कि जो कन्वर्शन चार्जेज हैं, मधु दण्डवते जी ने उनकी चर्चा नहीं की, 3 करोड़ 30 लाख, उसकी बात आपने नहीं की, मैं जानता हूं कि गोयनका के और आपके, किसके क्या सम्बन्ध हैं; देश जानता है, लेकिन निष्पक्ष ढंग से हम काम करना चाहते हैं और उसी निष्पक्षता के कारण श्री जगमोहन ने उन कानूनों का अगर सही ढंग से, बड़ी तत्परता से पालन किया, यही उन पर चार्ज लगाते हैं जो उनकी एफिशेंसी के बारे में है, यह उनकी एफिशेंसी ही है कि उन्होंने देखा कि दिल्ली को जनता सरकार चन्द स्वार्थों के लिए बदसूरत बना रही है, उन्होंने सुन्दरीकरण की दृष्टि से, व्यापारिक समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से अगर इतवार को बैठकर निर्णय लिया, फाइल मंगाई तो क्या गलती की। जब दिमाग दूसरी चीजों में भटक जाता है तो जो अच्छा काम करते हैं वह भी बुरा लगने लगता है। इसलिए मैं मधु दण्डवते जी से यही कहना चाहता हूं कि आप कृपया उन मौलिक बातों को देखें, जिनके लिए जगमोहन जी ने काम किया।

5.48 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जगमोहन का रिजिगनेशन मांगा गया है, यह बिल्कुल अनजस्टीफाइड है, यही नहीं इल्लीगल है, उसका कहीं कोई आधार नहीं बनता है, बल्कि उसके लिए इस सदन को श्री जगमोहन की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के लिए जो काम किया था। जिन लोगों ने काफी रकम पैदा करने की कोशिश की, उनको उन्होंने नोटिस पर ला दिया। यही नहीं मान्यवर, अभी दंडवते जी यह कह रहे थे कि प्रेस के लिए जगह छोड़ी गई थी, ठीक है प्रेस के लिए, लेकिन एक करोड़ रुपया पर मंथ किराया कमाने के लिए कहां इजाजत दी जा सकती है। इस महत्वपूर्ण बात के लिए श्री जगमोहन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है।

मान्यवर आप देखें कि जो रिट पिटीशन है और बाद में जो रिव्यू पिटीशन है, इसमें एकतरफा निर्णय किया गया। अगर आप जजमेंट को देखें, बिना सुनवाई के, बिना जगमोहन को सुने, जगमोहन को छोड़िए, बिना उनके वकीलों को सुने एक-तरफा फैसला कर दिया जाता है। यह जो नेचुरल जस्टिस है, उसके अगेंस्ट है। मैं कोर्ट के जजों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है उसके अनुसार रिव्यू पिटीशन को बिना सुने, बिना प्रार्थी को सुने कोई जस्टिस दे देना कहां तक न्यायसंगत प्रतीत होता है, इस बात को दण्डवते जी भी मानेंगे। जो प्रिंसिपल्स आफ नेचुरल जस्टिस हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है। मुझे याद है, रूसो ने कहा था कि अगर किसी देश के शासन को देखना है तो वहां की न्यायपालिका को देख लो, यदि वह अच्छा काम करती है तो देश का प्रशासन ठीक है। क्या देश में ऐसे ही फैसले होंगे। जो परम्परा की बात करते हैं, उन परम्पराओं को ताक पर रखने की आवश्यकता क्या है, इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना है कि किस

प्रकार से आगे भविष्य में हमारे कोर्ट्स निर्णय दें। आज मैं किसी जज के चरित्र के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। जो तत्व दिल्ली के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं, दिल्ली के सुन्दरीकरण में बाधा और लॉ एण्ड आर्डर में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, उसका हम सबको विरोध करना चाहिए। स्वतन्त्र न्यायपालिका होनी चाहिए लेकिन जुडिशियल डेस्पोटिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि सदन इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करे। जब मधु दण्डवते जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिकन्दर बख्त जी से पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल हेरल्ड की ओर से कैन्टीन के लिए एप्लीकेशन दर्ज दी गई थी जो कि सन् 76 में स्वीकृत हो गई थी। लेकिन जैसे ही सिकन्दर बख्त जी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा कि 15 फीट की परमिशन केन्टीन के लिए नहीं दी जा सकती। इसकी बजाय उन्होंने गोयनका को चार गुना यानी साठ फीट जमीन दे दी। इस प्रकार जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया। मधु दण्डवते जी पुराने समाजवादी हैं। कम से कम समाजवादी होने का प्रूफ तो दें। नौजवान पार्लियामेंटेरीयन्स को ऐसा सबूत दीजिए कि आप सही चीज पेश कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, जिसने दिल्ली के हितों की उपेक्षा की है। हमारे दूसरे नौजवान सी० पी० एम० के प्रोफेसर सैफुद्दीन चौधरी अभी बोल रहे थे। सी० पी० एम० के लोग सुनेंगे कि गोयनका का केस प्लीड कर रहे हैं तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे।...(व्यवधान) जब आप वापिस अपने क्षेत्र में जाओगे तो लोग कहेंगे कि प्रोफेसर साहब आपने क्या किया। हम अपने प्रधान मंत्री जी से क्यों कहें कि वे जगमोहन जी से इस्तीफा देने के लिए कहें। सदन को ऐसे अधिकारियों के बारे में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि उनके कार्यों की महत्ता को देखते हुए आज ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। वह चाहते तो वाह-वाही लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा। हमें सस्ती लोकप्रियता में नहीं पड़ना है बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। गोयनका को 60 फीट जमीन देकर उन्होने करोड़ों रुपया कमाया। मैं तो आपके शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इसके लिए जो भूमि आरक्षित थी, वह समाप्त हो गई क्योंकि इस पर कार्मशियल बिल्डिंग खड़ी कर दी गई क्योंकि उसकी परमिशन सिकन्दर बख्त ने दी थी। ...(व्यवधान) मेरी मांग है...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने केन्टीन एम्पलाईज को परमानेंट बनाया...

श्री रामप्यारे पनिका : लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको भी आप देखिए। मेरी मांग है कि कानून मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आप पूरे स्कैंडल की निष्पक्ष जांच करवाएं। यह मामला सी० बी० आई० के सुपुर्द किया जाना चाहिए और वे देखें कि किन परिस्थितियों में जनता सरकार के लोगों ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूलने की कार्यवाही नहीं की। हमारे जगमोहन जी तो बधाई के पात्र हैं। यह भी देखा जाए कि किन परिस्थितियों में श्री सिकन्दर बख्त का ध्यान केन्टीन की ओर गया जबकि दूसरी ओर गरीबों को सीमेन्ट नहीं मिल रहा था, जो अपनी झोंपड़ी के लिए उसका प्रयोग करना चाहते थे। किन हालात में जनता सरकार ने उन्हें कन्ट्रोल का सीमेंट नहीं दिया, दूसरी तरफ हजारों बोरियां सीमेंट दे दिया गया। इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। जब आर्किटेक्ट ने दरख्वास्त दी कि कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई। एक बेसमेंट बनाने के लिए हजारों-हजारों बोरी सीमेंट लग जाए, इससे कौन सहमत हो सकता है।

इसके साथ-साथ आज इस बात की भी जरूरत है कि उन सब लोगों के आचरण की भी जांच की जाए जो एक तरफ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उनसे अनुचित लाभ उठाते हैं।

केवल पोलिटिकल ही नहीं, मान्यवर, गोयनका गुट की यह नीति हमेशा से रही है कि सरकार की आलोचना की जाए, उसमें विरोधी-दल उनका समर्थन करेंगे ही। यह नीति नई नहीं है, हर आदमी का कोई रास्ता होता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट यह तय करे कि लाभ कमाने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो, जिनके बारे में तमाम पेपर्स में आया है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को मान्यवर आपने देखा होगा, उन्होंने किस तरह से इसकी आलोचना की है। सारे हिन्दुस्तान की जो जन-भावना है, जन-मानस की भावना को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। यह ठीक है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की कुछ भी राय हो सकती है, लेकिन उसे बहुमत का निर्णय नहीं माना जा सकता। न्याय कभी भी अन्तिम नहीं होता, उसकी अपील भी की जा सकती है। यदि एक स्थान पर कोई हार जाता है तो दूसरे स्थान पर वह जीत जाता है, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अन्तिम नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह बहुमत का निर्णय नहीं है।

इन शब्दों के साथ, प्रो० मधु दण्डवते इस सदन में जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस सदन को श्री जगमोहन के कार्यों को देखते हुए उनकी महत्ता बताते हुए उनके प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिसके कारण भारत सरकार ने उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया है। आज हमें उसकी ताईद करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मैं फायदे में रही हूं। कोई भी मुझे सिकन्दर बख्त या श्री गोयंका का हिमायती नहीं मानेगा। और जैसा कि मैंने कई बार सभा में कहा कि मैं बिरला की हिमायती भी नहीं हो सकती, उस पृष्ठभूमि में मैं कहना चाहूंगी...

प्रो० मधु दण्डवते : वह आदर्श महिला हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, मैं माडल नहीं हूं। परन्तु यह सत्य है। स्थिति तो स्पष्ट है।

महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगी। किन्तु इस मुद्दे पर आने से पहले मैं कहूंगी कि मुझे श्री पनिका की इस बात पर आश्चर्य है कि उन्होंने इन लोगों पर रोष प्रकट किया जिन्होंने अतिक्रमण आदि किया और कहा कि इसको रोकना उनका राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। लेकिन मुझे निराश होकर कहना पड़ता है कि जब मैंने इस सभा में कई बार उस होटल के बारे में, जो हमारे संसदीय कार्यालय के सामने बनाया जा रहा है, बनाकर अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य का पालन किया है, उससे वास्तव में सारा रास्ता ही घिर गया है। उसे रास्ता रोकने का मामला नहीं माना गया है। अब इसके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप होटल मेरिडियन का जिक्र कर रही है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां। उस समय सभा में किसी तरह का रोष प्रकट नहीं किया गया जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी। यदि उस समय ऐसा किया गया होता तभी मैं उनके इस समय

के रोष को ठीक मानती। लेकिन मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि मैं श्री गोयंका के मामले में श्री सिकन्दर बख्त के आचरण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि वह संगत नहीं है। मैं सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध, विशेषकर यदि वे समृद्ध हों, कानूनी कार्यवाही किए जाने के पक्ष में हूं।

6.00 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन ऐसी कार्यवाही भी आपको कानूनी ढंग से करनी होगी। वह महत्वपूर्ण मुद्दा है।

जहां तक समानता का सम्बन्ध है, मुझे उस प्रश्न के बारे में पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं उस बारे में पहले ही कह चुकी हूं। जहां तक वैधता का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि विभिन्न न्यायाधीशों ने कई अभियोगों के सम्बन्ध में निर्णय दिए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कुछ टिप्पणियां केवल कुछ विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही नहीं अपितु सभी न्यायाधीशों द्वारा की गई हैं। समूचे न्यायपीठ द्वारा जो टिप्पणियाँ दी गईं, उस सम्बन्ध में दिए गए निर्णय पर मुझे विश्वास है। यहां प्रश्न मर्यादा का है। माननीय सदस्य, श्री सैफुद्दीन साहब पहले ही उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मुझे पुनः एक अन्य पैराग्राफ का जिक्र करना है, जो दिए गए निर्णय का ही एक अंश है और जिस पर सबने सहमति प्रकट की है। इसमें कहा गया है :

> "इस पुनरीक्षण याचिका को पूर्णतः गलत आरोपों के आधार पर दर्ज करना न्याय प्रक्रिया को बदलने का भोंडा प्रयास है।"

प्रश्न यह है कि यदि यह मामला सीधा-साधा होता तो उसे वैसे ही निपटा दिया जाता। झूठे आरोप लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या देश में उच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति के लिए यह उचित है कि वह इस तरह का आचरण करे? प्रश्न यह है। तीनों न्यायाधीशों द्वारा जो निर्णय दिया गया, उसका एक अंश यह है :

> "उन्होंने यह सुझाव देकर कि निर्णय की घोषणा करने में विलम्ब से प्रतिवादी द्वारा उल्लिखित कतिपय तथ्यों और निवेदनों पर न्यायाधीशों का ध्यान नहीं जा सका है, न्यायालय पर गम्भीर आक्षेप किया है और उनका यह आचरण वस्तुतः न्यायालय की भारी अवमानना है।"

प्रश्न उठता है कि ऐसे उच्चाधिकारी ने ऐसी टिप्पणियां क्यों कीं, जिनसे स्पष्ट रूप से न्यायालय का अवमान हुआ है। प्रश्न यह उठता है और मैं यहां श्री दण्डवते जी से पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे व्यक्ति को, जिसकी इतनी निन्दात्मक आलोचना हुई है, राज्यपाल के पद पर नहीं बने रहना चाहिए। यह उचित नहीं है। यदि आप श्री गोयनका के इस विशेष मामले के बारे में इतने ही चिंतित हैं तो ऐसा मामला चलाइए, सभी तथ्यों को सामने रखिए जिसका निश्चित रूप से न्यायालय समर्थन करे। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो बहुत अच्छा होता। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन काम करने का यह कोई तरीका नहीं है और यदि भविष्य में इस तरह का प्रयास किया जाता है तो इसका बहुत गम्भीर परिणाम होगा। अतः महोदय, इन आधारों पर मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतः

समर्थन करती हूं और मेरा विचार है कि इस व्यक्ति को इस उच्च पद से हटाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन का समय बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं, समय कितना बढ़ाया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब तक जगमोहन को हटाया नहीं जाता।

कुछ माननीय सदस्य : सदन का समय ½ घण्टा और बढ़ाया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, जितनी देर का निर्णय सदन करेगा।

एक माननीय सदस्य : हम इसकी अवधि 1½ घण्टा बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम रखेंगे। अब श्री किशोर चन्द्र देव बोलेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पहले मैं यह जिक्र कर दूं कि आज हम एक राज्यपाल के आचरण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं जबकि एक राजनीतिज्ञ की विश्वसनीयता ही संकट में है।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निंदात्मक टिप्पणियां की गई हैं और भूतपूर्व उप-राज्यपाल का जो व्यवहार है उससे यही पता चलता है कि विश्वसनीयता का यह भयंकर संकट राज्यपाल जैसे उच्च पद के सम्बन्ध में भी पैदा हो गया है।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने भूतपूर्व उपराज्यपाल के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणियां करते हुए अपने निर्णय में कुछ बातें कही हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह चर्चा श्री गोयंका के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच एक तरह से गालियों का आदान-प्रदान हो रहा है।

महोदय, यह खेद का विषय है कि इस चर्चा ने यह रूप ले लिया है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक विषय से ध्यान बंट जाएगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मामला श्री गोयंका या इण्डियन एक्सप्रेस या श्री सिकन्दर बख्त का नहीं है। महोदय, विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने संयुक्त रूप से तत्कालीन आवास और निर्माण मंत्री श्री सिकन्दर बख्त के विरुद्ध टिप्पणियां देने का प्रयास किया है। मैं यहां श्री गोयंका या श्री सिकन्दर बख्त का बचाव करने के लिए कुछ नहीं कहूंगा। श्री सिकन्दर बख्त गलती पर हो सकते हैं। जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है, वह चुनावों में जनता के न्यायालय में हार गए थे। फिर भी यदि वे सोचते हैं कि सिकन्दर बख्त ने गलती की थी और उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए तो उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हैं। आप जांच करवा के उन्हें दण्ड क्यों नहीं देते और उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते या फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते। यदि आपमें वैसा करने का साहस नहीं है तो सदन में चिल्लाइए मत और उनके विरुद्ध आरोप मत लगाइए। आपके पास सभी शक्तियां होते हुए भी आप उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : क्या आप चाहते हैं कि हम भी वही करें जो जनता सरकार ने किया था ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्योंकि जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा काम किया, इसीलिए उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भी सत्ता से हटना पड़ेगा । बातें करना आसान है । लेकिन आपको भी एक दिन ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, चूंकि मुझे निर्वाचित किया गया है, अतः मैंने जो कुछ भी कहा है, उसे सच मान लिया जाना चाहिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : श्री सिकन्दर बख्त के बारे में जो जिक्र किया गया, मैं केवल उसी का उल्लेख कर रहा हूं । मान लीजिए कि माननीय सदस्य ने श्री सिकन्दर बख्त के विरुद्ध जो कुछ कहा गया, वह सही है और यदि आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया था, वह गलत था, तो आप उन्हें दण्ड दे सकते थे । आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : इससे केवल आपका समय नष्ट होगा । आप विषय से हट रहे हैं ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरा सरकार पर यह आरोप है कि उन्होंने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसने दिल्ली की जनता के हितों के विरुद्ध इतना सब कुछ किया।

श्री वसन्त साठे : अभी आपने कहा कि हमें ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैंने कहा है कि यदि आपमें साहस है तो आप कार्यवाही कीजिए ।

श्री वसन्त साठे : श्रीमान किशोर, आप परस्पर विरोधी बात कह रहे हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : खेद है कि आप मेरी बात नहीं समझे । जनता सरकार ने कई आयोग नियुक्त किए किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा कहना यह है कि यदि आपमें साहस है तो कार्यवाही कीजिए । यदि आप भी जांच कराते हैं और आयोग बैठाते हैं तो आपका भी वही हश्र होगा जो जनता सरकार का हुआ। लेकिन आप भी कार्यवाही करने से डरते हैं। अतः आप यहां इस तरह के शब्द जाल में मत फंसिए। यदि आपमें साहस है तो आप सिद्ध कीजिए कि श्री सिकन्दर बख्त ने गलती की थी और फिर उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। बिना कार्यवाही किए यहां केवल चिल्लाने का कोई अर्थ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : इसका फैसला जनता करनी है, जनता ने फैसला कर दिया है, वह गलत थे ।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अध्यक्ष महोदय, उनके विरुद्ध सभी तरह के आरोप लगाना गलत है ।

श्री गोयनका इण्डियन एक्सप्रेस के मालिक हैं। यह मामला उनके खिलाफ है। परन्तु बिरला संसद सदस्य क्यों बन गये। किसने उन्हें बनाया है? ये लोग किसी के सौजन्य से विदेश गये थे जो कि बाद में जासूसी के मामले में पकड़ा गया था। सरकाम मैसर्स स्नाम प्रोगेती के माध्यम से देश को इटली के पास बेच रही है (व्यवधान) और आप गोयनका की बात कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित क्यों नहीं करते?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जब मुझे सम्बद्ध दस्तावेज मिल जायेंगे तो मैं संसद के सामने इन सब बातों का भंडा भोड़ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को सम्बोधित करिये।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष की तरफ देखिए। उनका व्यक्तित्व ज्यादा अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलमपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि वह तस्कर आपकी तरफ का कौन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : बिहार में सबसे बड़े तस्कर का सम्बन्ध इनसे है।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे देखने दीजिए कि बिहार में अब आपको कितने स्थान मिलते हैं। आप बढ़चढ़ कर क्यों बोलते हैं?

सिर्फ न्यायमूर्ति सेन ने ही कुछ टिप्पणियां नहीं की हैं अपितु न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने भी कहा है, मैं उद्धृत करता हूं :—

> "मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री जगमोहन, जिसे इसमें द्वितीय प्रतिवादी कहा गया है, न प्रथम याचिकाकर्त्ता को नोटिस जारी करवाने में अनुचित अभिरुचि दिखाई ओर उनका कृत्य, जिस पर विचार हो रहा है, प्रशासन के सामान्य मानक के अनुरूप नहीं है।"

हो सकता है कि श्री सिकन्दर बख्त सही न हों। परन्तु मेरा कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी गलत थे और जो कुछ उन्होंने किया वह सबसे ही खराब था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे जो कि उनके पास थे हीं वहीं। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने उन अधिकारों का उपयोग किया जो उनके पास थे हीं नहीं। अतः आप एक को दूसरे से नही काट सकते। अगर श्री सिकन्दर बख्त ने गलत काम किया है तो श्री जगमोहन ने जो कुछ किया

वह और भी गलत था। महोदय, इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि निन्दात्मक टिप्पणी को पारित किए जाने के बाद दो अधिवक्ताओं द्वारा पुनःरीक्षा याचिका दायर की गई थी। पुनःरीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, उसे रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था :

> "उपरोक्त दो पत्रों में जो आरोप लगाए गए हैं वे एकदम गलत तथा झूठे हैं। न्यायालय की कार्यवाही की पवित्रता पर आक्षेप करने के ऐसे प्रयासों को जब तक सख्ती से नहीं रोका जायेगा तब तक भारत के न्यायालय द्वारा निर्भीकतापूर्वक न्याय उपलब्ध कराना लगभग असम्भ हो जायेगा।"

जब सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगमोहन द्वारा दर्ज की गई पुनःरीक्षा याचिका को रद्द करते हुए सर्व-सम्मति से इस प्रकार की टिप्पणी की तो यह स्वाभाविक है कि उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण याचिका कितनी हास्यास्पद सिद्ध होती।

कुछ लोग समझते हैं कि हम प्रसिद्ध विधिशास्त्र हैं। वे यह भी समझते हैं कि हम न्यायाधीश हैं। मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हू। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह इस प्रकार है। यह श्री जगमोहन को पद से हटाने या न हटाने का प्रश्न नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्यपालों की नियुक्ति में क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं। किस आधार पर वे राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं ? यदि सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करने में कतिपय मापदण्ड, स्तर परिपाटी एवं परम्पराओं का ध्यान नहीं रखती तो यह संस्थान पूरी तरह नष्ट हो जायेगा। राज्यपाल पद की खोयी हुई विश्वसनीयता को पुनः वापस लाने के लिये जम्मू ओर काश्मीर के वर्तमान राज्यपाल को तुरन्त ही बरखास्त किया जाये।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह प्रस्ताव राजनैतिक रूप से प्रेरित है। यद्यपि श्री मधु दण्डवते ने इस आधार पर इसे उचित बताया है कि राज्यपालों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाने की स्थिति में उन्हें त्यागपत्र देकर उच्च परम्परायें स्थापित करने की आवश्यकता है। जनता शासन में मंत्री द्वारा इण्डियन एक्सप्रैस के मालिकों को इतनी रियायतें देने का औचित्य बताना ही इस प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य है, निर्माण सम्बन्धी रियायतों और परिवर्तन के लिए फीस के लगभग तीन करोड़ रुपये की वसूली माफ करने का प्रकट रूप से औचित्य सिद्ध करने की बजाय वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने और तत्कालीन जनता मंत्री द्वारा की गई गलतियों को दूर करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिये ही यह प्रस्ताव लाये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह यो नेचुरल है। वह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष पद से उन्होंने उचित विचार प्रकट किये हैं।

श्री शरद दिघे : उच्चतम द्वारा दी गई निदात्मक टिप्पणी पर ही यह प्रस्ताव मुख्य रूप में आधारित है। मेरी राय में प्रो० मधु दण्डवते ने पुनरीक्षण याचिका से उत्पन्न निर्णय को लेकर नहीं

बल्कि मुख्य निर्णय में निंदात्मक टिप्पणी को ही अपना मुख्य आधार बनाया है। जहां तक मुख्य निर्णय का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन यह है कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि समग्र निर्णय इस मामले में प्रस्तुत होने वाले वकील द्वारा दी गई रियायतों पर आधारित है।

श्री वसंत साठे : ऐसा कहा गया था।

श्री शरद दिघे : यह सर्वमान्य कानून है कि किसी मामले में प्रस्तुत वकील द्वारा दी गई रियायतों को आधार बनाकर जब निर्णय दिया जाता है तो यह कानून का रूप धारण नहीं करता है। जहां तक कानून का सम्बन्ध है, इन निर्णयों का कोई महत्व नहीं है। उनका कोई सिद्धान्त नहीं होती है, उनसे किसी कानून की स्थापना होती है।

जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, इस मामले में पेश होने वाले वकील द्वारा दी गई रियायतों से ही यह तथ्य प्रकट होते हैं। अतः मेरी राय में न्यायालय ने कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाले हैं क्योंकि वे मामले में पेश होने वाले वकील द्वारा दी गई रियायतों पर ही मुख्य रूप से आधारित हैं।

इन रियायतों का आगे क्या हुआ? इस मामले में पेश वकील द्वारा ही बाद में इनसे इंकार कर दिया गया। वे सुप्रसिद्ध वकील थे। उच्चतम न्यायालय में यदा-कदा पेश होने वाले वकील में इनकी गिनती नहीं होती। वे उच्चतम न्यायालय में पेश होने वाले वरिष्ठ वकील थे जो इन न्यायाधीशों के सामने पेश होते रहते हैं। उन्होंने लिखित रूप में जब यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह रियायतें नहीं दीं तो इन सम्मानीय व्यक्तियों की बात का महत्व हमें स्वीकार करना चाहिये। अतः उन कुछ रियायतों को आधार मानकर दिये गये निर्णय का महत्व ही समाप्त हो जाता है, जिन्हें न्यायाधीशों के समक्ष पेश होने वाले वकीलों ने लिखित रूप ने अस्वीकार कर दिया।

इसलिये इस निर्णय में किसी भी मुद्दे का निर्णय नहीं किया गया। इसमें निंदात्मक टिप्पणियां दी गई हैं लेकिन इन टिप्पणियों का आधार कुछ रियायतें है। इन निंदात्मक टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है? मुख्य निर्णय में दी गई निंदात्मक टिप्पणियों पर सब न्यायाधीशों ने नहीं की है। केवल एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सैन ने ही ऐसा किया है। अन्य न्यायाधीश इस विषय में मौन हैं। यदि तीन न्यायाधीशों में से···क्यों,

प्रो० मधु दण्डवते : इनमें "सैन" ने ही किया है। मैं आपको उनका नाम बताता हूं। यह "सैन" हैं।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : यह गलत है क्योंकि इसे लिखा नहीं जा सकता है। यह दूसरे न्यायाधीशों पर लांछन है। विनोद में आप इसे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इसे ठीक कर दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनके विनोद का आनन्द उठाइये।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे : मैं यह कर रहा था कि एक न्यायाधीश ने ही निंदात्मक टिप्पणी की है। अन्य न्यायाधीश मौन हैं। यदि निर्णय सही ढंग में पढ़ा जाये तो दूसरे न्यायाधीशों ने इसविषय में आगे सुनवाई के लिए कहा है और उन्होंने निर्णय दिया है कि सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही कर सकती है। यदि श्री जगमोहन को अधिकार नहीं है तो सरकार को तो अधिकार प्राप्त है। अतः सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही कर सकती है और यह विषय अभी भी विचाराधीन है। निर्णय में यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मुख्य निर्णय में न्यायमूर्ति सैन की निंदात्मक टिप्पणियों का अधिक महत्व नहीं है।

जहां तक पुनरीक्षण निर्णय में दी गई निंदात्मक टिप्पणियों का सम्बन्ध है तो उनका आधार वकीलों द्वारा दी गई रियायतें हैं। क्या यह रियायतें दी गईं अथवा नहीं दी गई? पुनरीक्षण मामलों में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वकीलों की ओर से पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस पर खीज गए और उन्होंने कहा कि यह सही प्रक्रिया नहीं है। वकीलों को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए। वकील को उनके समक्ष शपथ-पत्र दाखिल करना चाहिए कि उन्होंने इससे इंकार कर दिया है। अत: यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है रियायतों से इंकार करने का तरीका क्या हो, यह एक प्रक्रिया का मामला है।

उच्चतम न्यायालय ने सारे मामले में कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है कि केवल पत्रों द्वारा रियायतों से इंकार नहीं किया जा सकता है और यह पत्र भी श्री जगमोहन को दे दिए जबकि वह उनका मुवक्किल नहीं था। ये तकनीकी बातें उच्चतम न्यायालय के सामने आईं और उन्होंने पुनरीक्षण निर्णय में यह कहा कि जिन पत्रों में रियायतों से इंकार कर दिया गया है, वही याचिका का आधार हैं। इसलिए यह उचित नहीं है। यह कानून के अनुसार नहीं है और इसलिए पुनरीक्षण निर्णय में कुछ निन्दात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

मेरा अनुरोध है कि रियायतों के बारे में ही फैसला दिया गया है; और इसी बात का ही संदेह है कि वे रियायतें दी भी गई थीं या नहीं और यह बात वकीलों ने स्वयं ही लिखित रूप में पूर्णतः अस्वीकार की है कि यह संदेहास्पद है कि ये रियायतें दी गई थीं अथवा नहीं। अत: मेरे विचार से एक तरह से यह निर्णय पूर्णतः आधारहीन है तथा इसलिए राज्यपाल को हटाने के लिए उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल को हटाने की बात कोई साधारण बात नहीं हैं। राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। कुछ निंदात्मक टिप्पणियां रियायतों पर दिए गए निर्णय पर आधारित हैं और वे रियायतें दी ही नहीं गई हैं तथा सभी कुछ संदेहास्पद है और इस तथ्य के आधार पर कि निर्णय दो वर्षों बाद दिया गया था, यह सही है इसीलिए मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप नहीं लगाता क्योंकि वे भी मनुष्य हैं। सुनवाई के दो वर्ष बाद निर्णय दिए जाने की स्थिति में यह सम्भव है कि न्यायाधीश कुछ भूल जायें, तथ्यों के बारे में उन्हें कोई भ्रांति हो जाए, इन बातों के सम्बन्ध में वे गलती कर सकते हैं…(व्यवधान) उनके पास लिखित टिप्पणियां हो सकती हैं– मैं इसे अस्वीकार नहीं करता। किन्तु केवल टिप्पणियों और स्मृति के आधार पर कुछ

बातों पर विश्वास करके यदि निर्णय दिए जायें, तो यह नितांत सम्भव कि कहीं कोई न कोई गलती हो सकती है। चाहे वह गलती न्यायाधीश करे अथवा वकील करे······

श्री वसन्त साठे : मानव गलतियों का पुतला है।

श्री शरद दिघे : इसीलिए, ये सब गलतियां···

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु श्री जगमोहन ने कोई गलती नहीं की।

श्री शरद दिघे : इसलिए यदि कोई निर्णय इन संदेहास्पद तथ्यों के आधार पर लिया गया है तो गलती होना स्वाभाविक है, अतः निर्णय के आधार पर राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग करना मेरे विचार से नितांत अनु ित है। इसलिए, मेरे विचार से यह प्रस्ताव इस निर्णय के आधार पर रखा गया है, जो वास्तव में निर्णय है ही नहीं···

प्रो० मधु दंडवते : उनके अनुसार यह उनकी समझ की गलती है।

श्री शरद दिघे : अब इस मामले में, वास्तविक प्रश्न यह है कि निंदात्मक टिप्पणियों के अतिरिक्त उपराज्यपाल पर और क्या आरोप है? न्यायालय को केवल यह निर्णय लिया है कि उसने उन शक्तियों का उपयोग किया था जो उसके पास नहीं थीं। चरित्र से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं है। उसके विरुद्ध चरित्रहीनता सम्बन्धी किसी कार्य का आरोप नहीं है। उन्होंने चरित्रहीनता का कोई कार्य नहीं किया है। कोई भी प्राधिकारी कभी-कभी उन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे में उसे यह विश्वास होता है कि वे शक्तियां उसे प्राप्त हैं किन्तु अन्ततोगत्वा न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वे शक्तियां उसे प्राप्त नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इनका प्रयोग दुर्भावना से किया गया है।

इसलिए, मेरा निवेदन है कि यह सारी बातें संदेहपूर्ण हैं और अन्ततोगत्वा न्यायालयों ने भी यही परामर्श दिया है कि यदि सरकार चाहे तो इन सब मामलों में कार्यवाही कर सकती है।

अन्त में, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि संवैधानिक रूप से भी यह मुद्दा बहुत ही विवादास्पद होगा कि उपराज्यपाल को उस समय निष्कासित करने की कार्यवाही की जाए, जबकि वह दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं हैं। इस समय वह जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल हैं, इसलिए प्रश्न यह उठता है कि ऐसे राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करना संवैधानिक दृष्टि से ठीक है जो उस पद पर है ही नहीं और इस दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव ठीक नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) **:** मैं असमंजस में हूं क्योंकि इस अवधि में श्री जगमोहन दो पदों पर रहे।

अध्यक्ष महोदय : आपका सम्बन्ध केवल इस प्रस्ताव से है।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु श्री जगमोहन उनके साथ हैं।

एक माननीय सदस्य : इससे दूसरी स्थिति और भी असुरक्षित हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : विषयान्तर न करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब मैं 2 जुलाई, 1984 को याद करता हूं तो मैं यह महसूस करता हूं कि उनको संवैधानिक रूप से चुनी गयी सरकार को नहीं हटाना चाहिए था।

(व्यवधान)

मैं उपराज्य वाले विषय पर ही आ रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि उन्हें पहले हटा दिया गया होता, तो वह वहां के राज्यपाल नहीं बन सकते थे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं राज्यपाल के बारे में कह रहा था और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 2 जुलाई की उनकी कार्यवाही से हमें श्री जगमोहन से शिकायत है। उपराज्यपाल श्री जगमोहन के सम्बन्ध में मुझे इन दो निर्णयों का अध्ययन करना पड़ा। मेरी आत्मा को धक्का लगा था और इसीलिए मैंने उत्तर दिया था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उच्चतम न्यायालय ने गहराई के साथ और पैनी दृष्टि से तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।

प्रो० मधु दण्डवते : काश्मीर के आधार पर आप उन्हें हटा सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस कार्य को भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता हूं। महोदय 7 अक्तूबर में दिए गए इस निर्णय के बाद से समाचार पत्रों में अनेक बातें प्रकाशित हुई हैं और अब मैं महसूस करता हूं कि दो निर्णय हुए हैं, एक निर्णय 7 अक्तूबर को दिया गया था और बाद में दूसरा निर्णय पुनरीक्षित याचिका के सम्बन्ध में दिया गया था। मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसे अनेक मामले हैं जिन पर ध्यानपूर्वक और गहराई के साथ संवीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं श्री फैलीरो के इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय एक संसदीय समिति गठित करें जो निर्णयों से उत्पन्न विभिन्न मामलों की छान-बीन करे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें श्री जगमोहन को भी शामिल किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपराज्यपाल के रूप में उनके आचरण की छान-बीन की जाए। न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है और चूंकि मैंने दोनों निर्णयों का अध्ययन किया है, अत. मेरी समझ में यह नहीं आया कि न्यायाधीश इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे पाए। मेरे कुछ साथियों ने हमारा इन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है और मैं इनमें से दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

तत्कालीन निर्माण मंत्री ने अनुमति दी थी और वह बिल्कुल भी अवैध नहीं थी और इसके अलावा जब उन्होंने एक्सप्रैस बिल्डिंग का निर्माण कराया तब एक्सप्रैस वालों ने पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था और न ही उनका विचार सरकार को परिवर्तन शुल्क अदा करने का था। श्री पनिका ने ही यह सुझाव दिया था कि जगमोहन ने ही इसकी ओर ध्यान दिया और खजाने में जो 3.3 करोड़ रुपए आए उसका श्रेय श्री जगमोहन को ही दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया ? परिवर्तन शुल्क अदा नहीं किया गया था। कहां पार्किंग के लिए स्थान नहीं था। अनुमति गलत दी गई थी और रोक आदेशों के बीच निर्माण कराया गया था। भूतलक्षी तारीख से इसे किस प्रकार नियमित किया गया था? इस प्रकार तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के रोक आदेश के अधीन किसी भी भवन का निर्माण करा सकता है।

अब, जबकि न्यायालय इस मुद्दे में फंस गया कि क्या उपराज्यपाल को नजूल की जमीन का लेन-देन करने का अधिकार था या नहीं, जबकि उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका सम्बन्ध जैसा कि मैं तथ्यों से पाता हूं केवल यही था कि क्या श्री जगमोहन को यह प्राधिकार प्राप्त था अथवा नहीं और इसने इस बात की चिन्ता नहीं की थी कि दिल्ली में मास्टर प्लान के अथवा नगर पालिका कानूनों का उल्लंघन किया गया था या नहीं और जिस क्षेत्र में इस भवन का निर्माण किया जा रहा था वह सार्वजनिक हित में था अथवा नहीं।

महोदय, जहां तक उस अधिसूचना का सम्बन्ध है, जिसमें उपराज्यपाल को प्राधिकार दिया गया था, न्यायालय ने इस अधिसूचना की उपेक्षा कर दी थी। यह अधिसूचना मैंने देखी है और इस पर सम्माननीय सभा को विचार करना चाहिए।

7 सितम्बर, 1966 को जारी अधिसूचना सख्या 40 के अन्तर्गत उपराज्यपाल को भूमि और भवन विभाग से सम्बन्धित कार्यों/विषयों को निपटाने की शक्तियां प्राप्त थीं। उन्हें नाजुल भूमि की लीज के विषय में अधिकार प्राप्त था।

ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश अब श्री जगमोहन के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। श्री जगमोहन की भर्त्सना करने से उनके दोहरे मापदण्ड का परिचय मिलता है। न्यायाधीशों ने वकीलों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। एक शब्द भी श्री एल० एम० सिंघवी या श्री भंडारे अथवा श्री सिंहा के विरुद्ध नहीं कहा है। आखिर ये दोगली बात क्यों? लोग इस बात से बहुत दुखी हैं। इससे जनता के मन में शंका उत्पन्न हुई है और लोग दुःखी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोग पक्ष को दंड देने में शीघ्रता तथा वकीलों को, जिनके माध्यम से अभियोग पक्ष अपना पक्ष रखता है, सजा देने में हिचकिचाहट दिखायी है। यह दोहरा मापदंड मेरी समझ से बाहर है। प्रो० मधु दण्डवते, कृपया मुझे विश्वास में लीजिए और इस स्थिति को समझें।

एक बात से न्यायाधीश भी दुःखी हैं। वे महसूस करते हैं कि श्री जगमोहन ने यह वक्तव्य क्यों दिया। मुझे मालूम है श्री जगमोहन ने एक वक्तव्य दिया जो फैसला देने में हुई देरी से सम्बन्धित था। माननीय न्यायमूर्ति इस नम्र निवेदन करने पर भी नाराज थे कि मामले की सुनवाई 22 सितम्बर, 1983 को पूरी हो गई थी किन्तु मामले में दो वर्ष बाद 7 अक्तूबर, 1985 को निर्णय दिया गया है। इस विनम्र निवेदन पर कि न्यायाधीश महोदय मामले के गुण-दोषों का विवेचन करें और निर्णय देने में देरी क्यों हुई, नाराज होने की बात समझ में नहीं आती। यह न्यायपालिका की तानाशाही है।

[हिन्दी]

सर, इस वक्त मुझे एक शेर याद आता है जो जगमोहन को कहना चाहिए—

[سر، اس وقت مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو جگموہن کو کہنا چاہیے۔]

[अनुवाद]

उन्होंने न्यायाधीशों को अपने वक्तव्य में स्मरण कराया है। मैंने वह वक्तव्य ध्यान से पढ़ा है। वह वक्तव्य मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद, जो एक बहुत लम्बी

अवधि थी, माननीय न्यायाधीशों को वकीलों द्वारा दी गई दलीलें तथा बातें याद न रहें। श्री जगमोहन ने नम्र निवेदन किया था कि न्यायाधीश कृपया मामले के गुण-दोषों पर गौर करें। परन्तु न्यायाधीशों ने मामले के गुण-दोषों पर गौर करने से इंकार कर दिया और वे समझते हैं कि विनम्र निवेदन न्यायालय की मानहानि है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह शेर क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हद चाहिए सजा में अक्वीयत के वास्ते ॥
आखिर गुनहगार हूं काफिर नहीं हूं मैं ॥

[حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے
آخر گنہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں ۔]

[अनुवाद]

अब आप देखें उन्हें स्मरण कराया गया कि फैसले में विलम्ब हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति नाराज हो गए और उनके विचार से यह न्यायालय की मानहानि का मामला था। अगर फैसलों में देरी की बात करें, वह न्यायालय की मानहानि है, तो हम सबको—क्योंकि हम महसूस करते हैं कि न्यायाधीश अपने फैसले देने में विलम्ब करते हैं—जेल में होना चाहिए, उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जो संसद के बाहर हैं। मैंने फैसले की भावना को समझने की कोशिश की है। परन्तु ये मेरे निष्कर्ष हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय न्यायमूर्ति ने गहराई में जाकर मामले के गुण-दोषों का अध्ययन करने से इन्कार कर दिया। अब इस बात में न्यायालय के दायित्व का प्रश्न उठता है।

[हिन्दी]

क्या जज की आजादी है कि वह हर किसी की टोपी उतार सकता है।

[کیا جج کی آزادی ہے کہ وہ ہر کسی کی ٹوپی اتار سکتا ہے؟]

[अनुवाद]

महोदय, मैंने इस सभा में यह कहा है कि इसका श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को जाता है जिन्होंने इस माननीय सभा को यह निर्णय नहीं लेने दिया कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है अथवा संसद। संसद कानून बनाने वाली संस्था है और इसलिए सर्वोच्च है; परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू ने न्यायपालिका सर्वोच्च है अथवा संसद पर निर्णय करने वाली चर्चा नहीं होने दी। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह चाहते थे कि इस देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार न्यायपालिका हो परन्तु वह जानते थे कि संसद सर्वोच्च है। परन्तु इन दो फैसलों में तथा एक पूर्व फैसले में, मैं जानता हूं कि कई माननीय सदस्य मुझसे भिन्न मत के होंगे, अर्थात्, शाहबानो का मामला, (मैं किसी प्रकार

के रूढ़िवाद का समर्थन नहीं करता चाहे वह मुस्लिम रूढ़िवादिता हो अथवा हिन्दू रूढ़िवादिता ।) मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे निर्णय नहीं थे । न्यायाधीशों को भी किसी संस्था के प्रति जबाबदेह होना चाहिए । इस प्रश्न पर किसी दिन निर्णय किया जायेगा । वे कह सकते हैं कि 'क' या 'ख' अथवा 'ग' ने न्यायालय की मानहानि की है और वे कटु आलोचना करते चले जाएं, परन्तु कभी, किसी दिन, किसी व्यक्ति, किसी संस्था द्वारा न्यायाधीशों से पूछा जाना चाहिए कि वे अमुक मामले के बारे में सही हैं अथवा गलत ।

मैंने अभी-अभी शाहबानो मामले का जिक्र किया । जब मैंने उस फैसले को पढ़ा तो प्रथम तीन पंक्तियों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न्यायाधीशों ने समाज सुधारकों की भूमिका अपना ली है । क्यों ? वे कह सकते थे कि शाहबानो निर्वाह भत्ते की अधिकारी हैं । बिल्कुल ठीक है । मौलाना युसुफ अली ने कहा कि इस विषय पर दो रायें हैं और श्री आरिफ मोहम्मद खां ने मौलाना युसुफ अली द्वारा अनुवाद की गई कुरान से ही उद्धृत किया कि निर्वाह भत्ता तब तक दिया जा सकता है जब तक कि वह औरत फिर से शादी न कर ले । राय में भिन्नता है, वे उसे उद्धृत कर सकते थे, परन्तु उन्होंने देश की एकता की बात की । वे राजनैतिक नेता नहीं हैं; न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करनी होती है वे ऐसे कार्यों में रुचि नहीं ले सकते कि वे किसी प्रकार से सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं । यह एक अलग विषय है; यह विषय हमारा है । हम लोगों के नेता हैं । जहां तक शाहबानो मामले के फैसले का सम्बन्ध है इस विषय में मेरा मत भिन्न है ।

अन्ततः, उन्हें किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में न्यायपालिका के प्रति सम्मान नहीं है । मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका स्वतन्त्र हो; मैं चाहता हूं कि कार्यपालिका शक्तिशाली हो और ईमानदार भी, तथा मैं चाहता हूं कि संसद अपने कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो । अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है ।

अब मैं अपने अन्तिम निष्कर्ष पर आता हूं । माननीय सदस्य देखेंगे और अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस निर्णय में एक ऐसा हिस्सा है जिस पर मैं आपका विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप उसे देखें कि निर्णय में क्या लिखा है । श्री गोयंका के प्रति उन्हें बहुत सहानुभूति है । मैं पूरे पैराग्राफ को न पढ़कर कुछ वाक्य पढ़ता हूं :

> "कांग्रेस सरकार एक दशक से भी अधिक समय से प्रार्थियों (श्री रामनाथ गोयंका और एक्सप्रैस समाचार पत्रों) के प्रति वैर-भाव रखते हुए भी और उसने कई प्रकार से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की है ।"

इसमें आगे कहा गया है :

> "कांग्रेस सरकार का वैर-भाव प्रार्थियों (रामनाथ गोयंका और एक्सप्रैस समाचार पत्रों) के प्रति गुजरात और बिहार आंदोलन के शक्तिशाली बनने के पश्चात और बढ़ गया । प्रार्थी संख्या 3 (रामनाथ गोयंका) के स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण के साथ गहरे सम्बन्ध होने के कारण श्री जयप्रकाश नारायण को बिहार आन्दोलन से हटने के लिए प्रेरित करने के

लिए प्रार्थी का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। सरकार की ओर से अनुनय करने के लिए प्रार्थी के मना करने के बाद जांच-पड़ताल और बढ़ा दी गई और दोनों, रामनाथ गोयंका का तथा एक्सप्रेस ग्रुप की कम्पनियों पर दबाव डालने एवं उत्पीड़ित करने की कोशिश की गई।

आंतरिक आपातकाल के दौरान जन-संचार के दुरुपयोग पर भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1977 में जारी श्वेत पत्र से कुछ तथ्यों का पता चलता है। राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के बाद कानूनी प्रक्रियाओं, सुस्थापित परम्पराओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं को ताक पर रखकर एवं अधिकार और शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा विभिन्न दमनकारी कृत्य एक्सप्रेस ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध शुरू किए गए।"

इन परम्पराओं को पढ़कर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जगमोहन सर्वोच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों एवं कांग्रेस दल की परस्पर लड़ाई की चपेट में आ गए परन्तु इन पैराग्राफों से जो बात मैं साबित करना चाहता हूं, वह है कि न्यायाधीशों को श्री गोयंका के साथ बहुत अधिक सहानुभूति है। मैं मानता हूं कि वह एक योद्धा थे। श्री जयप्रकाश नारायण का सम्बन्ध है मेरे दिल में उनके प्रति अपार सम्मान है; वह अपने समय के सबसे बड़े देशभक्त थे जहां तक आपातकाल का सम्बन्ध है, यह सही है कि गोयंका उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वे इसके लिए उन्हें स्वर्णपदक पुरस्कृत कर सकते थे। जम्मू और कश्मीर में हम भी अपने लिए एक स्वर्णपदक ले सकते थे क्योंकि जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वहां पर आपातकाल की कभी भी स्वीकृति नहीं दी। हमारे यहां एक ईमानदार और अनुशासनप्रिय सरकार थी और शेख साहिब ने जम्मू और काश्मीर में कभी भी आपातकाल की स्वीकृति नहीं दी। अगर न्यायपालिका गोयंका के आपातकाल के दौरान के गुण-दोषों का जानना चाहती है, अथवा उसकी जयप्रकाश नारायण के प्रति मित्रता अथवा समर्थन के बारे में जानना चाहती है तो वह उसके लिए एक स्वर्णपदक की मांग कर सकती थी।

लेकिन जहां तक इस मामले के गुण-दोषों का सम्बन्ध है, श्री गोयंका एवं उनके एक्सप्रेस अखबारों ने कई गलतियां की थीं। उन्होंने स्थगन आदेश होने पर भी भवन निर्माण किया और उन्होंने परिवर्तन शुल्क भी सरकार को नहीं चुकाया, और वर्तमान स्थिति यह है कि इस क्षण तक वह पैसा अर्थात् 3.30 करोड़ रुपया नहीं चुकाया गया है।

श्री बसन्त साठे : यह उनका स्वर्णपदक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब मैं एक्सप्रेस भवन को देखता हूं तो पाता हूं कि उसमें घूमने के लिए भी स्थान नहीं है। सड़क जनता की है और सड़क का इस्तेमाल गाड़ियां खड़ी करने के लिए किया जाता है। श्री गोयंका और अन्य लोगों को उस सड़क में गाड़ी खड़ी करने का स्थान बना देने का क्या अधिकार है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब यह भवन एक व्यापारिक सस्थान है। मैं एक बार एक प्रैस भवन में गया। मुझे इसके सम्माननीय संपादक से मिलना था और उनका कमरा एक शयनकक्ष के ठीक दूने आकार का था। और वह सम्पादक एक बहुत बड़े आदमी हैं। इसीलिए एक्सप्रेस स्टाफ के लिए कोई जगह नहीं है। वे उस तल के केवल एक भाग में सिमटे पड़े हैं। भवन का बाकी भाग किराए पर दे दिया गया है। किसी ने मुझे बताया कि श्री गोयंका सालान एक करोड़ रु०

से भी अधिक उस भवन से किराया कमाते हैं। खैर, श्रीमान्, मुझे नहीं मालूम। न्यायाधीशों को ज्यादा सही मालूम होगा। वाणिज्यिक पहलू क्या है ? न्यायाधीशों ने इन सब बातों पर विचार करने से क्यों मना कर दिया।

श्री बसन्त साठे : उन्हें ही ज्यादा अच्छा मालूम होगा।

प्रो० सैफुद्दीन चौधरी : मैं श्री गोयंका के विषय में कहते समय एक चीज का उल्लेख करना भूल गया।

[हिन्दी]

सजा और जजा अलग चीजें हैं। सजा भी दो और जजा भी दो।

[سزا اور جزا الگ چیزیں ہیں۔ سزا بھی دو اور جزا بھی دو۔]

[अनुवाद]

श्री गोयंका के गुणों के यदि आप कायम हो गए हैं तो ठीक है। आपातकाल लागू करना कोई अच्छी चीज नहीं थी। हमने इसका विरोध किया था। हमारे प्रतिनिधि उस समय थे श्री शमीम अहमद शमीम और उन्होंने इसका विरोध किया था। आप इस विषय पर श्री खुशवन्त सिंह का रुख पढ़ सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा हमारे साहब ने कभी भी आपातकाल को स्वीकार नहीं किया। यदि श्री गोयंका आपातकाल के विरुद्ध थे तो गोयंका जिन्दाबाद, इस बात के लिए उन्हें एक पदक दीजिए। लेकिन उन्हें इस बात के लिए दण्ड दीजिए कि वे उस पैसे को रोके बैठे हैं जो भारत की जनता का है। अब श्रीमन् मैं यह सुन रहा हूं कि श्री जगमोहन ने जल्दबाजी में काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शैली का अंग है निर्णय शीघ्र लेना, लेकिन इस मामले में "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" ने मुझे जानकारी दी है। 18 नवम्बर को मैंने एक लेख पढ़ा। मैं नहीं जानता कि ये तथ्य सही भी हैं या नहीं। आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या ये यर्थ्य सही हैं। मैंने उस लेख में पढ़ा कि श्री जगमोहन ने अपने पद का भार 7 फरवरी, 1980 को लिया और एक्सप्रैस अखबार ने न्यायालय से स्थगन आदेश 7 अप्रैल, 1980 को किया था। 49 दिनों की इस अवधि के दौरान भवन को तोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। क्या उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया ? यह तय करना इस सम्माननीय समान का काम है।

श्रीमान् मैं यह समझता हूं कि श्री जगमोहन को हटाने की यह मांग मेरी राय में औचित्यहीन है और केन्द्र सरकार या जो भी कोई सत्ता, तथा न्यायपालिका—दोनों को कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या काश्मीर में कोई अवसर है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं नहीं जानता। मैंने कहा है कि 2 जुलाई के दिन उन्होंने विधि सम्मत ढंग से चुनी सरकार को उर्खास्त कर दिया। इस समय हम दिल्ली के उपराज्यपाल पर बहस कर रहे हैं।

अन्त में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को विनम्रतापूर्वक सुझाव देता हूं, और यह जनहित में भी है कि एक संसदीय समिति बनाई जाए और सभी राजनैतिक दलों से उस समिति के लिए सदस्य

नामांकित किए जाएं। हमें कम से कम यह देखना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली किस प्रकार काम कर रही है। मैं एक संसदीय समिति चाहता हूं क्योंकि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि न्यायाधीशों ने वास्तविक मुद्दों पर गहराई से विचार नहीं किया है। मुझे यह नहीं कहना है कि उन्होंने समय को बर्बाद कर दिया क्योंकि मेरे मन में न्यायपालिका के प्रति पूरी इज्जत है। न्यायपालिका ऊपर उठकर एक स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि कुछ न्यायाधीश ऐसी चीजें भी करते हैं जो सुरुचि-पूर्ण नहीं हैं लेकिन कुल मिलाकर हमारी न्यायपालिका ने एक उच्च स्तर बनाए रखा है। मैं यह कहूंगा कि इस मामले में बाह्य मुद्दों पर ही उन्होंने समय बर्बाद कर दिया और वास्तविक मुद्दों पर गहराई में नहीं पहुंचे। इसलिए हमें संसदीय समिति बनानी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी न्याय प्रणाली किस तरह काम कर रही है।

श्रीमान् अब जब मैं समाप्त करता हूं तो मैं यह महसूस करता हूं कि श्री जगमोहन को दो पंक्तियां, यह कहनी चाहिएं जो कि फारसी में हैं। उन्हें न्यायपालिका को सम्बोधित करते इन्हें कहना चाहिए। मैं इसका फारसी में अनुवाद करूंगा। अकबर के समय में फैजी काजियों से तंग आ गए थे।

फैजी बहुत प्रगतिवादी थे और अकबर भी ऐसा ही था। वह तत्कालीन काजियों से तंग आ गए थे क्योंकि उसने पाया कि वे दंभी और पाखंडी हो गए थे जो कि गैर-इस्लामी बातें हैं। यह मौलाना आजाद द्वारा "ताजकिरा" में उद्धृत किया गया है। यह उच्च साहित्यिक स्तर की एक शानदार किताब है।

मैं उर्दू में अनुवाद नहीं करूंगा। मैं फारसी में ऐसा अनुवाद करूंगा जो आप समझ सकेंगे।

जबान कशीदा बदारूलकफाए अजब वरिय
शहदे किज जि दावा गराने इयानी
अगर हकीकत, इस्लामी दर जहां ईं अस्त
हजार खन्दा-ए-कुफ़्र अस्त बर मुसलमानी।

इन अश'आर के स्प्रिट का तर्जुमा फ़ार्सी में यह होगा :

चू कुफर अज काबा बर खेजद
कुजा मानद मुसलमानी।

[زباں کشیدہ بدار القفائے عجب دریا   شہید کذب ز دعوی گراں ایمانی
اگر حقیقت اسلامی در جہاں ایں است   ہزار خندہ کفر است بر مسلمانی!

اِن اشعار کے اسپرٹ کا ترجمہ فارسی میں یہ ہوگا۔

[چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی]۔

*फारसी में बोलें।

[हिन्दी]

अगर (खुदा नाखास्ता) काबे से ही कुफर पैदा होगा तो मुसलमानी कहां रहेगी ।

[اگر خدانخواستہ کعبہ سے ہی کفر پیدا ہوگا تو مسلمانی کہاں رہے گی؟]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह ठेठ फारसी है, कोई भी कुछ नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे समझ गए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने इसे अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचा दिया जो कि इसे समझ गए ।

डा० दत्ता सामन्त (दक्षिण मध्य बम्बई) : श्रीमान्, बड़े पूंजीपति घरानों द्वारा राजीतिक दलों को प्रभावित करने का यह एक बड़ा मजेदार मामला है । हम देखते हैं कि अखबारों के मालिक, राजनैतिक दलों को किस प्रकार अच्छे रूप में या बुरे रूप में प्रभावित कर रहे हैं। यह एक ठोस उदाहरण है । मैं आप लोगों के सम्मुख उस बात को रखना चाहूंगा जो 30 वर्ष पूर्व हुई थी। निगम द्वारा दो भू-खण्ड दिए गए। मेरे विचार से उस समय श्री फिरोज गांधी इस समूह के चेयरमेन थे । भूखण्ड निर्माण के लिए नहीं था और दूसरा भूखण्ड श्री गोयंका द्वारा निर्माण हेतु प्रयोग किया जाना था। 1970 से यानि लगभग 10 वर्ष से वह अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस सरकार से अपनी बात मनमाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वह निगम के जो मान्य नियम हैं; उनको लागू न करें । उस भूखण्ड का प्रयोग करने का अधिकार उन्हें दे दें। लेकिन इस बात की अनुमति नहीं दी गई ।

श्रीमान् मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि यह सच है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि उस भूखण्ड पर निर्माण कार्य के बारे में दिल्ली नगर निगम के नियम और कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए । लेकिन श्रीमान् इन्हीं श्री गोयंका को महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री द्वारा 5000 वर्ग गज का टुकड़ा दे दिया गया । मैं नाम नहीं लेना चाहता । वे जिन्दा नहीं हैं । उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय के ठीक सामने 30 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस भवन का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई । इसलिए मैं कहता हूं कि ये अखबारों के मालिक राजनैतिक दलों को प्रमाणित कर रहे हैं । यह एक ठोस उदाहरण है ।

महोदय, मैं अपने सहयोगी प्रो० मधु दण्डवते से क्षमायाचना करते हुए कहूंगा कि जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो दो दिन के अन्दर ही श्री सिकन्दर बख्त ने एक छोटे प्लाट पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी । उस समय आवास सचिव और अन्य अधिकारी तक विरोध कर रहे थे कि यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद अनुमति दी गई और 3 करोड़ रुपये के अन्य शुल्क का भुगतान भी नहीं करने दिया गया। उस समय श्री सिकन्दर बख्त और अधिकारियों के बीच इस पर मतभेद था । उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और श्री जगमोहन को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया । महोदय, मैंने निर्णय को पढ़ा है और पूछताछ भी की है । रविवार 17 फरवरी को जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो यह देखने की बात है कि दो घंटे बाद, उन्होंने किस तरह प्रेस पर दबाव

डालने के लिए अपनी राजनैतिक सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि प्रेस उनकी नीति के अनुसार काम नहीं कर रही थी। यही आरोप है 2 बजे अधिकारियों को बुलाया गया। अगले दिन फाइलें भी मंगा ली गईं। कुछ इंजीनियर मौजूद नहीं थे तो उनके कार्यालय के कमरे तोड़कर खोले गए और फाइलें निकाली गईं। 1 मार्च, 1980 को एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। एक घंटे के अन्दर ही इसकी घोषणा रेडियो और टेलीविजन पर कर दी गई। एक्सप्रेस बिल्डिंग और श्री जगमोहन का संवाददाता सम्मेलन दिखाया गया। उसी दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इमारत को क्यों नहीं गिराया जाए। तो इस तरह राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग किया गया। मैं श्री गोयंका के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग किया गया। इसलिए ये निंदात्मक टिप्पणियां जारी की गईं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भवन को गिराना राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था और इसका उद्देश्य प्रेस की आवाज को दबाना था।

इन निदेशात्मक टिप्पणियों के बावजूद श्री जगमोहन अभी भी कहते हैं, "क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है।" मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा है। उनका कहना है: "हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अगर उच्चतम न्यायालय इसके खिलाफ जाएगा तो हम एक संसदीय समिति बनाएंगे।" जैसे कि यह सब श्री जगमोहन के हाथ में हो। तो इस तरह शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। अगर ऐसे लोगों की नियुक्ति राज्यपाल के पदों पर कर दी जाए तो वे अपनी शक्तियों का जरूर दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए मैं प्रो० दण्डवते के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ईमानदार हैं तो उन्हें एक काम और करना चाहिए। बम्बई में बड़े-बड़े तस्करों ने प्रतिभा प्रतिष्ठान की बहुमंजिली इमारत के निर्माण में सहायता की है। वहां कांग्रेस की सरकार है। वहां इस इमारत को आप क्यों नहीं गिरा रहे?

दिल्ली में भी 150 से 200 के लगभग गैर-कानूनी निर्माण कार्य किए गए हैं। उन्हें गिराने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

मैं भी कानून का पालन करता हूं। मैं भी नियमों का पालन करता हूं। (व्यवधान) दिल्ली में इन इमारतों के मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

जगमोहन के मामले में लगता है कि इरादा यही था कि गोयंका को सबक सिखाया जाए। इस बात को मद्देनजर रखकर मैं प्रो० दण्डवते द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इतने उच्च पदों पर आसीन लोगों और राज्यपालों को इन इरादों से प्रेरित होकर काम नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा): अध्यक्ष महोदय, जिस बहस को हम आज कर रहे हैं उसमें हम गवर्नर के ऊपर बहस कर रहे हैं, उन्हें तो इस बहस के पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जहां तक गोयंका और सिकन्दर बख्त का सवाल है, उनके बारे में ट्रेजरी बैंचेज के लोगों ने जो तर्क प्रस्तुत किया है कि इन्क्वायरी होनी चाहिए, यह ठीक है। इसमें हम उनके साथ हैं। क्योंकि कानून से बड़ा और कानून से ऊपर कोई नहीं है। सब लोग कानून के सामने बराबर हैं इसलिए जो डिमांड इन्क्वायरी की गई है, उसमें हम आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस महान भारतवर्ष में जहां श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपनी गलती न होते हुए भी, रेलवे के एक्सीडेंट्स होने मात्र से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और जहां इस भारत में हम राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इम्पीच कर सकते हैं, जहां हम सुप्रीमकोर्ट के जजेज को इम्पीच कर सकते हैं, ऐसे महान देश में क्या राज्यपाल को जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्ट्रिक्चर पास किए हैं, क्या इन्हें नहीं हटा सकते हैं।

महोदय, जहां अर्जुन सिंह जी जैसे व्यक्ति को आपने पंजाब से लाकर यहां बिठा दिया वहां क्या आप जगमोहन लाल जी को नहीं हटा सकते हैं। श्री अर्जुन सिंह जी तो भोपाल जाना चाहते थे, लेकिन आपने उनको यहां बिठा दिया। जब आपकी इतनी पावर्स हैं, तो आप ऐसे गवर्नर को क्यों नहीं हटा सकते, उनको तो हटाना ही चाहिए।

महोदय, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वैसे ही आपकी कैबिनेट को यह डिसीजन करना चाहिए था और राष्ट्रपति महोदय को यह चाहिए था कि वे राज्यपाल के रिमूवल के लिए आर्डर करते। आज यहां इतनी कड़ी आलोचना हो रही है, इस आलोचना के होने से पहले खुद ही उनको चाहिए था कि वे चिट्ठी लिखते और अपने पद से त्यागपत्र दे देते। यह उनकी मॉरल ड्यूटी बनती थी। अगर उन्होंने नहीं दिया, तो सरकार को चाहिए था कि वे उनसे इस्तीफा लेते।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सरकार को, राष्ट्रपति को श्री जगमोहन को निकालने की सिफारिश करनी चाहिए थी।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस नाजुक मसले पर हुई चर्चा में भाग लिया। यह एक नाजुक मसला है क्योंकि इसका सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय से है। विधि मंत्री होने के नाते मुझे संविधान तथा अनुच्छेद 121 की रक्षा करनी है जिसके अनुसार उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है और मैं आभारी हूं कि इस सदन में ऐसा किया गया और न्यायाधीशों के व्यवहार की चर्चा नहीं की गई। इससे पता चलता है कि हम अपने संविधान को समझते हैं और जिन वक्ताओं ने चर्चा में भाग लिया है उन्होंने स्थिति की नाजुकता को समझा है।

इस संदर्भ में मैं कुछ एक बातों का ध्यान दिलाऊंगा जो विवाद से परे हैं। मैं सदन के समक्ष कुछ स्वीकार्य तथ्य रखूंगा और प्रो० मधु दंडवते भी उस पर विवाद नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि सारी समस्या पैदा कैसे हुई। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हम केवल बात पर विचार कर रहे हैं कि सारी समस्या उत्पन्न कैसे हुई। समस्या की उत्पत्ति 1977 में हुई। मैं निर्णय में पृष्ठवार बताऊंगा कि जैसे ही आपकी सरकार सत्ता में आई श्री गोयंका कैसे बड़े बॉस बन गए। मैं निर्णय के पृष्ठ 26 का हवाला दूंगा। न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सेन ने कहा था कि जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद श्री गोयंका को रियायत देने के लिए यह किया गया। कृपया इसकी पृष्ठ संख्या 26 देखिए। यह इस प्रकार है :

"22 मार्च, 1977 को केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद एक्सप्रेस न्यूजपेपर प्राइवेट लिमिटेड ने सीवर लाइन के पश्चिम में एक्सप्रेस भवन का निर्माण करने में आने वाली कानूनी अड़चन को हटाने के लिए काम शुरू किया। पहले उसने दिल्ली नगर निगम को कहा कि सीवर लाइन को प्लाट नं० 9 और 10 के बाहर ले जाया जाए। दूसरे उसने पट्टेधारक अर्थात भारत सरकार निर्माण और आवास मंत्रालय को 400 एफ० ए० आर० के नए एक्सप्रेस भवन के निर्माण के लिए अपेक्षित मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया।"

श्री जगमोहन के व्यवहार में कमी ढूंढ़ने की कोशिश की जा रही थी। मैं श्री जगमोहन के विषय में कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा कि उन्हें किन हालातों में यह करना पड़ा। लेकिन आप कृपया जनता पार्टी के मंत्री के कारनामे की भी जांच करिए। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, इन भद्र पुरुष ने एक पल भी नहीं गंवाया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने जनता सरकार को गैर कानूनी निर्माण कार्य के लिए मंजूरी देने को कहा। क्यों? क्योंकि वह आपके मित्र थे। वह चुनाव कार्यों के दौरान आपकी सहायता करते रहे थे। आपको सत्ता में लाने के लिए सब तरह के प्रभावों का इस्तेमाल करते रहे थे। क्या आप इस तथ्य से इंकार करते हैं? न्यायालय के सामने यह आपका अपना मामला है। वह आपके प्रशंसकों और समर्थकों में थे और उनकी आपसे मिलीभगत थी। जनता सरकार ने पहला काम यह किया कि ठीक है आप आइए और रियायत लीजिए। जो आप चाहते हैं उसकी मंजूरी हम आपको देंगे। मंत्री जी ने यह काम किया। यह मंजूरी तो श्री जगमोहन द्वारा किए गए कामों से भी जल्दी दी गई। घटनाओं पर नजर डालिए। एक तिथि विशेष को वह मंत्री जी से मिले और उसके बाद परिणाम भी निकल गया। कृपया निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव के वोट की ओर ध्यान दें। श्री एडुआर्डो फैलीरो ने इसे पढ़ा है। इसलिए इसे दोबारा पढ़कर मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। सात तारीख को मंत्री जी और सचिव ने इस पर चर्चा की। मंत्री जी ने एक विरोधी टिप्पणी लिखी और कहा कि आप तत्काल जाकर श्री गोयंका से विचार-विमर्श करिए। जैसे ही मंत्री जी ने अपनी बात सचिव पर जाहिर की स्थिति बदल गई। सात तारीख के बाद मंत्री जी ने कहा कि देखिए, आप यह आदेश जारी करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण को 2 फरवरी, 1978 को सूचित किया गया। इसमें इतने दिन जाया हुए? 7 दिसम्बर, 1977 को श्री गोयंका ने मंत्री जी को लिखा। दिसम्बर की बात है और जनवरी में आदेश उनके हाथ में दे दिए गए हैं। आपने अपने मित्रों को इतनी शीघ्रता से लाभ पहुंचाया। अगर आप इस आरोप की भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 5 के आधार पर इसकी जांच करें तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत श्री सिकन्दर बख्त के खिलाफ सीधे-सीधे मामला बनता है। कृपया देखिए कि यह क्या है? किस तरह वह अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने श्री गोयंका को लाभ

7.00 म० प०

पहुंचाया और सरकार को हानि पहुंचाई। तो इस मामले में क्या किसी और बात की जरूरत है? यह तो सरकार की दरिया-दिली है कि हमने मंत्री जी पर मुकदमा नहीं चलाया। मैं मानता हूं कि उन पर मुकदमा नहीं चलाकर हमने भारी भूल की है और आप हैं कि हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए कृपया ध्यान रखिए कि इस बार आपने गलत मामले को हाथ लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : भारद्वाज जी, उर्दू में एक कहावत है :

[हिन्दी]

देर आयद, दुरुस्त आयद ।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं प्रोफेसर दंडवते की इज्जत करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वह तसल्ली रखें । श्री सिकन्दर बख्त को गिरफ्तार करने की धमकी पर मैं मामले को छोड़ूंगा नहीं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं आपको बताता हूं । प्रो० आपको मालूम नहीं है । लौह तथा इस्पात के घोटाले के मामले में मैं उनका वकील था । उन दिनों वह आपके साथ नहीं थे। वह कांग्रेस में थे । मैं आपको बताता हूं आपके मामले में कोई दम नहीं है । मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि उन मामलों में मैंने उन्हें स्थगन आदेश दिलवाया था । वह बाद में आपकी तरफ मिल गए थे । यह एक निराशाजनक मामला है । इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यह एक निराशाजनक मामला है। इस मामले में श्री सिकन्दर बख्त की कोई अहमियत नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या उनका मामला श्री जगमोहन के मामले के समान ही बुरा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी नहीं, श्री जगमोहन ने देश की कुछ सेवा तो की है । मैं आपको स्पष्ट करूंगा और यदि मैं कहीं गलती करूं तो आप सुधार सकते हैं । निर्णय में दिए गए तथ्य को मैं यथावत आपके समक्ष रखूंगा ।

न्यायमूर्ति श्री सेन एक महान न्यायाधीश नहीं हैं । ऐसा कौन कहता है कि वह महान न्यायाधीश नहीं हैं ? किन्तु कृपया ध्यान दीजिए ।

आप व्यर्थ में ही ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे उनकी प्रशंसा होने की बजाय मजाक ही उड़ेगा । इस सभा में उनके आचरण की चर्चा करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आप ही उत्तरदायी हैं। अन्यथा, न्यायालय ने जो भी किया था, हम लोग तो शांतिपूर्वक उसी का पालन कर रहे थे ।

उस भवन का निर्माण किया गया था—आप जिस भवन का निर्माण चाहते थे, उसी का निर्माण कराया गया था और उसे किराए पर उठा दिया गया है । उससे वह लाभ अर्जित कर रहे हैं। हम लोगों ने उस आदेश का चुपचाप पालन किया है । किन्तु अब, कृपया घटनाओं का सिलसिला देखिए । क्या घटना घटी है । और सर्वप्रथम मैं सीधे तौर से वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करूंगा । न्यायालय का निर्णय निर्विरोध नहीं होता है । विभिन्न न्यायाधीशों और न्यायालयों के निर्णय में भिन्नता होती है । कृपया ध्यान दें, कि न्यायामूर्ति श्री सेन स्वयं क्या कहते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : पुनरीक्षा याचिका के विषय में आपको क्या कहना है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं पुनरीक्षा याचिका के बारे में भी बताऊंगा । इसके बारे में थोड़ा कहना ही उचित है । मैं इसे स्पष्ट करूंगा क्योंकि मैं उसके लिए भी तैयार हूं और उस परेशानी की मैं इस सभा में चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें सामान्य बार का उल्लेख किया गया है और इसकी चर्चा नहीं की जा रही है; जहां इसकी चर्चा होनी चाहिए थी । कृपया पृष्ठ 151 देखिए । यह न्यायालय का निर्णय नहीं है, जिसका उद्धरण आप दे रहे हैं । उसने स्वयं ही कहा है····"अपनी

ओर से मैं इसे इस प्रकार स्पष्ट कर रहा हूं ।" यह निर्णय सभी न्यायालयों का नहीं है। आपने पहले जिसका उद्धरण दिया था, वह उनका अपना निर्णय था। यह उनका अपना निर्णय है जिसे उन्होंने स्वतन्त्र रूप से लिया है और यह निर्णय 206 तथा 207 पृष्ठों में है। न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमैया बहुत संक्षेप में निर्णय देते हैं न्यायमूर्ति श्री आर० बी० मिश्रा बहुत ही संक्षेप में तर्कसंगत निर्णय देते हैं। क्या आप इन तीनों न्यायाधीशों में इस कथन से असहमत हैं कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें "एक्सप्रेस" के विरुद्ध कोई कार्यवाही का कोई आधार नहीं बनता है। क्या आप इस बात का विरोध करते हैं कि उन्होंने नगर निगम दिल्ली के भूमि तथा भवन विभाग में तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार को निरस्त कर दिया है और क्या आपको पता है कि न्यायालय के प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उच्चतम न्यायालय में एक स्पष्टीकरण आवेदन दिया है जो निर्णयाधीन है? वास्तविकता यह है कि वह न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिए न्यायालय के निर्णय पर सारा विरोध एक मुद्दे पर समाप्त हो जाता है कि इन सभी मामलों को फिर से उठाया जाए। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई रिट याचिका के अधीन आप न तो मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं और न आप गवाहों से सवाल-जबाव कर सकते हैं। आपको शपथ पत्र दाखिल करना होगा तथा आपको मामले पर निर्णय लेना होगा। न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमैया और न्यायमूर्ति श्री आर० बी० मिश्र ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित करने की ये कार्यवाही नहीं है। इसलिए मुकदमा दायर कीजिए। न्यायमूर्ति श्री सेन ने भी कहा है कि ठीक है, हमने नोटिसों को रद्द कर दिया है। दो नोटिस प्राप्त हुए थे, एक नगर निगम से प्राप्त हुआ था और दूसरा भूमि और भवन विभाग से। एक में पुनर्प्रवेश और अर्थदण्ड लागू करने की बात थी तो दूसरे में निर्माण को तोड़ने के आदेश थे। यह भारी अर्थदण्ड था। इसलिए न्यायालय ने रद्द कर दिया था और इन आदेशों पर विभिन्न कारण दिए गए थे। जब कभी आदेश रद्द किए जाते हैं, तो उसके कारण बताए जाते हैं और उन कारणों में श्री जगमोहन के बिरुद्ध निंदा प्रस्ताव हैं। निर्णय की यह स्थिति सही नहीं है। क्षेत्रीय इंजीनियर द्वारा और भूमि और भवन विभाग अधिकारी द्वारा जारी किए नोटिसों को रद्द करने के न्यायालय के निर्णय के बारे में वे लोग तर्क-वितर्क कर रहे हैं। अतः उस सीमा तक आदेश लागू ही नहीं होते हैं।

किन्तु जहां तक श्री जगमोहन के आचरण का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में यदि आप न्यायमूर्ति के वक्तव्य को भी पूरी तरह पढ़ जाएं, तो भी उससे आपका मन्तव्य पूरा नहीं होगा। कृपया देखिए कि न्यायमूर्ति श्री सेन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है—"मैंने दोनों नोटिसों को रद्द कर दिया है, अब भारत सरकार न तो तोड़-फोड़ करेगी और न वहां प्रवेश करेगी किन्तु भारत सरकार को समुचित मुकदमा दायर करने तथा प्रभारों को वसूल करने का अधिकार है।" इसलिए यदि आप यह कहते हैं कि इन्डियन एक्सप्रैस के विरुद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं थी और इसके उपरांत भी यदि श्री जगमोहन उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, तो उसके पीछे कुविचार अथवा राजनैतिक मन्तव्य हो सकता है। न्यायालय द्वारा स्वीकृत अब यह एक ऐसा मामला है जिसका आधार था। वस्तुतः उन्होंने नगरपालिका के कुछ कानूनों का उल्लंघन किया था और उन्होंने कुछ ऐसे करारों का अतिक्रमण किया था जो भूमि और भवन विभाग तथा इंडियन एक्सप्रैस के बीच हुए थे। इसलिए उचित यही है कि मुकदमा चलाया जाए जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके और उत्तरदायित्व के बारे में वास्तव में महसूस किया जा सके। इस मामले को न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसे अभी न्यायालय के सुपुर्द किया जाना बाकी है और एक आवेदन पत्र अभी भी निर्णयाधीन है। बिना किसी

आधार के उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके विपरीत उन्होंने उसी मामले में कार्यवाही की थी जो वैध था। अन्ततोगत्वा, यह कोई दान तो है नहीं! उनके अनुमान तथा गणना के अनुसार लगभग 3.35 करोड़ रुपया था। श्री सिकन्दर बख्त ने जिस रुपए को बट्टे-खाते डाला था वह सरकारी रुपया था। किस कानूनी प्राधिकार के अन्तर्गत यह रुपया बट्टे खाते डाला गया था? वस्तुतः आने वाली सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि पिछली सरकार ने क्या सही किया था और क्या गलत। आपने हमारे विरुद्ध अनेक कार्यवाही की थी और हमें अपनी रक्षा करनी पड़ी थी। किन्तु प्रश्न यह है कि अब वह क्या कार्यवाही करें जबकि तोड़-फोड़ का नोटिस और पुनः प्रवेश का नोटिस दिया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। किन्तु दी इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आप इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं? कृपया ध्यान दीजिए कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे अधिक समय तक उलझाकर रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। सभी क्षेत्रों में हम उसका सम्मान करते हैं। किन्तु इसे और आगे मत बढ़ाइए क्योंकि ऐसा करने से आप न्यायपालिका का असम्मानित करने का खतरा मोल लेंगे। कोई भी व्यक्ति किस न्यायाधीश के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है। किन्तु इसे न्यायाधीश किसी भी मामले पर चर्चा कर सकते हैं। यह उनका विशेषाधिकार है। वह हमसे जो चाहे कह सकते हैं। हमारी बात सुने बिना ही हमारे दल के बारे में यह सब कहा है। किन्तु हम इन सब बातों की चर्चा यहां नहीं करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसे कि हम लोग न्यायाधीशों के आचरण के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार न्यायाधीश भी सभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बात एकपक्षीय नहीं है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : संविधान के अगले अनुच्छेद में यह दिया गया है। इसीलिए मैं आपका तथा अपने सभी मित्रों का आभारी हूं। किन्तु पुनः यही प्रश्न उठता है कि हमें भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। यहां यह भ्रांति फैलाई गई है कि सम्पूर्ण न्यायालय ने उसकी हंसी उड़ाई है और सम्पूर्ण न्यायालय का यही निर्णय है। क्या आपके विचार से न्यायमूर्ति वेंकटरमैया और न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्रा योग्य न्यायाधीश नहीं हैं? वे भी उतने ही योग्य हैं और निर्णय में उनके सुझाव शामिल हैं। जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, अभिलेख को सीधा प्रस्तुत करना मेरा कर्त्तव्य था और मैंने ऐसा ही किया है।

अब मैं इसके अन्य भाग अर्थात् श्री जगमोहन के बहुत ही तीव्र गति से कार्यवाही करने की बात को लेता हूं। तारीखें दी गई थीं। उन्होंने 7 फरवरी, 1980 को भार संभाला था। उन्होंने 18 फरवरी, 1980 को फाइल मंगवाई और दिल्ली विकास प्राधिकरण की फाइलें 20 फरवरी, 1980 को मांगी गई थीं। उन्होंने नगर निगम दिल्ली की फाइल 29 फरवरी को मांगी थी और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया था। ध्यान दीजिए कि उन्होंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से कार्य किया था। उन्होंने श्री सिकन्दर बख्त की तरह कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन आमन्त्रित किया और उनको बताया कि इंडियन एक्सप्रैस ने किस प्रकार अतिक्रमण किया था। इस बात को दूरदर्शन पर दर्शाया गया था। इस प्रकार उन्होंने कोई भी कार्य बढ़ेंगे तरीके से नहीं किया था।

डा० दत्ता सामन्त : यह कार्य राजनीति से प्रेरित था।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह कार्य राजनीति से प्रेरित नहीं था।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने कोई भी ऐसा राज्यपाल देखा है, जो संवाददाता सम्मेलन आयोजि करता हो और उन्हें लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे मे बताता हो······

श्री एच० आर० भारद्वाज : एक मतभेद है। वह उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल होने के नाते, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और दिल्ली के प्रशासक थे। उनके ये कार्य राज्यपाल के कार्य नहीं हैं। कृपया ध्यान दें, कि उपराज्यपाल की हैसियत से उन्हें नगर निगम, दिल्ली और दिल्ली विकास प्राधिकरण, दोनों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। किन्तु न्यायाधीश इस मुद्दे को ढंग से नहीं समझ पाए। वास्तविकता यही है। इस बात का निर्णय न्यायालय ने दिया है; अतः मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। इस फाइल में एक अधिसूचना है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसके अनुसार सारी नाजूल भूमि का प्रबन्ध उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस मामले में न्यायाधीश श्री सिकन्दर बख्त की कारंवाई को उचित ठहराने हेतु बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि यह उपराज्यपाल जो भारतीय संघ का एक छोटा अधिकारी है, की गुस्ताखी है कि वह मंत्री जी की कार्यवाही को चुनौती दे" यही तर्क है जो उन्होंने दिया है। मैं आपको तारीख भी बता सकता हूं। परन्तु चाहे वह छोटा या बड़ा अधिकारीहै। जब तक वह संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त कृत्यों का उपयोग करता है तब तक वह इसे अपने कार्य क्षेत्र तथा क्षमता के भीतर करता है। मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर न्यायिक फैसला हुआ है। पुनरीक्षा के अलावा कोई तरीका नहीं था। और मुझे वास्तव में टिप्पणी करते हुए बहुत दुःख होता है कि इस देश में क्या हुआ है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति पुनरीक्षा ही केवल एक तरीका है······**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : अगले मुद्दे पर जाने से पहले कृपया आप स्पष्ट करें कि भारत सरकार के वकील ने न्यायालय में साफ-साफ कहा था कि उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग किया है जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कहा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी हां, भारत सरकार के वकील श्री एल० एन० सिन्हा थे। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस व्यक्ति को जानते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। श्री एल० एन० सिन्हा कुछ न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। श्री एल० एन० सिन्हा से बहुत से घनिष्ठ लोग न्यायाधीश बन गए हैं तथा अन्य पदों पर काम कर रहे हैं। मैं श्री सिन्हा या उस मामले के लिए किसी न्यायाधीश या वकील के विरुद्ध कुछ नहीं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। यह विवाद केवल यहीं नहीं है बल्कि बाद में भी है यह एक अजीब घटना है जो समय के साथ उभरकर आई है। सुनवाई समाप्त होने के 2 वर्षों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कुछ रियायतें दी गई थीं जिससे वे लिखित में इन्कार कर रहे हैं। न्यायालय ने निर्णय में क्या कहा, क्या आपने वह पढ़ा है? न्यायालय ने कहा था कि पत्र व्यवहार पर्याप्त नहीं था, हलफनामा दायर करना चाहिए था। ठीक है, यदि न्यायालय उन्हें बुलाना चाहता है और कहता है कि हम आपके पत्र व्यवहार पर विश्वास नहीं करते हैं, हलफनामा दायर कीजिए। यदि उन्होंने हलफनामा दायर नहीं किया तो आपको कहना चाहिए कि उन्होंने हलफनामा दायर नहीं किया है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर लम्बे समय के अन्तराल के बाद निर्णय होता है और तब कुछ वकील कुछ बातें लिखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उन शब्दों में सम्बोधित नहीं किया था। इस इस मामले में वकीलों के प्रति जो कहा गया है वह सम्बद्ध पार्टी के तर्कों के बिल्कुल विपरीत है।

भारतीय संघ की दलीलें, डी० डी० ए० की दलीलें, नगर निगम की दलीलें सभी शब्दशः एक दूसरे मेल खाती हैं लेकिन निर्णय में लिखित रूप से जो रियायतें दी गई हैं वे पूरी तरह से भिन्न हैं। मैं इन बातों के गुण-दोषों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वे एक बहुत संवेदनशील संवेदनशील क्षेत्र को छूते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। न्यायधीश बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी उन किताबों की सही रूप से जांच की है जिनमें हम खास-खास बातें नोट करते हैं और इसलिए हमें पक्का विश्वास है कि ये रियायतें दी गई थीं। लेकिन वकीलों ने उतना ही जोर देकर कहा है कि ये रियायतें कभी नहीं दी गई थीं। लेकिन हम क्या करते? जगमोहन न्यायालय में नहीं थे। जगमोहन को कुछ पत्र दिए गए हैं। यदि पत्र सही हैं तो जगमोहन सच्चे हैं। यदि पत्र सही नहीं हैं तो जगमोहन को नहीं पता कि क्या विचार किया गया था। उन्हें किसी भी तरह से पुनरीक्षा याचिका दायर करनी थी क्योंकि असंतुष्ट पार्टी के पास उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आप बताइए इसमें कोई व्यक्ति और क्या कर सकता था। यदि न्यायालय के किसी आदेश के प्रति किसी पार्टी को शिकायत है और यदि वह उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षा के लिए जाना चाहती है तो वह पुनरीक्षा याचिका के अलावा अन्य कोई याचिका दायर नहीं कर सकता। और इसलिए वह उन्हीं न्यायाधीशों के पास जाती है तथा वे ही उसकी सुनवाई करते हैं। परन्तु इस मामले में न्यायालय ने एक तर्क दिया है कि हलफनामा दायर करना अधिक अच्छा होता तथा न्यायालय में इसका उल्लेख होना चाहिए था उन्होंने केवल यही कहा था। श्री एल० एन० सिन्हा या श्री भंडारे या श्री पी० पी० सिंह ने नहीं, बल्कि एक अन्य वकील ने इस मामले का 'ब्रीफ' तैयार किया था। क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय बार के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० एल० एम० सिंघवी का उल्लेख किया? श्री जगमोहन को ये पत्र देने के बाद यह मामला डा० सिंघवी को दिया गया था। पूरा मुकदमा उन्होंने तैयार किया था। परन्तु उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए आज इसको लेकर 'बार' और न्यायालय-पीठ में बेचैनी है। इस विषय पर न्यायाधीशों में मतभेद है। वकीलों में भी कुछ मतभेद हैं। बार के 200 सदस्यों द्वारा एक संकल्प में हस्ताक्षर किए गए हैं जो इस महीने की 28 तारीख को विचार के लिए लम्बित है। 60 सदस्य इसके विरुद्ध हैं तथा 200 सदस्य इसके पक्ष में हैं। बार एसोसिएशन में इस पर चर्चा की जा रही है। परन्तु हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया है कि हम न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह संविधान की उपेक्षा है। परन्तु पुनरीक्षा याचिका के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। कृपया ध्यान दीजिए एक अंग्रेज न्यायाधीश ने क्या कहा है।

मैं उद्धृत करता हूं :

"हो सकता है कि कुछ लोग प्राकृतिक न्याय के नियमों के पालन सम्बन्धी उस महत्व को कम करें जो न्यायालय इस न्याय को देते हैं। जब कोई बात कुछ स्पष्ट होती है तो वे कह सकते हैं कि ऐसे मामले में आरोप तैयार करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करके समय क्यों नष्ट किया जाए। इसका परिणाम स्पष्ट है। मैं समझता हूं जो इस विचार के हैं। वे खुद न्याय नहीं करते है। जैसा कि हर व्यक्ति जो कानून से सम्बद्ध है अच्छी तरह से जानता है कि चालू तथा निर्णित मुकदमों के कई उदाहरण हैं जिनमें ऐसे आरोप भी नहीं थे जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। उन लोगों को मानव प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं होता जो यह सोचते हैं कि घटनाक्रम को प्रभावित करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किए बिना उनके विरुद्ध निर्णय लिया जा सकता है।"

एक अंग्रेज न्यायाधीश ने यह कहा है। इस विशेष मामले में भी कुछ न्यायाधीश यह महसूस करते हैं कि दूसरे पक्ष को अवसर देकर समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तथ्य स्पष्ट है। लेकिन, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायाधीश समझते हैं कि वे ठीक नहीं हैं। परन्तु ऐसे मामलों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इसलिए, कानून के हर न्यायिक स्तर का दर्जा बढ़ाया गया है। उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार माना गया है। इसमें वकील की शिकायतें यही जान पड़ती है कि दोषी ठहराने से पहले उन्हें सुना नहीं गया था। चाहे न्यायालय के निर्णय में जो भी टिप्पणियां की गई हैं, बार तथा बार के सदस्यों का शिकवा यह है कि वरिष्ठ वकीलों के नाते यदि कुछ कहना होता है तो वह न्यायाधीश के चेम्बर में अच्छी तरह से कह सकते हैं तथा स्पष्ट कर सकते हैं। उन्हें सुनने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। यह बार के सदस्यों तथा न्यायालय के बीच है। वह विषय बहुत उचित तथा बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि न्यायालय के अधिकारियों के रूप में, वकीलों को बहुत मुश्किल और असाधारण कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुवक्किल के सही हित में कार्य करना पड़ता है। यदि वे न्यायाधीश से दबे रहेंगे तो वे न्यायालय को उचित रूप से सम्बोधित नहीं कर सकेंगे। वे हमेशा इस डर से रहेंगे कि बार के सदस्यों की टिप्पणियों से न्यायालय अप्रसन्न होगा। अतः जब आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको बार की शक्ति को भी समान रूप से देखना होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बार की भी आवश्यकता है। हम दोनों संस्थानों को अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक मजबूत बार नहीं होगी तब तक न्यायपालिका मजबूत नहीं हो सकती है और जब तक स्वतन्त्र न्यायपालिका नहीं है तब तक मजबूत बार नहीं हो सकती है। ये दोनों संस्थान आपस में एक दूसरे के सहायक हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह की चर्चा द्वारा, जैसी कि आज यहां उठाया गया है वह संबंध समाप्त हो जाएगा।

हम प्रत्येक दल की भरपूर सन्तुष्टि हेतु इस विरोधाभास को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि यह काम संयम से किया गया है इससे किसी को भी हानि नहीं होगी।

श्री वसन्त साठे : दोनों ही समान आदरणीय हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने भी यही कहा है।

यह भी एक विवाद था कि न्यायालय ने कहा है कि कार्यवाही दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित थी। केवल न्यायमूर्ति सेन ने यह कहा था, न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने नहीं। न्यायमूर्ति वेंकटरमैय्या की टिप्पणियां और निष्कर्ष यह थे कि जिन दो अधिकारियों ने ये नोटिस जारी किए थे उन्होंने स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही नहीं की थी तथा इन नोटिसों को जारी करने में उन्होंने श्री जगमोहन के दबाव में आकर कार्य किया था। राजनीतिक प्रेरणा का दोष न्यायमूर्ति वेंकटरमैय्या का नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : न्यायमूर्ति वेंकटरमैय्या ने कहा है कि मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि कथित नोटिस सम्बद्ध प्राधिकारियों ने द्वितीय प्रतिवादी अर्थात् श्री जगमोहन के दबाव में आकर दिए थे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने यही कहा था। यदि आप सम्बद्ध अधिकारियों अर्थात क्षेत्रीय अभियन्ता तथा भूमि और भवन विभाग के पदासीन अभियन्ता के इन दो या तीन वाक्यों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उन्होंने ये नोटिस स्वतन्त्र रूप से जारी नहीं किए थे। अतः, इन दोनों अधिकारियों ने स्वतन्त्र रूप से अपने दिमाग से काम नहीं लिया और उन्होंने दबाव में आकर कार्यवाही

की। इसलिए, इस मामले में न्यायाधीश ने किसी भी व्यक्ति के प्रति राजनीति से प्रेरित होकर कार्यवाही नहीं की। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह इस मामले पर न्यायालय का सर्वसम्मतिपूर्ण निर्णय है। हम सदैव मामले के तथ्यों, मुद्दों और अनुपात का ध्यान रखते हैं। वे भिन्न मामले हैं। अतः इन बातों पर निष्पक्षता से तथा अलग से चर्चा करनी होगी। न्यायालय का निर्णय एक न्यायाधीश की विचारधारा और टिप्पणी से एकदम भिन्न है। न्यायालय की टिप्पणी और न्यायालय का निर्णय दो भिन्न बातें हैं। मैं आपको बताता हूं कि न्यायालय का निर्णय यह है कि एक्सप्रेस भवन ने कुछ कानूनों का अतिक्रमण किया है और उस पर अलग से कार्यवाही को जानी चाहिए। उन्होंने तो केवल उन दो नोटिसों को रद्द किया है जो दिल्ली नगर निगम और भूमि तथा भवन विभाग ने जारी किए थे क्योंकि वे सही और स्वतन्त्र दिलो-दिमाग से जारी नहीं किए गए थे। इस निर्णय का मूलाधार यही है। अतः फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप वास्तव में ही उस एक अधिकारी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिसने तत्परता से कार्यवाही की। आपके मन्त्री महोदय ने पक्षपात जताने हेतु तत्परता से कार्यवाही की। यही एक ऐसा अधिकारी है जिसने उस पक्षपात को हटाने और तीन करोड़ पैंतीस लाख रुपए वसूलने के लिए तत्परता से कार्यवाही की। अतः, यह शिकायत है और यदि यही मामला है तो आपके मामले में दम नहीं है। इसलिए हमें इस मुद्दे को अभी नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अन्ततः, सिकन्दर बख्त मन्त्री रहे हैं, परन्तु अब वे संसद के सदस्य भी नहीं हैं। उन पर अब यहां चर्चा करने से क्या फायदा?

प्रो० मधु दण्डवते : कौन चर्चा कर रहा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्योंकि आपने उसे महत्व दिया है। उनका विगत कोई बहुत मूल्यवान नहीं हैं तथा मैं आपको बता रहा हूं कि वह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। इतना मैं भी जानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वह कांग्रेस से होकर आए हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं आपको बताता हूं कि आपने तो उन्हें मन्त्रिमण्डल में इतनी तत्परता और सहर्ष ध्यान दिया था। क्या स्तर था आपका।

महोदय, मैं केवल एक और बात पर टिप्पणी करूंगा।

यहां पर जो भी चर्चा हुई है, यहां पर जो कुछ भी कहा गया है उसमें किसी ने यह नहीं कहा है कि श्री जगमोहन ने यह सब कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया है। आपने सर्वश्री टी० टी० कृष्णमचारी कैरो और नीलम संजिवा रेड्डी के मामले के बारे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे इसलिए पता है कि मैं वकील था, परन्तु इन सब बातों का अच्छी तरह समझता था। (**व्यवधान**) यहां तक कि यदि आप अन्तुले के ही मामले को लें तो मैं यह बताए दे रहा हूं कि आपके सिकन्दर बख्त को जेल जाना पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है और मुझे इससे क्या लेना-देना है कि कौन जेल जाता है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : आप किसी भी दशा में अन्तुले के मामले की जगमोहन के मामले से तुलना नहीं कर सकते। आपको मुझसे कहीं अधिक जानकारी है। क्योंकि, उस मामले में किसी न्यास को

आर्थिक लाभ हो रहा था और यहां पर वह लाभ एक्सप्रेस को मिल रहा है। वहां सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया था । श्री जगमोहन ने कांग्रेस (इ) को या किसी अन्य को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ पहुंचाने में किसी पद का दुरुपयोग नहीं किया है । अतः, ये इस प्रकार के मामले हैं । और फिर रामलाल का भी मामला है। इन मामलों में कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके बाद श्री चेन्ना रेड्डी मैं चुनाव के मामलों को ही लीजिए । ये सभी मामले सामने हैं और ये सभी अत्याचार के आरोपों से भी सम्बद्ध हैं । टी० टी० कृष्णमाचारी के मामले पर गौर कीजिए, उनका मामला मुन्धरा सौदे के बारे था । अत ये सभी मामले, मुझे स्पष्ट रूप से याद हैं, कुछ नैतिक चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों के हैं । इस मामले में लाभ पहुंचाने के लिए सांठगांठ की गई ।

प्रो० मधु दंडवते कुछ मामले ऐसे थे जो केवल अनियमितताओं से सम्बद्ध थे ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : सरकारी पैसा वसूल करना कोई अनियमितता नहीं है। अनियमितता है क्या ? क्या यह अनियमितता नहीं है, यदि प्रेस का कोई सामन्त सरकारी भूमि पर अभिक्रमण करे और आपके मंत्री महोदय उसका पक्ष लें और कहें कि जाइए और जो मर्जी कीजिए ? आपके लिए कोई नियम नहीं है । उन्होंने उन नोटिसों को जारी करने में कुछ नियमों का पालन किया है जिन पर न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए । परन्तु आपके लिए कोई नियम नहीं है ।

अब महोदय, एक बात और है । यह न्यायालयों के सम्मान से सम्बद्ध है। कृपया इसे देखिए। उस समय मैं उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्य कर रहा था। मुझे पता है कि न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया था कि एक्सप्रेस समाचार पत्र के वास्तुकार एक सर्वेक्षण करके यह पता लगाएं कि क्या कोई अवैध कब्जा हुआ है और यदि हां तो कितना ? क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ? ऐसा होने नहीं दिया गया क्योंकि, इस बारे में वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वयं कहा था कि मुझे कोई छू नहीं सकता है । उनके अपने अर्कीटेक्ट थे कोरिया एण्ड कम्पनी । मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति वेंकटरमैय्या ने निदेश दिए थे और कहा था ठीक है, वे और निर्माण नहीं करेंगे और उनके ही वास्तुकार को सर्वेक्षण करने दो । परन्तु उसकी कभी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वाहन ठहराने के लिए स्थान नहीं बचा था । इन चीजों में कुछ नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि एक बार फिर आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं इसका कोई उत्तर नहीं है। दुर्भाग्य से इस मामले में न्यायाधीश अन्तर्ग्रस्त हैं, कोई दल नहीं और हमें यह प्रश्न ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। श्री जगमोहन ने इस उस आदमी पर हाथ डालकर समाज या दिल्ली अथवा देश की कोई बुराई नहीं की है जो कि समझता है कि 'उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है ।" उन्होंने यह उजागर करके सच्ची और सीधी सेवा की है कि यह सार्वजनिक सम्पत्ति के अतिक्रमण, तथा नगर निगम के करों के वंचन तथा सभी प्रकार की प्रक्रियाओं और कानूनों के उल्लंघन का बेजोड़ मामला है ।

समस्त सभा ने इस मामले के सभी मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की है और और अब मैं संक्षेप में एक मुद्दे पर बोलूंगा । कुछ लोगों ने कहा है कि यह प्रेस का मुंह बन्द करने के लिए किया गया था और इससे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है । जरा यह तो देखिए कि न्यायाधीशों ने क्या कहा है । क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है 'यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, इसलिए हम इन कार्यवाहियों को रद्द करते है ?' नहीं । उन्होंने अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत मामले पर निर्णय दिया है ।

न्यायालय का फैसला यह नहीं है कि 'इससे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है ।' प्रेस की

स्वतंत्रता पर प्रहार किया है और इसलिए हम इसे रद्द करते हैं।' उन्होंने केवल इतना कहा था कि दिमाग से काम नहीं लिया गया, अनावश्यक जल्दबाजी की गई और इसलिए हम इसे रद्द करते हैं क्योंकि प्राधिकारियों ने स्वतन्त्र रूप से कार्यवाही नहीं की, इन अभियन्ताओं ने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया। अतः, उस सीमा तक नोटिसों को रद्द किया गया।

महोदय, अपने सभी निवेदनों सहित, मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु मैं केवल चाहता हूं······**(व्यवधान)**। मैं इसे वापस नहीं लूंगा। जब मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने हेतु ही कर रहा हूं।

महोदय, मैं अति संक्षेप में कहूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब आप पीठासीन नहीं थे तो एक विनिर्णय दिया गया था कि न्यायाधीशों के आचार पर कोई निंदात्मक टिप्पणी न की जाए और मैं मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि कुल मिलाकर हमने सारे वाद-विवाद में निर्णय के प्रभाव की चर्चा की थी परन्तु जहां तक न्यायाधीशों के आचार का सम्बन्ध है उस पर विचार नहीं किया गया तथा मुझे प्रसन्नता है कि वाद-विवाद को उस विशेष स्तर तक बनाए रखा गया। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। जब प्रस्ताव किसी पहलू-विशेष से सम्बद्ध था तो जो बाद के प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वे जानबूझकर अपराध को सर्वोत्तम बचाव का तरीका चुनते हैं और जानबूझकर मुख्य मामलों से दूर भागते हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, विधि मन्त्री महोदय के ज्ञान के लिए मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं कि वे इस तथ्य के प्रति बहुत सजग हैं कि इस विशेष प्रस्ताव में मामले परिवर्तन करने की राशि का भुगतान किया गया था या नहीं, अनियमितताएं बरती गई थीं या नहीं, उस प्रश्न को नहीं उठाया गया था। जिन्होंने अपराध किया है यदि उन्हें निकटस्थ खम्बे तक ले जाकर छोटी से छोटी रस्सी से लटका दिया जाए तो मैं कोई शोक प्रकट नहीं करूंगा। प्रश्न यह नहीं है कि अनेक लोगो ने क्या-क्या अपराध किए। उन्होंने नियमों के उल्लंघन की बात कही थी। मैं उद्धृत करता हूं। न्यायाधीश ने स्वयं कहा :

> "मैं यह भी बताता हूं कि क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक नीलामी द्वारा आसफ अली रोड पर भूखण्ड बेचे हैं और हयात रीजैन्सी होटल को बीकाजी कामा प्लेस रिंग रोड पर 500 एफ० ए० आर० का भूखण्ड दिया है।"

इस प्रकार कई अनियमितताएं हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : सड़क के मध्य में नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जरा मेरी बात सुनिए। आपका तर्क था कि एफ० ए० आर० नियमों की अवहेलना की गई है, मास्टर प्लान नियमों का उल्लंघन किया गया है। मेरे मित्र श्री दत्ता सामन्त ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया है जहां इन नियमों का उल्लघन किया गया है। लेकिन प्रश्न यह नहीं था। जैसा मैंने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए और दोषियों के

विरुद्ध कदम उठाएं तो मैं उनमें से किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा, लेकिन प्रश्न यह है कि जैसा कि भारत सरकार के अधिवक्ता ने बिल्कुल साफ कहा कि जहां तक श्री जगमोहन का सम्बन्ध है वह निर्देश के आगे बढ़े हैं, उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग किया है जो उन्हें नही दी गई थीं और इसलिए जबकि शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है और जो शक्तियां नहीं प्रदान की गई थीं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, तो उपराज्यपाल जैसे उच्च पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति यह दृष्टिकोण नहीं अपना सकता।

जहां तक मुख्य फैसले का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री शरद दिघे जी ने ठीक ही कहा, मुख्य फैसले में मतवैभिन्न था। भिन्न-भिन्न फैसले दिए गए थे। जहां तक पुनरीक्षण याचिका का प्रश्न है मुख्य लक्ष्य वही है। फिर, विभिन्न फैसलों में विभिन्न न्यायाधीशों ने उसी व्यक्ति की विभिन्न पहलुओं से आलोचना की है। और इसलिए मैं कहूंगा कि यह वास्तव में त्रि-आयामी समस्या बन गई है, लेकिन फिर भी पुनरीक्षण याचिका में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लघन किया है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है जो उनके अधिकार में नहीं थीं।

अतः मैं प्रस्ताव पर सदन में मतदान के लिए आग्रह करता हूं। मैं इस अन्तिम क्षण में भी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपना विचार बदल दें और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करवायें। भले ही आप आज इसे अस्वीकार कर दें; आप कुछ सप्ताह बाद से कार्यान्वित करेंगे और श्री जगमोहन पद त्याग करेंगे। यह केवल समय का सवाल है। मैं संसद के इस मंच से समय पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया में केवल शीघ्रता ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल, श्री जगमोहन के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सभा सिफारिश करती है कि श्री जगमोहन को जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल के पर से हटाया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

(चौदहवां प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन स्थगित होता है और 28 नवम्बर, 1985 को 11 बजे पुनः समवेत होगा।

7.32 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 28 नवम्बर, 1985/7 अग्रहायण, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मोजपुर, दिल्ली-53